

21 31 US C 21

नवंबर भाग-१ (संग्रह)

ત્રવાય ે 2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009 Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501 Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

| शार | सन व्यवस्था | 4 | भार | तीय अर्थव्यवस्था | 38 |
|----------------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------|----|
| > | भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून | 4 | > | भारत का पहला जल में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर | 38 |
| > | केंद्र ने लगाया ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध | 6 | > | IIPDF योजना | 39 |
| > | भारत का सबसे बड़ा हाइपरस्केल डेटा सेंटर | 6 | > | एकल वस्तु एवं सेवा कर दर | 40 |
| > | सोशल मीडिया और चुनाव | 8 | > | नगर निकाय वित्त रिपोर्ट: RBI | 41 |
| > | C-295 विमान | 10 | > | भारत में खाद्य तेल क्षेत्र | 42 |
| > | भांडागारण विकास | 11 | > | भारत का चाय उद्योग | 43 |
| > | टू फिंगर टेस्ट | 12 | ्यांत | र्राष्ट्रीय संबंध | 47 |
| > | दूरस्थ मतदान सुविधा | 13 | | | |
| | जम्मू-कश्मीर की एसटी सूची में पहाड़ी जनजाति | 15 | > | SCO परिषद के प्रमुखों की बैठक | 47 |
| | 3, | | > | बिम्सटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक | 50 |
| | UDISE प्लस रिपोर्ट | 16 | > | भारत-बेलारूस संबंध | 51 |
| | बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की होगी नियुक्ति | 18 | > | 19वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन | 54 |
| > | गंगा उत्सव 2022 | 19 | > | भारत-नॉर्वे संबंध | 56 |
| > | राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) | 20 | | | |
| > | चुनावी बॉण्ड योजना में संशोधन | 22 | विइ | तान एवं प्रौद्योगिकी | 59 |
| > | किशोरों हेतु सहमति की आयु | 23 | > | DNA टेस्ट की बढ़ती मांग | 59 |
| > | ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 | 24 | - | विविधता और पर्यावरण | |
| > | 'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन | 25 | जव | विविधता आर प्रयोवरण | 61 |
| | | | > | विकसित होता भारत का कार्बन बाजार | 61 |
| भारतीय राजनीति | | 27 | > | गैंडों के सींगों में संकुचन | 62 |
| | | | > | इंद्रधनुष और जलवायु परिवर्तन | 64 |
| | विचाराधीन कैदियों के लिये मतदान का अधिकार | 27 | > | अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस | 65 |
| | राजनीति का अपराधीकरण | 27 | > | अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, 2022 | 67 |
| > | राज्यपाल को पदच्युत करना | 29 | > | खतरे में विश्व धरोहर हिमनद : यूनेस्को | 68 |
| > | कॉलेजियम सिस्टम | 32 | > | अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम | 69 |
| > | EWS आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना | 33 | ` > | ग्रीनवॉशिंग | 73 |
| > | सभी कर्मचारियों को पीएफ पेंशन योजना चुनने का विकल्प | 35 | > | गतिशील भूजल संसाधन आकलन, 2022 | 74 |
| > | विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका | 36 | > | भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क | 76 |

| > 3 | कार्बन पृथक्करण | 77 | प्रिलिम्स फैक्ट्स | 106 |
|------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----|
| > | आर्द्रभूमि संरक्षण | 78 | फुटबॉल 4 स्कूल पहल | 106 |
| > | विश्व वन लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर नहीं | 80 | छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस | 108 |
| > - | जलवायु के लिये मैंग्रोव गठबंधन | 81 | • > मच्छू नदी | 110 |
| > - | मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम | 83 | कोरोनल होल | 111 |
| 2111 | भूगोल | | कॉर्डी गोल्ड नैनोपार्टिकल्स | 111 |
| नूगा | vi | 85 | विश्व पहेली चैंपियनशिप | 112 |
| | काला सागर | 85 | इंडिया केम- 2022 | 112 |
| | ग्रहण के प्रकार | 86 | राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 | 112 |
| | हिमालयी क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली | 88 | ▶ रिसैट-2 | 113 |
| > | भूकंप | 89 | वांगला नृत्य | 114 |
| कृषि | | 91 | मौना लोआ ज्वालामुखी | 114 |
| | | | तोखू इमोंग त्योहार | 116 |
| > | पोषक तत्त्व आधारित सिब्सिडी दरों को मंज़ूरी | 91 | मधुमक्खी की खोजी गई नई प्रजाति | 116 |
| साम | ाजिक न्याय | 94 | > ब्लैक सी ग्रेन पहल | 117 |
| > = | कुपोषण, भूख और खाद्य असुरक्षा से निपटना | 94 | फॉल्कन हैवी रॉकेट | 119 |
| | स्व-रोज्ञगार महिला संघ (SEWA) | 95 | भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान | 120 |
| | स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, 2022 | 96 | एस्नुअरीन केकड़े की नई प्रजाति | 120 |
| | | m | राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022 | 121 |
| भारत | नीय इतिहास | 97 | भारत का विधि आयोग | 122 |
| > - | मौलाना अबुल कलाम आजाद | 97 | टीवी चैनलों हेतु नए मानदंड | 122 |
| > - | जवाहरलाल नेहरू | 98 | स्वामित्व योजना रिपोर्ट | 124 |
| | | | पश्मीना शॉल | 125 |
| भारत | नीय विरासत और संस्कृति | 101 | कुलपितयों का चयन | 126 |
| > - | गुरु नानक देव जयंती | 101 | नादप्रभु केम्पेगौड़ा | 127 |
| | · | 44.4 | आचार्य कृपलानी | 127 |
| | रिक सुरक्षा | 102 | डेंगू | 128 |
| | मेक-II परियोजना में शामिल नवीन उत्पाद | 102 | अफजल खान का मकबरा | 129 |
| > - | छोटे मत्स्यन जहाजों की निगरानी परियोजनाएँ | 102 | महापाषाणकालीन समाधि स्थल | 130 |
| एथिव | | 10.4 | मानगढ़ नरसंहार | 131 |
| | | 104 | भारतीय जैविक डेटा केंद्र | 132 |
| | स्वचालित कारों को अपनाना | 104 | | |
| > | भारत के लिये नैतिक शासन का आयाम | 104 | रैपिड फायर | 134 |

शासन व्यवस्था

भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून

चर्चा में क्यों?

केरल में दो महिलाओं की 'कर्मकांडवादी मानव बलि' के तहत नृशंस हत्याओं ने देश को सदमे में डाल दिया है।


इन हत्याओं ने भारत में अंधिवश्वास, काला जादू और जादू-टोना की
 व्यापकता के बारे में एक बहस छेड दी है।

अंधविश्वास:

- यह अज्ञान अथवा भय से संबंधित एक विश्वास है और अलौकिक के प्रति जुनुनी श्रद्धा इसकी विशेषता है।
- 'Superstition ' शब्द लैटिन शब्द 'सुपरस्टिटियो' से लिया
 गया है, जो ईश्वर के अत्यधिक भय को इंगित करता है।
- अंधविश्वास देश, धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र, जाति या वर्ग-विशिष्ट नहीं होता हैं, इसका स्तर व्यापक है और यह दुनिया के हर कोने में पाया जाता है।

काला जादूः

- काला जादू, जिसे जादू-टोना के रूप में भी जाना जाता है, दुष्ट और स्वार्थी उद्देश्यों के लिये अलौकिक शक्ति का उपयोग है तथा किसी को शारीरिक या मानिसक या आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिये दुर्भावनापूर्ण कार्य करना है।
- यह कार्य पीड़ित के बाल, कपड़े, फोटो आदि का उपयोग करके किया जा सकता है।
 - भारत में अंधविश्वास से होने वाली हत्याएँ कितनी व्यापक हैं?
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2021 की रिपोर्ट में
 भारत में 6 लोगों की मृत्यु का कारण मानव बिल और 68 लोगों की मृत्यु का कारण जादू-टोना बताया गया है।
- जादू टोना के सबसे अधिक मामले छत्तीसगढ़ (20), उसके बाद
 मध्य प्रदेश (18) और तेलंगाना (11) में दर्ज किये गए।
- NCRB की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में भारत में जादू टोना के कारण 88 मौतें और 11 लोगों की मौत 'मानव बलि' के कारण हुई।



भारत में इससे संबंधित कानून:

- भारत में जादू टोना और अंधविश्वास से संबंधित अपराधों के लिये कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं है।
- वर्ष 2016 में लोकसभा में डायन-शिकार निवारण विधेयक (Prevention of Witch-Hunting Bill) लाया गया था लेकिन यह पारित नहीं हुआ था।
 - मसौदा प्रावधानों में किसी महिला पर डायन का आरोप लगाने या महिला के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने या जादू-टोना करने के बहाने यातना देने या अपमान करने के लिये दंड का प्रावधान किया गया।
- आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत मानव बिल को शामिल किया गया है (लेकिन हत्या होने के बाद ही)। इसी तरह धारा 295A ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करती है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A (h) भारतीय नागरिकों के लिये वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना एक मौलिक कर्त्तव्य बनाता है।
- ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1954 के तहत अन्य प्रावधानों का भी उद्देश्य भारत में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वासी गतिविधियों में कमी लाना है।

राज्य-विशिष्ट कानून:

- बिहार:
 - बिहार पहला राज्य था जिसने जादू-टोना रोकने, एक महिला को डायन के रूप में चिह्नित करने और अत्याचार, अपमान तथा महिलाओं की हत्या को रोकने हेतु कानून बनाया था।

प्रभाव में आया।

महाराष्ट्र:

- 🔷 वर्ष 2013 में महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय कृत्य की रोकथाम एवं उन्मलन अधिनियम पारित किया ताकि राज्य में अमानवीय प्रथाओं तथा काला जादू आदि को प्रतिबंधित किया जा सके।
- इस कानून का एक खंड विशेष रूप से 'godman' (स्वयं को इश्वर के समकक्ष मानने वाले) द्वारा किये गए दावों से संबंधित है जो दावा करते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं।

कर्नाटक:

- कर्नाटक ने वर्ष 2017 में अंधविश्वास विरोधी कानून को प्रभाव में लाने का कार्य किया, जिसे अमानवीय प्रथाओं और काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
- यह अधिनियम धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी "अमानवीय" प्रथाओं का व्यापक रूप से विरोध करता है।

केरल में काला जाद और अन्य अंधविश्वासों से निपटने के लिये कोई व्यापक अधिनियम नहीं है।

• द प्रिवेंशन ऑफ विच (डायन) प्रैक्टिस एक्ट अक्तूबर 1999 में **देशव्यापी अंधविश्वास विरोधी अधिनियम की आवश्यकता:**

- इस तरह की प्रथाओं को अबाध रूप से जारी रखने की अनुमति देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत क्रमश: किसी व्यक्ति की समानता के मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
- इस तरह के कृत्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विधानों के कई प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं, जिनमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, जैसे 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948', 'नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, 1966' और ''महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय, 1979।
- भारत के केवल आठ राज्यों में अब तक डायन-शिकार निवारण विधेयक कानुन हैं।
 - इनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं।
 - अंधविश्वासों से निपटने के उपायों के अभाव में अवैज्ञानिक और तर्कहीन प्रथाओं जैसे उपचार के तरीके पर विश्वास, एवं चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में गलत जानकारी भी बढ सकती है, जो सार्वजनिक व्यवस्था एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है।



आगे की राह

- यह याद रखना उचित है कि इस सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिये कानून लाने का मतलब केवल आधी लड़ाई जीतना होगा।
- सूचना अभियानों के माध्यम से इस तरह की प्रथाओं से जुड़े मिथकों को दूर करने के लिये समुदाय/धार्मिक विद्वानों को शामिल करके जनता के बीच जागरूकता बढ़ाकर सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

केंद्र ने लगाया ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।

- नई अधिसूचना में कहा गया है कि कंपनियों को इसके निर्माण या बिक्री के लिये प्राप्त होने वाले रसायन के पंजीकरण के सभी प्रमाण पत्र अब पंजीकरण समिति को वापस करने होंगे।
- ऐसा न करने पर कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

ग्लाइफोसेट:

• परिचयः

ग्लाइफोसेट एक खरपतवारनाशी है तथा इसका IUPAC नाम N-(phosphonomethyl) Glycine है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1970 में शुरू किया गया था। फसलों तथा बागानों में उगने वाले अवांछित घास-फूस को नष्ट करने के लिये इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग होता है।

• अनुप्रयोगः

 खरपतवारों को समाप्त करने के लिये इसका प्रयोग पौधों की पत्तियों पर किया जाता है।

भारत में उपयोगः

- पिछले दो दशकों में चाय बागान मालिकों द्वारा ग्लाइफोसेट को अत्यधिक स्वीकार किया गया था। पश्चिम बंगाल और असम के चाय उत्पादन क्षेत्र में इसका बाजार आकार काफी अधिक है।
- वर्तमान में इसकी खपत महाराष्ट्र में सबसे अधिक है क्योंिक यह गन्ना, मक्का और कई फलों की फसलों में एक प्रमुख शाकनाशी के रुप में प्रयोग होता है।

संबंधित चिंताएँ:

• स्वास्थ्य प्रभाव:

- ग्लाइफोसेट के स्वास्थ्य प्रभाव कैंसर, प्रजनन और विकासात्मक विषाक्तता से लेकर न्यूरोटॉक्सिसटी एवं इम्यूनोटॉक्सिसटी से संबंधित होते हैं।
 - इसके लक्षणों में सूजन, त्वचा में जलन, मुँह और नाक में परेशानी, स्वाद में कमी होना और धुँधली दृष्टि होना शामिल हैं।
- कुल 35 देशों ने ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है या इसे निषेध कर दिया है।
 - इनमें श्रीलंका, नीदरलैंड, फ्राँस, कोलंबिया, कनाडा,
 इज्ञरायल और अर्जेंटीना शामिल हैं।

अवैध उपयोगः

- भारत में ग्लाइफोसेट को केवल चाय के बागानों और चाय की फसल के साथ गैर-रोपण क्षेत्रों में उपयोग के लिये अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त पदार्थ का उपयोग अवैध है।
- हालाँकि देश में ग्लाइफोसेट के उपयोग की स्थित पर पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क (PAN) इंडिया द्वारा वर्ष 2020 के एक अध्ययन में चिंताजनक निष्कर्ष दिये थे, ग्लाइफोसेट का उपयोग 20 से अधिक फसल क्षेत्रों में किया जा रहा था।
- खरपतवारनाशी का उपयोग करने वालों में से अधिकांश ऐसा करने के लिये प्रशिक्षित नहीं थे और उनके पास उचित सुरक्षा सावधानियाँ नहीं थीं।

• खेतों की कृषि पारिस्थितिक प्रकृति को खतराः

- गैर-निर्दिष्ट क्षेत्रों में ग्लाइफोसेट के बड़े पैमाने पर उपयोग के गंभीर परिणाम हैं।
- भारत में ग्लाइफोसेट के निरंतर उपयोग की अनुमित देने से शाकनाशी सिहष्णु फसलों में इसका व्यापक उपयोग होगा।
- यह लोगों जानवरों और पर्यावरण पर विषाक्त प्रभाव फैलाने के अलावा भारतीय खेतों की कृषि संबंधी प्रकृति को खतरे में डालेगा।

भारत का सबसे बड़ा हाइपरस्केल डेटा सेंटर

चर्चा में क्यों ?

उत्तर भारत के पहले हाइपरस्केल डेटा सेंटर 'योट्टा D1' का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने अपनी डेटा सेंटर नीति शुरू करने के एक साल के भीतर 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 250 मेगावाट भंडारण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया है।

योट्टा D1 (Yotta D1):

• परिचयः

- 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया Yotta D1,
 देश का सबसे बडा और उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर है।
 - यह डेटा सेंटर पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है।

• महत्त्वः

- डेटा सेंटर देश की डेटा भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा, जो अब तक केवल 2% थी, जबिक इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया का 20% डेटा भारतीयों द्वारा उपभोग किया जाता है।
- निवेश और विशाल रोजगार के नए अवसर पैदा करते हुए इससे सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में उल्लेखनीय वृद्धि होने की भी उम्मीद है।
- Yotta D1 में वैश्विक क्लाउड ऑपरेटरों के लिये इंटरनेट पीयरिंग एक्सचेंज और डायरेक्ट फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो इसे वैश्विक कनेक्टिविटी के लिये बेहद उपयोगी बनाता है।
 - Yotta D-1 उत्तर भारत की 5G क्रांति का पहला स्तंभ होगा।
- भारत का डेटा एनालिटिक्स उद्योग वर्ष 2025 तक 16 बिलियन डॉलर से अधिक पहुँचने का अनुमान है। इसलिये डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना सही दिशा में एक कदम है।
- डेटा पार्क की मौजूदगी से गूगल और ट्विटर जैसी बड़ी कंपिनयों को डेटा को होस्ट करने, संसाधित करने एवं संग्रहीत करने के लिये डेटा केंद्र स्थापित करने की अनुमित मिल जाएगी।
 - इस केंद्र से 5जी और एज डेटा सेंटर शुरू होने से उपभोक्ताओं को तेज गित से वीडियो और बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुँच प्राप्त होगी।

भारत के डेटा उद्योग की विकास यात्रा:

• कोविड-19 का प्रभाव:

- भारतीय डेटा सेंटर बाजार वर्तमान में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और कोविड -19 संकट ने डेटा सेंटर व्यवसाय को एक अप्रत्याशित गति और विस्तार प्रदान किया।
- विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ ही डिजिटलीकरण को विश्व स्तर पर तेज़ी से विस्तारित किया गया और भारत ने भी विगत कुछ वर्षों में कम-से-कम एक दशक की छलाँग लगाई है।
- लॉकडाउन और उसके बाद के प्रतिबंध बैंकिंग, शिक्षा एवं खरीदारी आदि जैसे क्षेत्रों में डिजिटलीकरण हेतु काफी सहायक बने।

 इससे देश भर में डेटा खपत और इंटरनेट बैंडविड्थ का उपयोग बढ गया।

NIC डेटा सेंटरः

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर में NIC मुख्यालयों एवं विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 37 छोटे डेटा केंद्रों में अत्याधुनिक राष्ट्रीय डेटा केंद्र (NDC) स्थापित किये हैं।
 - पहला डेटा सेंटर 2008 में हैदराबाद में शुरू किया गया था।
- ये NDC भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के तहत सेवाएँ प्रदान करने भारत में ई-गवर्नेंस अवसंरचना की मृल हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र (NEDC) के लिये पहले NDC की आधारशिला फरवरी 2021 में गुवाहाटी, असम में रखी गई थी।

• वर्तमान और आगामी डेटा केंद्र:

- वर्तमान में भारत में लगभग 138 डेटा केंद्र हैं, जिनमें वर्तमान आईटी क्षमता का 57% मुंबई और चेन्नई में है।
 - मुंबई भारत का प्रमुख कॉलोकेशन डेटा सेंटर क्षेत्र है, जो पश्चिमी तट पर अवस्थित है, यह जल के नीचे वहाँ पहुँचने वाले विभिन्न केबलों के माध्यम से मध्य-पूर्व और यूरोप से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
- भारतीय डेटा सेंटर उद्योग की क्षमता में पाँच गुना वृद्धि होने की उम्मीद है जिसमें आने वाले पाँच वर्षों में 1.05-1.20 लाख करोड रुपए का निवेश शामिल है।
 - वर्ष 2025 के अंत तक भारत में 45 से अधिक डेटा केंद्र स्थापित करने की योजना है।
 - अनुमानित नई आईटी क्षमता (लगभग 1,015 मेगावाट)
 का 69% से अधिक केवल मुंबई में 51% के साथ मुंबई
 और चेन्नई में बनाया जाएगा।
 - इससे भारत में लगभग 2,688 मेगावाट अप्रत्याशित भावी आपूर्ति की अतिरिक्त संभावना है।

• डेटा केंद्रों के लिये कानूनी प्रावधान:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जल्द ही डेटा सेंटर के लिये एक राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचा तैयार करने की योजना बनाई है, जिसके तहत 15,000 करोड़ रुपए तक के प्रोत्साहन की भी योजना है।
 - वर्ष 2020 में एक मसौदा डेटा केंद्र नीति भी लाई गई थी।
- हालाँकि तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों की अपनी डेटा केंद्र नीतियाँ हैं।

आगे की राह

वर्ष 2025 तक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार \$ 1
 ट्रिलियन तक होने का अनुमान है और उत्तर भारत पहले से ही फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिये एक पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है।

- इस क्षेत्र की क्षमता और डेटा सेंटर की मांग को स्वीकार करते हुए डेटा केंद्रों में निरंतर निवेश, डिजिटल इंडिया के लिये एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा।
- दुनिया भर में कंपनियाँ इस बात पर फिर से विचार कर रही हैं कि वे अपने डेटाबेस और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का निर्माण, वितरण आदि कहाँ करना चाहती हैं।
 - डेटा केंद्र वर्तमान में बहुत सारे निर्णय लेने का आधार हैं (विशेष रूप से एशिया प्रशांत और भारत में)।
 - भारत में नई परियोजनाएँ स्थापित करने की क्षमता है, हालाँकि
 मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करते हुए इस क्षमता का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग होना चाहिये।
- भारत को डेटा केंद्रों में अग्रणी बनाने के लिये बिजली की लागत को कम करने की आवश्यकता है क्योंिक डेटा केंद्र के संचालन में यह प्रमुख लागतों में से एक है।
 - यह सुनिश्चित करना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है कि इसमें यथासंभव नवीकरणीय ऊर्जा का भी उपयोग किया जाए।

सोशल मीडिया और चुनाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 'सिमट फॉर डेमोक्रेसी' मंच के तत्त्वावधान में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा आयोजित चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB) के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए आयुक्त ने सोशल मीडिया साइटों से फर्जी खबरों को सक्रिय रूप से चिह्नित करने के लिये अपनी "एल्गोरिदम शक्ति" का उपयोग करने का आग्रह किया।

फर्जी सूचना के प्रसार के संबंध में चिंताएँ:

- रेड-हेरिंग (भ्रामक): गलत सूचना का मुकाबला करने के लिये सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्री मॉडरेशन-संचालित रणनीति एक रेड-हेरिंग है जिसे व्यापार मॉडल के हिस्से के रूप में दुष्प्रचार के प्रवर्धित वितरण की कहीं बड़ी समस्या से ध्यान हटाने के लिये डिजाइन किया गया है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अस्पष्टताः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तेजी से सार्वजनिक अभिव्यक्ति का प्राथमिक आधार बनते जा रहे हैं, जिस पर मुट्ठी भर व्यक्तियों का नियंत्रण होता है।
 - गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने में सक्षम होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता की कमी है।

- अपर्याप्त उपाय: विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गलत सूचनाओं को रोकने के लिये एक सुसंगत ढाँचा विकसित करने में असमर्थ रहे हैं और घटनाओं एवं सार्वजनिक दबाव के चलते गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी है।
 - एक समान आधारभूत दृष्टिकोण, प्रवर्तन और जवाबदेही के अभाव ने सूचना पारिस्थितिकी तंत्र को दृषित कर दिया।
- भ्रामक सूचनाओं का अनुप्रयोगः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने निश्चित प्रारूप वाले विकल्पों को अपनाया है, जिसका उपयोग प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निजी राजनीतिक और व्यावसायिक लाभ के लिये भ्रामक सूचनाओं का प्रसार सरलता से किया जाने लगा है।
 - दुष्प्रचार, घृणा और लिक्षित धमकी के मुक्त प्रवाह ने भारत में वास्तविक स्थिति को नुकसान पहुँचाया है और लोकतंत्र का ह्रास किया है।
 - सोशल मीडिया अनुप्रयोगों के माध्यम से फैलाई गई गलत सूचनाएँ अल्पसंख्यक के प्रति घृणा, व्याप्त सामाजिक ध्रवीकरण, हिंसा जैसे वास्तविक जीवन के मुद्दों से जुडी हैं।
- बच्चों में डिजिटल मीडिया की साक्षरता की कमी: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम में मीडिया साक्षरता को शामिल न करना एक चूक है।
 - हालाँकि उस नीति में एक बार 'डिजिटल साक्षरता' का उल्लेख है, लेकिन सोशल मीडिया साक्षरता पूरी तरह से नगण्य है।
 - यह एक गंभीर अंतर है क्योंिक सोशल मीडिया छात्रों की साक्षरता का प्राथमिक स्रोत है।
- नाम गुप्त रखने की स्थिति से उत्पन्न खतरे: गोपनीयता बनाए रखते हुए इसका उपयोग प्रतिशोधी सरकारों के विरुद्ध अपनी अभिव्यक्ति में सक्षम होने में है।
 - जहाँ एक ओर यह किसी के लिये बिना किसी असुरक्षा के अपने विचार साझा करने में सहायक होता है, वहीं यह इस पहलू में अधिक नुकसानदायक है कि उपयोगकर्त्ता किसी भी हद तक गैर -जिम्मेदाराना झूठी जानकारी फैला सकता है।

चुनाव में सोशल मीडिया के लाभ और हानि:

- लाभ:
 - घोषणापत्र की योजनाः
 - हाल के वर्षों में राजनीतिक रैलियों और पार्टी घोषणापत्रों की योजना बनाने में डिजिटल रणनीतियाँ तेजी से महत्त्वपूर्ण हो गई हैं।
 - अब तक जनसमूह की भावना की समझ प्रस्तुत करने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की जगह ट्वीट सर्वेक्षण ने ले लिया है।

जनता की राय को प्रभावित करने की क्षमता:

- सोशल मीडिया राजनीतिक दलों की अनिर्णीत मतदाताओं
 की राय को प्रभावित करने में मध्यम वर्ग को मतदान करने
 की वजह प्रदान करने में मदद करता है।
- यह बड़ी संख्या में वोट करने हेतु समर्थन आधार जुटाने और दूसरों को वोट देने के लिये प्रभावित करने में भी मदद करता है।

जानकारी का प्रसार:

 राजनेता इस नए सोशल मीडिया को तेजी से प्रचार, प्रसार या जानकारी प्राप्त करने या तर्कसंगत और महत्त्वपूर्ण बहस में योगदान देने के लिये अपना रहे हैं।

लोगों की समस्याओं का समाधान:

- सोशल मीडिया लोगों के लिये आगामी कार्यक्रमों, पार्टी कार्यक्रमों और चुनाव एजेंडा पर अद्यतित रहना आसान बनाता है।
- सोशल मीडिया को प्रबंधित करने और लोगों से जुड़ने तथा उनके मुद्दों के बारे में जानने के लिये इसका इस्तेमाल करने हेतु एक तकनीकी रूप से सक्षम उम्मीदवार को चुना जाना चाहिये।

• हानिः

🔷 ध्रुवीकरणः

 सोशल मीडिया राजनेताओं को लोकप्रिय बनाने और अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करने का साधन बन गया है।

गलत बयानवाजी में वृद्धिः

- विपक्षी दलों को दोष देने और आलोचना करने के लिये सोशल मीडिया का बहुत उपयोग किया जाता है, इसके साथ ही भ्रामक एवं गलत तथ्यों द्वारा जानकारी को गलत तरीके से भी प्रस्तत किया जाता है।
- राजनीतिक गतिरोध पैदा करने के लिये भी सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है।

लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करना:

- सोशल मीडिया पर विज्ञापन के लिये बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। केवल संपन्न दल ही इतना खर्च कर सकते हैं और वे अधिकांश मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- चुनावों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ का प्रसार लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है।

आगे की राह

 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और चुनाव अधिकारियों को इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिये कि

- चुनाव के दौरान राजनेताओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया जाए तथा इसके लिये व्यापक दिशानिर्देश तैयार किये जाएँ जिससे मतदाताओं को लाभ मिले।
- अगर सही तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए तो वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा लेकिन इसका दूसरा पहलू हमेशा बना रहेगा। इसलिये, व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन के बिना चुनावों में सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के लिये कुछ उपाय करने की आवश्यकता है।
- समय की मांग है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सोशल मीडिया से मतदान प्रभावित न हो और देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो सकें।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विकेंद्रीकरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक आंतरिक अध्ययन के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) को जमीनी स्तर पर अधिक "लचीलापन" की अनुमित देने के लिये विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिये।

अध्ययन के निष्कर्षः

• मुद्देः

- विगत कुछ वर्षों में ग्राम सभाओं को अग्रिम भुगतान करने के बजाय कोष प्रबंधन को केंद्रीकृत कर दिया गया है तािक वे उस कार्य को तय कर सकें जो वे करना चाहते हैं।
- कोष वितरण में देरी की एक पुरानी समस्या है, जहाँ लाभार्थी परियोजनाओं को पूरा करने के लिये निर्माण सामग्री खुद ही खरीद लेते हैं।
 - हिमाचल प्रदेश और गुजरात में मजदूरी देने में तीन या चार महीने और निर्माण सामग्री उपलब्धता में छह महीने की देरी हुई थी।
- कई राज्यों में मनरेगा की मजदूरी बाजार दर से काफी कम थी,
 जो सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को विफल कर रही थी।
 - वर्तमान में गुजरात में एक खेतिहर मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 324.20 रुपए हैं, लेकिन मनरेगा के तहत उनकी मजदूरी 229 रुपए हैं।
 - निजी ठेकेदार मजदुरों को अधिक भुगतान करते हैं।
- अनुमेय कार्यों के प्रकारों को सूचीबद्ध करने के बजाय अनुमेय कार्यों का अधिक विविधीकरण होना चाहिये, इसके साथ ही कार्यों की व्यापक श्रेणियों को सूचीबद्ध किया जा सकता है और व्यापक श्रेणियों के अनुसार कार्यों के प्रकार का चयन करने के लिये जमीनी स्तर पर लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिये।

- ग्राम सभाएँ अपने लिये निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों और समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकती हैं।
- समय पर संवितरण करने के लिये रिवॉल्विंग फंड (एक अतिरिक्त आंतरिक मौद्रिक पूल) होना चाहिये जिसका उपयोग केंद्रीय निधि में देरी होने पर किया जा सकता है।

मनरेगाः

• परिचयः

- मनरेगा, जिसे वर्ष 2005 में लॉन्च किया गया था, दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
- योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है।
- वर्ष 2022-23 तक मनरेगा के तहत 15.4 करोड़ सिक्रिय श्रिमिक हैं।

कार्य का कानूनी अधिकारः

- पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार-आधारित ढाँचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है।
- लाभार्थियों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाएँ होनी चाहिये।
- मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिये निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप किया जाना चाहिये।

मांग-प्रेरित योजनाः

- मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें विफल होने पर उसे 'बेरोजगारी भत्ता' प्रदान किया जाता है।
- ◆ यह मांग-प्रेरित योजना श्रिमकों के स्व-चयन (Self-Selection) को सक्षम बनाती है।
- विकेंद्रीकृत योजनाः इन कार्यों के योजना निर्माण और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ सौंपकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने पर बल दिया गया है।
 - अधिनियम में आरंभ किये जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम-से-कम 50% उनके द्वारा ही निष्पादित किया जाता है।

C-295 विमान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वडोदरा में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसए, स्पेन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) द्वारा स्थापित की जाने वाली C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी।

 यह पहली बार है जब कोई निजी क्षेत्र की कंपनी देश में एक पूर्ण विमान का निर्माण करेगी।

C-295 मेगावाट ट्रांसपोर्टर:

• परिचयः

- C-295 समसामियक तकनीक के साथ 5-10 टन क्षमता का परिवहन विमान है।
- यह मज़बूत और भरोसेमंद होने के साथ-साथ एक बहुमुखी एवं कुशल सामरिक परिवहन विमान है, जो कई अलग-अलग मिशनों को पूरा कर सकता है।



विशेषताएँ:

- इस विमान को 11 घंटे तक की उड़ान क्षमता के साथ सभी मौसमों में बहु-भूमिकाओं में संचालित किया सकता है।
- यह रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक नियमित रूप से दिन के साथ-साथ रात के दौरान युद्ध अभियानों को संचालित कर सकता है।
- इसमें सैनिकों और कार्गों की त्विरत प्रतिक्रिया तथा पैरा ड्रॉपिंग के लिये रियर रैंप दरवाजा है। अर्द्ध-निर्मित सतहों से शॉर्ट टेक-ऑफ/लैंड इसकी एक और विशेषता है।

प्रतिस्थापनः

- यह भारतीय वायु सेना के एवरो-748 विमानों के पुराने बेड़े की जगह लेगा।
 - एवरो-748 विमान एक ब्रिटिश मूल के ट्विन-इंजन टर्बोप्रॉप (British-origin twin-engine turboprop), सैन्य परिवहन और 6 टन माल ढुलाई क्षमता वाला मालवाहक विमान है।

• परियोजना निष्पादन:

- TASL एयरोस्पेस क्षेत्र में मेक-इन-इंडिया पहल के तहत वायु सेना को नए परिवहन विमान से लैस करने की परियोजना को संयुक्त रूप से निष्पादित करेगा।
 - एयरबस द्वारा सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच उड़ान भरने में सक्षम पहले 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी, जबिक शेष 40 को TASL द्वारा सितंबर 2026 से वर्ष 2031 के बीच प्रतिवर्ष आठ विमानों की दर से भारत में असेंबल किया जाएगा।

इस विनिर्माण सुविधा का महत्त्वः

• रोज़गार सुजनः

- टाटा कंसोर्टियम ने सात राज्यों में फैले 125 से अधिक इन-कंट्री एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की है। यह देश के एयरोस्पेस पारितंत्र में रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
- यह उम्मीद जताई गई है कि सीधे 600 उच्च कुशल रोजगार, 3,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार और 3,000 अतिरिक्त मध्यम कौशल रोजगार के अवसर के साथ भारत के एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में 42.5 लाख से अधिक 'काम के घंटे' सृजित होंगे।

MSMEs को प्रोत्साहनः

 यह परियोजना भारत में एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी जिसमें देश भर में फैले कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) विमान के कुछ पुर्जों के निर्माण में शामिल होंगे।

• आयात पर निर्भरता कम होना:

- इससे घरेलू विमानन निर्माण में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात में अपेक्षित वृद्धि होगी।
- बड़ी संख्या में डिटेल पार्ट्स, सब-असेंबलिंग और मेजर कंपोनेंट का निर्माण भारत में किया जाएगा।

अवसंरचनात्मक विकास:

- इसमें हैंगर, भवन, एप्रन और टैक्सीवे के रूप में विशेष बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल होगा
- डिलीवरी के पूरा होने से पहले, भारत में C-295 MW विमानों के लिये 'D' लेवल सर्विसिंग सुविधा (MRO) स्थापित करने की योजना है।
- यह उम्मीद की जाती है कि यह सुविधा C-295 विमान के विभिन्न रूपों के लिये एक क्षेत्रीय MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) हब के रूप में कार्य करेगी।

ऑफसेट दायित्वः

- इसके अलावा एयरबस भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स से योग्य उत्पादों और सेवाओं की सीधी खरीद के माध्यम से अपने ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन भी करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
- सरल शब्दों में ऑफसेट एक ऐसा दायित्व है कि अगर किसी विदेशी भागीदार से भारत रक्षा उपकरण खरीद रहा है तो वह भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवद्ध होता है।

भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की क्षमता:

- अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण बाजार होने के अतिरिक्त भारत की रक्षा क्षेत्र की तुलना में नागरिक उड्डयन निर्माण क्षेत्र में काफी बड़ी उपस्थिति है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एयरबस और बोइंग दोनों अपने नागरिक कार्यक्रमों का एक बड़ा हिस्सा भारत से प्राप्त करते हैं।
 - भारत से बोइंग की सोर्सिंग सालाना 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें से 60% से अधिक विनिर्माण में लगता है।
- भारत प्रतिवर्ष 45 से अधिक भारतीय आपूर्तिकर्त्ताओं से 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के विनिर्मित पुर्जे और इंजीनियरिंग सेवाएँ खरीदता है।
- 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द ग्लोब' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा भारत परिवहन विमानों का एक प्रमुख निर्माता बनकर अपनी क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है।
- वर्ष 2007 के बाद से एयरबस का भारत में एक पूर्ण घरेलू स्वामित्त्व वाला डिजाइन केंद्र है, जिसमें 650 से अधिक इंजीनियर हैं, जो अत्याधुनिक वैमानिकी इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ हैं और फिक्स्ड एवं रोटरी-विंग एयरबस विमान कार्यक्रमों दोनों में काम करते हैं।
- ऐसा अनुमान है कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारत को लगभग 2000 से अधिक यात्री और मालवाहक विमानों की आवश्यकता होगी।
- एक अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र MRO (रखरखाव, मरम्मत और संचालन) है जिसके लिये भारत क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभर सकता है।
 - MRO के अंतर्गत किसी वस्तु को उसकी कार्यशील स्थित में रखने या पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जाता है।

भांडागारण विकास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में WDRA के स्थापना दिवस पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के तहत भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, (WDRA) द्वारा "e-NWR - प्लेज वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिये एक प्रभावी उपकरण" पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरणः

• परिचयः

- इसका गठन वर्ष 2010 में भांडागारण (विकास एवं विनियमन)
 अधिनियम, 2007 द्वारा किया गया था ।
- यह सार्वजिनक नीति की एक पहल थी जिसके तहत e-NWR को व्यापार का एक प्रमुख उपकरण बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में तरलता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने आदि के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का उपयोग किसानों के लाभ के लिये करना था।

• उद्देश्य:

- WDRA का प्रमुख उद्देश्य देश में नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (NWR) प्रणाली को कार्यान्वित करना है।
- ◆ इस प्राधिकरण का प्रमुख कार्य भांडागारणं के विकास और विनियमन के लिये प्रावधान करना है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भांडागारण रसीद की निगोशिएबिलिटी, भांडागारण का पंजीकरण, माल की वैज्ञानिक भांडागारण को प्रोत्साहन देना, जमाकर्ताओं और बैंकों के आपसी विश्वास को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की स्थिति में सुधार करना और प्रभावकारी आपूर्ति शृंखला को प्रोत्साहन देना शामिल है।

• उपलब्धिः

- WDRA के साथ पंजीकृत गोदामों की संख्या में वृद्धि हुई थी और बैंकों एवं किसानों तक इसकी पहुँच में तेज़ी से सुधार हुआ
 था।
- वर्ष 2021-22 तक 123 गोदाम WDRA के तहत पंजीकृत हैं, जो कुल 17,975 e-NWR जारी करते हैं।

नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदः

• परिचयः

 इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था।

• लाभः

- िकसान भंडारण के एवज में जारी की गई गोदाम रसीदों से बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- WDRA के साथ पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी ये रसीदें केंद्रीय कानून द्वारा समर्थित पूरी तरह से परक्राम्य लिखत बन जाएंगी।

• इलेक्ट्रॉनिक रूप में NWR जारी करना:

- इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्टः
 - इसकी परक्राम्यता (Negotiability) है और इसका उपयोग वस्तुओं के जमा एवं निकासी के साथ-साथ हस्तांतरण व प्रतिज्ञा जैसे व्यापारिक लेन-देन के लिये किया जा सकता है।
 - इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था।
 - इसे e-NAM और रिपॉजिटरी के बीच इंटरफेस प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक नॉन-नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट (e-NNWR) जिसका उपयोग केवल व्यापार/हस्तांतरण की सुविधा के बिना वस्तुओं के जमा और निकासी के लिये किया जा सकता है।

e-NWR प्लेज फाइनेंस

- प्लेजिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक eNWR धारक सुरक्षा के रूप में eNWR की अंतर्निहित वस्तु (सेवा) का उपयोग करके किसी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करता है।
- जब एक प्लेज अंकित की जाती है तो e-NWR शेष राशि
 (बैलेंस) केवल ग्राहक के खाते (उधारकर्त्ता) में ही रहेगी लेकिन शेष राशि(बैलेंस) पर नियंत्रण वित्तीय संस्थान पास होगा।
- जब तक वित्तीय संस्थान के पक्ष में प्लेज सिक्रिय नहीं हो जाती, तब तक ग्राहक eNWR शेष राशि का उपयोग नहीं कर पाएगा।

टू फिंगर टेस्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कथित बलात्कार पीड़ितों का 'टू-फिंगर टेस्ट' कराने वालों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा।

टू फिंगर टेस्ट:

• परिचय:

- चिकित्सक द्वारा किये जाने वाले टू-फिंगर टेस्ट में पीड़िता के जननांगों की संसर्ग संबंधी जाँच की जाती है।
 - यह अभ्यास अवैज्ञानिक है और कोई विशिष्ट जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा ऐसी 'सूचना/जानकारी' का बलात्कार के आरोप से कोई लेना-देना नहीं है।
- महिला जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है, उसके स्वास्थ्य और चिकित्सीय जरूरतों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्र करने आदि के लिये उसे चिकित्सीय परीक्षण से गुज़रना पड़ता है।

 यौन उत्पीड़न पीड़ितों के मामलों से निपटने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी एक पुस्तिका कहती है, "कौमार्य (या 'टू-फिंगर') परीक्षण के लिये कोई जगह नहीं है, इसकी कोई वैज्ञानिक वैधता नहीं है।"

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकनः

- वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय की एकल बेंच ने महिलाओं के एक्टिव और पैसिव इंटरकोर्स को आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तत्त्वों को लागू करने के आलोक में अप्रासंगिक माना।
- न्यायालय ने कहा कि जब कोई महिला बलात्कार का आरोप लगाती है तो उसे, उसके यौन रूप से सिक्रय होने के कारण बलात्कार न मानना पितृसत्तात्मक और भेदभावपूर्ण का प्रतीक है।
- मई 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि टू फिंगर टेस्ट किसी महिला के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और सरकार से यौन शोषण की पुष्टि के लिये बेहतर चिकित्सा प्रक्रिया प्रदान करने हेतु आग्रह किया था।
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1966 तथा अपराध के शिकार एवं शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिये न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1985 का आह्वान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बलात्कार पीड़ित कानूनी सहायता की हकदार हैं क्योंकि इससे उन्हें नुकसान पहुँचने के साथ इनकी शारीरिक या मानसिक अखंडता और गरिमा पर आघात होता है।
- अप्रैल 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को टू-फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।

सरकार के दिशा-निर्देश:

- त्विरत सुनवाई के लिये आपराधिक कानून में संशोधन और यौन उत्पीड़न के मामलों में बढ़ी सजा पर विचार हेतु गठित जस्टिस वर्मा सिमिति, 2013 की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2014 की शुरुआत में यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों की चिकित्सा जाँच हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, बलात्कार/यौन हिंसा को स्थापित करने के लिये 'टू-फिंगर टेस्ट' नहीं किया जाना चाहिये।
- दिशानिर्देशों में कहा गया है कि किसी भी मेडिकल जाँच के लिये बलात्कार पीड़िता (या उसके अभिभावक, यदि वह नाबालिग/ मानिसक रूप से विकलांग है) की सहमित आवश्यक है। सहमित न देने पर भी पीड़िता को आवश्यक इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाती है।
- हालाँकि ये दिशानिर्देश मात्र हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।

आगे की राह

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को निजी एवं सरकारी अस्पतालों में परिचालित किया जाना चाहिये।
- बलात्कार पीड़िताओं का परीक्षण किये जाने से रोकने हेतु स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिये कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिये।
- इस मुद्दे को डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों दोनों के व्यापक संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण द्वारा संबोधित किया जा सकता है।

दूरस्थ मतदान सुविधा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने कहा कि वह अनिवासी भारतीयों (NRI), विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिये दूरस्थ मतदान सुविधा पर विचार कर रही है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करते हुए दूरस्थ मतदान सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2020 में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दूरस्थ मतदान को सक्षम करने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने का विचार भी प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य मतदान में भौगोलिक बाधाओं को दूर करना है।
 - आयोग दूरस्थ मतदान की संभावना पर विचार कर रहा है जिससे लोग अपने कार्यस्थल से मतदान कर सकेंगे।
- जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2017 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20A के तहत लगाए गए 'अनुचित प्रतिबंध' को हटाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके तहत विदेश में रह रहे भारतीय मतदाताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के लिये भौतिक रूप से उपस्थित रहने की आवश्यकता होती है.
 - यह वर्ष 2018 में विधेयक में पारित हो गया था, लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त हो गया।
- वर्तमान में केवल निम्नलिखित मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमित है:
 - सेवारत मतदाता (सशस्त्र बल, किसी राज्य का सशस्त्र पुलिस बल और विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी),
 - मतदाता, चुनाव ड्यूटी में संलग्न,
 - ♦ 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता या विकलांग व्यक्ति (PwD),
 - निवारक नजरबंदी के तहत मतदाता।

रिमोट वोटिंग/दूरस्थ मतदानः

- दूरस्थ मतदान किसी नियत मतदान केंद्र के अलावा कहीं और व्यक्तिगत रूप से हो सकता है या किसी अन्य समय पर हो सकता है या वोट डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं या नियुक्त प्रॉक्सी द्वारा डाले जा सकते हैं।
 - विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मांग की गई है कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रवासी श्रमिक, एनआरआई (अनिवासी भारतीय) जो मतदान से चूक जाते हैं, क्योंकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये चुनाव के दौरान घर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, उन्हें जिस शहर में वे काम कर रहे हैं, वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने की अनुमित दी जानी चाहिये।

दूरस्थ मतदान की आवश्यकताः

• प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण:

- मतदाता अपने पंजीकरण के स्थान से शहरों और अन्य स्थानों पर शिक्षा, रोजगार और अन्य उद्देश्यों के लिये प्रवासन करते हैं। उनके लिये वोट डालने के लिये अपने पंजीकृत मतदान केंद्रों पर लौटना मुश्किल हो जाता है।
- यह भी देखा गया है कि उत्तराखंड के दुमक और कलगोठ जैसे गाँवों में लगभग 20-25% पंजीकृत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें नौकरी या शैक्षिक कारण से अपने गाँव/राज्य से बाहर जाना पडता है।

• मतदान प्रतिशत में कमी:

 वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान कुल 910 मिलियन मतदाताओं में से लगभग 300 मिलियन नागरिकों ने अपना वोट नहीं डाला।

महानगरीय क्षेत्रों से संबंधित चिंताएँ:

चुनाव आयोग द्वारा शहरी क्षेत्रों में मतदाता के लिये 2 किमी. के भीतर मतदान केंद्र स्थापित किये जाने के बावजूद कुछ महानगरों/ शहर क्षेत्रों में कम मतदान के बारे में चिंता व्यक्त की गई। शहरी क्षेत्रों में मतदान को लेकर उदासीनता को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई।

असंगठित श्रमिकों का बढ़ता पंजीकरण:

प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 10 मिलियन हैं, जो असंगठित क्षेत्र से हैं और सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। यदि रिमोट वोटिंग परियोजना को लागू किया जाता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:

मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर
 भी चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि वे भी मुख्य विचार-

विमर्श बन रहे हैं। दूरस्थ मतदान सुविधा के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी।

रिमोट वोटिंग से संबंधित समस्याएँ :

• सुरक्षाः

 कोई भी नई प्रौद्योगिकी प्रणाली जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और अन्य पर आधारित प्रणाली शामिल है, साइबर हमलों एवं अन्य सुरक्षा कमजोरियों के प्रति संवेदनशील हैं।

• सत्यता और पुष्टिकरण:

इसके अलावा एक मतदाता सत्यापन प्रणाली जो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, जैसे कि चेहरे की पहचान, मतदाता पहचान में सकारात्मक या नकारात्मक झूठी जानकारी दे सकती है, इस प्रकार से धोखाधडी को बल मिलता है।

• इंटरनेट कनेक्शन और मालवेयर सुरक्षाः

- मतदान हेतु मतदाताओं की निर्भरता विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन पर रहती है कुछ देशों में इंटरनेट की पहुँच और उपलब्धता एवं ई-सरकारी सेवाओं का उपयोग सीमित है।
- मतदाताओं के उपकरणों पर सॉफ्टवेयर त्रुटियाँ या मालवेयर भी वोट कास्टिंग (मतदान) को प्रभावित कर सकते हैं।

• गोपनीयताः

- मतदाता गोपनीयता और अंतिम परिणामों की अखंडता की रक्षा के लिये चुनावों में हमेशा उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चुनावों की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने का मतलब है कि ऑनलाइन वोटिंग तकनीक से उन बाधाओं को दूर करना होगा जो मतदाता की गोपनीयता के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
- पसंदीदा वातावरणः यह भी संभव है कि मतदान अनियंत्रित वातावरण में हो। अतः यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से और बिना जबरदस्ती के मतदान करे।
 - इसमें जोखिम यह है कि कोई अन्य व्यक्ति मतदाता की ओर से मतदान करता है, इसिलये मतदाता की पहचान करना मुश्किल है।

भारतीय चुनावों में प्रवासी मतदाताओं के लिये वर्तमान मतदान प्रक्रियाः

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 के माध्यम से पात्र एनआरआई जो छह महीने से अधिक समय तक विदेश में रहे थे, को मतदान करने की अनुमित दी गई थी, लेकिन केवल मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जहाँ उन्हें एक विदेशी मतदाता के रूप में नामांकित किया गया था।

- वर्ष 2010 से पहले एक भारतीय नागरिक जो एक पात्र मतदाता है तथा छह महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहा हो, चुनाव में मतदान नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिये था क्योंकि वह देश से बाहर छह महीने से अधिक समय तक रहा है और NRI का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था।
- NRI, निर्वाचन क्षेत्र में अपने निवास स्थान पर मतदान कर सकता है, जैसा कि पासपोर्ट में उल्लिखित है।
- वह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है और पहचान के लिये उसे मतदान केंद्र पर अपना पासपोर्ट मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

आगे की राह

- ऑनलाइन मतदान प्रणाली को यह सत्यापन करने में भी सक्षम होना चाहिये कि इसमें चुनाव की अखंडता बनी रहने के साथ मतदान प्रक्रिया के दौरान कोई हेरफेर नहीं हुई हो।
- यह महत्त्वपूर्ण है कि रिमोट वोटिंग की किसी भी प्रणाली में चुनावी प्रणाली के सभी हितधारकों- मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव मशीनरी के विश्वास एवं स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के साथ राजनीतिक सहमित भी रिमोट वोटिंग शुरू करने का एक रास्ता है।
- यदि सरकार या आम जनता इसकी सुरक्षा, अखंडता और सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है तो उचित कानूनी ढाँचे के बावजूद ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली का उपयोग करना व्यर्थ होगा।
- प्रभावी डाक प्रणाली तथा डाक मतपत्र तंत्र, जो नामित कांसुलर/ दूतावास कार्यालयों में मतपत्र के उचित प्रमाणीकरण की अनुमित देता है, को अनिवासी भारतीयों के लिये आसान बनाया जाना चाहिये, लेकिन देश से दूर बिताए गए समय के आधार पर पात्रता हेतु नियमों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिये।

जम्मू-कश्मीर की एसटी सूची में पहाड़ी जनजाति

चर्च में क्यों ?

"पहाड़ी जातीय समूह" को अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) द्वारा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने के लिये मंज़ूरी दे दी गई है।

- आयोग ने "पद्दारी जनजाति", "कोली" और "गड्डा ब्राह्मण" समुदायों को जम्मू-कश्मीर की एसटी सूची में शामिल करने का भी आह्वान किया।
- वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में 12 ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।

किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की प्रक्रियाः

- जनजातियों को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश से शुरू होती है, जिसे बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लिये भारत के महापंजीयक को इसे प्रेषित करता है।
- इसके बाद अंतिम निर्णय के लिये कैबिनेट को सूची भेजे जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुमोदन आवश्यक है।
- इसका अंतिम निर्णय अनुच्छेद 342 में निहित शक्तियों के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना तभी प्रभावी होता है जब राष्ट्रपति संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किये जाने के बाद, अपनी सहमित देता है।

ST सूची में शामिल होने के फायदे:

- यह कदम अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्यों को सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- कुछ प्रमुख लाभों में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेशी छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप, शिक्षा के अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से रियायती ऋण तथा छात्रों के लिये छात्रावास शामिल हैं।
- इसके अलावा वे सरकारी नीति के अनुसार सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के भी हकदार होंगे।

भारत में जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और पहल:

- संवैधानिक प्रावधानः
 - वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "बिहष्कृत" और "आंशिक रूप से बिहष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पिछड़ी जनजाति" कहा जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु प्रावधान किया।
 - संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है, इसिलये वर्ष 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था।

- हालाँकि संविधान का अनुच्छेद 366 (25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिये प्रक्रिया प्रदान करता है: "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
- 342 (1): राष्ट्रपित किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में, जबिक राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजिनक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्से या जनजातियों या जनजातियों के भीतर के समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है।
- संविधान की पाँचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

• कानूनी प्रावधानः

- अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,
 1955
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
 अधिनियम, 1989
- पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम,
 1996
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपिरक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

अनुसूचित जनजातियों के लिये सरकार की पहल:

- ट्राइफेड
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास
- प्रधानमंत्री वन धन योजना संबंधित समितियाँ:
 - शाशा समिति (2013)
 - 🔷 भूरिया आयोग (२००२-२००४)
 - 🔷 लोकुर समिति (1965)

UDISE प्लस रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूली शिक्षा पर संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE Plus) रिपोर्ट, 2021-22 जारी की है।

 शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिये प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक (PGI) भी जारी किया है।

UDISE Plus रिपोर्ट:

- यह स्कूली छात्रों के नामांकन और स्कूल छोड़ने की दर, स्कूलों में शिक्षकों की संख्या एवं शौचालय, भवन तथा बिजली जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक समग्र अध्ययन है।
- इसे वर्ष 2018-2019 में डेटा प्रविष्टि में तेज़ी लाने, त्रुटियों को कम करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने और डेटा सत्यापन को आसान बनाने हेतु शुरु किया गया था।
- यह स्कूल और उसके संसाधनों से संबंधित कारकों के विषय में विवरण एकत्र करने संबंधी एक एप्लीकेशन है।
- यह UDISE का एक अद्यतित और उन्नत संस्करण है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था।

UDISE Plus रिपोर्ट, 2021-22 के निष्कर्ष:

- नामांकन में गिरावट:
 - प्री-प्राइमरी स्तर पर:
 - वर्ष 2021-2022 में कुल 94.95 लाख छात्रों ने प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की गिरावट को दर्शाता है (जब इन कक्षाओं में 1.06 करोड बच्चों ने प्रवेश लिया था)।
 - हालाँकि वर्ष 2020-2021 में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में इससे पूर्व (1.35 करोड़) की तुलना में 21% की गिरावट दर्ज की गई थी क्योंकि महामारी व लॉकडाउन के परिणामस्वरूप स्कूल बंद हो गए थे तथा कक्षाएँ ऑनलाइन चल रही थीं।

प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर:

- प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) में नामांकन में भी पहली बार गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्ष 2020-2021 के 12.20 लाख से गिरकर वर्ष 2021-2022 में 12.18 लाख पर पहुँच गया है।
- हालाँकि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों की कुल संख्या 19 लाख बढ़कर 25.57 करोड़ हो गई है।

स्कुलों की संख्या में गिरावट:

- वर्ष 2020-21 के 15.09 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 में स्कूलों की कुल संख्या 14.89 लाख दर्ज की गई।
 - यह गिरावट मुख्य रूप से निजी और अन्य प्रबंधन स्कूलों के बंद होने तथा विभिन्न राज्यों द्वारा स्कूलों के समूह/ क्लस्टिरंग के कारण दर्ज की गई।
- वर्ष 2020-2021 में शिक्षकों की संख्या 96.96 लाख थी जो वर्ष 2021-2022 में 1.89 लाख की कमी के साथ 95.07 लाख दर्ज की गई गई।

• कंप्यूटर सुविधाएँ और इंटरनेट तक पहुँच:

- इसके अनुसार 44.75% स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध होने के साथ केवल 33.9% स्कूलों की ही इंटरनेट तक पहुँच थी।
- हालाँकि, पूर्व-कोविड की तुलना में इसमें सुधार दर्ज किया गया,
 जब केवल 38.5% स्कूलों में कंप्यूटर थे और 22.3% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा थी।

• सकल नामांकन अनुपात (GER):

यह शिक्षा के विशिष्ट स्तर में नामांकन की तुलना संबंधित आयु
 वर्ग की आबादी से करता है।

समग्र सुधारः

- प्राथमिक कक्षाओं के लिये GER, वर्ष 2018-2019 के 101.3% से बढ़कर वर्ष 2021-2022 में 104.8% हो गया है।
- यह माध्यमिक कक्षाओं के लिये वर्ष 2021-22 में 79.6%, वर्ष 2018-19 में 76.9% और उच्च माध्यमिक स्तर के लिये 50.14% से बढ़कर 57.6% हो गया है।
- श्रेणी-वार सुधारः
- वर्ष 2020-21 में 4.78 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति नामांकन की कुल संख्या बढ़कर 4.82 करोड़ हो गई।
- वर्ष 2020-21 के 2.49 करोड़ से वर्ष 2021-22 में कुल अनुसूचित जनजाति नामांकन बढ़कर 2.51 करोड़ हो गया।
- कुल अन्य पिछड़े छात्र भी वर्ष 2021-22 में बढ़कर 11.48 करोड़ हो गए, जो वर्ष 2020-21 में 11.35 करोड़ थे।
- वर्ष 2020-21 के 21.91 लाख की तुलना में वर्ष 2021 22 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) का कुल नामांकन 22.67 लाख है।

लैंगिक समानता सूचकांक (GPI):

वर्ष 2021-22 में 12.29 करोड़ से अधिक लड़िकयों ने प्राथिमक से उच्च माध्यमिक में दाखिला लिया है, जो वर्ष 2020-21 में लड़िकयों के नामांकन की तुलना में 8.19 लाख की वृद्धि दर्शाता है। GER का लिंग समानता सूचकांक (GPI) स्कूल में लड़िकयों के प्रतिनिधित्व को उनकी जनसंख्या के संबंध में संबंधित आयु वर्ग में दर्शाता है।

प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक (Performance Grading Index):

• परिचयः

- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली का साक्ष्य-आधारित व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
- यह सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 1,000 अंकों में से उनके स्कोर के आधार पर 10 ग्रेड्स में वर्गीकृत करता है।
 - उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड स्तर 1 है, जो कुल 1000 अंकों में से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिये है।
 - निम्नतम ग्रेड स्तर 10 है जो 551 से नीचे के स्कोर के लिये है।
- उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन पाँच डोमेन में कुल 70 संकेतकों पर किया जाता है।
 - पाँच डोमेन- लर्निंग आउटकम, पहुँच, बुनियादी ढाँचे और सुविधाएँ, इक्विटी एवं शासन प्रक्रिया हैं।
- यह सूचकांक कई डेटा स्रोतों से लिये गए डेटा पर आधारित है,
 जिसमें यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉमेंशन सिस्टम फॉर एजुकेशन
 प्लस (UDISE+) 2020-21, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
 (NAS)-2017, और मिड डे मील पोर्टल शामिल हैं।

• उद्देश्यः

- साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिये
 उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पाठ्यक्रम में
 सुधार पर जोर देना PGI के मुख्य लक्ष्य हैं।
- आशा की जाती है कि PGI राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी किमयों को दूर करने में मदद करेगा एवं तदानुसार हस्तक्षेप के लिये क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कुली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत हो।

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के जाँच-परिणाम:

लेवल 2 प्राप्त करने वाले राज्यः

कुल 7 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जिनमे केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व आंध्र प्रदेश शामिल हैं, ने वर्ष 2020-21 में लेवल II (स्कोर 901-950) हासिल किया है। जबिक वर्ष 2017-18 में ऐसे राज्यों की संख्या नगण्य थी और वर्ष 2019-20 में 4 ही ऐसे राज्य थे। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अब तक किसी भी राज्य द्वारा उच्चतम स्तर की श्रेणी में प्रवेश करने वाले राज्यों में नए हैं।

लेवल 3 प्राप्त करने वाले राज्यः

 दिल्ली, तिमलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा सिंहत कुल 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने 851-900 के बीच स्कोर के साथ स्तर 3 प्राप्त किया।

• सबसे बड़ी उपलब्धिः

लद्दाख में वर्ष 2019-2020 के लेवल 10 से वर्ष 2020-2021
 में लेवल 4 तक पहुँचने के रूप में सबसे बड़ा सुधार देखा गया
 है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थिति:

• परिचय:

- PGI के अनुसार, भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग 14.9 लाख विद्यालयों, 95 लाख शिक्षकों और लगभग 26.5 करोड़ छात्रों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है।
- शिक्षा की वर्तमान स्थिति के समक्ष बड़ी चुनौतियों के अंतर्गत पर्याप्त बुनियादी ढाँचा की कमी, शिक्षा पर कम सरकारी खर्च (जीडीपी के 3.5 फीसदी से भी कम) आदि है।

• संबंधित पहलें:

- नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग
- 🔶 सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
- 🔷 प्रज्ञाता
- मध्याह्न भोजन योजना
- 🔷 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- पीएम श्री स्कूल (PM SHRI Schools)

बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की होगी नियुक्ति

चर्चा में क्यों ?

गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी परामर्श के अनुसार, विशेषकर पीड़ित या अपराधी बच्चों की समस्या से निपटने के लिये प्रत्येक पुलिस थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) नियुक्त करें।

 इस परामर्श का कारण बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 का उल्लंघन है।

NCPCR द्वारा जारी परामर्श:

- िकशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कम-से- कम एक अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, को प्रत्येक पुलिस स्टेशन में CWPO के रूप में नामित किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक जिले और शहर में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना की जानी चाहिये, जिसका प्रमुख एक अधिकारी होगा जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का न हो।
 - इस इकाई में बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले CWPO और दो सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिनमें से एक महिला होगी, जो बच्चों के संबंध में पुलिस के सभी कार्यों का समन्वय करेगी।
- जनता से संपर्क करने के लिये CWPO के संपर्क विवरण सभी पुलिस थानों में प्रदर्शित किये जाने चाहिये।

भारत में बच्चों के खिलाफ अपराधों की स्थिति:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित ऑंकड़ों
 के अनुसार, बच्चों के खिलाफ अपराधों की कुल संख्या वर्ष 2020
 के 1,28,531 से बढ़कर वर्ष 2021 में 1,49,404 हो गई।
 - जबिक मध्य प्रदेश 19,173 मामलों के साथ देश में सबसे ऊपर है, उत्तर प्रदेश 16,838 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।
- देश भर में दर्ज किये गए 1,279 मामलों में कुल 1,402 बच्चों की हत्या की गई।
- वर्ष 2021 में 1,18,549 बच्चों के अपहरण और व्यपहरण (Abduction) के 1,15,414 मामले दर्ज किये गए।
 - इन मामलों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शीर्ष पर हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR):

- NCPCR का गठन मार्च 2007 में 'कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स' (Commissions for Protection of Child Rights- CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया ।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासिनक नियंत्रण में कार्यरत है।
- आयोग का अधिदेश (mandate) यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासिनक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बाल अधिकारों के अनुरूप भी हों।
- यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) के तहत एक बच्चे की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है।

 यह लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 [Protection of Children from Sexual Offences(POCSO) Act, 2012] के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015:

- यह किशोर अपराध कानून एवं किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को स्थानांतरित करता है।
- यह अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त 16-18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों (जुवेनाइल) के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमित देता है।
- इस अधिनियम में गोद लेने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है।
 इस अधिनियम द्वारा हिंदू दत्तक ग्रहण व रख-रखाव अधिनियम (1956) और वार्ड के संरक्षक अधिनियम (1890) को अधिक सार्वभौमिक दत्तक कानून द्वारा स्थानांतरित किया गया है।
- यह अधिनियम गोद लेने से संबंधित मामलों की देख-रेख के लिये केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority-CARA) नामक वैधानिक निकाय को प्रमुख बनाने के साथ अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल एवं उन्हें गोद देने की प्रणाली को और बेहतर बनाना सुनिश्चित करता है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012:

- यह बच्चों के हितों की रक्षा और भलाई के लिये बच्चों को यौन उत्पीड़न, दुर्व्याव्हार एवं अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिये अधिनियमित किया गया था।
- यह अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में पिरभाषित करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित तथा कल्याण को सर्वोपिर मानता है।
- यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें सिक्रय और निष्क्रिय यौन शोषण के साथ ही अश्लीलता जैसे मामले शामिल हैं।
- कुछ परिस्थितियों में यौन शोषण बढ़ जाते हैं, जैसे कि जब शोषण का सामना करने वाला बच्चा मानसिक रूप से बीमार होता है अथवा जब शोषण परिवार के किसी सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या डॉक्टर जैसे विश्वसनीय लोगों द्वारा किया जाता है।
- यह जाँच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल संरक्षक की भूमिका भी प्रदान करता है।
- अधिनियम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिये।

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिये मृत्युदंड सिहत कठोर सजा
 देने के लिये इसमें अगस्त 2019 में संशोधन किया गया था।

आगे की राह

- समग्र ढाँचा: यह रिपोर्ट बच्चों के लिये सुरिक्षत ऑनलाइन वातावरण बनाने तथा बच्चों को सुरिक्षत रखने की भूमिका हेतु एक साथ काम करने के अलावा दुर्व्यवहार के खिलाफ रोकथाम गितविधियों को प्राथमिकता देने का आह्वान करती है।
- बहु हितधारक दृष्टिकोण: कानूनी ढाँचे, नीतियों, राष्ट्रीय रणनीतियों और मानकों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये माता-पिता, स्कूलों, समुदायों, NGO भागीदारों तथा स्थानीय सरकारों के साथ-साथ पुलिस व वकीलों को शामिल करने हेतु एक व्यापक आउटरीच प्रणाली विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

गंगा उत्सव 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के सहयोग से गंगा उत्सव 2022 का आयोजन किया।

गंगा उत्सव 2022:

- परिचयः
 - लोगों का नदी के साथ संबंध मजबूत करने के लिये NMCG प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाता है।
 - NMCG वर्ष 2016 में स्थापित राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन इकाई है, जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NRGBA) की जगह ली है।
 - NMCG को गंगा उत्सव 2021 के पहले दिन फेसबुक पर एक घंटे में अपलोड किये गए हस्तलिखित नोटों की सबसे अधिक तस्वीरों के लिये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
 - यह गंगा के पुनरुद्धार में जनभागीदारी (लोगों की भागीदारी) के महत्त्व पर प्रकाश डालता है, जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिये हितधारकों की भागीदारी और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

• गंगा उत्सव 2022:

गंगा उत्सव 2022 आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित है जिसे भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के बेसिन वाले शहरों और कस्बों में 75 अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करना है।


- इस उत्सव में कला, संस्कृति, संगीत, ज्ञान, कविता, संवाद और कहानियों का मिश्रण शामिल होगा।
- स्थानीय लोगों के साथ संबंध स्थापित करने और नमामि गंगे को जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देने के लिये जिलों में विविध जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।

संबंधित पहलें:

- गंगा एक्शन प्लान: यह पहली नदी कार्ययोजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन व घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे (पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से) को नदी में प्रवेश करने से रोकना था।
 - राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना गंगा एक्शन प्लान का ही विस्तार है।
 इसका उद्देश्य गंगा एक्शन प्लान के फेज्ज-2 के तहत गंगा नदी की सफाई करना है।
- राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (NRGBA): इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया गया था।
- स्वच्छ गंगा कोष: वर्ष 2014 में इसका गठन गंगा की सफाई,
 अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना तथा नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिये किया गया था।
- भुवन-गंगा वेब एप: यह गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध: वर्ष 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) द्वारा गंगा नदी में किसी भी प्रकार के कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

गंगा नदी

 यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2,510 किमी. लंबी है, यह पहाड़ों, घाटियों और मैदानों में बहती है एवं हिंदुओं द्वारा पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी के रूप में प्रतिष्ठित है।



- गंगा बेसिन भारत, तिब्बत (चीन), नेपाल और बांग्लादेश में
 10,86,000 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला है।
- भारत में यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को कवर करता है, जिसका क्षेत्रफल 8,61,452 वर्ग किमी. है जो लगभग देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 26% है।
- यह हिमालय में गंगोत्री हिमनद के हिम क्षेत्रों से निकलती है।
- इसे उद्गम स्रोत पर भागीरथी कहा जाता है। यह घाटी से नीचे देवप्रयाग तक बहती है जहाँ एक अन्य पहाड़ी नदी अलकनंदा से मिलती है, फलस्वरूप इसे गंगा कहा जाता है।
- यमुना और सोन नदी, दाहिनी ओर से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियाँ हैं।
- रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा बाई ओर से गंगा नदी
 में मिलती हैं। चंबल व बेतवा दो अन्य महत्त्वपूर्ण उप-सहायक नदियाँ हैं।
- गंगा नदी का बेसिन दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है एवं 1,000,000 वर्ग किमी. के क्षेत्र को कवर करता है।
- गंगा नदी डॉल्फिन एक लुप्तप्राय जानवर है जो विशेष रूप से इस नदी में पाया जाता है।
- गंगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है और पद्मा या गंगा के नाम से अपना प्रवाह जारी रखती है।
- बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी बांग्लादेश के सुंदरबन दलदल में गंगा डेल्टा का विस्तार करती है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय जनसंख्या रिजस्टर (NPR) डेटाबेस को अपडेट करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

 यह जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों को दर्ज करने अथवा जानकारी को सामयिक बनाने के लिये है, जिसके लिये प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण एकत्र किये जाने हैं।

NPR:

• परिचयः

- NPR एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है।
 - NPR के लिये सामान्य निवासी वह है जो कम-से-कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले छह महीनों के लिये किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है।
- इसका उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों की पहचान संबंधी एक विस्तृत डेटाबेस बनाना है।
 - यह जनगणना के "हाउस-लिस्टिंग" चरण के दौरान घर-घर गणना के माध्यम से तैयार किया जाता है।
 - NPR पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और फिर वर्ष 2015 में अपडेट किया गया था।

कानूनी आधारः

- NPR नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है।
- भारत के प्रत्येक "सामान्य निवासी" के लिये एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है।

• महत्त्वः

- यह विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निवासियों के डेटा को सुव्यवस्थित करेगा।
 - उदाहरण के लिये विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति की अलग-अलग जन्मितिथ पाया जाना एक आम बात है। NPR में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी।
- यह सरकार को अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मदद करेगा।
- यह सरकारी लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लिक्षित करने में मदद करेगा और कागजी कार्रवाई और आधार की तरह ही लालफीताशाही को भी कम करेगा।
- यह 'एक पहचान पत्र' (वन आइडेंटिटी कार्ड) के विचार को लागू करने में मदद करेगा जिसे हाल ही में सरकार द्वारा जारी किया गया है।
 - 'वन आइडेंटिटी कार्ड' आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंकिंग कार्ड, पासपोर्ट आदि के डुप्लीकेट और छेड़छाड़ किये गए दस्तावेजों को बदलने का प्रयास करता है।

NPR और NRC:

 नागरिकता नियम 2003 के अनुसार, NPR राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के संकलन की दिशा में पहला कदम है।

- निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद उस सूची से नागरिकों के सत्यापन के लिये एक राष्ट्रव्यापी NRC को शुरू किया जा सकता है।
- हालाँकि NRC के विपरीत NPR नागरिकता की गणना से संबंधित नहीं है क्योंकि इसमें किसी क्षेत्र में छह महीने से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी को भी शामिल किया जाता है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर:

- 'राष्ट्रीय नागरिक रिजस्टर' (NRC) प्रत्येक गाँव के संबंध में तैयार किया गया एक रिजस्टर होता है, जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं नाम का विवरण भी शामिल होता है।
- यह रिजस्टर पहली बार भारत की वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था और हाल ही में इसे अपडेट भी किया गया है।
 - इसे अभी तक केवल असम में ही अपडेट किया गया है और सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपडेट करने की योजना बना रही है।

NPR बनाम जनगणनाः

• उद्देश्यः

- जनगणना के दौरान जनगणनाकर्मियों द्वारा लोगों से उनका नाम, लिंग, जन्मितिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा, साक्षरता आदि जैसे मूलभूत प्रश्न (वर्ष 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न शामिल थे) पृछे जाते हैं।
- दूसरी ओर NPR में बुनियादी जनसांख्यिकीय डेटा और बॉयोमीट्रिक विवरण एकत्र किया जाता है।

• कानूनी आधार:

- जनगणना कानूनी रूप से जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा समर्थित है।
- ◆ NPR नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नियमों के एक समूह में उल्लिखित तंत्र है।

नागरिकता अधिनियम, 1955:

• परिचयः

- नागरिकता अधिनियम, 1955 में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।
 - इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और भारत में बाह्य क्षेत्र शामिल होने के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान हैं।
- इसके अलावा यह ओवरसीज िसटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारकों
 (OCIs) के पंजीकरण और उनके अधिकारों को विनियमित करता है।

- OCI, भारत आने के क्रम में बहु-प्रवेश, बहुउद्देशीय आजीवन वीजा जैसे कुछ लाभों को पाने का हकदार होता है।
- CAA 2019: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA)
 2019 को नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिये पेश
 किया गया था।
 - यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह गैर-दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
 - यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
 - दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और समाप्त वीजाा एवं परिमट अविध के बाद यहाँ रहने के लिये दंड निर्दिष्ट करते हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

कुछ राज्यों में चुनाव से कुछ हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने चुनावी बॉण्ड योजना में संशोधन किया है।

चुनावी बॉण्ड योजनाः

- चुनावी बॉण्डः
 - चुनावी बॉण्ड प्रॉमिसरी नोट्स के रुप में मुद्रा उपकरण होते हैं, जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से खरीदा जा सकता है तथा इसे किसी राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है, जो बॉण्ड को भुना सकता है।
 - ये बॉण्ड केवल एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते
 में ही भुनाए जा सकते हैं।
 - कोई व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
- चुनावी बॉण्ड योजनाः
 - भारत में राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिये वर्ष
 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी।
 - चुनावी बॉण्ड योजना के पीछे केंद्रीय विचार, भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना है।
 - सरकार ने इस योजना को "कैशलेस-डिजिटल अर्थव्यवस्था"
 की ओर बढ़ रहे देश में "चुनावी सुधार" के रूप में वर्णित किया
 था।

The lowdown on a vexed issue

What are electoral bonds?

Sold four times a year (in January, April, July and October), electoral bonds allow political parties to accept money from donors whose identities are kept anonymous. They are sold in multiples of ₹1,000, ₹10,000, ₹1 lakh, ₹10 lakh, and ₹1 crore. The scheme was first floated in 2017 and implemented in 2018

Who can sell them?

SBI is the sole authorised bank to sell and redeem the bonds. Customers of other banks can also purchase the bonds via different payment channels provided to them. However, a political party can only redeem the bond from one of the 29 authorized branches of the bank.

Which parties can receive donations via electoral bonds? A political party must also have at least 1% vote share in most recent general elections or assembly elections to receive donations via

electoral bonds.

What is the controversy around them?

The scheme has been challenged on the grounds that it lacks transparency. Those opposed to it have also asserted that a large chunk of the donations have gone to the BJP, the ruling party. In 2019-20, the BJP received over 75% of the electoral bonds, according to the Election Commission data. Critics have also argued that since the bonds are sold through a government-owned bank there is a possibility that the party in power can find out who is funding their political rivals

योजना में किये गए संशोधनः

- 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि:
 - इसमें एक नया प्रावधान शामिल किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के आम चुनावों वाले वर्ष में इसके लिये पंद्रह दिनों की अतिरिक्त अविध निर्दिष्ट की जाएगी।
 - वर्ष 2018 में जब चुनावी बॉण्ड योजना पेश की गई थी, तो ये बॉण्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर में 10-10 दिनों की अविध के लिये उपलब्ध कराए गए थे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
 - लोकसभा के आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 30
 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जानी थी।
- 🕨 वैधताः
 - चुनावी बॉण्ड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिये वैध होंगे और वैधता अविध की समाप्ति के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किये जाने पर किसी भी प्राप्तकर्त्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - पात्र राजनीतिक दल द्वारा जमा किया गया चुनावी बॉण्ड उसके खाते में उसी दिन क्रेडिट हो जाएगा।

• पात्रताः

🕨 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ${f A}$ के तहत

केवल पंजीकृत राजनीतिक दल, जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम-से-कम 1% वोट हासिल किये हैं, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।

चुनावी बॉण्ड के संबंध में चिंताएँ:

- मूल विचार के विपरीत:
 - चुनावी बॉण्ड योजना की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि यह अपने मूल विचार यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक विपरीत काम करता है।
 - उदाहरण के लिये आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की अज्ञातता केवल जनता और विपक्षी दलों तक ही सीमित होती है।
- जबरन वसूली की संभावनाः
 - चूँिक इस तरह के बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, ऐसे में कई आलोचकों का मानना है कि सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कि कौन लोग विपक्षी दलों को वित्तपोषण प्रदान कर रहे हैं।
 - परिणामस्वरूप यह प्रिकया केवल तत्कालीन सरकार को ही धन उगाही की अनुमित देती है और सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करती है।
- लोकतंत्र के लिये चुनौती: वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के जरिये प्राप्त राशि का खुलासा करने से छूट दी है।
 - इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्तपोषित किया है।
 - हालाँकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों के लिये
 अपना वोट डालते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।
- 'जानने के अधिकार' से समझौताः भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि 'जानने का अधिकार' विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के खिलाफ: चुनावी बॉण्ड नागरिकों
 को इस संदर्भ में कोई विवरण नहीं देते हैं।
 - उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुँच सकती है।
 - इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठी सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को बाधित कर सकती है।

- क्रोनी कैपिटलिज्म: चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले निगमों को चुनावों के लिये धन देने की अनुमति देती है जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म का मार्ग प्रशस्त होता है।
 - क्रोनी कैपिटलिज्म एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यापारिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की विशेषता है।

आगे की राह

- भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता की वृद्धि के लिये साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है।
- संपूर्ण शासनतंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने हेतु
 मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना महत्त्वपूर्ण है।
- मतदाता जागरूकता अभियानों की मांग कर पर्याप्त बदलाव लाने में भी मदद कर सकते हैं। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन परअधिक खर्च करते हैं या उन्हें रिश्वत देते हैं तो लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ जाएगा।

किशोरों हेतु सहमित की आयु

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के तहत दायर एक मामले को खारिज करते हुए कहा कि भारत के विधि आयोग को किशोरों हेतु सहमित की उम्र पर पुनर्विचार करना होगा।

 न्यायालय ने कहा, 18 साल से कम उम्र की लड़की द्वारा सहमित के पहलू पर विचार करना होगा अगर यह वास्तव में भारतीय दंड संहिता और/या पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012:

- यह 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है।
- यह यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें भेदक और गैर-भेदक हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य शामिल हैं।
 - ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में यौन हमलों की घटनाएँ बढ़ गई हैं, जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा मानिसक रूप से बीमार होता है अथवा जब दुर्व्यवहार परिवार के किसी सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या डॉक्टर जैसे विश्वसनीय लोगों द्वारा किया जाता है।

- यह जाँच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को बाल संरक्षक की भूमिका भी प्रदान करता है।
- अधिनियम में कहा गया है कि बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिये।
- अगस्त 2019 में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में मृत्युदंड सिहत कठोर सजा देने के लिये इसमें संशोधन किया गया था।

संबंधित चिंताएँ:

• कानून का दुरुपयोगः

- पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब न्यायालयों ने बलात्कार और अपहरण की आपराधिक कार्यवाही को यह मानते हुए रद्द कर दिया कि कानून का दुरुपयोग एक या दूसरे पक्ष के लिये किया जा रहा है।
- कई मामलों में युगल, माता-िपता के विरोध के डर से घर से भाग जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब परिवार द्वारा पुलिस में मामला दर्ज़ किया जाता है, जिसमें लड़के पर POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार और IPC या बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत शादी करने के प्रयास के साथ अपहरण का मामला दर्ज़ किया जाता है।
 - यहाँ तक कि अगर लड़की 16 साल की है, तो उसे POCSO अधिनियम के तहत "नाबालिग" माना जाता है, इसलिये उसकी सहमित कोई मायने नहीं रखती है अर्थात् सहमित से बने शारीरिक संबंध को भी बलात्कार के रूप में माना जाता है, इस प्रकार यह कड़ी सजा का आधार बन जाता। है।

आपराधिक न्याय प्रणाली:

 गैर-शोषणकारी और सहमित वाले संबंधों में कई युवा जोड़ों ने स्वयं को आपराधिक न्याय प्रणाली में उलझा हुआ पाया है।

• ब्लैंकेट क्रिमनलाइज़ेशनः

 सहमित वाली यौन गितिविधियों के कारण िकसी भी अधिक उम्र के िकशोर की गिरमा, हित, स्वतंत्रता, गोपनीयता, स्वायत्तता विकसित करने की तथा विकासात्मक क्षमता कमजोर होती हैं।

अदालतों पर दबाव:

- इन मामलों की वजह से न्यायालयों पर अत्यधिक दबाव के कारण न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित होती है।
- न्यायालयों पर दबाव के कारण बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के वास्तविक मामलों की जाँच एवं अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करने में समस्याएँ आती हैं।

आगे की राह

- िकशोरों को संबद्ध अधिनियम और IPC के कड़े प्रावधानों से अवगत कराना एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।
- सहमित की उम्र को संशोधित करने और तथ्यात्मक रूप से सहमित से और गैर-शोषणकारी कृत्यों में संलग्न अधिक उम्र के किशोरों के अपराधीकरण को रोकने के लिये कानून में अनिवार्य रूप से सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022' जारी की।

 वैक्सीन बाजार पर कोविड-19 के प्रभावों को शामिल करते हुए वैक्सीन के असमान वितरण की समस्या को उजागर करने वाली यह पहली रिपोर्ट है।

प्रमुख बिंदु

- वैक्सीन का असमान वितरण, कोई असमान्य घटना नहीं:
 - यह दर्शाता है कि असमान वितरण कोविड-19 वैक्सीन के लिये अद्वितीय नहीं है, कम आय वाले देश लगातार उन वैक्सीनों तक पहुँचने हेतु संघर्ष कर रहे हैं जिनकी उच्च आय वाले देशों द्वारा मांग की जा रही है। सीमित वैक्सीन आपूर्ति और असमान वितरण वैश्विक असमानताओं को बढ़ाता है।
 - गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के खिलाफ मानव पेपिलोमावायरस
 (HPV) वैक्सीन केवल 41% कम आय वाले देशों को
 प्रदान की गई है, जबिक वे उच्च आय वाले देशों की तुलना
 में 83% अधिक बीमारी के बोझ का वहन करते हैं।

🕨 मूल्य असमानताएँ:

वैक्सीन की पहुँच में वहनीयता एक बड़ी बाधा है, जबिक कीमतें आय के आधार पर निर्धारित होती हैं, मूल्य असमानता के कारण मध्यम-आय वाले देशों को कई वैक्सीन उत्पादों के लिये धनी देशों की तुलना में अधिक या उससे भी अधिक भुगतान करना पड़ता है।

• मुक्त बाज़ार गतिशीलताः

मुक्त बाजार की गितशीलता दुनिया के कुछ सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों को उनके स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित कर रही है। इसलिये जीवन बचाने, बीमारी को रोकने और भविष्य के संकटों के लिये तैयार रहने हेतु वैश्विक वैक्सीन बाजार में बदलाव की आवश्यकता है।

• स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान स्केल-अप:

- वर्ष 2021 में 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की लगभग 16 बिलियन वैक्सीन की आपूर्ति की गई, जो वर्ष 2019 के बाज़ार की मात्रा (5.8 बिलियन) से लगभग तीन गुना और वर्ष 2019 के बाज़ार मूल्य (38 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से लगभग साढे तीन गुना अधिक है।
 - यह वृद्धि मुख्य रूप से कोविड -19 वैक्सीन के कारण देखी गई, जो इस बात की पुष्टि करती है कि स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिये वैक्सीन निर्माण को कैसे बढ़ाया जा सकता है।

विनिर्माण केंद्रित आधार:

- हालाँकि दुनिया भर में विनिर्माण क्षमता में वृद्धि हुई है लेकिन यह अत्यधिक केंद्रित है।
 - अकेले दस निर्माता वैक्सीन की 70% खुराक प्रदान करते हैं (कोविड-19 को छोड़कर)।
 - व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले शीर्ष 20 वैक्सीन (जैसे PCV, HPV, खसरा और रूबेला की वैक्सीन)
 में से प्रत्येक वर्तमान में मुख्य रूप से दो आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भर हैं।
 - वर्ष 2021 में अफ्रीकी और पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र वैक्सीन खरीद के मामले में अपनी 90% आपूर्ति के लिये उन निर्माताओं पर निर्भर थे जिनका मुख्यालय कहीं और था।
- इन केंद्रीकृत विनिर्माण इकाइयों के कारण वैक्सीन की कमी संबंधी जोखिम के साथ-साथ क्षेत्रीय आपूर्ति असुरक्षा का भी भय बना रहता है।
- मजबूत बौद्धिक संपदा एकाधिकार तथा सीमित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण स्थानीय विनिर्माण क्षमता निर्माण एवं उपयोग की क्षमता को और भी सीमित करता है।

कोविड-19 के अलावा अन्य वैक्सीन में सीमित निवेश:

- आमतौर पर आपात जैसी स्थितियों के लिये आवश्यक कई वैक्सीनों के लिये बाजारों की स्थिति भी चिंता का विषय है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, चेचक/मंकीपॉक्स, इबोला, मेनिंगोकोकल रोग के प्रकोप के साथ-साथ वैक्सीन की मांग भी बढ़ती है, इसलिये इस संबंध में कम अनुमान लगाया जा सकता है।
 - निरंतर हीं इन वैक्सीन के विनिर्माण में सीमित निवेश के कारण आम जन-जीवन के स्वास्थ्य के लिये यह विनाशकारी हो सकता है।

प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 (IA 2030):

 यह रिपोर्ट प्रतिरक्षण रणनीति- 2030 (IA 2030) लक्ष्यों को प्राप्त करने और महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया प्रयासों को सूचित करने की दिशा में सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडा के साथ वैक्सीनों के विकास, उत्पादन एवं वितरण के अधिक संरेखण के अवसरों पर प्रकाश डालती है।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

• सरकारों के लिये:

- प्रतिरक्षण हेतु एक स्पष्ट टीकाकरण योजना तैयार करने के साथ व्यापक निवेश की व्यवस्था करना।
- वैक्सीन के विकास, उत्पादन और वितरण की मज्जबूत निगरानी व्यवस्था सुनिश्चि करना।
- 🔶 क्षेत्रीय अनुसंधान और विनिर्माण केंद्रों पर ज़ोर देना।
- वैक्सीन वितरण, बौद्धिक संपदा और वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा प्रसार की कमी जैसे मुद्दों पर सरकारी सहयोग के लिये पूर्व-सहमत नियम तैयार करना।

• उद्योग के लिये:

- WHO द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले रोगजनकों के लिये अनुसंधान प्रयासों पर ध्यान देना।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाना।
- विशिष्ट इक्विटी-संचालित आवंटन उपायों के लिये प्रतिबद्ध होना।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भागीदारों के लिये:

- प्रतिरक्षण रणनीति 2030 के लक्ष्यों को प्राथमिकता देना।
- देशों द्वारा संचालित पहलों का समर्थन करना।
- बाजार पारदर्शिता के संकल्पों को लागू करने के लिये दबाव बनाना।

'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च-गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिये 4-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है।

 4-स्टार रेटिंग, यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिये स्टेशन द्वारा मानकों के पूर्ण रूप से अनुपालन का संकेत है।

'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन:

• परिच्य

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा
 'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन या प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों

- को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार) स्थापित करते हैं।
- रेलवे स्टेशन को 1 से 5 तक की रेटिंग वाली FSSAI पैनल की तृतीय-पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर उक्त प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।
- यह प्रमाणन 'ईट राइट इंडिया' अभियान का हिस्सा है।

प्रमाणन वाले अन्य रेलवे स्टेशनः

 आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन (दिल्ली), छत्रपित शिवाजी टर्मिनस (मुंबई), मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन (मुंबई), वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन।



• ईट राइट मूवमेंट

- यह सभी भारतीयों हेतु सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित कर देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिये भारत और FSSAI की एक पहल है। इसकी टैगलाइन है- 'सही भोजन बेहतर जीवन'।
- ईट राइट इंडिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये नियामक, क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक और सशक्तीकरण दृष्टिकोण के विवेकपूर्ण संयोजन को अपनाता है।

संबंधित पहल:

• राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांकः

FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के पाँच मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) विकसित किया है। इसमे मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढाँचा तथा निगरानी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तीकरण शामिल है।

ईट राइट अवार्ड्सः

FSSAI ने नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने तथा खाद्यान्न कंपनियों तएवं व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देने हेतु 'ईट राइट अवार्ड्स' की स्थापना की है, जो नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

ईट राइट मेला:

 FSSAI द्वारा आयोजित यह मेला नागरिकों को सही खान-पान हेतु प्रेरित करने के लिये एक आउटरीच गतिविधि है।

खाद्य सुरक्षा का महत्त्व:

- पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित भोजन की उपलब्धता एवं पहुँच जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है।
 - खाद्य जिनत बीमारियाँ आमतौर पर प्रकृति में संक्रामक अथवा विषाक्त होती हैं और अक्सर बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या रासायिनक पदार्थों से दूषित भोजन या पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने के कारण होती हैं।
 - अनुमानित रूप से विश्व भर में 4,20,000 लोग प्रतिवर्ष दूषित भोजन खाने के कारण मर जाते हैं। खाद्य जिनत बीमारी के कारण होने वाली 40% मौतों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 1,25,000 है।
- खाद्य शृंखला के हर चरण, यथा उत्पादन से लेकर कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
 - खाद्य पदार्थों का उत्पादन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले वैश्विक ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन के 30% के लिये जिम्मेदार है।

FSSAI:

- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है, यह विभिन्न अधिनियमों एवं आदेशों को समेकित करता है जिसने अब तक विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों के समाधान में सहायता की है।
- खाद्य मानक और सुरक्षा अधिनियम, 2006 को खाद्य अपिमश्रण निवारण अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955 जैसे कई अधिनियमों और आदेशों के स्थान पर लाया गया।
- FSSAI का नेतृत्व एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह भारत सरकार के अंतर्गत सचिव पद के समकक्ष हो अथवा सचिव पद से नीचे कार्यरत न रहा हो। FASSAI स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अधीन नहीं है।
- FSSAI को मानव उपभोग के लिये सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य पदार्थों के लिये विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने तथा उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिये बनाया गया है।

भारतीय राजनीति

विचाराधीन कैदियों के लिये मतदान का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने का फैसला किया है जो विचाराधीन कैदियों, सिविल जेलों में कैद व्यक्तियों और जेलों में सजा काट रहे कैदियों पर वोट डालने से पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।

संबंधित निहितार्थः

- जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को वंचित करता है:
 - राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2021 की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि 31 दिसंबर, 2021 तक देश भर की विभिन्न जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे।
 - वर्ष 2021 के अंत तक दोषियों, विचाराधीन कैदियों और बंदियों की संख्या क्रमश: 1,22,852, 4,27,165 और 3,470 थी, जो कुल कैदियों के क्रमश: 22.2%, 77.1% और 0.6% थी।
 - वर्ष 2020 से 2021 तक विचाराधीन कैदियों की संख्या में
 14.9% की वृद्धि हुई थी।
- कानून और लोकतंत्र के सम्मान में कमी: जेल के कैदियों को मताधिकार से वंचित करने से ऐसा संदेश पहुँचने की अधिक संभावना है जो उन मूल्यों को बढ़ाने वाले संदेशों की तुलना में कानून और लोकतंत्र के प्रति सम्मान को कमजोर करते हैं।
- अधिकार से वंचित रखनाः
 - वोट देने के अधिकार से वंचित रखना दंड के वैद्य मापदंडों का अनुपालन नहीं करता है।
 - यदि एक दोषी व्यक्ति जमानत पर बाहर होने पर मतदान कर सकता है, तो एक विचाराधीन व्यक्ति को उसी अधिकार से वंचित क्यों किया जाता है, जिसे अभी तक कानून की अदालत द्वारा अपराध का दोषी नहीं पाया गया है।
 - यहाँ तक कि एक देनदार (एक व्यक्ति जिसने अदालत के फैसले के बावजूद अपने कर्ज का भुगतान नहीं किया है) जिसे एक नागरिक के रूप में गिरफ्तार किया गया है, उसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाता है। सिविल जेलों में नजरबंदी अपराधों के लिये कारावास के विपरीत है।
- उचित वर्गीकरण का अभाव:
 - दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा, आदि देशों के विपरीत इस प्रतिबंध में अपराध की प्रकृति या सजा की अविध के आधार पर उचित वर्गीकरण का अभाव है।

वर्गीकरण का यह अभाव अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)
 के तहत समानता के मौलिक अधिकार के लिये अभिशाप है।

मतदान से संबंधित कैदियों के अधिकारः

- संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत पुलिस की कानूनी हिरासत में और दोषी ठहराए जाने के बाद कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते। विचाराधीन कैदियों को भी चुनाव में भाग लेने से बाहर रखा जाता है, भले ही उनके नाम मतदाता सुची में हों।
- केवल निवारक निरोध के तहत शामिल व्यक्ति डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

राजनीति का अपराधीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के दो विधायकों को आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन उनमें से केवल एक को अयोग्य घोषित किया गया है और उसकी सीट को राज्य के विधानसभा सिचवालय द्वारा रिक्त घोषित किया गया है।

राजनीति का अपराधीकरणः

- परिचयः
 - इसका अर्थ राजनीति में अपराधियों की भागीदारी से है, जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं।
 - यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साँठगाँठ के कारण होता है।

आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की अयोग्यता के कानूनी पहलू:

- भारतीय संविधान में संसद या विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में उपबंध नहीं किया गया है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है।

इस अधिनियम की धारा 8 (अर्थात कुछ अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में अयोग्यता) के तहत दो साल से अधिक की जेल की सजा पाने वाला व्यक्ति जेल की अविध समाप्त होने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।

अयोग्यता के खिलाफ संरक्षण:

- RPA की धारा 8(4) के तहत वर्ष 2013 तक विधानमंडल सदस्य तत्काल अयोग्यता से बच सकते थे।
 - इस प्रावधान के अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य तीन महीने के लिये अयोग्य नहीं होंगे।
 - यदि इस अविध के दौरान दोषी विधानमंडल सदस्य अपील या पुनरीक्षण आवेदन करता है, तो अपील के निपटारे तक यह प्रभावी नहीं होगा।
- वर्ष 2013 में 'लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 8(4) को असंवैधानिक टहरा कर इसे निरस्त कर दिया था।
- आरपीए की धारा 8(4) के तहत विधायक वर्ष 2013 तक तत्काल अयोग्यता से बच सकते हैं।
 - प्रावधान के अनुसार संसद सदस्य या राज्य के विधायक तीन महीने के लिये अयोग्य नहीं होंगे।
 - यदि उस अविध के भीतर दोषी विधायक अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर करता है, तो यह अपील या आवेदन के निपटारे तक प्रभावी नहीं होगा।
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने खंड (4) को असंवैधानिक करार दिया, इस प्रकार सांसदों द्वारा प्राप्त सुरक्षा को हटा दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की संबंधित शक्तिः

- सुप्रीम कोर्ट के पास न केवल सजा देने बल्कि किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर भी रोक लगाने की शक्ति है। कुछ दुर्लभ मामलों में अपीलकर्त्ता को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिये दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई है।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की रोक बहुत दुर्लभ और विशेष कारणों से होनी चाहिये। आरपीए स्वयं चुनाव आयोग (EC) के माध्यम से एक उपाय प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 11 के तहत चुनाव आयोग कारणों को रिकॉर्ड कर सकता है और किसी व्यक्ति की अयोग्यता की अवधि को हटा सकता है या कम कर सकता है।

• राजनीति के अपराधीकरण का कारण:

 प्रवर्तन की कमी: कानूनों और निर्णयों के प्रवर्तन की कमी के कारण कई कानूनों और न्यायालयी निर्णयों ने ज्यादा मदद नहीं की है। निहित स्वार्थ: राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जाति या धर्म जैसे सामुदायिक हितों से प्रभावित होकर मतदान करता है।

बाहबल और धन का उपयोग:

- गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिये वे दल के चुनावी अभियान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।
- इसके अलावा कभी-कभी मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि सभी प्रतिस्पर्द्धी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि होती है।

राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव:

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के विरुद्धः यह एक उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने के संबंध में मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है।
 - यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जिससे लोकतंत्र का आधार माना जाता है।
- सुशासन पर प्रभाव: प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन सुनिश्चित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावित होती है।
 - लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अस्वस्थ प्रवृत्तियाँ भारत के राज्य संस्थानों की प्रकृति और इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती हैं।
- लोक सेवकों की सत्यिनिष्ठा पर प्रभाव: इससे चुनाव के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन भी बढ़ता है, जो बदले में समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाता है और लोक सेवकों के कामकाज को प्रभावित करता है।
- सामाजिक विषमता का कारण बननाः इससे समाज में हिंसा की संस्कृति का प्रसार होता है और युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ के साथ शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कम करता है।

आगे की राह

चुनावों का राज्य वित्तपोषण: चुनाव सुधार पर बनी विभिन्न सिमितियों (दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत सिमिति) ने राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किये जाने की सिफारिश की, जिससे काफी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और पिरणामस्वरूप राजनीति के अपराधीकरण को सीमित किया जा सकेगा।

- चुनाव आयोग को सुदृढ़ बनानाः एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को विनियमित करना आवश्यक है, जिसके लिये निर्वाचन आयोग (Election Commission) को मजबूत करना जरूरी है।
- जागरूक मतदाताः मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- न्यायपालिका की सिक्रिय भूमिका: भारत के राजनीतिक दलों की राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानिकारक प्रभावों को रोकने के प्रति अनिच्छा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले पर विचार करना चाहिये।

राज्यपाल को पदच्युत करना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक राजनीतिक दल ने तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने का प्रस्ताव पेश किया।

- सरकार बनाने के लिये पार्टी का चुनाव, बहुमत साबित करने की समय-सीमा, विधेयकों को लेकर बैठकें और राज्य प्रशासन के बारे में आलोचनात्मक बयान जारी करना हाल के वर्षों में राज्यों तथा राज्यपालों के बीच की कडवाहट के मुख्य कारण रहे हैं।
- इसके कारण, राज्यपाल को केंद्र के एक एजेंट, कठपुतली और रबर स्टैम्प जैसे नकारात्मक शब्दों के साथ संदर्भित किया जाने लगा है।

राज्यपाल को कैसे हटाया जा सकता है?

- संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति
 राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" पद
 धारण करता है।
 - यदि पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व इस प्रसादपर्यंतता को वापस ले लिया जाता है, तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ता है।
- राष्ट्रपति चूँिक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करता है, इसलिये राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया और हटाया जा सकता है।

राज्यों और राज्यपाल के बीच असहमित के मामले में क्या होता है ?

- संवैधानिक प्रावधानः
 - राज्यपाल और राज्य के बीच मतभेद होने पर इसकी भूमिका के बारे में स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
 - मतभेदों का प्रबंधन परंपरागत रूप से एक-दूसरे की सीमाओं के सम्मान द्वारा निर्देशित किया जाता है।

- न्यायालयों के फैसले:
 - सूर्य नारायण चौधरी बनाम भारत संघ (1981): राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपित की प्रसादपर्यंतता न्यायसंगत नहीं है क्योंकि राज्यपाल के पास कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती है और राष्ट्रपित द्वारा प्रसादपर्यंतता वापस लेने से उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है।
 - बीपी सिंघल बनाम भारत संघ (2010): सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसादपर्यंतता सिद्धांत पर विस्तार से बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा कि 'प्रसादपर्यंतता' सिद्धांत पर कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं है", लेकिन यह "प्रसादपर्यंतता की वापसी के कारण की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है"।
 - बेंच ने कहा कि न्यायालय यह मानकर चलेगी कि राष्ट्रपित के पास राज्यपाल को हटाने के लिये "ठोस और वैध" कारण थे लेकिन अगर कोई बर्खास्त किया गया राज्यपाल न्यायालय में आता है, तो केंद्र को अपने फैसले को न्यायोचित ठहराना होगा।
- विभिन्न आयोगों द्वारा की गई सिफारिशें:
 - वर्षों से कई पैनल और आयोगों ने राज्यपालों की नियुक्ति और उनके कार्य करने के तरीके में सुधारों की सिफारिश की है। हालाँकि संसद द्वारा उन्हें कभी कानून नहीं बनाया गया।
 - सरकारिया आयोग (वर्ष 1988):
 - इसने सिफारिश की कि राज्यपालों को "दुर्लभ और बाध्यकारी" परिस्थितियों को छोड़कर पाँच साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिये।
 - बर्खास्त किये जाने की प्रक्रिया में राज्यपालों को स्पष्टीकरण अथवा अपना तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिये और केंद्र सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण पर उचित विचार करना चाहिये।
 - आगे यह सिफारिश की गई है कि राज्यपालों को उनके निष्कासन के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिये।
 - वेंकटचलैया आयोग (वर्ष 2002):
 - इसने सिफारिश की कि आमतौर पर राज्यपालों को अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा करने की अनुमित दी जानी चाहिये।
 - यदि उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना है तो केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद ही ऐसा करना चाहिये।
 - पुंछी आयोग (वर्ष 2010):
 - इसने संविधान से "राष्ट्रपित के प्रसादपर्यंत" वाक्यांश को हटाने का सुझाव दिया क्योंिक केंद्र सरकार की इच्छा पर राज्यपाल को हटाया नहीं जाना चाहिये।
 - इसके बजाय उसे केवल राज्य विधायिका के प्रस्ताव द्वारा हटाया जाना चाहिये।







आगे की राह

- संघवाद का सुदृढ़ीकरणः राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारत में संघीय व्यवस्था को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
 - 🔷 इस संबंध में अंतर-राज्य परिषद और संघवाद के विकल्प के रूप में राज्यसभा की भूमिका को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धित में सुधार: राज्यपाल की नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा तैयार किये गए पैनल के आधार पर की जा सकती है,
 वहीं वास्तविक नियुक्ति का अधिकार अंतर-राज्य परिषद को होना चाहिये, न कि केंद्र सरकार को।
- राज्यपाल के लिये आचार संहिता: इस 'आचार संहिता' में कुछ 'मानदंड और सिद्धांत' निर्धारित किये जाने चाहिये, जो राज्यपाल के 'विवेक' एवं उसकी शक्तियों के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन कर सकें।

कॉलेजियम सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि न्यायाधीश योग्यता को दरिकनार कर अपने पसंद के लोगों की नियुक्ति या पदोन्नित की सिफारिश करते हैं।

 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमश: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

कॉलेजियम प्रणाली और इसका विकास:

- परिचयः
 - यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
- कॉलेजियम प्रणाली का विकास:
 - प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):
 - इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
 - इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों
 में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
 - दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):
 - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो विरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
 - तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):
 - राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस
 (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143)
 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप
 में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके
 चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

कॉलेजियम प्रणाली का प्रमुख:

- सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती
 है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश
 शामिल होते हैं।
- उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
- उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किये जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होती है।

विभिन्न न्यायिक नियक्तियों के लिये निर्धारित प्रक्रियाः

- भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) के लिये:
 - CJI और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
 - अगले CJI के संदर्भ में निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करता है।
 - हालाँकि वर्ष 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद से व्यावहारिक रूप से इसके लिये विरष्ठता के आधार का पालन किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये:
 - सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिये नामों के चयन का प्रस्ताव CJI द्वारा शुरू किया जाता है।
 - CJI कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उस उच्च न्यायालय के विरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है, जिससे न्यायाधीश पद के लिये अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है।
 - निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करानी होती है और इसे फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिये।
 - इसके पश्चात् कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेत् प्रधानमंत्री को भेजा जाता है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिये:
 - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य से न होकर किसी अन्य राज्य से होगा।
 - यद्यपि चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।
 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश CJI और दो विष्ठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है।

- हालाँकि इसके लिये प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो विरष्ठतम सहयोगियों से परामर्श के बाद पेश किया जाता है।
- यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिये राज्यपाल को सलाह देता है।

कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- कार्यपालिका का बहिष्करण: न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया से कार्यपालिका के पूर्ण बहिष्करण ने एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया है जहाँ कुछ न्यायाधीश पूर्ण गोपनीय तरीके से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
- इसके अलावा, वे किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं जिसके कारण सही उम्मीदवार की अनदेखी करते हुए गलत उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है।
- पक्षपात और भाई-भतीजावाद की संभावनाः कॉलेजियम प्रणाली CJI पद के उम्मीदवार के परीक्षण हेतु कोई विशिष्ट मानदंड प्रदान नहीं करती है, जिसके कारण यह पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद (Favouritism and Nepotism) की व्यापक संभावना की ओर ले जाती है।
 - यह न्यायिक प्रणाली की गैर-पारदर्शिता को जन्म देती है, जो देश में विधि एवं व्यवस्था के विनियमन के लिये अत्यंत हानिकारक है।
- नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध: इस प्रणाली में नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत (Principle of Checks and Balances) का उल्लंघन होता है। भारत में व्यवस्था के तीनों अंग-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यूँ तो अंशत: स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं लेकिन वे किसी भी अंग की अत्यधिक शक्तियों पर नियंत्रण के साथ ही संतुलन भी बनाए रखते हैं।
 - कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को अपार शक्ति प्रदान करती है, जो नियंत्रण का बहुत कम अवसर देती है और दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न करती है।
- 'क्लोज़-डोर मैकेनिज़्म: आलोचकों ने रेखांकित किया है कि इस प्रणाली में कोई आधिकारिक सचिवालय शामिल नहीं है। इसे एक 'क्लोज्ड डोर अफेयर' के रूप में देखा जाता है, जहाँ कॉलेजियम की कार्य प्रणाली और निर्णयन प्रक्रिया के बारे कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं होती।
 - इसके अलावा कॉलेजियम की कार्यवाही का कोई आधिकारिक कार्यवृत्त भी दर्ज नहीं होता।
- असमान प्रतिनिधित्वः चिंता का एक अन्य क्षेत्र उच्च न्यायपालिका की संरचना है, जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है।

नियुक्ति प्रणाली में सुधार के प्रयास:

 इसे 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (99वें संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से) द्वारा प्रतिस्थापित करने के प्रयास को 2015 में ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा है।

आगे की राह

- कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हुए रिक्तियों को भरना एक सतत् व सहयोगी प्रक्रिया है तथा इसके लिये कोई समय-सीमा नहीं हो सकती है। हालाँकि यह एक स्थायी, स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचने का समय है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिये न्यायिक प्रधानता की गारंटी देता है लेकिन न्यायिक विशाष्ट्रता की नहीं।
- इसे स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिये, विविधता को प्रतिबिंबित करना चाहिये, पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिये।

EWS आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, यह भारत भर में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सवर्णों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिये 10% आरक्षण प्रदान करता है।

फैसला:

- बहुमत का नज़िरयाः
 - 103वें संविधान संशोधन को संविधान की आधारभूत संरचना को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता।
 - ईडब्ल्यूएस कोटा समानता और संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। मौजूदा आरक्षण के अलावा यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।
 - यह आरक्षण पिछड़े वर्गों को शामिल करने के लिये राज्य द्वारा सकारात्मक कार्रवाई का एक माध्यम है।
 - राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में प्रावधान करने में सक्षम बनाकर आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
 - आरक्षण न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिये है बल्कि वंचित वर्ग हेतु भी महत्त्वपूर्ण है।

- मंडल आयोग द्वारा निर्धारित 50% की अधिकतम सीमा के आधार पर ईडब्ल्यूएस के लिये आरक्षण का प्रावधान आधारभूत संरचना का खंडन नहीं है क्योंकि इसकी उच्चतम सीमा में लचीलापन है।
 - वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का नियम "लचीला" था। इसके अलावा इसे केवल एससी / एसटी / एसईबीसी / ओबीसी समुदायों के लिये लागू किया गया था न कि सामान्य वर्ग के लिये।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जिनके लिये पहले से ही अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) में विशेष प्रावधान किये गए हैं, सामान्य या अनारिक्षत श्रेणी से अलग एक अलग श्रेणी में आते हैं।

अल्पमत का नज़िरयाः

- आरक्षण को एक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शक्तिशाली तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया था। आर्थिक मानदंड को शामिल करना और एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनुसूचित जनजाति), ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को इस श्रेणी से बाहर करना तथा यह मानना कि ये लाभ उन्हें पहले से प्राप्त हैं, अन्याय है।
- ईडब्ल्यूएस कोटे में एक समान अवसर देना एक पुनर्मूल्यांकन तंत्र हो सकता है और एससी, एसटी, ओबीसी का बहिष्कार समानता कोड के खिलाफ भेदभाव करता है तथा आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है।
- 50% की अधिकतम सीमा के उल्लंघन की अनुमित देना
 "भिविष्य में भी उल्लंघन के लिये एक कारक बन सकता है
 जिसका परिणाम कंपार्टमेंटलाइजेशन (खंडों में विभाजन) होगा।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये आरक्षण:

• परिचयः

- 10% EWS कोटा 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम,
 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश
 किया गया था।
 - इससे संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16
 (6) को सिम्मिलित किया गया।
- यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) हेतु शिक्षा संस्थानों
 में प्रवेशऔर नौकरियों में आर्थिक आरक्षण के लिये है।
- यह अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिये 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किये गए गरीबों के कल्याण को बढावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था।

 यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के EWS को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

महत्त्व:

असमानता को संबोधित करता है:

10% कोटे का विचार प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक तथा आय असमानता के मुद्दों को संबोधित कर सकता है क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है।

आर्थिक पिछडों को मान्यता:

- पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग हैं जो भूख
 और गरीबी की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
- संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा।

जाति आधारित भेदभाव में कमी:

 इसके अलावा यह धीरे-धीरे आरक्षण से जुड़े कलंक को हटा देगा क्योंकि आरक्षण का ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंध रहा है और उच्च जाति वाले इन लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं।

• चिंताएँ:

डेटा की अनुपलब्धताः

- EWS कोटे में उद्देश्य और कारण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आर्थिक रूप से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों व सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है।
- इस प्रकार के तथ्य संदिग्ध हैं क्योंकि सरकार ने इस बात का समर्थन करने के लिये कोई डेटा तैयार नहीं किया है।

मनमाना मानदंडः

- इस आरक्षण हेतु पात्रता तय करने के लिये सरकार द्वारा उपयोग किये जाने वाले मानदंड अस्पष्ट हैं और यह किसी डेटा या अध्ययन पर आधारित नहीं है।
- यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से सवाल किया कि क्या राज्यों ने EWS आरक्षण देने के लिये मौद्रिक सीमा तय करते समय हर राज्य के लिये प्रति व्यक्ति जीडीपी की जाँच की है।
- ऑकड़े बताते हैं कि भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय व्यापक रूप से भिन्न है, जैसे गोवा की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख है, जो कि सबसे अधिक है, वहीं बिहार की प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपए है।



आगे की राह

- अब समय आ गया है कि चुनावी लाभ के लिये आरक्षण के दायरे का लगातार विस्तार करने की भारतीय राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति को रोका जाए, साथ ही यह महसूस किया जाने लगा है कि आरक्षण सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का रामबाण इलाज नहीं है।
- विभिन्न मानदंडों के आधार पर आरक्षण देने के बजाय सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता और अन्य प्रभावी सामाजिक उत्थान के उपायों पर ध्यान देना चाहिये। इससे उद्यमिता की भावना पैदा होगी जो उन्हें नौकरी तलाशने के बजाय नौकरी प्रदाता की स्थिति प्रदान करेगा।

सभी कर्मचारियों को पीएफ पेंशन योजना चुनने का विकल्प

चर्चा में क्यों?

एक महत्त्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखते हुए पेंशन फंड में शामिल होने के लिये 15,000 रुपए मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है।

कर्मचारी पेंशन योजनाः

• परिचयः

- EPF पेंशन, जिसे तकनीकी रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के रूप में जाना जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।
 - यह योजना पहली बार वर्ष 1995 में शुरू की गई थी।
- EPFO द्वारा प्रदान की जाने वाली यह योजना 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये पेंशन का प्रावधान करती है।
- वे कर्मचारी जो EPF के सदस्य हैं वे स्वतः ही EPS के सदस्य बन जाते हैं।
 - कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के मासिक वेतन (मूल वेतन और महँगाई भत्ता) का 12% योगदान करते हैं।
 - EPF योजना उन कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है जो 15,000 रुपए प्रति माह मूल वेतन प्राप्त करते हैं।
 - नियोक्ता के 12% के हिस्से में से 8.33% EPS में जमा कर दिया जाता है।
 - केंद्र सरकार भी कर्मचारियों के मासिक वेतन का 1.16% योगदान करती है।

EPS (संशोधन) योजना, 2014:

- वर्ष 2014 के EPS संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया था और केवल मौजूदा सदस्यों (1 सितंबर, 2014 तक) को अपने नियोक्ताओं के साथ पेंशन फंड में अपने वास्तविक वेतन (यदि यह सीमा से अधिक) पर 8.33 प्रतिशत योगदान करने के विकल्प का प्रयोग करने की अनुमित दी थी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विवेक पर इसे और छह महीने के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- हालाँकि इसने 15,000 रुपए से अधिक आय वाले और सितंबर 2014 के बाद शामिल होने वाले नए सदस्यों को योजना से पूरी तरह से बाहर कर दिया।
- हालाँकि संशोधन में ऐसे सदस्यों को पेंशन फंड के लिये प्रतिमाह
 15,000 रुपए से अधिक वेतन का अतिरिक्त 1.16% योगदान
 करने की आवश्यकता थी।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसलाः

 अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने EPFO सदस्यों, जिन्होंने EPS का लाभ उठाया है, को अगले चार महीनों में अपने वास्तविक वेतन का 8.33% तक योगदान करने का एक और अवसर दिया है, जबिक पेंशन योग्य वेतन का 8.33% पेंशन के लिये 15,000 रुपए प्रतिमाह तक सीमित है।

- पूर्व-संशोधन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त वेतन के औसत के रूप में की गई थी। संशोधनों ने इसे पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने से पहले औसतन 60 महीने तक बढ़ा दिया।
- न्यायालय ने संशोधन के तहत 15,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन के संदर्भ में अतिरिक्त 1.16% का योगदान करने के लिये कहा जो कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से इतर है।

निहितार्थ:

- ईपीएफ के सदस्य 15000 रुपये की सीमा के बजाय अपने पूरे वेतन के आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
- सहायक प्रोविडेंट आयुक्त के अनुमोदन के बिना ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारी और नियोक्ता को इस निर्णय का लाभ नहीं मिल सकता है।
- वर्ष 2014 में किया गया संशोधन उन कंपनियों पर लागू रह सकता
 है जो ट्रस्टों के माध्यम से अपने ईपीएफ कोष का प्रबंधन करती हैं।

विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका

चर्चा में क्यों?

पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल ने भारत में नैतिक शासन के महत्त्व के बारे में बात की।

 राज्यपाल ने नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
 के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कुलपितयों को नोटिस जारी किया था।

विश्वविद्यालय के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ:

- राज्य विश्वविद्यालयः
 - ज्यादातर मामलों में राज्य के राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।
 - राज्यपाल के रूप में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, कुलाधिपति के रूप में वह मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और सभी विश्वविद्यालयों के मामलों पर स्वयं निर्णय लेता है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयः

 केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और अन्य विधियों के तहत भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होगा।

- केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपित नाममात्र के प्रमुख होते हैं जिन्हें राष्ट्रपित द्वारा आगंतुक के रूप में चुना जाता है, उनके कर्तव्यों को दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने के लिये सीमित किया जाता है।
- कुलपित की नियुक्ति, केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन सिमितियों द्वारा चुने गए नामों के पैनलों से विजिटर/आगंतुक द्वारा की जाती है।
- अधिनियम में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपित को विजिटर के रूप में विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण को अधिकृत करने एवं पूछताछ करने का अधिकार होगा।

राज्यपालों को कुलपित बनाने का मूल उद्देश्यः

- राज्यपालों को कुलपित बनाना और उन पर कुछ वैधानिक शक्तियाँ लगाने का मूल उद्देश्य विश्वविद्यालयों को राजनीतिक प्रभाव से बचाना था।
- आयोग की सिफारिशें:
 - सरकारिया आयोगः
 - न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया आयोग ने पाया कि कुछ राज्यपालों द्वारा विश्वविद्यालय की कुछ नियुक्तियों में विवेक का इस्तेमाल करना आलोचना के दायरे में है।
 - इसने राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और कुलपित के रूप में निभाई गई वैधानिक भूमिका के बीच अंतर को स्वीकार करते हुए यह भी रेखांकित किया कि कुलपित सरकार की सलाह लेने के लिये बाध्य नहीं है।

🔷 एम.एम. पुंछी आयोग:

 इस आयोग ने पाया कि राज्यपाल को ऐसी शक्तियाँ न दी जाएँ जिससे इसका पद विवादों या सार्वजनिक आलोचना के दायरे में आ जाए। इसने राज्यपाल को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करने को स्वीकार नहीं किया।

UGC की भूमिकाः

- शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, लेकिन संघ सूची की प्रविष्टि 66 "उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों के मानकों का समन्वय तथा निर्धारण" केंद्र को उच्च शिक्षा पर पर्याप्त अधिकार देता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियुक्तियों के मामले में भी मानक-निर्धारण की भूमिका निभाता है।
- UGC (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य अकादिमक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिये अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार, "विजीटर/चांसलर"- ज्यादातर राज्यों में राज्यपाल, खोज-सह-चयन समितियों द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से कुलपित की नियुक्ति करेंगे।
- उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से जिन्हें UGC से फंड मिलता है, उन्हें इसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
- आमतौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में बिना किसी टकराव के इनका पालन किया जाता है, लेकिन कभी-कभी राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यों द्वारा इसका विरोध किया जाता है।

आगे की राह

- अब समय आ गया है कि सभी राज्य, राज्यपाल को कुलाधिपित के रूप में नियुक्त करने पर पुनर्विचार करें।
- हालाँकि उन्हें विश्वविद्यालय स्वायत्तता की रक्षा के वैकित्पक साधन भी खोजना चाहिये तािक सत्तारूढ़ दल विश्वविद्यालयों के कामकाज पर अनुचित प्रभाव न डालें।

भारतीय अर्थव्यवश्था

भारत का पहला जल में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में 'निवेशक दीदी' पहल के तहत 'महिलाओं के लिये, महिलाओं के द्वारा' की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिये भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया।

निवेशक दीदी पहल:

• विषय:

 यह महिलाओं के लिये महिलाओं की विचारधारा पर आधारित है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अपने प्रश्नों को एक महिला के साथ साझा करने में अधिक सहज महसुस करती हैं।

• कार्यान्वयन एजेंसी:

 इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के तत्त्वाधान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA) के सहयोग से IPPB द्वारा लॉन्च किया गया है।

पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर:

इस सत्र में बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों, विनियमित संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं में शामिल होने के महत्त्व एवं निवेश से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के उपायों से सुरक्षा जैसे विषय शामिल थे।

वित्तीय साक्षरता के लिये भारत की अन्य पहलें:

• प्रधानमंत्री जन-धन योजनाः

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन है।
- यह किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग/बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
 - प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारिशला रही है। चाहे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम-किसान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बढ़ी हुई मजदूरी, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर हो, इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को बैंक खाता प्रदान करना है, जिसे PMJDY लगभग पूरा कर चुका है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाः

 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रवासियों एवं श्रिमकों को क्रमशः जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजनाः

- PMKMDY की शुरुआत सभी छोटे और सीमांत किसानों
 (जिन किसानों की भूमि दो हेक्टेयर से कम है) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी।
- 🔷 यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है।
- िकसानों को पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड से किया जाएगा।
- किसानों को पेंशन फंड में 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह के बीच की राशि का योगदान करना होगा, जब तक कि वे सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच जाते।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः

- PMMY गैर-कॉपोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिये वर्ष 2015 में शुरू की गई एक योजना है।
- इन ऋणों को PMMY के तहत MUDRA ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, RRB, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, MFI और NBFC द्वारा दिये जाते हैं।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB):

• परिचयः

 यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है।

• उद्देश्य:

- बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिये सबसे सुलभ,
 किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है।
- IPPB का मूल उद्देश्य बैंक सुविधाओं रहित लोगों के लिये बाधाओं को दूर करना है और 160,000 डाकघरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 145,000) एवं 400,000 डाक कर्मचारियों वाले नेटवर्क का लाभ अंतिम मील तक पहुँचाना है।
- IPPB की पहुँच और इसका ऑपरेटिंग मॉडल इंडिया स्टैक के प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है CBS-एकीकृत स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ग्राहकों के दरवाजे पर पेपरलेस, कैशलेस एवं उपस्थित-रहित बैंकिंग को सरल व सुरक्षित तरीके से सक्षम करना।

 आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिये प्रतिबद्ध है।

IIPDF योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय ने सार्वजिनक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिये वित्तीय सहायता हेतु भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना (IIPDF योजना) को अधिसूचित किया।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना (IIPDF योजना):

परिचय:

- ♦ IIPDF योजना की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी।
- यह वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक तीन साल की अविध के लिये 150 करोड़ रुपए के कुल पिरव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- यह परियोजना विकास लागत को पूरा करने के लिये PPP परियोजनाओं के प्रायोजक प्राधिकरणों के लिये उपलब्ध है।
 - PPP परियोजना विकास गितिविधयों को शुरू करने और बड़े नीति एवं नियामक मुद्दों को संबोधित करने के लिये
 PPP सेल का निर्माण तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु
 प्रायोजक प्राधिकरण के लिये यह आवश्यक होगा।

• उद्देश्य:

 इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण परियोजना विकास गतिविधियों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

• महत्त्वः

प्रायोजक प्राधिकरण, PPP लेन-देन लागत के एक हिस्से को कवर करने के लिये वित्तपोषण के स्रोत के रूप में सक्षम होगा, जिससे उनके बजट पर खरीद से संबंधित लागतों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

वित्तीय परिव्ययः

- IIPDF परियोजना विकास खर्च का 75% तक प्रायोजक प्राधिकरण को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में योगदान देगा। शेष 25% प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सह-वित्तपोषित किया जाएगा।
- बोली प्रक्रिया के सफल समापन पर सफल बोलीदाता से परियोजना विकास व्यय की वसूली की जाएगी।
- हालाँिक बोली की विफलता के मामले में ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।

 यदि प्रायोजक प्राधिकरण किसी कारण से बोली प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो योगदान की गई पूरी राशि IIPDF को वापस कर दी जाएगी।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के प्रकार:

- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT): यह एक पारंपरिक PPP
 मॉडल है जिसमें निजी भागीदार डिजाइन, निर्माण, संचालन
 (अनुबंधित अवधि के दौरान) और सुविधा को सार्वजनिक क्षेत्र में
 वापस स्थानांतरित करने के लिये जिम्मेदार होते हैं।
 - निजी क्षेत्र के भागीदार को किसी परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था करनी होती है और इसके निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होती है।
 - सार्वजिनक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के भागीदारों को उपयोगकर्त्ताओं से राजस्व एकत्र करने की अनुमित देगा। PPP मोड के तहत NHAI द्वारा अनुबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ BOT मॉडल का एक प्रमुख उदाहरण है।
- बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO): इस मॉडल में नविनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी पार्टी के पास रहेगा।
 - पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों पर सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदार परियोजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की 'खरीद' करने पर सहमति बनाई जाती है।
- बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOOT): इसके अंतर्गत समय पर बातचीत के बाद परियोजना को सरकार या निजी ऑपरेटर को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
 - BOOT मॉडल का उपयोग राजमार्गों और बंदरगाहों के विकास के लिये किया जाता है।
- बिल्ड-ऑपरेट-लीज़-ट्रांसफर (BOLT): इस मॉडल में सरकार निजी साझेदार को सुविधाओं के निर्माण, डिजाइन, स्वामित्त्व और लीज का अधिकार देती है तथा लीज अविध के अंत में सुविधा का स्वामित्व सरकार को हस्तांतिरत किया जाता है।
- डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट (DBFO): इस मॉडल में अनुबंधित अविध के लिये पिरयोजना के डिज़ाइन, उसके विनिर्माण, वित्त और पिरचालन का उत्तरदायित्व निजी साझीदार पर होता है।
- लीज़-डेवलप-ऑपरेट (LDO): इस प्रकार के निवेश मॉडल में या तो सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के पास नवनिर्मित बुनियादी ढाँचे की सुविधा का स्वामित्व बरकरार रहता है और निजी प्रमोटर के साथ लीज समझौते के रूप में भुगतान प्राप्त किया जाता है।
 - इसका पालन अधिकतर एयरपोर्ट सुविधाओं के विकास में किया जाता है।
- इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडलः इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार

निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग कार्य के लिये बोलियाँ आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम तथा इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के प्रावधान तक सीमित होती है। इस मॉडल की एक समस्या यह है कि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है।

• हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM): भारत में नया HAM, BOT-एन्युइटी और EPC मॉडल का मिश्रण है। डिजाइन के अनुसार, सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले पाँच वर्षों में परियोजना लागत का 40% योगदान देगी। शेष भुगतान सृजित परिसंपत्तियों एवं विकासकर्त्ता के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

एकल वस्तु एवं सेवा कर दर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत में "एकल वस्तु और सेवा कर (GST) दर" और "छूट-रहित कर व्यवस्था" होनी चाहिये।

सिफारिशें:

- एकल वस्तु एवं सेवा करः
 - GST की दरें सभी वस्तुओं पर समान होनी चाहिये क्योंकि 'प्रगतिशील' दरें अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों के मामले में अधिक व्यावहारिक होती हैं।
 - जब पहली बार GST की घोषणा की गई थी, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा अनुमान लगया था कि इससे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 1.5% से 2% की वृद्धि होगी।
 - हालाँकि यह अनुमान इस बात पर निर्भर था कि सभी वस्तुएँ और सेवाएँ GST का हिस्सा होंगी तथा GST में एकरूपता होगी।
 - विभिन्न GST दरें 'प्राइम कंट्रोल' की मानसिकता से प्रेरित होती हैं जिससे GST दरें 'विशिष्ट' मानी जाने वाली वस्तुओं के लिये अधिक और बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तुओं के लिये कम रखी जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस पर व्यक्तिगत विचार-विमर्श के साथ मुकदमेबाजी के मामले भी सामने आते हैं।
 - पूर्व में GST के लिये आधिकारिक तौर पर अनुमानित 17% राजस्व-तटस्थ दर के विपरीत वर्तमान औसत दर 5% में वृद्धि होनी चाहिये।

'छूट रहित' प्रत्यक्ष कर व्यवस्थाः

- सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने इस तर्क के साथ एक छूट रहित प्रत्यक्ष कर व्यवस्था का आह्वान किया कि कर वंचन गैर-कानूनी है लेकिन कर परिहार के तहत छूट संबंधी खंडों का उपयोग करते हुए कर का भार कम करना वैध माना जाता है।
 - कर में अधिक छूट से कर संबंधी जटिलताओं के मामलों में भी वृद्धि होती है।
- कॉपॉरेट करों और व्यक्तिगत आयकर (PIT) के बीच कृत्रिम अंतर को दूर किये जाने की आवश्यकता है।
- बहुत से अनिगमित व्यवसाय व्यक्तिगत आयकर के तहत करों का भुगतान करते हैं।
 - छूट-रहित प्रत्यक्ष कर प्रणाली का उपयोग कर मतभेदों को दूर करने से प्रशासनिक दबाव में भी कमी आएगी।

GST प्रणाली का वर्तमान ढाँचा:


GST:

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) घरेलू उपभोग के लिये बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्यवर्द्धित कर है।
 - GST का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है,
 लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों
 द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।
 - यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है जिसे अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है।
- इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से लाया गया था।
- इसमें उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्द्धित कर (VAT), सेवा कर,
 विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया
 है।

मौजूदा कर संरचनाः

- केंद्रीय GST (CGST) में उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं।
- राज्य GST (SGST) में मूल्यवर्द्धित कर (वैट), विलासिता कर आदि शामिल हैं।
- एकीकृत GST (IGST) में अंतर-राज्यीय व्यापार शामिल हैं।
 - IGST कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिये एक प्रणाली है।
- ♦ चार प्रमुख GST स्लैब हैं:
 - 5%, 12%, 18% और 28%।

कुछ अहितकर और विलासिता की वस्तुएँ जो 28% स्लैब में हैं, उपकर के अतिरिक्त लेवी को आकर्षित करते हैं, जिसकी आय राज्यों को राजस्व की कमी एवं मुआवजे से संबंधित ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये क्षतिपूर्ति करने हेतु एक अलग फंड में जमा होती है।



• GST परिषदः

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में कहा गया है कि GST के प्रशासन और संचालन के लिये राष्ट्रपित द्वारा GST परिषद का गठन किया जाएगा।
- इसका अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है और राज्य सरकारों
 द्वारा मनोनीत मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
- पिरषद को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि केंद्र के पास एक-तिहाई वोटिंग शक्ति होगी और राज्यों के पास 2/3 वोटिंग शक्ति होगी।
 - जबिक निर्णय सदस्यों के 3/4 बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं।

नगर निकाय वित्त रिपोर्ट: RBI

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी राज्यों में 201 नगर निगमों (MCs) के लिये बजटीय आँकड़ों का संकलन और विश्लेषण करते हुए नगर निकाय निगम वित्त रिपोर्ट जारी की है।

 RBI की रिपोर्ट 'नगर निगमों के लिये वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों' को अपने विषय के रूप में तलाशती है।

नगर निगमः

- परिचयः
 - भारत में नगर निगम दस लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर/शहर के विकास के लिये जिम्मेदार एक शहरी स्थानीय निकाय है।

- महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, सिटी कारपोरेशन आदि इसके कुछ अन्य नाम हैं।
- राज्यों में नगर निगमों की स्थापना राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा तथा केंद्रशासित प्रदेशों में संसद के अधिनियमों के माध्यम से की जाती है।
- नगरपालिका अपने कार्यों के संचालन के लिये संपत्ति कर राजस्व पर अधिक निर्भर रहती है।
- भारत में पहला नगर निगम वर्ष 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया तथा उसके बाद वर्ष 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किये गए।

• संवैधानिक प्रावधानः

- भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद-40 को शामिल करने के अलावा स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिये कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया था।
- 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग
 IX-A सिम्मिलित किया है, जो नगर पालिकाओं और नगर
 पालिकाओं के प्रशासन से संबंधित है।
- इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG शामिल हैं। इसने संविधान में एक नई बारहवीं अनुसूची भी जोड़ी। 12वीं अनुसूची में 18 मद शामिल हैं।

निष्कर्षः

- नगर निगमों (MCs) का खराब कामकाज:
 - भारत में स्थानीय शासन की संरचना के संस्थागतकरण के बावजूद नगरपालिका के कामकाज में कई खामियाँ हैं और उनके कामकाज में कोई सराहनीय सुधार नहीं हुआ है।
 - परिणामस्वरूप भारत में शहरी आबादी के लिये आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता खराब बनी हुई है।

वित्तीय स्वायत्तता की कमी:

- अधिकांश नगरपालिकाएँ केवल बजट तैयार करती हैं और बजट योजनाओं के खिलाफ वास्तविक समीक्षा करती हैं, लेकिन बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिये अपने लेखा परीक्षण वित्तीय विवरणों का उपयोग नहीं करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण अक्षमताएँ देखी जाती हैं।
- जबिक भारत में नगरपालिका बजट का आकार अन्य देशों के समकक्षों की तुलना में बहुत छोटा है, राजस्व में संपत्ति कर संग्रह और सरकार के ऊपरी स्तरों से करों एवं अनुदानों का अंतरण होता है, जिसके बावजूद वित्तीय स्वायत्तता की कमी बनी रहती है।

• न्यूनतम पूंजीगत व्ययः

- स्थापना व्यय, प्रशासनिक लागत और ब्याज तथा वित्त शुल्क के रूप में नगरपालिका का प्रतिबद्ध व्यय बढ़ रहा है, लेकिन पूंजीगत व्यय न्यूनतम है।
- नगरपालिका बॉण्ड के लिये एक सुविकसित बाजार के अभाव में नगरपालिकाएँ ज्यादातर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार व केंद्र / राज्य सरकारों से ऋण पर अपने संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिये भरोसा करती हैं।

• स्थिर राजस्व/व्यय:

- भारत में नगरपालिका राजस्व/व्यय एक दशक से अधिक समय से सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 1% पर स्थिर है।
- इसके विपरीत ब्राजील में सकल घरेलू उत्पाद का4% और दक्षिण अफ्रीका में सकल घरेलू उत्पाद का 6% नगरपालिका राजस्व / व्यय है।

• अप्रभावी राज्य वित्त आयोग:

सरकारों ने नियमित और समयबद्ध तरीके से राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) का गठन नहीं किया है, जबिक उन्हें प्रत्येक पाँच वर्ष में स्थापित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, अधिकांश राज्यों में, एसएफसी स्थानीय सरकारों को निधियों का नियम-आधारित अंतरण सुनिश्चित करने में प्रभावी नहीं रहे हैं।

सुझाव:

- नगरपालिका को विभिन्न प्राप्ति और व्यय मदों की उचित निगरानी
 एवं प्रलेखन के साथ ठोस तथा पारदर्शी लेखांकन प्रथाओं को
 अपनाने व अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिये विभिन्न प्रगतिशील
 बॉण्ड, भूमि-आधारित वित्तपोषण तंत्र का पता लगाने की आवश्यकता
 है।
- शहरी जनसंख्या घनत्व में तेज़ी से वृद्धि, हालांकि बेहतर शहरी बुनियादी ढाँचे की मांग करती है, इसलिये स्थानीय सरकारों को वित्तीय संसाधनों के अधिक प्रवाह की आवश्यकता होती है।
- समय के साथ नगर निगमों की राजस्व सृजन क्षमता में गिरावट के साथ ऊपरी स्तरों से करों और अनुदानों के हस्तांतरण पर निर्भरता बढ़ी है। इसके लिये नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता है।
- भारत में नगर पालिकाओं को कानून द्वारा अपने बजट को संतुलित करने की आवश्यकता है, और किसी भी नगरपालिका उधार को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है।
- नगर निगम राजस्व उछाल में सुधार लाने के लिये, केंद्र तथा राज्य अपने GST (वस्तु और सेवा कर) का छठवाँ हिस्सा साझा कर सकते हैं।

भारत में खाद्य तेल क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने GM सरसों की पर्यावरणीय मंज़ूरी को चुनौती देने वाली याचिका में कहा कि भारत पहले से ही आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों से प्राप्त तेल का आयात और उपभोग कर रहा है।

इसके अलावा लगभग 9.5 मिलियन टन (MT) GM कपास बीज का वार्षिक उत्पादन होता है और 1.2 मिलियन टन GM कपास के तेल का उपभोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है तथा लगभग 6.5 मिलियन टन कपास के बीज का उपयोग पशु आहार के रूप में किया जाता है।

भारत में खाद्य तेल क्षेत्र की स्थिति:

- देश की अर्थव्यवस्था में स्थान:
 - भारत दुनिया में तिलहन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
 - कृषि अर्थव्यवस्था में तेल क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
 - कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान नौ कृषित तिलहनों से 36.56 मिलियन टन अनुमानित उत्पादन हुआ है।
 - भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और वनस्पित तेल का नंबर एक आयातक है।
 - भारत में खाद्य तेल की खपत की वर्तमान दर घरेलू उत्पादन दर से अधिक है। इसिलये देश को मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
 - वर्तमान में भारत अपनी खाद्य तेल की मांग का लगभग
 55% से 60% आयात के माध्यम से पूरा करता है।
 इसिलिये घरेलू खपत की मांग को पूरा करने के लिये भारत को तेल उत्पादन में स्वतंत्र होने की जरूरत है।
 - पाम तेल (कच्चा + परिष्कृत) आयातित कुल खाद्य तेलों का लगभग 62% है और मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है, जबिक सोयाबीन तेल (22%) अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात किया जाता है तथा सूरजमुखी तेल (15%) मुख्य रूप से यूक्रेन व रूस से आयात किया जाता है।

भारत में आमतौर पर उपयोग किये जाने वाले तेलों के प्रकारः

- भारत में मूँगफली, सरसों, कैनोला/रेपसीड, तिल, कुसुम, अलसी, रामितल/नाइज्ञर सीड और अरंडी पारंपिरक रूप से उगाई जाने वाली सबसे अच्छी तिलहन फसलें हैं।
- सोयाबीन और सूरजमुखी का भी हाल के वर्षों में महत्त्व बढ़ गया है।

- बगानी फसलों में नारियल सबसे महत्त्वपूर्ण है।
- गैर-पारंपिरक तेलों में चावल की भूसी का तेल और बिनौला तेल सबसे महत्त्वपूर्ण हैं।
- खाद्य तेलों पर निर्यात-आयात नीतिः
 - खाद्य तेलों का आयात ओपन जनरल लाइसेंस (OGL) के तहत आता है।
 - 🔶 किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये सरकार समय-समय पर खाद्य तेलों के शुल्क ढाँचे की समीक्षा करती है।



आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें-जीएम फसलें (Genetically Modified Crops-GM Crops)

- पौधों के आनुवाराक संशोधन का अर्थ है पौधे के जीनोम में DNA के एक विशिष्ट खंड को शामिल करना जिससे इसे नई या अलग विशेषताएँ पाप्त होती हैं
- इस प्रकार संशोधित फसलों को ट्रांसजेनिक फसल भी कहते है

- उपज में वृद्धि
- शाकनाशियों (herbicides) के प्रति सहिष्णुता में वृद्धि
- 🖈 पोषण मात्रा में सुधार
- रोग/सुखे के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करना

वैश्विक रूप से खेती:

- → जीएम फसलों की खेती करने वाले शीर्ष 5 देश- संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत और
- प्रमुख जीएम फसलें- सोयाबीन, मक्का, कपास तथा कैनोला

भारत में जीएम फसलें:

- बीटी कपास- एकमात्र जीएम फसल जिसे मंजूरी मिली है (भारत के कुल कपास क्षेत्र का 90%) (गुलाबी बॉलवर्म के खिलाफ प्रतिरोध)
- एचटी बीटी कपास- ग्लाइफोसेट (शाकनाशी) के खिलाफ प्रतिरोध
- डीएमएच-11 सरसों- व्यावसायिक उपयोग (उच्च उपज) के लिये अनुशंसित गोल्डन राइस- जीएम चावल की संभवत: सबसे अच्छी किस्म (विटामिन A)

- जीएम बीज की लागत में हेराफोरी
- बीजों से व्यवहार्य परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं
- कीट-प्रतिरोधी पौधे गैर-लक्षित प्रजातियाँ को भी नुकसान पहुँचाते हैं
- इंटर्सिक्सिंग से प्राकृतिक पौधों के आंतरिक महत्त्व का अतिक्रमण होता है



जीएम फसलों का विनियमन

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) के अंतर्गत खतरनाक सूक्ष्म जीव (HM) आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक जीव अथवा कोशिकाओं का उत्पादन, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियमावली, 1989

संवैधानिक निकाय:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग मुल्यांकनज समिति (GEAC)- जीएम फसलों के वाणिज्यिक निर्गमन को प्रशासित करती है

पन: संयोजक डीएनए सलाहकार समिति (RDAC)

- संस्थागत जैव सुरक्षा समिति (IBSC)
- आनुवंशिक हेरफेर पर समीक्षा समिति (RCGM)
- राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति (SBCC)





जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (२०००)

- यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पादित **जीवित संशोधित जीवों** (Living Modified Organisms) द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करने का उद्देश्य रखता है।
- भारत इस प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

संबंधित सरकारी पहल:

- भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- पाम ऑयल शुरू किया, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष ध्यान देने के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।
 - वर्ष 2025-26 तक पाम तेल के लिये अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव है।
- वनस्पति तेल क्षेत्र में डेटा प्रबंधन प्रणाली में सुधार और इसे व्यवस्थित करने के लिये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत चीनी तथा वनस्पति तेल निदेशालय ने मासिक आधार पर वनस्पति तेल उत्पादकों द्वारा इनपुट ऑनलाइन जमा करने के लिये एक वेब-आधारित मंच (evegoils.nic.in) विकसित किया है।

पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण और मासिक उत्पादन रिटर्न जमा करने के लिये विंडो भी प्रदान करता है।

भारत का चाय उद्योग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारतीय चाय संघ (ITA) के अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय उत्पादक सम्मेलन को संबोधित किया।

वर्ष 1881 में स्थापित भारतीय चाय संघ (ITA) भारत में चाय उत्पादकों का प्रमुख और सबसे पुराना संगठन है। इसने नीतियाँ बनाने और उद्योग की वृद्धि एवं विकास के लिये कार्रवाई शुरू करने की दिशा में एक बहुआयामी भूमिका निभाई है।

भारतीय चाय उद्योग की स्थिति:

• उत्पादनः

- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है।
- भारत का उत्तरी भाग 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम में होता है तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है।
 - असम घाटी और कछार असम के दो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं।
 - पश्चिम बंगाल में डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग तीन प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं।
 - भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17% उत्पादन करता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य तिमलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं।
 - वित्त वर्ष 2020-21 के लिये भारत का कुल चाय उत्पादन
 1.283 मिलियन किलोग्राम था।

खपतः

- भारत दुनिया के शीर्ष चाय खपत करने वाले देशों में से एक है, जहाँ देश में उत्पादित चाय का 80% घरेलू आबादी द्वारा उपभोग किया जाता है।
- भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग
 17% उत्पादन करता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य तिमलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं।
- वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कुल चाय उत्पादन 1,283
 मिलियन किलोग्राम था।

निर्यात:

- भारत दुनिया के शीर्ष 5 चाय निर्यातकों में से एक है, जो कुल निर्यात का लगभग 10% निर्यात करता है।
- वर्ष 2021 में भारत से चाय निर्यात का कुल मूल्य लगभग9
 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत दुनिया भर के 25 से अधिक देशों में चाय का निर्यात करता
 है।
 - रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका,
 ब्रिटेन, जर्मनी और चीन जैसे देश भारत से चाय के सबसे
 बड़े आयातकों में से हैं।
- वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कुल चाय निर्यात मात्रा में
 201 मिलियन किलोग्राम था।
- भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय काली चाय है जो कुल निर्यात का लगभग 96% है।
 - भारत के माध्यम से निर्यात की जाने वाली चाय के प्रकार हैं: काली चाय, नियमित चाय, हरी चाय, हर्बल चाय, मसाला चाय और नींबू चाय।

- इनमें से काली चाय, नियमित चाय और हरी चाय भारत से निर्यात की जाने वाली कुल चाय का लगभग 80%, 16% और5% है।
- भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलिगिरि चाय को दुनिया
 में बेहतरीन चाय में से एक माना जाता है।
- मज़बूत भौगोलिक संकेतों, चाय प्रसंस्करण इकाइयों में भारी निवेश, निरंतर नवाचार, संवर्द्धित उत्पाद मिश्रण और रणनीतिक बाजार विस्तार के परिणामस्वरूप भारतीय चाय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।

• भौगोलिक संकेत (GI) टैग:

- दार्जिलिंग चाय जिसे "चाय की शैंपेन" के रूप में भी जाना जाता
 है, इसकी आकर्षक खुशबू के कारण दुनिया भर में पहला GI
 टैग उत्पाद था।
- दार्जिलिंग चाय के अन्य दो प्रकार यानी ग्रीन और व्हाइट टी (सफ़ेद चाय) में भी GI टैग है।

• उद्योग का विनियमनः

 भारतीय चाय बोर्ड भारत में चाय उद्योग के विकास और संवर्द्धन का प्रभारी है।

भारतीय चाय बोर्डः

• परिचयः

यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसे 1953 में भारत में चाय उद्योग के विकास के लिये स्थापित किया गया था। इसने 1954 में काम करना शुरू किया।

• दृष्टिकोणः

 इसका दृष्टिकोण और मिशन देश को दुनिया भर में चाय का एक प्रमुख उत्पाद बनाना है जिसके लिये इसने कई कार्यक्रम और योजनाएं स्थापित की हैं।

सदस्यः

- बोर्ड का गठन संसद सदस्यों, चाय उत्पादकों, चाय व्यापारियों, चाय दलालों, उपभोक्ताओं और प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों तथा ट्रेड यूनियनों के 31 सदस्यों (अध्यक्ष सहित) से किया जाता है।
- 🔷 बोर्ड का हर तीन साल में पुनर्गठन किया जाता है।

भारत में कार्यालय:

 बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और पूरे भारत में 17 अन्य कार्यालय हैं।

विदेश कार्यालयः

 वर्तमान में चाय बोर्ड के दुबई और मॉस्को में स्थित दो विदेशी कार्यालय हैं।

भारतीय चाय बोर्ड की पहल:

• भारतीय मूल की पैकेज्ड चाय को बढ़ावा:

यह योजना संवर्द्धनात्मक अभियानों में लागत प्रतिपूर्ति का 25% तक, अंतर्राष्ट्रीय विभागीय स्टोर, उत्पाद साहित्य और वेबसाइट विकास में प्रदर्शन, तथा निरीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति में 25% तक सहायता प्रदान करती है।

• घरेलू निर्यातकों के लिये सब्सिडी:

चाय बोर्ड घरेलू निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों
 में भाग लेने के लिये सब्सिडी भी प्रदान करता है।

• चाय विकास और संवर्द्धन योजना:

- यह योजना 2021-26 की अविध के लिये भारतीय चाय बोर्ड द्वारा नवंबर 2021 में शुरू की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य भारत में उत्पादन की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना है।
- इस योजना के सात महत्त्वपूर्ण घटक हैं:
 - छोटे किसानों के चाय रोपण को बढ़ावा
 - पूर्वोत्तर भारत के लिये क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजना का सृजन
 - बाजार संवर्द्धन गितविधियों में चाय उत्पादकों और व्यापारियों का समर्थन करना
 - श्रिमकों का कल्याण
 - 🔶 अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ
 - नियामकीय सुधार
 - 🔷 स्थापना का खर्च
 - ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली (3 प्रकार के लाइसेंस अर्थात् निर्यातक लाइसेंस, चाय अपशिष्ट लाइसेंस और चाय गोदाम लाइसेंस का स्वत:-नवीकरण)

• चाय सहयोग मोबाइल एप:

यह छोटे चाय उत्पादकों के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है।

चाय:

परिचय:

 चाय कैमेलिया साइनेंसिस के पौधे से बना एक पेय है। पानी के बाद यह दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है।

• उत्पत्तिः

ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर-पूर्वी भारत, उत्तरी म्याँमार और दक्षिण-पश्चिम चीन में हुई थी, लेकिन यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि इनमें से वास्तव में यह पहली बार कहाँ पाई गई थी। इस बात के प्रमाण हैं कि 5,000 साल पहले चीन में चाय का सेवन किया जाता था।

विकास की आवश्यक दशाएँ:

- जलवायुः चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है तथा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में इसकी पैदावार अच्छी होती है।
- तापमानः इसकी वृद्धि हेतु आदर्श तापमान 20-30°C होता है तथा 35°C से ऊपर और 10°C से नीचे का तापमान इसके लिये हानिकारक होता है।
- वर्षा: इसके लिये पूरे वर्ष समान रूप से वितरित 150-300 सेमी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
- मिट्टी: चाय की खेती के लिये सबसे उपयुक्त छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा (कैल्शियम के बिना) होती है, जिसमें जल आसानी से प्रवेश कर सके।

• महत्त्वः

- चाय उद्योग सबसे महत्त्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है, जो कुछ सबसे गरीब देशों के लिये आय और निर्यात राजस्व का एक मुख्य स्रोत है तथा श्रम प्रधान क्षेत्र के रूप में, विशेष रूप से दूरस्थ एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है।
 - चाय उत्पादन और प्रसंस्करण सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में योगदान देता है जिसमें अत्यधिक गरीबी को कम करना (लक्ष्य 1), भूख के खिलाफ लड़ाई (लक्ष्य 2), महिलाओं का सशक्तीकरण (लक्ष्य 5) और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का सतत् उपयोग (लक्ष्य 15) शामिल है।
- कई समाजों में इसका सांस्कृतिक महत्त्व भी है।

• स्वास्थ्य लाभ:

 उत्तेजक विरोधी, एंटीऑक्सिडेंट और वजन घटाने के प्रभावों के कारण चाय का सेवन स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है।

• अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवसः

यह दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किये
 जाने के बाद से प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है।

भारतीय चाय उद्योग के विकास को प्रोत्साहन:

- एक जिला और एक उत्पाद (ODOP) योजना भारतीय चाय की प्रतिष्ठा फैलाने में मदद कर सकती है।
- चाय क्षेत्र को लाभदायक, व्यवहार्य और टिकाऊ बनाने के लिये
 चाय की 'सुगंध' (AROMA) को बढ़ाया जाना चाहिये:
 - समर्थन: स्थिरता के साथ गुणवत्ता में सुधार के लिये छोटे उत्पादकों का समर्थन करना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिये उत्पादन बढ़ाना।

- पुनः सिक्रयताः निर्यात बढ़ाने के लिये बुनियादी ढाँचा तैयार करना और यूरोपीय संघ, कनाडा, दिक्षण अमेरिका तथा मध्यपूर्व जैसे उच्च मूल्य वाले बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना।
- जैविक: बॉण्ड प्रचार और विपणन के माध्यम से जैविक और जीआई चाय का प्रचार करना।
- आधुनिकीकरणः चाय किसानों को आत्मिनर्भर बनने और स्थानीय आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने में सक्षम बनाना।
- अनुकूलनशीलताः एक जोखिम मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र के महत्त्व यानी चाय बागानों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिये स्थायी समाधान की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना।



अंतर्राष्ट्रीय संबंध

SCO परिषद के प्रमुखों की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की।

- संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने एवं SCO के वार्षिक बजट को मंज़ूरी देने के लिये SCO के शासनाध्यक्षों की बैठक सालाना आयोजित की जाती है।
- भारत ने वर्ष 2023 के लिये SCO के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है और 2023 के मध्य में दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन में सभी SCO देशों के नेताओं की मेजबानी करेगा।
- इससे पहले SCO शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने वैश्विक और क्षेत्रीय विकास के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया,
 SCO के भीतर व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक व मानवीय सहयोग बढाने के लिये प्राथमिकता वाले कदमों पर चर्चा की।
- भारत ने कहा कि SCO सदस्यों के साथ उसका कुल व्यापार केवल 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसंके कई गुना बढ़ने की क्षमता है।
 - SCO देशों के साथ भारत का अधिकांश व्यापार चीन के साथ है, जो वर्ष 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जबिक रूस के साथ व्यापार 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है।
 - मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है और पाकिस्तान के साथ यह लगभग 500 मिलियनअमेरिकी डॉलर है।
- चीन के BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) पर निशाना साधते हुए, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) के कुछ हिस्सों से होकर गुज़रता है, भारत ने कहा कि कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सदस्य राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिये और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिये।
- भारत ने मध्य एशियाई राज्यों के हितों की केंद्रीयता पर निर्मित SCO क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा जिसमें चाबहार

- बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC) सक्षम बन सकते हैं।
- भारत ने जलवायु पिरवर्तन की चुनौती से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता और इस दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।
- भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी के माध्यम से अधिक व्यापार के लिये जोर दिया, जिसका भारत हिस्सा है, इसका लक्ष्य मध्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सुधार करना है।
- बैठक के बाद भारत को छोड़कर सभी देशों का नाम लेते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें "यूरेशियन आर्थिक संघ के निर्माण के साथ 'बेल्ट एंड रोड' निर्माण के संरेखण को बढ़ावा देने के काम सिहत बीआरआई के लिये उनके समर्थन की पुष्टि की गई।"

शंघाई सहयोग संगठनः

- परिचय:
 - यह एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था।
 - SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और वर्ष 2003 में लागू हुआ।
 - यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखना है।
 - इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है, यह नौ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है तथा सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है।
- आधिकारिक भाषाएँ:
 - 🔸 रूसी और चीनी।
- स्थायी निकाय:
 - बीजिंग में SCO सिचवालय।
 - ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।
- अध्यथनाः
 - अध्यक्षता एक वर्ष पश्चात् सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के माध्यम से की जाती है।

• उत्पत्तिः

- वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कजाखस्तान, चीन, किर्गिजस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव के सदस्य थे।
- शंघाई फाइव (1996) सीमाओं के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक शृंखला से उभरा, जिसे चार पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये आयोजित किया था।
- वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया।
- भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने।
- वर्तमान सदस्यः कजाखस्तान, चीन, किर्गिजस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
- ईरान 2023 में SCO का स्थायी सदस्य बनने के लिये तैयार है।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना (BRI):

- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में फैले कई देशों के बीच कनेक्टिविटी एवं सहयोग पर केंद्रित है। बीआरआई लगभग 150 देशों (चीन का दावा) में फैला हुआ है।
- वर्ष 2013 में प्रारंभ में इस परियोजना में रोडवेज, रेलवे, समुद्री बंदरगाहों, पावर ग्रिड, तेल और गैस पाइपलाइन तथा संबंधित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के नेटवर्क का निर्माण शामिल है।
- इस परियोजना के दो भाग हैं।
 - सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्टः यह चीन को मध्य एशिया, पूर्वी युरोप और पश्चिमी युरोप से जोडने हेतू भूमि मार्ग है।
 - 21वीं सदी का समुद्री रेशम मार्गः यह चीन के दक्षिणी तट को भूमध्यसागर, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य एशिया से जोड़ने हेतु समुद्री मार्ग है।

जैव हथियारों पर रूस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से भारत अनुपस्थित

चर्चा में क्यों?

भारत, रूस द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव से अनुपस्थित रहा जिसमें अमेरिका और यूक्रेन पर जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) का उल्लंघन करने के लिये "सैन्य जैविक गतिविधियों" को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है।

 इस प्रस्ताव से पहले भारत हाल ही में UNSC के एक अन्य प्रस्ताव से अनुपस्थित रहा, जिसमें रूस के चार यूक्रेनी क्षेत्रों के कब्जे को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी।

जैविक हथियार सम्मेलनः

• परिचय:

जैविक हथियार सूक्ष्मजीविवज्ञानी एजेंटों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कवक) या विषाक्त पदार्थों का उपयोग जान-बूझकर मनुष्यों, जानवरों या पौधों की मौत या उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिये किया जाता है।

• जैविक हथियार अभिसमय:

परिचयः

- औपचारिक रूप से "बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन तथा भंडारण एवं उनके विनाश के निषेध पर अभिसमय" के रूप में जाना जाता है, अभिसमय पर जिनेवा, स्विट्रजलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन में वार्ता की गई थी।
- 🔳 यह 26 मार्च, 1975 को लागू हुआ।

🕨 दायराः

 यह जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करता है।

महत्त्वः

- यह सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार को सीमित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुख तत्त्व है और इसने जैविक हथियारों के खिलाफ एक मजबूत मानदंड स्थापित किया है।
- WMD की सभी श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने वाली यह पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी।
- यह वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का पूरक है, जिसके द्वारा युद्ध में जैविक (और रासायिनक) हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था।
- लीग ऑफ नेशन के तत्त्वाधान में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में जिनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- यह वर्ष 1928 में प्रभावी हुआ।
- भारत ने इस प्रोटोकॉल की पुष्टि की है।


सदस्य:

- 184 भागीदार देशों और चार हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ इसकी लगभग सार्वभौमिक सदस्यता है।
- भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है।

UNGA का प्रस्तावः

- पिरचयः संयुक्त राष्ट्र के संकल्प और निर्णय संयुक्त राष्ट्र के अंगों
 की राय या इच्छा की औपचारिक अभिव्यक्ति हैं।
 - संकल्प की प्रकृति निर्धारित करती है कि क्या इसे राज्यों के लिये बाध्यकारी माना जाता है।

- UNGA प्रस्ताव: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 10 और 14 में महासभा के प्रस्तावों को "सिफारिशें" कहा गया है।
 - 🔶 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा महासभा के प्रस्तावों की 'सिफारिशी प्रकृति' पर बार-बार जोर दिया गया है।
 - 🔸 हालाँकि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित महासभा के कुछ प्रस्ताव- जैसे कि बजटीय निर्णय या निम्न-श्रेणी के निकायों को निर्देश देना, स्पष्ट रूप से बाध्यकारी हैं।
- UNSC प्रस्ताव: सामान्य तौर पर चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों को चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार बाध्यकारी माना जाता है।
 - हालाँकि वे UNSC के स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वीटो के अधीन हैं।



रूस और युक्रेन से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के पिछले प्रस्तावों पर भारत का रुख:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रस्तावों का बहिष्कार किया:
 - यूएस-प्रायोजित UNSC प्रस्ताव जिसने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा की।
 - 🔶 रूस ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर UNSC के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें नागरिकों की सुरक्षित, तीव्र, स्वैच्छिक और निर्बाध निकासी सुनिश्चित करने के लिये बातचीत के जरिये संघर्ष विराम का आह्वान किया गया।
 - 🔷 यूक्रेन में रूस के कार्यों की जाँच के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव पारित किया गया।
 - UNGA का प्रस्ताव, जिसने युक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाइयों के लिये उसकी निंदा की।

- इस प्रस्ताव से अनुपस्थित रहने वाले 34 अन्य देश भी थे जिनमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा मध्य एशियाई और कुछ अफ्रीकी देश शामिल थे।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का प्रस्ताव चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और चेरनोबिल सहित कई परमाणु अपशिष्ट स्थलों पर सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि रूसियों ने उन पर नियंत्रण कर लिया था।

बिम्सटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम (बिम्सटेक) की दूसरी कृषि मंत्री-स्तरीय बैठक की मेजबानी की।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत ने सदस्य देशों से कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिये आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिये एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति विकसित करने में सहयोग करने का आग्रह किया।
- इसने सदस्य देशों से एक पोषक भोजन के रूप में बाजरा के महत्त्व और उसके उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिये भारत द्वारा किये गए प्रयास-अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष - 2023 के दौरान सभी के लिये एक अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली और एक स्वस्थ आहार अपनाने का भी आग्रह किया।
- कृषीय जैवविविधता के संरक्षण एवं रसायनों के उपयोग को कम करने के लिये प्राकृतिक और पारिस्थितिक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
 - डिजिटल खेती और सटीक खेती के साथ-साथ भारत में 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के तहत कई पहलें भी साकार होने की दिशा में हैं।
- क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिये बिम्सटेक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भारत के वक्तव्य पर प्रकाश डाला गया।
- बिम्सटेक कृषि सहयोग (2023-2027) को मजबूत करने के लिये कार्य योजना को अपनाया गया।
- बिम्सटेक सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं और कृषि कार्य समूह के तहत मत्स्य पालन एवं पशुधन उप-क्षेत्रों को लाने की मंजूरी दी गई है।

बिम्सटेक (BIMSTEC):

• परिचय:

- बिम्सटेक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें सात सदस्य देश शामिल हैं: पाँच दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से म्याँमार एवं थाईलैंड दो देश शामिल हैं।
- यह उप-क्षेत्रीय संगठन 6 जून, 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।
- बिम्सटेक क्षेत्र में लगभग 1.5 बिलियन लोग शामिल है, जो 2.7
 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
 के साथ वैश्विक आबादी का लगभग 22% है।
- बिम्सटेक सिचवालय ढाका में है।
- संस्थागत तंत्र:
 - बिम्सटेक शिखर सम्मेलन
 - मंत्रिस्तरीय बैठक
 - वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
 - बिम्सटेक वर्किंग ग्रुप
 - व्यापार मंच और आर्थिक मंच

• महत्त्वः

- तेज़ी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में विकास सहयोग के लिये एक प्राकृतिक मंच के रूप में बिम्सटेक के पास विशाल क्षमता है और भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक धुरी के रूप में अपनी अनुठी स्थिति का लाभ उठा सकता है।
- बिम्सटेक के बढ़ते मूल्यों को इसकी भौगोलिक निकटता, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक और मानव संसाधनों तथा समृद्ध ऐतिहासिक संबंधों एवं क्षेत्र में गहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिये सांस्कृतिक विरासत को महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।
- बंगाल की खाड़ी में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता है, यह ऐसा स्थान है जहाँ पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों के रणनीतिक हित टकराते हैं।
- यह एशिया के दो प्रमुख उच्च विकास केंद्रों- दक्षिण और दक्षिण- पूर्व एशिया के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है।

बिम्सटेक की चुनौतियाँ:

- बैठकों में विसंगति: बिम्सटेक ने हर साल मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित करने और हर दो साल में शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई, लेकिन 20 वर्षों में केवल पाँच शिखर सम्मेलन हुए हैं।
- सदस्य देशों द्वारा उपेक्षितः ऐसा लगता है कि भारत ने बिम्सटेक का उपयोग केवल तभी किया है जब वह क्षेत्रीय विन्यास में

SAARC के माध्यम से काम करने में विफल रहा और अन्य प्रमुख सदस्य देश जैसे कि थाईलैंड तथा म्याँमार बिम्सटेक के बजाय ASEAN की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

- व्यापक फोकस क्षेत्र: बिम्सटेक का फोकस बहुत व्यापक है, जिसमें कनेक्टिविटी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे सहयोग के 14 क्षेत्र शामिल हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि बिम्सटेक को छोटे फोकस क्षेत्रों के लिये प्रतिबद्ध रहना चाहिये और उनमें कुशलतापूर्वक सहयोग करना चाहिये।
- सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्देः बांग्लादेश म्याँमार के रोहिंग्याओं के सबसे खराब शरणार्थी संकटों में से एक का सामना कर रहा है जो म्याँमार के रखाइन राज्य में क़ानूनी कार्यवाही करने से बच रहे हैं। म्याँमार और थाईलैंड के बीच सीमा पर संघर्ष चल रहा है।
- BCIM: चीन की सिक्रिय सदस्यता के साथ एक और उप-क्षेत्रीय पहल, बांग्लादेश-चीन-भारत-म्याँमार (BCIM) फोरम के गठन ने बिम्सटेक की अनन्य क्षमता के बारे में अधिक संदेह पैदा किया है।
- आर्थिक सहयोग पर अपर्याप्त फोकसः अधूरे कार्यों और नई चुनौतियों पर ध्यानाकर्षण होने पर जिम्मेदारियों के बोझ बढ़ता है।
 - वर्ष 2004 में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) हेतु रूपरेखा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद बिम्सटेक इस लक्ष्य से बहुत दूर है।

आगे की राह

- सदस्य देशों के बीच बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।
 - चूँिक यह क्षेत्र स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा है और एकजुटता तथा सहयोग की आवश्यकता पर बल दे रहा है जिससे एफटीए बंगाल की खाड़ी को संपर्क, समृद्धि एवं सुरक्षा का पुल बना देगा।
- भारत को इस धारणा का मुकाबला करना होगा कि बिम्सटेक एक भारत-प्रभुत्व वाला ब्लॉक है, इस संदर्भ में भारत गुजराल सिद्धांत का पालन कर सकता है जो द्विपक्षीय संबंधों में लेन-देन के प्रभाव को सशक्त करने का इरादा रखता है।
- बिम्सटेक को भविष्य में नीली अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्ट-अप तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच आदान-प्रदान तथा लिंक को बढ़ावा देने जैसे नए क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

भारत-बेलारूस संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग का 11वाँ सत्र आयोजित किया गया।



प्रमुख बिंदु

- अंतर-सरकारी आयोग ने वर्ष 2020 में आयोग के दसवें सत्र के बाद हुए द्विपक्षीय सहयोग के परिणामों की समीक्षा की।
- कुछ परियोजनाओं के संबंध में हुई प्रगित पर संतोष व्यक्त करते हुए,
 आयोग ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों को ठोस परिणामों को अंतिम रूप देने के लिये व्यापार एवं निवेश क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया।
- भारत और बेलारूस ने फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाओं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देते हुए अपने सहयोग को व्यापक बनाने की अपनी प्रबल इच्छा दोहराई।
- दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने व्यापारिक समुदायों को पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिये इन क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ जुड़ने का निर्देश दिया।
- दोनों पक्ष प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।

भारत-बेलारूस संबंध:

- राजनियक संबंधः
 - बेलारूस के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप से मधुर और सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

 भारत, वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बेलारूस को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।

बहपक्षीय मंचों पर समर्थनः

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच सहयोग दिखाई देता है।
- बेलारूस उन देशों में से एक था जिनके समर्थन ने जुलाई 2020
 में UNSC में अस्थायी सीट के लिये भारत की उम्मीदवारी को मजबूत करने में मदद की।
- भारत ने गुटिनरपेक्ष आंदोलन (NAM) में बेलारूस की सदस्यता और अंतर-संसदीय संघ (IPU) जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय समूहों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेलारूस का समर्थन किया है।

व्यापक भागीदारीः

- दोनों देशों के बीच एक व्यापक साझेदारी है और विदेश कार्यालय परामर्श (FOC), अंतर-सरकारी आयोग (IGC), सैन्य तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग के माध्यम से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिये तंत्र स्थापित किया गया है।
- दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग, संस्कृति, शिक्षा, मीडिया एवं खेल, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, वस्त्र, दोहरे कराधान से बचाव, निवेश को बढ़ावा देने व संरक्षण सिहत रक्षा एवं तकनीकी सहयोग जैसे विभिन्न विषयों पर कई समझौता जापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

व्यापार और वाणिज्यः

- आर्थिक क्षेत्र में वर्ष 2019 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार कारोबार 569.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
- वर्ष 2015 में भारत ने बेलारूस को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता से भी आर्थिक क्षेत्र के विकास में मदद मिली है।
 - बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा बेंचमार्क के रूप में स्वीकार किये गए वस्तु का निर्यात करने वाले देश को दिया जाता है। इस स्थिति से पहले देश को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (NME) के रूप में माना जाता था।
- बेलारूस के व्यवसायियों को 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं में निवेश करने के लिये भारत के प्रोत्साहन का लाभ मिल रहा है।

भारतीय प्रवासी:

 वर्तमान में 112 भारतीय नागरिक बेलारूस में रहते हैं इसके अलावा 906 भारतीय छात्र वहाँ राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालयों में चिकित्सा की पढाई कर रहे हैं।

- भारतीय कला और संस्कृति, नृत्य, योग, आयुर्वेद, फिल्म आदि
 बेलारूस के नागरिकों के बीच लोकप्रिय हैं।
 - काफी संख्या में बेलारूस के युवा भी हिंदी और भारत के नृत्य रूपों को सीखने में गहरी रुचि रखते हैं।

आगे की राह

- वैश्विक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक आकर्षण केंद्र के एशिया में क्रमिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ सहयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिये अतिरिक्त अवसर पैदा करता है।
- बेलारूस को विविधतापूर्ण एशिया में कई भौगोलिक उप-क्षेत्रों के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है।
 - दक्षिण एशिया में भारत इन उप-क्षेत्रों में से एक हो सकता है, लेकिन इसके लिये बेलारूस की पहल निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रीय हितों और धार्मिक उद्देश्यों (National Interests and Sacred Meanings) के "मैट्रिक्स" के अनुरूप होनी चाहिये।
- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिये भी कुछ अवसर विद्यमान हैं।
- बेलारूस भारतीय दवा कंपिनयों हेतु यूरेशियन बाजार में "प्रवेश बिंदु" बन सकता है।
- साझा विकास सिहत सैन्य और तकनीकी सहयोग की संभावना का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया है।
 - यह सिनेमा (बॉलीवुड) भारतीय व्यापार समुदाय और पर्यटकों के हित को प्रोत्साहित कर सकता है।
- पारंपिरक भारतीय चिकित्सा पद्धित (आयुर्वेद + योग) के आधार पर बेलारूस में स्थापित किये जा रहे मनोरंजन केंद्रों द्वारा पर्यटन और चिकित्सा सेवाओं के निर्यात में अतिरिक्त वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।
- आपसी हित बढ़ाने के लिये नए नवोन्मेषी विकास बिंदुओं की स्थापना तथा सफल विचारों को प्रोत्साहित करना और सिक्रय विशेषज्ञ कूटनीति संचार का प्रमुख महत्त्व है।

भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 9वीं मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

 भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने किया तथा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजस्व सचिव ने किया।

बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

• जलवायु महत्त्वाकांक्षा बढ़ाने के प्रयासः

दोनों देशों ने जलवायु महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिये वैश्विक प्रयासों के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से व्यक्त जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने हेतु संबंधित घरेलू प्रयासों को साझा किया।

वृहद् आर्थिक चुनौतियाँ:

- यूक्रेन में संघर्ष के संदर्भ में दोनों ने वस्तुओं और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ आपूर्ति पक्ष के व्यवधानों सिहत वैश्विक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के लिये वर्तमान बाधाओं पर चर्चा की तथा इन वैश्विक वृहद् आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने में बहुपक्षीय सहयोग की केंद्रीय भूमिका के लिये अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से जोर दिया।
- उन्होंने जलवायु कार्रवाई सिहत विकास उद्देश्यों का समर्थन करने के लिये भारत को वित्तपोषण हेतु मदद करने के लिये MDBS के माध्यम से काम करने के महत्त्व को स्वीकार किया।
- दोनों ने इन बहुपक्षीय और द्विपक्षीय तथा अन्य वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने की योजना बनाई है।

समान ऋण उपचार:

दोनों पक्षों ने ऋण स्थिरता द्विपक्षीय उधार में पारदर्शिता और ऋण संकट का सामना करने वाले देशों को उचित एवं समान ऋण उपचार प्रदान करने हेतु कार्रवाई का समन्वय करने के लिये अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

• ऋण उपचार के लिये G 20 सामान्य ढाँचा:

दोनों ने ऋण उपचार के लिये G-20 साझा ढाँचे को समयबद्ध,
 व्यवस्थित और समन्वित तरीके से लागू करने के प्रयासों को
 आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

सामृहिक परिमाणित लक्ष्यः

- दोनों ने सार्थक कार्यों और कार्यान्वयन में पारदर्शिता के संदर्भ में विकासशील देशों के लिये सार्वजनिक एवं निजी स्रोतों से 2025 तक हर वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों देशों ने ऑफशोर टैक्स चोरी से निपटने के लिये सूचना साझा करने में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की।

• सामृहिक परिमाणित लक्ष्यः

दोनों ने सार्थक शमन कार्यों और कार्यान्वयन पर पारदर्शिता के संदर्भ में विकासशील देशों के लिये सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 2025 तक हर साल 100 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने अपतटीय कर चोरी से निपटने के लिये सूचना साझा करने में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की।

• विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम:

 दोनों पक्ष वित्तीय खाते की जानकारी साझा करने के लिये विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (FATCA) से संबंधित चर्चा में शामिल होना जारी रखेंगे।

अमेरिका के साथ भारत के संबंध:

• परिचयः

- अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता
 और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने
 सहित साझा मूल्यों पर आधारित है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता तथा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में साझा हित हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने और इंडो-पेसिफिक को शांति, स्थिरता एवं बढ़ती समृद्धि के क्षेत्र के रूप में सुरक्षित करने के प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरने का समर्थन करता है।

• आर्थिक संबंध:

- वर्ष 2021 में वस्तुओं और सेवाओं में समग्र अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार 157 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे महत्त्वपूर्ण निर्यात बाजार है।
- अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ 32.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष था।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः

- संयुक्त राष्ट् G-20, दिक्षण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान/ASEAN) क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन सिंहत बहुपक्षीय संगठनों में भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका निकट सहयोगी हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2021 में दो वर्ष के कार्यकाल के लिये भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन किया ताकि भारत एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो सके।
- ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत मुक्त तथा खुले इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने व क्षेत्र को लाभ प्रदान करने के लिये क्वाड के रूप में बैठक करटे हैं।

- भारत, समृद्धि के लिये भारत-प्रशांत आर्थिक ढाँचे (IPEF)
 पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी करने वाले बारह
 देशों में से एक है।
- भारत, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) का सदस्य है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवाद भागीदार है।
- वर्ष 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वर्ष 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) में शामिल हो गया।

भारत-अमेरिका संबंधों की संबद्ध चुनौतियाँ:

- टैरिफ अधिरोपणः वर्ष 2018 में अमेरिका ने कुछ स्टील उत्पादों पर 25% टैरिफ और भारत द्वारा कुछ एल्युमीनियम उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया गया था।
 - भारत ने जून 2019 में अमेरिकी आयात पर लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 28 उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर जवाबी कार्रवाई की।
 - हालाँकि धारा 232 टैरिफ लागू करने के बाद अमेरिका में
 स्टील निर्यात में साल-दर-साल 46% की गिरावट आई है।
- आत्मिनिर्भरता को संरक्षणवाद के रूप में गलत समझनाः आत्मिनिर्भर भारत अभियान ने इस विचार को और बढ़ावा दिया है कि भारत तेज़ी से एक संरक्षणवादी बंद बाजार अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।
- अमेरिका की वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (GSP) से छूट: अमेरिका ने GSP कार्यक्रम के तहत जून 2019 से प्रभावी, भारतीय निर्यातकों से शुल्क मुक्त निर्यात के प्रावधान को वापस ले लिया।
 - पिरणामस्वरूप अमेरिका को 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर विशेष शुल्क उपचार को हटा दिया गया, जिससे भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्र जैसे- फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, कृषि उत्पाद और ऑटोमोटिव पार्ट्स आदि क्षेत्र प्रभावित हुए।
- अन्य देशों के प्रति अमेरिका की शत्रुता:
 - भारत और अमेरिका के बीच कुछ मतभेद भारत-अमेरिका संबंधों के प्रत्यक्ष परिणाम नहीं हैं, बिल्क भारत के पारंपिरक सहयोगी ईरान और रूस जैसे तीसरे दुनिया के देशों के प्रति अमेरिका की शत्रुता के कारण हैं।
 - भारत-अमेरिका संबंधों को चुनौती देने वाले अन्य मुद्दों में ईरान के साथ भारत के संबंध और रूस से भारत द्वारा S-400 की खरीद शामिल है।
 - अमेरिका द्वारा भारत को रूस से दूर करने के आह्वान का दक्षिण एशिया की यथास्थिति पर दूरगामी परिणाम हो सकता है।

- अफगानिस्तान में अमेरिका की नीति:
 - भारत अफगानिस्तान में अमेरिका की नीति को लेकर भी चिंतित है क्योंकि यह इस क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और हितों के लिये जोखिम पैदा कर रहा है।

आगे की राह

- अद्वितीय जनसांख्यिकीय लाभांश अमेरिकी और भारतीय कंपिनयों के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्माण, व्यापार एवं निवेश के लिये बड़े अवसर प्रदान करता है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक अग्रणी अभिकर्त्ता के रूप में उभर रहा है जो साथ में अभूतपूर्व पिरवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। यह अपने महत्त्वपूर्ण हितों को और आगे बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिये अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग करेगा।
- भारत और अमेरिका आज सच्चे अर्थों में रणनीतिक साझेदार हैं -परिपक्व प्रमुख शक्तियों के बीच एक ऐसी साझेदारी जो पूर्ण समानता की मांग नहीं कर रही है बल्कि एक निरंतर संवाद सुनिश्चित करके मतभेदों को प्रबंधित कर रही है तथा इन मतभेदों को नए अवसरों के निर्माण में शामिल भी कर रही है।
- यूक्रेन संकट के परिणामस्वरूप चीन के साथ रूस का बढ़ा हुआ संरेखण केवल रूस पर भरोसा करने की भारत की क्षमता को जटिल बनाता है क्योंकि यह चीन को संतुलित करता है। अत: अन्य सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग जारी रखना दोनों देशों के हित में है।
- चीनी सेना की बढ़ती अंतिरक्ष क्षमताओं पर साझा चिंता के कारण अंतिरक्ष शासन अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

19वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने नोम पेन्ह, कंबोडिया में 19वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- एक्ट ईस्ट नीति:
 - भारत ने प्राचीन काल से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच मौजूद गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सभ्यतागत संबंधों की सराहना की तथा कहा कि भारत-आसियान संबंध भारत की एक्ट- ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है।
 - भारत ने इंडो-पैसिफिक में आसियान (ASEAN) की केंद्रीयता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है।

• व्यापक रणनीतिक साझेदारी:

- आसियान और भारत ने मौजूदा रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने की घोषणा करते हुए एक संयुक्त बयान को अपनाया।
- इसने समुद्री गतिविधियों, आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत-आसियान सहयोग बढाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
- यह आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा में तेज़ी लाने का प्रस्ताव करता है ताकि इसे अधिक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल, सरल और व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक बनाया जा सके।

शांति और सुरक्षाः

दोनों पक्षों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री रक्षा
 और सुरक्षा, नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखने व बढ़ावा
 देने के महत्त्व की पुष्टि की।

• संवाद और समन्वय को मज़बूत करना:

→ "आसियान-केंद्रीयता" को बनाए रखने के हिस्से के रूप में दोनों पक्षों ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, भारत के साथ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (PMC+1), आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF), आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus), विस्तारित आसियान समुद्री मंच (EAMF) सहित आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों के माध्यम से बातचीत और समन्वय को मज़बूती प्रदान करने के महत्त्व की पुष्टि की।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघः

• परिचय:

- यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
- इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों अर्थात् इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- इसके सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंग्रेज़ी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से की जाती है।
- आसियान देशों की कुल आबादी 650 मिलियन है और इनका कुल संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

सदस्य:

 आसियान दस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यॉॅंमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को एक साथ लाता है।



आसियान-भारत संबंध:

• परिचय:

- आसियान को दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है।
- भारत और अमेरिका, चीन, जापान व ऑस्ट्रेलिया सिंहत कई अन्य देश इसके संवाद भागीदार हैं।
- आसियान-भारत संवाद संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुए।
- यह दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी और 2002 में शिखर-स्तरीय साझेदारी की ओर अग्रसरा हुआ।
- परंपरागत रूप से भारत-आसियान संबंधों का आधार साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों के चलते व्यापार एवं लोगों से लोगों के बीच संबंध रहा है, हालिया क्षेत्रों का अभिसरण का एक और जरूरी क्षेत्र चीन के उदय को संतुलित कर रहा है।
 - भारत और आसियान दोनों का लक्ष्य चीन की आक्रामक नीतियों के आलोक में इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण विकास के लिये एक नियम-आधारित सुरक्षा ढाँचा स्थापित करना है।

• सहयोग के क्षेत्र:

आर्थिक सहयोगः

- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत ने आसियान के साथ वर्ष 2009 में वस्तु क्षेत्र में मुक्त
 व्यापार समझौता और वर्ष 2014 में सेवाओं व निवेश में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किये।
- FTA के लागू होने के बाद से इनके बीच व्यापार लगभग दोगुना होकर वर्ष 2019-20 में 87 बिलियन अमेरिकी

डॉलर से अधिक हो गया और फिर वर्ष 2020-21 में महामारी से प्रेरित मंदी के कारण घटकर 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

- भारत का आसियान क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है, जिसके परिणामस्वरूप रियायती व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है।
- अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 की अवधि में भारत और आसियान क्षेत्र के बीच वस्तु व्यापार 98.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
- भारत के मुख्य व्यापारिक संबंध इंडोनेशिया, सिंगापुर,
 मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ हैं।

राजनीतिक सहयोगः

 आसियान-भारत केंद्र (AIC) की स्थापना भारत और आसियान के बीच संगठनों एवं थिंक-टैंक के साथ नीति अनुसंधान तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को करने के लिये की गई थी।

वित्तीय सहायताः

 भारत, आसियान-भारत सहयोग कोष, आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष और आसियान-भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से आसियान देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कनेक्टिविटीः

- भारत, भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय (IMT) राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहा है।
- भारत, आसियान के साथ एक समुद्री परिवहन समझौता स्थापित करने का भी प्रयास कर रहा है और भारत में नई दिल्ली तथा वियतनाम में हनोई के बीच एक रेलवे लिंक स्थापित करने की भी योजना बना रहा है।

सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोगः

 आसियान द्वारा लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जैसे कि आसियान देश के छात्रों को भारत में आमंत्रित करना, आसियान राजनियकों के लिये विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान-प्रदान आदि।

रक्षा सहयोगः

- संयुक्त नौसेना और सैन्य अभ्यास भारत और अधिकांश आसियान देशों के बीच आयोजित किये जाते हैं।
- पहला आसियान-भारत समुद्री अभ्यास वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा।

- वाटरशेड 'सैन्य अभ्यास वर्ष 2016 में आयोजित किया गया।
- वियतनाम परंपरागत रूप से रक्षा मुद्दों पर घनिष्ठ मित्र रहा
 है, सिंगापुर भी इतना ही महत्त्वपूर्ण भागीदार है।

भारत के लिये आसियान का महत्त्वः

- आर्थिक और सुरक्षा कारणों से भारत को आसियान देशों के साथ घनिष्ठ राजनियक संबंध की आवश्यकता है।
- आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत को इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में सुधार करने में मदद कर सकती है।
 - ये कनेक्टिविटी पिरयोजनाएँ पूर्वोत्तर भारत को केंद्र में रखती हैं,
 जिससे पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है।
- आसियान देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंध का अर्थ इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के साथ-साथ भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास है।
- चूँिक भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री सुरक्षा पर निर्भर है,
 आसियान भारत-नियम-आधारित प्रशांत की सुरक्षा ढाँचे में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
- पूर्वोत्तर में उग्रवाद का सामना करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, कर चोरी आदि जैसे मामलों के लिये आसियान देशों के साथ सहयोग आवश्यक है।

आगे की राह

- आसियान और भारत को व्यायार तथा निवेश संबंधों को सुदृढ़ करना चाहिये।
- आसियान के साथ भारत का व्यापार विश्व के साथ भारत के व्यापार की तुलना में तेजी से बढ़ा है। भारत, आसियान में महत्त्वपूर्ण गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना कर रहा है जो आसियान के साथ इसके निर्यात को भी सीमित करता है।
- आसियान और भारत के बीच शृंखलाओं में वर्तमान जुड़ाव पर्याप्त नहीं है। आसियान और भारत उभरते परिदृश्य का लाभ उठा सकते हैं तथा नई एवं लचीली आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण के लिये एक-दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। हालाँकि इस अवसर का पता लगाने के लिये आसियान व भारत को अपने कौशल को उन्नत करना होगा, रसद (Logistic) सेवाओं में सुधार करना होगा और परिवहन बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना होगा।

भारत-नॉर्वे संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत में नॉर्वे के राजदूत ने बताया है कि भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार विगत दो वर्षों में दोगुना होकर 2 बिलियन डॉलर हो गया है।



भारत-नॉर्वे संबंधों में सहयोग के आगामी क्षेत्र:

- नॉर्वे दुनिया भर में पाँच वर्षों में अपने जलवायु निवेश कोष से 1
 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा, भारत में कितना धन निवेश किया जाएगा, इसका निर्धारण परियोजनाओं के आधार पर किया जाएगा।
- नॉर्वे पवन ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के साथ काम कर रहा है।
 - हालाँिक, भारत में समस्या यह है कि इस परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिये सबसे उपयुक्त राज्य तिमलनाडु और गुजरात हैं।
- नॉर्वे भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि पर्याप्त देश हांगकांग कन्वेंशन की पुष्टि कर सकें। यह एक बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी साधन होगा।

नॉर्वे-भारत संबंध का इतिहास:

• इतिहासः

- वर्ष 1947 में इन देशों में संबंध की स्थापना के बाद से भारत और नॉर्वे के बीच आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं।
- भारत में नॉर्वे का पहला वाणिज्य दूतावास(कांसुलेट) कोलकाता और मुंबई में क्रमश: वर्ष 1845 और वर्ष 1857 में स्थापित हआ।
- मत्स्य पालन पर जोर देने के साथ विकास सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1952 में "इंडिया फंड" की स्थापना की गई थी।
- उसी वर्ष नॉर्वे ने नई दिल्ली में अपना दूतावास स्थापित किया।
- नॉर्वे ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), वासेनर अरेंजमेंट (WA) और ऑस्ट्रेलिया समूह (AG) के निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के लिये भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।
- भारत ने वर्ष 1986 में नॉर्वे के साथ दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA) पर हस्ताक्षर किया, जिसे फरवरी 2011 में संशोधित किया गया।

घटनाक्रमः

नॉर्वे का महावाणिज्य दूतावासः

- मुंबई में वर्ष 2015 में दोबारा महावाणिज्य दूतावास खोल दिया गया।
 - यह 1970 से बंद था।
 - यह नॉर्वे सरकार के आधिकारिक व्यापार प्रतिनिधि इनोवेशन नॉर्वे से जुड़ा था, जिसका कार्यालय अब मुंबई और नई दिल्ली दोनों जगह है।

भारत रणनीतिः

- दिसंबर 2018 में, नॉर्वे सरकार ने एक नई 'भारत रणनीति' शुरू की। यह रणनीति वर्ष 2030 तक नॉर्वे की स्पष्ट प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है और द्विपक्षीय सहयोग को विकसित करने के लिये नये सिरे से प्रोत्साहन देती है।
 - भारत रणनीति पाँच विषयगत प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है:
 - लोकतंत्र और विधि आधारित विश्व व्यवस्था
 - महासागर
 - ऊर्जा
 - जलवायु और पर्यावरण
 - अनुसंधान, उच्च शिक्षा और वैश्विक स्वास्थ्य
 - इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नॉर्वे अधिकारियों, व्यापार सहयोग और अनुसंधान सहयोग के बीच राजनीतिक संपर्क तथा सहयोग पर केंद्रित है।
 - इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये, नॉर्वे राजनीतिक संपर्क और अधिकारियों के बीच सहयोग, व्यावसायिक सहयोग तथा अनुसंधान सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

ब्लू इकोनॉमी पर टास्क फोर्सः

- वर्ष 2020 में, सतत् विकास के लिये ब्लू इकोनॉमी पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स को दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से शामिल किया गया था। इस टास्क फोर्स को वर्ष 2019 की शुरुआत में नॉर्वे के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था।
- टास्क फोर्स का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संयुक्त पहल को विकसित करना और उनका पालन करना है।
- यह नॉर्वे और भारत दोनों से उच्चतम स्तर पर प्रासंगिक हितधारकों को जुटाने और मंत्रालयों तथा एजेंसियों के बीच निरंतर प्रतिबद्धता एवं प्रगति सुनिश्चित करने का भी इरादा रखता है।

नॉर्वे के प्रधानमंत्री की भारत यात्राः

 2019 में, नॉर्वे के प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए। प्रधानमंत्री ने रायसीना डायलॉग में उद्घाटन भाषण दिया और भारत-नॉर्वे व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

आर्थिक संबंध:

- वर्ष 2019 तक, 100 से अधिक नॉर्वे की कंपिनयों ने भारत में स्वयं को स्थापित किया।
 - अन्य 50 का प्रतिनिधित्व एजेंटों द्वारा किया जाता है।
 - नॉर्वेजियन पेंशन फंड ग्लोबल संभवत: भारत के सबसे बडे एकल विदेशी निवेशकों में से एक है। वर्ष 2019 में, इसका निवेश 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- नॉर्वे से भारत में निर्यात जिसमें अलौह धातु, गैस प्राकृतिक निर्मित, प्राथमिक रूप में प्लास्टिक, कच्चे खनिज, रासायनिक सामग्री और उत्पाद शामिल हैं।
- भारत से नॉर्वे को निर्यात की मुख्य वस्तुओं में परिधान और सहायक उपकरण, कपड़ा धागे, धातु, चावल और विविध विनिर्मित वस्तुएँ शामिल हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगः

- नॉर्वे के पास दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा वाणिज्यिक जहाज बेडा है और पर्यावरण के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कारणों से आधुनिक बेड़े को बनाए रखने के लिये जहाज का पुनर्चक्रण महत्वपूर्ण था। नॉर्वे "जहाज पुनर्चक्रण और जहाज निर्माण" गतिविधियों में भारत के साथ घनिष्ठ रूप से सहयोग कर रहा है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास और चेन्नई में पवन ऊर्जा संस्थान तथा नॉर्वे के संस्थानों के बीच अकादिमक सहयोग मौजूद है।
- नॉर्वे की कंपनी पिकल ताजमहल जैसे भारतीय स्मारकों के लिये डिजिटल संग्रह बनाने में शामिल थी। कंपनी ऐतिहासिक स्मारकों गुजरात में धौलावीरा और मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाओं के डिजिटलीकरण में भी शामिल थी।



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

DNA टेस्ट की बढ़ती मांग

चर्चा में क्यों?


हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अदालती मामलों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) टेस्ट के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की है।

शामिल मुद्देः

- बड़ी संख्या में की गई शिकायतों में DNA परीक्षण की मांग की गई है। सरकारी प्रयोगशाला के अनुसार ऐसी मांगें सालाना लगभग 20% बढ़ रही हैं।
- हालाँकि DNA प्रौद्योगिकी पर निर्भर 70 अन्य देशों की तुलना में भारतीय प्रयोगशालाओं द्वारा वार्षिक तौर पर किये जाने वाले 3,000-DNA परीक्षण महत्त्वहीन हैं, मांग में वृद्धि गोपनीयता और संभावित डेटा दुरुपयोग के संबंध में चिंता का विषय है।
- न्याय के दायरे में DNA परीक्षण हमेशा से संदेहों के दायरे में रहा है, सत्य को उजागर करने के लिये यह एक लोकप्रिय आवश्यकता बना हुआ है चाहे वह किसी आपराधिक मामले के साक्ष्य के रूप में हो, वैवाहिक बेवफाई का दावा हो या पितृत्व को साबित करने और व्यक्तिगत गोपनीयता पर आत्म-अपराध एवं अतिक्रमण के जोखिम के रूप में हो।
- यह न्याय की प्रक्रिया में सुधार के लिये प्रौद्योगिकी के विस्तार पर ध्यान देता है लेकिन यह लोगों की गोपनीयता का भी उल्लंघन करता है।
 - अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि शारीरिक स्वायत्तता और निजता मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं।

परिचय:

- डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) जटिल आणिवक संरचना वाला एक कार्बेनिक अणु है।
- DNA अणु की किस्में मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी शृंखला से बनी होती हैं। यह एक डबल हेलिक्स संरचना में व्यवस्थित है।
- जेम्स वाटसन और फ्राँसिस क्रिक ने खोजा कि DNA एक डबल-हेलिक्स पॉलीमर है जिसे वर्ष 1953 में बनाया गया था।
- यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों की आनुवंशिक विशेषता के हस्तांतरण के लिये आवश्यक है।
- DNA का अधिकांश भाग कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है इसलिये इसे केंद्रीय DNA कहा जाता है।



DNA चार नाइट्रोजनी क्षारों से बने कोड के रूप में डेटा को स्टोर करता है।

- प्यूरीनः
 - ♦ एडेनिन (A)
 - ♦ गुआनिन (G)
- पाइरिमिडीन
 - ♦ साइटोसिन (C)
 - थाइमिन (T)

DNA परीक्षण का उपयोग

- पित्यक्त माताओं और बच्चों से जुड़े मामलों की पहचान करने एवं उन्हें न्याय दिलाने के लिये DNA परीक्षण आवश्यक है।
- यह नागरिक विवादों में भी अत्यधिक प्रभावी तकनीक है जब अदालत को रखरखाव के मुद्दे को निर्धारित करने और बच्चे के माता-पिता की पहचान करने की आवश्यकता होती है।

विगत मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित उदाहरण:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्षों से स्थापित किये गए उदाहरण बताते हैं
 कि न्यायाधीश आनुवंशिक परीक्षणों के लिये "रोविंग इंक्वायरी" के
 रूप में आदेश नहीं दे सकते हैं (भबानी प्रसाद जेना, 2010 मामला)।
- बनारसी दास वाद, 2005 में, यह माना गया कि DNA परीक्षण को पक्षकारों के हितों को संतुलित करना चाहिये। DNA परीक्षण उस स्थिति में नहीं किया जाना चाहिये यदि मामले को साबित करने के लिये अन्य भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हों।

- न्यायालय ने अशोक कुमार मामला, 2021 में अपने फैसले में कहा कि आनुवंशिक परीक्षण का आदेश देने से पहले अदालतों को "वैध उद्देश्यों की आनुपातिकता" पर विचार करना चाहिये।
- के.एस. पुट्टस्वामी मामला (2017) में संविधान पीठ के फैसले ने पुष्टि की कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक बुनियादी पहलू है, इसने निजता के तर्क को सुदृढ़ किया है।
- एक महिला से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि किसी को अपनी मर्जी के खिलाफ DNA टेस्ट कराने के लिये मजबूर करना उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।



जैव विविधता और पर्यावरण

विकसित होता भारत का कार्बन बाज़ार

चर्चा में क्यों ?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने में मदद के लिये कार्बन क्रेडिट बाज़ार स्थापित करने हेतु कदम उठा रहा है।

कार्बन बाजार:

- कार्बन क्रेडिटः
 - कार्बन क्रेडिट (इसे कार्बन ऑफ़सेट के रूप में भी जाना जाता है) वातावरण में ग्रीनहाउस उत्सर्जन में कमी लाने के सापेक्ष दिया जाने वाला एक क्रेडिट है, जिसका उपयोग सरकारों, उद्योग या व्यक्तियों द्वारा उत्सर्जन के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में किया जा सकता है।
 - इसके द्वारा आसानी से उत्सर्जन को कम नहीं कर पाने वाले उद्योग वित्तीय लागत वहन कर अपना संचालन कर सकते हैं।
 - कार्बन क्रेडिट "कैप-एंड-ट्रेड" मॉडल पर आधारित हैं जिसका उपयोग 1990 के दशक में सल्फर प्रदूषण को कम करने के लिये किया गया था।
 - एक कार्बन क्रेडिट, एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है या कुछ बाजारों में कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष गैसों (CO2-eq) के बराबर है।
 - नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान वार्ताकारों ने वैश्विक कार्बन क्रेडिट ऑफसेट ट्रेडिंग मार्केट बनाने पर सहमित व्यक्त की।
 - क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा ग्रीनहाउस गैस में कमी करने वाले देशों
 या विकसित देशों के ऑपरेटरों को क्रेडिट प्रदान करने के लिये
 तीन तंत्र दिये गए हैं:
 - संयुक्त कार्यान्वयन (JI) के तहत घरेलू ग्रीनहाउस कटौती की अपेक्षाकृत उच्च लागत वाला एक विकसित देश दूसरे विकसित देश में परियोजना स्थापित करेगा।
 - स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) के तहत विकसित देश विकासशील देश में ग्रीनहाउस गैस कटौती परियोजना को "प्रायोजित" कर सकता है, जहाँ ग्रीनहाउस गैस कटौती परियोजना गतिविधियों की लागत आमतौर पर बहुत कम होती है, लेकिन वायुमंडलीय प्रभाव विश्व स्तर पर बराबर प्रदर्शित होते हैं। विकसित देश को अपने उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये क्रेडिट दिया जाएगा, जबिक इससे विकासशील देश को पूंजी निवेश और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त होगा।

अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार (IET) के तहत देश,अपने आवंटित उत्सर्जन लक्ष्य को संतुलित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार मे व्यापार कर सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले देश क्योटो प्रोटोकॉल के अनुबंध बी के तहत अपने क्रेडिट को उन देशों को बेच सकते हैं जिन्होंने उत्सर्जन लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन किया है।

कार्बन बाजार:

- कार्बन बाजार से उत्सर्जन में कमी और निष्कासन को व्यापार योग्य संपत्तियों में बदला जाता है, इस प्रकार उत्सर्जन को कम करने या ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिये प्रोत्साहन मिलता है। कार्बन बाजार स्वैच्छिक (voluntary) हो सकते हैं।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत वर्ष 1997 में कार्बन व्यापार औपचारिक रूप से शुरू हुआ, जिसमें 150 से अधिक राष्ट्र हस्ताक्षरकर्ता थे।
- समझौते के तहत प्रतिबद्धता वाले पक्ष वर्ष 2008-2012 के बीच अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित या कम करने के लिये सहमत हुए जो कि वर्ष 1990 के स्तर से काफी नीचे थे।
- उत्सर्जन व्यापार जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल में निर्धारित है, यह देशों को उत्सर्जन इकाइयों की अतिरिक्त क्षमता को उन देशों को बेचने की अनुमित देता है जिनके पास अपने लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन करते हैं।।

कार्बन बाज़ार का महत्त्व:

- कार्बन बाजार उन संगठनों के लिये नए रास्ते खोलेगा जो कार्बन क्रेडिट के विकास, व्यापार और परामर्श कार्य में लगे हुए हैं, जबिक जीवाश्म-ईंधन उत्पादन क्षमता के विकास को रोक रहे हैं।
- कार्बन क्रेडिट भारत जैसे विकासशील देशों को देश के कार्बन लक्ष्यों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करेगा।
 - वर्ष 2021 में वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार में 164% की वृद्धि हुई और वर्ष 2030 तक इसके 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है।
- कार्बन क्रेडिट उन उद्योगों और अन्य क्षेत्रों को पुरस्कृत करने का एक तरीका प्रदान करता है जिन्होंने उत्सर्जन को कम करने एवं जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये तकनीकी नवाचारों को शामिल करते हुए विधियों को विकसित किया है।

- कार्बन बाजार डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में संचालितअभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लंबी अविध में शुद्ध शून्य प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ अल्पाविध में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करेगा।
- कार्बन बाजार उत्सर्जन को कम करने के सबसे प्रभावी चालकों में से एक है, जो सबसे कम लागत के साथ उत्सर्जन में कटौती की पेशकश करता है और भारत को 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान को रोकने में सक्षम बनाता है।

भारतीय उत्पर्जन लक्ष्यः

- भारत ने अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) को पेरिस समझौते के तहत अपने अद्यतन NDC को प्रस्तुत किया, जिसमें उसने इस तथ्य पर जोर दिया कि यह वर्ष 2070 में नेट जीरो के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में एक कदम आगे है।
- अद्यतन NDC के तहत भारत अपने सकल घरेलू उत्पादों की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 45% तक कम करने और वर्ष 2030 तक ऊर्जा के गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- देश सोलर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में अपनी सप्लाई चेन के विस्तार पर काम कर रहा है।

संबंधित भारतीय पहलः

- PLI योजनाः
 - मॉड्यूल में पॉलीसिलिकॉन सेल के निर्माण के लिये उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू करके आपूर्ति शृंखला का विविधीकरण।
- स्वच्छ विकास तंत्र:
 - भारत में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र ने अभिकर्त्ताओं के लिये प्राथमिक कार्बन बाजार प्रदान किया है।
 - द्वितीयक कार्बन बाजार प्रदर्शन-उपलिब्ध-व्यापार योजना (जो ऊर्जा दक्षता श्रेणी के अंतर्गत आता है) और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र द्वारा कवर किया गया है।
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022:
 - यह 100 किलोवाट (kW) से अधिक के कनेक्टेड लोड या 15 किलोवोल्ट-एम्पीयर (kVA) से अधिक की संविदात्मक मांग वाले उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों और भवनों के लिये ऊर्जा दक्षता के मानदंडों एवं मानकों को निर्दिष्ट करने हेतु केंद्र को अधिकृत करता है।

आगे की राह

- भारत राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन बााजार स्थापित करने की राह पर है,
 यह स्वैच्छिक कार्बन बााजार की शुरुआत के साथ अनुपालन-आधारित बाजार की ओर बढ़ रहा है।
- जलवायु परिवर्तन में कमी के प्रभाव अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता,
 परिवहन, अपशिष्ट, पुनर्रोपण और वनीकरण जैसे क्षेत्रों के अनुकूल होने चाहिये।
- उपयुक्त विनियमों और नीति द्वारा समर्थित कार्बन क्रेडिट बाजार
 आने वाले दशक के लिये उचित अवसरों के सृजन में मदद करेगा।

गैंडों के सींगों में संकुचन

चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, समय के साथ गैंडे के सींग का आकार संकुचित होता जा रहा है जिसके लिये शिकार को उत्तरदायी माना गया है।

- इस अध्ययन में पाँच शताब्दियों से अधिक समय तक की जानवर की कलाकृति और तस्वीरों का विश्लेषण कर एक दिलचस्प शोध दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया गया है।
- यह अध्ययन नीदरलैंड स्थित राइनो रिसर्च सेंटर (RRC) द्वारा निर्मित चित्रों के भंडार पर आधारित था।

निष्कर्षः

- गैंडे की पाँच प्रजातियाँ (अफ्रीका में सफेद और काले गैंडे, एशिया में एक सींग वाला गैंडा, जावन और सुमात्रन राइनो प्रजातियाँ) अभी भी आवास के नुकसान तथा शिकार के कारण संकटग्रस्त हैं।
- गंभीर रूप से संकटग्रस्त सुमात्रन राइनो में सींग की लंबाई में गिरावट की दर सबसे अधिक थी और अफ्रीका के सफेद गैंडे में सबसे कम थी, जो जंगली एवं पालतू दोनों मामले में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति है।
 - यह अवलोकन अन्य जानवरों में देखे गए पैटर्न का अनुसरण करता है, जैसे हाथियों में टस्क का आकार और जंगली भेड़ में सींग की लंबाई में शिकार के कारण कमी आई है।
- यूरोपीय साम्राज्यवाद (16वीं और 20वीं सदी के बीच) के दौरान गैंडों को आमतौर पर शिकार ट्रॉफियों के रूप में परिलक्षित किया जाता था, लेकिन उन्हें 20वीं सदी के मध्य से एक संरक्षण संदर्भ में तीव्रता से चिह्नित किया गया क्योंकि मनुष्य और गैंडों के बीच उपभोगवादी धारणा में सुधार होने से अब यह बेहतर हो गया है।

राइनो के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्यः

• विषय

 गैंडों की पाँच प्रजातियाँ हैं - अफ्रीका में सफेद और काले गैंडे, एशिया में एक-सींग वाले, जावन और सुमात्रन गैंडों की प्रजातियाँ।

• IUCN की रेड लिस्ट:

- ब्लैक राइनो: गंभीर रूप से लुप्तप्राय। अफ्रीकी राइनो की दो प्रजातियों में से एक जिसका आकार छोटा होता है।
- व्हाइट राइनो: हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
 (In vitro Fertilization) प्रक्रिया का उपयोग करके
 इस राइनो का एक भ्रृण बनाया है।
- जावा राइनो: यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically endangered) की श्रेणी में शामिल है।
- सुमात्रन राइनो: मलेशिया में अब यह विलुप्त हो गई हैं।
- एक सींग वाले गैंडे: सुभेद्य

भारतीय गैंडाः

विषय:

- भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है।
- इसे भारतीय गैंडा (राइनो) के रूप में भी जाना जाता है,
 यह राइनो प्रजातियों में सबसे बडा है।
- यह एकल काले सींग और त्वचा की विभिन्न परतों तथा
 भूरे रंग की खाल से पहचाना जाता है।
- वे मुख्य रूप से घास के साथ-साथ पित्तयों, झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं, फलों एवं जलीय पौधों से युक्त आहार चरते है।
- वे ज्यादातर चरते रहते हैं और घास के साथ-साथ पित्तयाँ, झाड़ियाँ और पेड़ की शाखाएँ, फल और जलीय वनस्पितयाँ खाते हैं।



• आवास:

 यह प्रजाति इंडो-नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम तक सीमित है।

- भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं।
- असम में चार संरक्षित क्षेत्रों (पोिबतोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान) में 2,640 गैंडे हैं।
 - इनमें से लगभग 2,400 गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व (Kaziranga National Park and Tiger Reserve) में हैं।

संरक्षण की स्थिति:

- ♦ IUCN की रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)।
- CITES: परिशिष्ट I (इसमें 'लुप्तप्राय' प्रजातियों को शामिल किया जाता है, जिनका व्यापार किये जाने के कारण उन्हें और अधिक खतरा हो सकता है।)
- 🔶 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

खतराः

- सींगों के लिये अवैध शिकार
- पर्यावास की हानि
- जनसंख्या घनत्व
- घटती जेनेटिक विविधता

भारत द्वारा संरक्षण के प्रयासः

- राइनो रेंज के पाँच देशों (भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया) ने इन प्रजातियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये न्यू डेल्ही डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज (The New Delhi Declaration on Asian Rhinos), 2019 पर हस्ताक्षर किये हैं।
- हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने देश में सभी गैंडों के लिये डीएनए प्रोफाइल बनाने हेतु एक परियोजना शुरू की है।
- राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति: इसे वर्ष 2019 में एक-सींग वाले
 गैंडों के संरक्षण के लिये लॉन्च किया गया था।
- इंडियन राइनो विज्ञन 2020: इसे वर्ष 2005 में शुरू िकया गया। भारतीय राइनो विज्ञन 2020 के तहत वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम में स्थित सात संरक्षित क्षेत्रों में फैले एक सींग वाले गैंडों की आबादी को बढ़ाकर कम-से-कम 3,000 से अधिक करने का एक महत्त्वाकांक्षी प्रयास था।

इंद्रधनुष और जलवायु परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक शोध में पाया गया है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के कारण क्लाउड कवर और वर्षा में परिवर्तन से औसत वैश्विक वार्षिक इंद्रधनुष दिनों में वृद्धि होने का अनुमान है।

 वर्ष 2100 तक विश्व स्तर पर इंद्रधनुष के औसत दिनों में 4.0-4.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

अध्ययन से इंद्रधनुष के बारे में निष्कर्षः


- कम इंद्रधनुष वाले क्षेत्रः
 - लगभग 21-34% भूमि क्षेत्र इंद्रधनुष के दिनों को खो देंगे।
 - मध्य अफ्रीका, मेडागास्कर और मध्य दक्षिण अमेरिका को छोड़कर जिन क्षेत्रों में इंद्रधनुष के दिनों में कमी आएगी, उनमें वर्ष 2100 तक कुल वर्षा में कमी का अनुमान है।
 - सभी में अधिक वार्षिक शुष्क दिन और कम कुल वार्षिक क्लाउड कवर होने का अनुमान है।
- उच्च इंद्रधनुष वाले क्षेत्र:
 - उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्र (लगभग 66-79%) इंद्रधनुष के दिनों को प्राप्त करेंगे।
 - भारत उन देशों में से एक है जहाँ इंद्रधनुष के दिनों की संख्या बढेगी।
 - माली, नाइजर, चाड, सूडान और इथियोपिया जैसे अफ्रीकी देशों
 में भी अधिक इंद्रधनुष बनने की संभावना है।
 - रेनबो गेन हॉटस्पॉट ज्यादातर उच्च अक्षांशों पर या बहुत अधिक ऊँचाई पर स्थित होते हैं, जैसे तिब्बती पठार, जहाँ कम बर्फ और अधिक बारिश होने की संभावना होती है।
 - पूर्वी बोर्नियो और उत्तरी जापान जैसे दो इंद्रधनुष हॉटस्पॉट में कुल वर्षा में वृद्धि होगी लेकिन प्रति वर्ष अधिक शुष्क दिन होंगे।

इंद्रधनुष और जलवायु परिवर्तन में परस्पर संबंध:

• विषय:


- इंद्रधनुष एक सामान्य वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना है। बरसात के मौसम में जब पानी की बूँदे सूर्य के प्रकाश पर पड़ती है तब सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बनता है।
 - जब सूरज की रोशनी बारिश की बूँदों से टकराती है, तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रोमैंग्नेटिक स्पेक्ट्रम कई अलग-अलग वेवलेंथ के साथ प्रकाश से बना होता है और प्रत्येक वेवलेंथ एक अलग कोण पर परावर्तित होता है। इस प्रकार स्पेक्ट्रम अलग हो जाता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है।

- इंद्रधनुष को कोहरे, समुद्री फुहारें या झरनों के आसपास भी देखा जा सकता है।
- यह एक दृष्टि संबंधी/ऑप्टिकल भ्रम है, यह वास्तव में आकाश में किसी विशिष्ट स्थान पर मौजूद नहीं होता है।
- 🔷 इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन का परिणाम है।
 - अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही ऐसी घटनाएँ हैं जिनमें तरंग की दिशा में परिवर्तन शामिल होता है।
 - अपवर्तित तरंग "झुकी हुई" दिखाई दे सकती है, जबिक परावर्तित तरंग किसी सतह या अन्य तरंगाग्र से "वापस आती हुई" प्रतीत हो सकती है।
- प्राथमिक इंद्रधनुष पर रंग हमेशा उनकी तरंग दैर्ध्य के क्रम में होते हैं, दीर्घ से सबसे लघु तक: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी।



जलवायु पिरवर्तन के साथ संबंधः

- जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियाँ वातावरण को गर्म कर रही हैं, जिससे स्वरूप और वर्षा एवं बादलों की मात्रा में परिवर्तन होता है।
- जलवायु परिवर्तन वाष्पीकरण और नमी के अभिसरण को प्रभावित करके इंद्रधनुषी घटना के वितरण को बदल देगा।
 - यह वर्षा और बादल अच्छादन के स्वरूप को बदल देता है।



अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

बायोस्फीयर रिज़र्वः

- परिचय:
 - बायोस्फीयर रिजर्व (BR), यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिये दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय/समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के बडे क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है।
 - बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को भी संतुलित करने का प्रयास करता है।

- बायोस्फीयर रिजर्व को राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा नामित किया जाता है और वे उन राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं जहाँ वे स्थित हैं।
- इन्हें 'MAB अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद' (MAB ICC)
 के निर्णयों के बाद यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा अंतर-सरकारी
 MAB कार्यक्रम के तहत नामित किया जाता है।
 - मैन एंड बायोस्फीयर रिज़र्व प्रोग्राम (MAB) एक अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिये वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।
- 🔶 इनको स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
- 🕨 तीन मुख्य क्षेत्र :
 - कोर क्षेत्र (Core Areas): इसमें एक जटिल या सुभेद्य संरक्षित क्षेत्र शामिल है जो परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक भिन्नता के संरक्षण में योगदान देता है।

- बफर क्षेत्र (Buffer Zone): यह मुख्य क्षेत्र को चारों तरफ से संरक्षित करता है या जोड़ता है तथा इसका उपयोग ध्विन पारिस्थितिक गितिविधियों को संतुलित करने हेतु किया जाता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं।
- संक्रमण क्षेत्र (Transition Area): संक्रमण क्षेत्र वह स्थान है जहाँ समुदाय सामाजिक- सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ आर्थिक एवं मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

भारत/विश्व में बायोस्फीयर रिज़र्व की स्थिति:

• भारत में:

- भारत में वर्तमान में 60,000 वर्ग किमी में फैले 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं।
- भारत में पहला बायोस्फीयर रिज़र्व तिमलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैले नीलिगीरि के नीले पहाड़ थे।
- सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ (गुजरात) की खाड़ी है
 और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा (असम) है।
- अन्य बड़े बायोस्फीयर रिज़र्व मन्नार की खाड़ी (तिमलनाडु), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) और शीत रेगिस्तान (हिमाचल प्रदेश) हैं।



वैश्विक स्तर परः

परिचयः

यूनेस्को के अनुसार, 22 ट्रांसबाउंड्री साइटों सिहत 134
 देशों में 738 बायोस्फीयर रिजर्व हैं।

क्षेत्र के आधार पर:


- सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हैं, इसके बाद एशिया और प्रशांत, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन, अफ्रीका एवं अरब देशों का नाम आता है।
- दक्षिण एशिया मे, 30 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किये गए हैं। पहला श्रीलंका में हुरुलु बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसमें 25,500 हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन शामिल था।
- बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में अब तक कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है।

देशों के आधार पर :

 ऐसी साइटों की सबसे अधिक संख्या स्पेन, रूस और मैक्सिको में है।

विश्व का प्रथम 'पाँच देशों का बायोस्फीयर रिजर्व':

- यह बायोस्फीयर रिजर्व मुरा, द्रवा और डेन्यूब निदयों के
 700 किलोमीटर के क्षेत्र और ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया,
 क्रोएशिया, हंगरी तथा सर्बिया में फैला हुआ है, जिसे
 यूनेस्को द्वारा सितंबर 2021 में घोषित किया गया ।
- इस रिजर्व का कुल क्षेत्रफल एक मिलियन हेक्टेयर है जिसे
 'यूरोप का अमेजन' (Amazon of Europe)
 कहा जाता है तथा यह अब यूरोप में सबसे बड़ा नदी
 संरक्षित क्षेत्र है।



आगे की राह

 संक्रमण क्षेत्रों में वन संसाधनों पर निर्भर आदिवासियों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिये।

- मुन्नार घोषणा पत्र जो बताता है कि बायोस्फीयर रिजर्व को रेगिस्तान और गंगा के मैदानी जैव-भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर रखा जा सकता है, को भी लागू किया जाना चाहिये।।
- चूँिक बायोस्फीयर रिजर्व अवधारणा का उद्देश्य सतत् विकास था, इसलिये शब्द आरक्षित को एक उपयुक्त शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।
- सरकार को विभिन्न बायोस्फीयर रिजर्व जैसे नीलिगिरि बायोस्फीयर रिजर्व पर आक्रमण करने वाली विदेशी प्रजातियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिये।

अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, 2022

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, अनुकूलन योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन की दिशा में किये जा रहे वैश्विक प्रयास दुनिया भर में कमजोर समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बढ़ते जोखिमों के अनुकूलन हेतु सक्षम करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

 इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों की ओर से अनुकूलन योजनाओं पर कुछ प्रगति की गई है लेकिन यह वित्त द्वारा समर्थित नहीं है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 197 सदस्यों में से केवल एक- तिहाई ने अनुकूलन से संबंधित मात्रात्मक और समयबद्ध लक्ष्यों को अपनाया है और इनमें से 90% ने लैंगिक आधार के साथ वंचित समूहों को भी शामिल किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह आवश्यकता से 5 से 10 गुना तक कम है और यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2020 में अनुकूलन हेतु वित्त, वर्ष 2019 की तुलना में 4% की वृद्धि के साथ बढ़कर 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
 - ऐसा तब है जब विकासशील देशों की अनुमानित वार्षिक अनुकूलन आवश्यकताएँ वर्ष 2030 तक बढ़कर 160 से 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक 315 से 565 बिलियन अमेरिकी डॉलर होना अनुमानित हैं।

रिपोर्ट में सुझाए गए उपाय:

- प्रकृति-आधारित दृष्टिकोण: रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन के संदर्भ में शमन व अनुकृलन कार्यों को जोड़ने से सह-लाभ प्राप्त होंगे।
- इसका एक उदाहरण प्रकृति आधारित समाधान हो सकता है।

- जलवायु अनुकूलनः देशों को COP27 से शुरू होने वाले अनुकूलन निवेश और परिणामों को बढ़ाने के लिये मजबूत कार्रवाई के साथ ग्लासगो जलवायु संधि का समर्थन करने की आवश्यकता है।
- अन्य रणनीतियाँ: अनुकूलन अंतर का समाधान चार महत्त्वपूर्ण तरीकों से किया जाना चाहिये:
 - अनुकूलन के लिये वित्तपोषण बढ़ानाः विकसित देशों को अनुकूलन हेतु ग्लासगो में COP 26 में निर्धारित वित्त को दोगुना करने (40 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के अपने वादे के लिये एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता है।
 - नया व्यवसाय मॉडल अपनानाः अनुकूलन प्राथिमकताओं को निवेश योग्य पिरयोजनाओं में रूपांतिरत करने हेतु विश्व को तत्काल एक नए व्यवसाय मॉडल की आवश्यकता है क्योंकि सरकार जो प्रस्ताव करती है और जिसे फाइनेंसर निवेश योग्य मानते हैं, उनके बीच तालमेल नहीं रहता है।
 - डेटा कार्यान्वयन की आवश्यकताः कई विकासशील देशों में अनुकूलन योजना के लिये जलवायु जोखिम डेटा और सूचना की उपलब्धता एक मुद्दा बना रहता है।
 - संशोधित चेतावनी प्रणाली: चरम मौसमी घटनाओं और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि जैसे परिवर्तनों के संदर्भ में पूर्व चेतावनी प्रणालियों का कार्यान्वयन एवं संचालन सुनिश्चित करना।

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहलें:

- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC):
 - जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों हेतु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिये वर्ष 2015 में इस कोष की स्थापना की गई थी।
- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF):
 - उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के माध्यम से वित्तपोषित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये इस कोष का निर्माण किया गया था।
 - यह वित्त सिचव (अध्यक्ष के रूप में) के साथ एक अंतर-मंत्रालयी समूह (Inter-Ministerial Group) द्वारा शासित किया जाएगा।
 - इसका प्रमुख उद्देश्य जीवाश्म और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के लिये कोष प्रदान करना है।

राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAF):

- इस कोष की स्थापना वर्ष 2014 में 100 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ की गई थी, इसका उद्देश्य आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच के अंतराल की पूर्ति करना था।
- यह कोष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत संचालित है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP):

- 05 जून, 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
- कार्य: इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है।
- प्रमुख रिपोर्ट्स: उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक,
 फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट।
- प्रमुख अभियान: 'बीट पॉल्यूशन', 'UN75', विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ।
- मुख्यालयः नैरोबी (केन्या)।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC):

- वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन' पर हस्ताक्षर किये गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit), रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
 - भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने जलवायु परिवर्तन (UNFCCC), जैविविविधता (जैविक विविधता पर सम्मेलन) और भूमि (संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन) पर तीनों रियो सम्मेलनों की मेजबानी की है।
- UNFCCC 21 मार्च, 1994 से लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।
- यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि (Parent Treaty) है। UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) की मूल संधि भी है।
- UNFCCC सचिवालय (यूएन क्लाइमेट चेंज) संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। यह बॉन (जर्मनी) में स्थित है।
- वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना जिससे एक समय-सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके ताकि पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

खतरे में विश्व धरोहर हिमनद : यूनेस्को

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि तापमान वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों के बावजूद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एकतिहाई ग्लेशियर/हिमनद खतरे में हैं।

 हिमनद जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील संकेतक होते हैं।
 क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान, तलछट एवं जल से निर्मित क्षेत्र, जहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी होती है, को हिमनद कहते हैं।
 अत्यधिक भार व गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हिमनद ढलान की ओर प्रवाहित होते हैं।

प्रमुख बिंदु

- ग्लेशियरों / हिमनदों हेतु खतराः
 - यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 50 ग्लेशियरों को शामिल किया गया हैं, जो पृथ्वी के कुल ग्लेशियर क्षेत्र के लगभग 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - इनमें सबसे ऊँचा (माउंट एवरेस्ट का क्षेत्र), सबसे लंबा अलास्का में तथा अफ्रीका के शेष ग्लेशियर शामिल हैं।
 - ये ग्लेशियर वर्ष 2000 से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की वजह से बढ़ते तापमान के कारण तेजी से पिघल रहे हैं।
 - उनसे वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 58 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है (फ्राँस और स्पेन के संयुक्त वार्षिक जल उपयोग के बराबर) और वैश्विक समुद्र-स्तर में लगभग 5% की वृद्धि के लिये जिम्मेदार है।
 - अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका
 और ओशिनिया के ग्लेशियर खतरे में हैं।
 - अफ्रीका: अफ्रीका में सभी विश्व धरोहर स्थल वर्ष 2050 तक संकट के दायरे में आ जाएंगे, जिसमें किलिमंजारो नेशनल पार्क और माउंट केन्या शामिल हैं।
 - एशिया: युन्नान संरक्षित क्षेत्रों (चीन) की तीन समानांतर निदयों में ग्लेशियर, सबसे तेजी से पिघलने वाले ग्लेशियरों में शामिल हैं।
 - यूरोप: पाइरेनीस मोंट पेर्डु (फ्राँस, स्पेन) में वर्ष 2050 तक ग्लेशियर के गायब होने की काफी अधिक संभावना है।

ग्लेशियरों का महत्वः

आधी जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर घरेलू उपयोग, कृषि
 और बिजली के लिये जल स्रोत के रूप में ग्लेशियरों पर निर्भर
 है।

- ग्लेशियर जैविविधता का आधार होने के साथ कई पारिस्थितिक तंत्रों की खाद्य शृंखला का आधार हैं।
- जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, तो लाखों लोगों को जल की कमी का सामना करना पड़ता है और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है तथा समुद्र के स्तर में वृद्धि से लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं।

• सुझावः

- यदि पूर्व-औद्योगिक युग की तुलना में वैश्विक तापमान में वृद्धि
 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो तब अन्य दो-तिहाई
 ग्लेशियरों को बचाना अब भी संभव है।
- कार्बन उत्सर्जन में कमी किये जाँव के साथ ग्लेशियरों की निगरानी और संरक्षण के लिये एक नया अंतर्राष्ट्रीय कोष बनाने की जरूरत है।
 - इस तरह के कोष की स्थापना से अनुसंधान, सभी हितधारकों के बीच विनिमय नेटवर्क को बढ़ावा मिलने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आपदा जोखिम को कम करने हेतु उपायों को लागू करने में सहायता मिलेगी।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के साथ प्रकृति-आधारित समाधानों में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है जिससे न केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों में इसके प्रभावों के प्रति अनुकूलन की क्षमता बढ़ सकती है।

यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल:

• परिचयः

- विश्व धरोहर/विरासत स्थल का आशय एक ऐसे स्थान से है,
 जिसे यूनेस्को द्वारा उसके विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्त्व के कारण सूचीबद्ध किया गया है।
- विश्व धरोहर स्थलों की सूची को 'विश्व धरोहर कार्यक्रम' द्वारा तैयार किया जाता है, यूनेस्को की 'विश्व धरोहर सिमिति' द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है।
- यह सूची यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई 'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है।

स्थल:

- इसके 167 सदस्य देशों में लगभग 1,100 यूनेस्को सूचीबद्ध स्थल हैं।
- वर्ष 2021 में, यूनाइटेड किंगडम के 'लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी' को "संपत्ति के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को व्यक्त करने वाली विशेषताओं के भारी नुकसान" के कारण विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया था।

वर्ष 2007 में यूनेस्को पैनल ने ओमान के अरबियन ऑरिक्स अभयारण्य को अवैध शिकार और निवास स्थान में कमी संबंधी चिंताओं के कारण एवं वर्ष 2009 में जर्मनी के ड्रेसडेन में एल्बे घाटी में एल्बे नदी पर वाल्डश्लोएशन रोड ब्रिज के निर्माण के बाद सूची से हटा दिया।

भारत में सांस्कृतिक स्थल:

- भारत में कुल 3691 स्मारक और स्थल हैं। इनमें से 40 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित हैं।
- इसमें ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएँ शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थलों में असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक स्थल भी शामिल हैं।
- गुजरात में हड़प्पा शहर धोलावीरा, भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में है।
- रामप्पा मंदिर (तेलंगाना) भारत का 39वाँ विश्व धरोहर स्थल था।
- कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम को भारत का पहला और एकमात्र "मिश्रित विश्व विरासत स्थल" के रूप में चिह्नित किया गया है।
- वर्ष 2022 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2022-2023 के लिये विश्व विरासत स्थल के रूप में विचार करने के लिये होयसल मंदिरों के पवित्र समागम को नामित किया।

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम को शुरू करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिससे कंपनियों के लिये शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट तथा अवशेषों से बायोगैस, बायोसीएनजी व बिजली का उत्पादन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम:

• परिचय:

- यह कार्यक्रम अम्ब्रेला योजना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम का हिस्सा है।
- सरकार परियोजना विकसित करने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और निरीक्षण कंपनियों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों को चालू करने के लिये सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

कार्यान्वयन एजेंसियाँ:

 भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) इस कार्यक्रम के लिये कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ■ IREDA को आवेदनों को संसाधित करने के लिये केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के 1% के सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा, इसके अलावा CFA के लिये 1% (न्यूनतम ₹50,000) का भुगतान संयंत्रों के कार्य शुरू होने के बाद और प्रदर्शन की निगरानी के लिये किया जाएगा।

• वित्तीय सहायताः

- केंद्र नए बायोगैस संयंत्रों के लिये 75 लाख रुपए प्रित मेगावाट और मौजूदा इकाइयों के लिये 50 लाख रुपए प्रित मेगावाट की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- यदि अपशिष्ट से ऊर्जा (वेस्ट-टू-एनर्जी) संयंत्र विशेष श्रेणी के राज्यों, जैसे उत्तर पूर्व, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, उत्तराखंड तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किये जाते हैं, तो मानक CFA पैटर्न की तुलना में सामान्य CFA से 20% अधिक होगा।

राष्टीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमः

• परिचयः

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने राष्ट्रीय
 जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसुचित किया है।

• उप-योजनाएँ:

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम।

बायोमास कार्यक्रमः

 विद्युत उत्पादन और गैर-खोई आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग के लिये पेलेट्स एवं ब्रिकेट्स की स्थापना में सहायता प्रदान हेतु बायोमास कार्यक्रम।


बायोगैस कार्यकमः

 ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्र की स्थापना में सहायता करना।

बायोगैस और बायोसीएनजी:

• बायोगैस

- इसमें मुख्य रूप से हाइड्रो-कार्बन शामिल होता है, जो दहनशील होने के साथ ही जलने पर गर्मी एवं ऊर्जा पैदा कर सकता है।
- बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायो-गैस में परिवर्तित करते हैं।
- चूँिक उपयोगी गैस एक जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, इसिलये इसे 'बायोगैस' कहा गया है।
- मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है।



बायोसीएनजी

- बायोसीएनजी, ऊर्जा का गैर-नवीकरणीय स्रोत संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के विपरीत बायोगैस को शुद्ध करके प्राप्त किया जाने वाला नवीकरणीय ईंधन है। बायोगैस का उत्पादन तब होता है जब सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ जैसे-भोजन, फसल अवशेष, अपिशष्ट जल आदि को अपघटित करते हैं।
- यह अपनी संरचना और गुणों के मामले में प्राकृतिक गैस के समान है तथा पेट्रोल एवं डीजल जैसे ईंधन के लिये एक हरित विकल्प है।

बायोगैस का महत्त्वः

प्रदूषण मुक्त शहरः

- बायोगैस समाधान हमारे शहरों को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद कर सकता है।
 - लैंडिफिल से जहरीले पदार्थों का रिसाव भूजल को दूषित करता है।
 - कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण पर्यावरण में भारी मात्रा में मीथेन निष्कासित होती है, जिससे वायु प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि मीथेन एक बहुत ही शक्तिशाली GHG है।

जैविक कचरे का प्रबंधन:

- बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल बायोगैस सिस्टम (Municipal Biogas System) स्थापित कर शहरों में जैविक कचरे का कुशलतापूर्वक निपटान करने में मदद मिल सकती है ताकि कचरे के अत्यधिक बोझ से उत्पन्न पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके।
- शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हुए जैव उर्वरकों के साथ स्वच्छ एवं हरित ईंधन का निर्माण करने हेतु नगर निगम के कचरे के लिये इन संयंत्रों का उपयोग किया जा सकता है।

महिलाओं के लिये मददगार:

- बायोगैस का उपयोग करना महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित हो सकता है क्योंिक वे हानिकारक धुएँ और प्रदूषण के संपर्क में आने से बच जाएंगी।
 - घरों के अंदर जीवाश्म ईंधन और बायोमास के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण हर साल वैश्विक स्तर पर चार मिलियन से अधिक लोग मारे जाते हैं।
 - घर के अंदर होने वाले प्रदूषण के कारण महिला सदस्य अत्यधिक प्रभावित होती हैं क्योंिक उन्हें अधिक समय तक घर में रहकर कार्य करना होता है।

• ऊर्जा निर्भरता का विकल्प:

- बायोगैस का प्रयोग ग्रामीण और कृषि समुदाय जो कि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिये मुख्य रूप से लकड़ी, गोबर, लकड़ी का कोयला, कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन के दहन पर निर्भर हैं, की ऊर्जा निर्भरता को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
 - गैर-नवीकरणीय स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता देश में लंबे समय से चली आ रही ऊर्जा समस्याओं का प्रमुख कारण है।

बायोगैस को बढ़ावा देने और अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सरकार की पहल:

बायोगैसः

- ♦ SATAT योजना
- भारत सरकार और नीति आयोग ने हरित ईंधन के उपयोग में तेज़ी लाने एवं LNG, हाइड्रोजन तथा मेथनॉल को बढ़ावा देने के लिये रोडमैप तैयार किया है।

अपिशष्ट प्रबंधनः

- एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड
- 'प्रोजेक्ट रिप्लान'
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

IREDA:

- यह भारत सरकार के 'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनीरत्न कंपनी है।
- इसे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र हेतु वर्ष 1987 में 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था' के तौर पर गठित किया गया था।
- इसका कार्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा विकास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, 2022 जारी की।

 पूर्ण और अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2023 में प्रकाशित होने की उम्मीद है।

WMO स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट:

- यह रिपोर्ट वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है, जो छठी IPCC आकलन रिपोर्ट द्वारा प्रदान किये गए हाल के मूल्यांकन चक्र का पूरक है।
- रिपोर्ट प्रमुख जलवायु संकेतकों और चरम घटनाओं एवं उनके प्रभावों पर रिपोर्टिंग का उपयोग करके जलवायु की वर्तमान स्थिति पर एक आधिकारिक सहयोग प्रदान करती है।

प्रमुख बिंदु

- ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धिः
 - तीन मुख्य ग्रीनहाउस गैसों- कार्बन डाइऑक्साइड (CO2),
 मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड (NO2) की सांद्रता
 वर्ष 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर थी।
 - मीथेन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थित उत्पन्न करने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक शक्तिशाली है, के उत्सर्जन में सबसे तेज गित से वृद्धि हुई है।
 - ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में देशों ने वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में कम-से-कम 30% की कटौती करने का संकल्प लिया था।

• तापमानः

- वर्ष 2022 में वैश्विक औसत तापमान वर्ष 1850-1900 औसत से लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है।
- वर्ष 2015 से 2022 तक आठ सबसे गर्म वर्ष रहने का अनुमान है।
- ला नीना (भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के जल का ठंडा होना) की स्थिति वर्ष 2020 के अंत से प्रभावी है और वर्ष 2022 के अंत तक जारी रहने की उम्मीद है।
 - ला नीना ने पिछले दो वर्षों से निरंतर वैश्विक तापमान को अपेक्षाकृत कम किया है, फिर भी वर्ष 2011 में पिछले महत्त्वपूर्ण ला नीना की तुलना में यह अधिक है।

ग्लेशियर और बर्फ:

🔷 वर्ष 2022 में यूरोपीय आल्प्स में ग्लेशियर पिघलने का रिकॉर्ड

टूट गया। पूरे आल्प्स में 3 और 4 मीटर से अधिक की औसत मोटाई के ग्लेशियर के नुकसान के साथ वर्ष 2003 के पिछले रिकॉर्ड की तुलना में यह काफी अधिक मापा गया है।

- प्रारंभिक माप के अनुसार, स्विट्जरलैंड में वर्ष 2021 और 2022 के बीच ग्लेशियर की बर्फ 6% पिघल गई।
- इतिहास में पहली बार उच्चतम माप स्थलों पर भी गर्मी के मौसम में बर्फ नहीं गिरी और इस प्रकार नवीन बर्फ का संचय नहीं हुआ।

• समुद्र स्तर में वृद्धिः

- उपग्रह altimeter रिकॉर्ड के 30 वर्षों (1993-2022) के दौरान वैश्विक औसत समुद्र स्तर में अनुमानित 3.4 ± 0.3 मिमी प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 1993-2002 और 2013-2022 के बीच यह दर दोगुनी हो गई है तथा जनवरी 2021 एवं अगस्त 2022 के बीच समुद्र के स्तर में लगभग 5 मिमी. की वृद्धि हुई है।

• महासागरीय ऊष्माः

- मानव द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप संचित ऊष्मा का लगभग 90% समुद्र में जमा हो जाता है।
- ऐसा पाया गया कि वर्ष 2021 में समुद्र के ऊपरी सतह से लेकर 2000 मीटर तक अभूतपूर्व स्तर तक गर्म हुआ।
- कुल मिलाकर, समुद्री सतह के 55% हिस्से ने वर्ष 2022 में कम -से-कम एक समुद्री हीटवेव का अनुभव किया।
- जबिक समुद्र की सतह के केवल 22% हिस्से में ही समुद्री ठंड का अनुभव हुआ। शीत लहरों की तुलना में समुद्री हीटवेव लगातार अधिक होती जा रही है।

खराब मौसमः

- विगत 40 वर्षों की तुलना में पूर्वी अफ्रीका में लगातार चार वर्षों से बारिश औसत से कम रही है जो इस बात का संकेत हो सकती है कि वर्तमान मौसम भी शुष्क हो सकता है।
- जुलाई और अगस्त, 2022 में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बन गई।
 - भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में मार्च और अप्रैल में हीटवेव के बाद बाढ़ आई थी।
- उत्तरी गोलार्द्ध के बड़े हिस्से असाधारण रूप से गर्म और शुष्क रहे थे।
 - राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किये जाने के बाद से चीन में सबसे व्यापक और दीर्घकालिक हीटवेव को दर्ज किया गया और रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ दूसरी सबसे शुष्क गर्मी थी।
- यूरोप के बड़े हिस्से को बार-बार भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

 यूनाइटेड किंगडम ने 19 जुलाई, 2022 को रिकॉर्ड गर्मी का अनुभव किया जब वहाँ का तापमान पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये उठाए गए कदम:

• राष्ट्रीय

• NAPCCC:

- जलवायु परिवर्तन से उभरते खतरों का सामना करने के लिये भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) जारी की। इसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन आदि सहित 8 उप मिशन हैं।
- इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान: यह शीतलक मांग में कमी लाने सिंहत शीतलक और संबंधित क्षेत्रों के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। इससे उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में मदद मिलेगी।

• वैश्विकः

पेरिस समझौताः

 इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, जबिक इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिये आवश्यक कदम उठाना है।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यः

 सतत् विकास को प्राप्त करने के लिये इसके अंतर्गत 17
 व्यापक लक्ष्य शामिल हैं। इनमें से लक्ष्य संख्या 13, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के समाधान पर केंद्रित है।

ग्लासगो संधिः

- इसे अंतत: COP26 वार्ता के दौरान वर्ष 2021 में 197 सदस्यों द्वारा अपनाया गया था।
- इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि 1.5 डिग्री के लक्ष्य को हासिल करने के लिये मौजूदा दशक में इस दिशा में मजबूत निर्णायक कार्रवाई करना आवश्यक है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO):

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है।
 - भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश है।
- इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) से हुई
 है, जिसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कॉन्ग्रेस के बाद स्थापित किया गया था।
- 23 मार्च, 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO, मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), जल विज्ञान तथा इससे संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई है।
- WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

आगे की राह

- ऐसी महत्त्वपूर्ण नीतियों और उपायों से संबंधित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो संसाधनों के उत्पादन और उपभोग के तरीके को तीव्रता से बदल सकते हैं।
- लोगों के साथ साझेदारियों वाले दृष्टिकोण को प्रमुखता देना चाहिये जिससे न केवल नौकरियाँ सृजित होने के साथ संसाधनों तक सुलभ पहुँच होगी बल्कि स्वच्छ और हरित वातावरण का भी विकास होगा।

ग्रीनवॉशिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने निजी निगमों को ग्रीनवॉशिंग की प्रथा को बंद करने और एक साल के भीतर अपने तरीकों में सुधार करने की चेतावनी दी है।

महासचिव ने पूरी तरह से इससे संबंधित अभ्यास की निगरानी हेतु
 एक विशेषज्ञ समृह गठित करने का भी निर्देश दिया है।

ग्रीनवॉशिंग:

- परिचयः
 - ग्रीनवॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1986 में एक अमेरिकी पर्यावरणविद् और शोधकर्त्ता जे वेस्टरवेल्ड द्वारा किया गया था।
 - ग्रीनवॉशिंग कंपिनयों और सरकारों की गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला को पर्यावरण के अनुकूल के रूप में चित्रित करने का एक अभ्यास है, जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन से बचा या इसे कम किया जा सकता है।
 - इनमें से कई दावे असत्यापित, भ्रामक या संदिग्ध होते हैं।
 - हालाँकि यह संस्था की छिव को बेहतर करने में मदद करता है, लेकिन वे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में किसी प्रकार का विशेष सहयोग नहीं करता है।
 - शेल और BP जैसे तेल दिग्गजों तथा कोका कोला सिंहत कई बहुराष्ट्रीय निगमों को ग्रीनवॉशिंग के आरोपों का सामना करना पडा है।
 - पर्यावरणीय गतिविधियों की एक पूरी शृंखला में ग्रीनवॉशिंग सामान्य बात है।
 - अक्सर विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में वित्तीय प्रवाह के जलवायु सह-लाभों का सहारा लिया जाता है, जो कि कभी-कभी बहुत कम तर्कसंगत होते है, इन विकसित देशों के इस प्रकार के व्यवसाय निवेशों पर ग्रीनवॉशिंग का आरोप लगता रहता है।

ग्रीनवॉशिंग का प्रभाव:

ग्रीनवॉशिंग जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में प्रगति और विकास के गलत ऑंकड़े पेश करता है जो विश्व को आपदा की ओर अग्रसर करते हैं। इसी के साथ यह गैर-जिम्मेदार व्यवहार के लिये विभिन्न संस्थाओं को पुरस्कृत भी करता है।

• विनियमन में चुनौतियाँ:

- उत्सर्जन में संभावित कटौती करने वाली प्रक्रियाओं और उत्पादों की संख्या इतनी अधिक है कि उन सभी की निगरानी एवं सत्यापन करना व्यावहारिक रूप से असंभव है।
- मापने, रिपोर्ट करने, मानक स्थापित करने, दावों को सत्यापित करने और प्रमाणन प्रदान करने के लिये अभी भी प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों एवं संस्थानों की स्थापना की जा रही है।
- बड़ी संख्या में संगठन इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता का दावा कर रहे हैं और शुल्क के आधार पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इनमें से कई संगठनों में सत्यिनिष्ठा और सशक्तता का अभाव है, लेकिन विभिन्न निगमों द्वारा अभी भी उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जाता है ताकि इससे वे स्वयं को अच्छा प्रदर्शित कर सकें।
- ग्रीनवॉशिंग कार्बन क्रेडिट को कैसे प्रभावित करता है?

कार्बन क्रेडिट :

- कार्बन क्रेडिट (इसे कार्बन ऑफ़सेट के रूप में भी जाना जाता है)
 वातावरण में ग्रीनहाउस उत्सर्जन में कमी लाने के सापेक्ष दिया जाने
 वाला एक क्रेडिट है, जिसका उपयोग सरकारों, उद्योग या व्यक्तियों
 द्वारा उत्सर्जन के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में किया जा सकता है।
- इसके द्वारा आसानी से उत्सर्जन को कम नहीं कर पाने वाले उद्योग वित्तीय लागत वहन कर अपना संचालन कर सकते हैं।
- कार्बन क्रेडिट "कैप-एंड-ट्रेड" मॉडल पर आधारित हैं जिसका उपयोग 1990 के दशक में सल्फर प्रदूषण को कम करने के लिये किया गया था।
- एक कार्बन क्रेडिट, एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है या कुछ बाजारों में कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष गैसों (CO2-eq) के बराबर है।

कार्बन क्रेडिट पर ग्रीनवॉशिंग का प्रभावः

- अनौपचारिक बाजारः
 - अब सभी प्रकार की गतिविधियों जैसे कि पेड़ लगाने, एक निश्चित प्रकार की फसल उगाने,कार्यालय भवनों में ऊर्जा कुशल उपकरण स्थापित करने के लिये क्रेडिट उपलब्ध हैं।
 - ऐसी गतिविधियों के लिये क्रेडिट अक्सर अनौपचारिक तृतीय-पक्ष की कंपनियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है और दूसरों को बेचा जाता है।

 इस तरह के लेन-देन को ईमानदारी की कमी के रूप में चिह्नित किया गया है

साखः

- भारत या ब्राज्ञील जैसे देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भारी कार्बन क्रेडिट जमा किया था और वे चाहते थे कि इन्हें पेरिस समझौते के तहत स्थापित किये जा रहे नए बाजार में स्थानांतरित किया जाए।
- लेकिन कई विकसित देशों ने इसका विरोध किया, क्रेडिट की अखंडता पर सवाल उठाया और दावा किया कि वे उत्सर्जन में कमी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
- जंगलों से कार्बन ऑफसेट सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है।

आगे की राह

- शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का अनुकरण करने वाले निगमों को जीवाश्म ईंधन में नए निवेश करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिये।
- उन्हें शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर अल्पकालिक उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिये भी कहा जाना चाहिये।
- निगमों को नेट-शून्य स्थित के लिये अपने लक्ष्य की शुरुआत में ऑफसेट तंत्र का भी उपयोग करना चाहिये।
- ग्रीनवॉशिंग की निगरानी के लिये नियामक संरचनाओं और मानकों के निर्माण की दिशा में प्राथमिकता से ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

गतिशील भूजल संसाधन आकलन, 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने वर्ष 2022 हेतु पूरे देश के लिये गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु

- निष्कर्षः
 - कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) है और वार्षिक भूजल निकासी 239.16 BCM है।
 - आकलन में भूजल पुनर्भरण में वृद्धि के संकेत हैं।
 - तुलनात्मक रूप से वर्ष 2020 में एक आकलन में पाया गया कि वार्षिक भूजल पुनर्भरण 436 BCM और निष्कर्षण 245 BCM था।
 - यह भूजल पुनर्भरण (हाइड्रोलॉजिक) प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह से जल नीचे की ओर रिसता है और जलभृतों में एकत्र हो जाता है। इसलिये इस प्रक्रिया को डीप ड्रेनेज या डीप परकोलेशन के रूप में भी जाना जाता है।

- वर्ष 2022 के आकलन से पता चलता है कि भूजल निष्कर्षण वर्ष 2004 के बाद से सबसे कम है, उस समय यह 231 BCM था।
- इसके अलावा देश में कुल 7089 मूल्यांकन इकाइयों में से 1006 इकाइयों को 'अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण का लगभग 87% अर्थात् 20849 BCM सिंचाई उपयोग के लिये है। केवल 30.69 BCM घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिये है, जो कुल निष्कर्षण का लगभग 13% है।

राज्यवार भूजल निष्कर्षणः

- 🔶 देश में भूजल निष्कर्षण का कुल स्तर 60.08% है।
- हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव राज्यों में भूजल निष्कर्षण का स्तर बहुत अधिक है जहाँ यह 100% से अधिक है।
- दिल्ली, तिमलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भूजल निष्कर्षण की स्थिति 60-100% के बीच है।
- 🔶 बाकी राज्यों में भूजल निकासी का स्तर 60% से नीचे है।

भारत में भूजल की स्थिति:

• परिचयः

- भारत कुल वैश्विक निकासी का एक-चौथाई भाग के साथ
 भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्त्ता है। भारतीय शहर अपनी जल
 आपूर्ति का लगभग 48% भूजल से पूरा करते हैं।
 - भारत में लगभग 400 मिलियन निवासियों के साथ 4,400 से अधिक वैधानिक कस्बे और शहर हैं, जो वर्ष 2050 तक 300 मिलियन तक बढ जाएंगे।

• भूजल की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ:

- अप्रबंधित भूजल उपयोग और बढ़ती आबादी के परिणामस्वरूप अनुमानित 3.1 बिलियन लोगों के लिये वर्ष 2050 तक मौसमी जल की कमी और लगभग 1 बिलियन लोगों के लिये सामान्य जल की कमी हो सकती है
- इसके अलावा जल और खाद्य सुरक्षा संबंधी खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं तथा अच्छे बुनियादी ढाँचे के विकास के बावजूद शहरों में गरीबी की समस्या होगी।

भारत में भूजल प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ:

• अनियमित निष्कर्षणः

भूजल, जिसे "सामान्य पूल संसाधन" के रूप में माना जाता है,
 ऐतिहासिक रूप से इसके निष्कर्षण पर नियंत्रण संबंधी ठोस
 कदम नहीं उठाए गए हैं।

 बढ़ती आबादी, शहरीकरण और सिंचाई गतिविधियों के विस्तार के कारण कई दशकों से भूजल के दोहन में काफी वृद्धि हो रही है।

• अत्यधिक सिंचाई:

 1970 के दशक में लोकप्रिय हुई भूजल सिंचाई ने सामाजिक-आर्थिक कल्याण, उत्पादकता में वृद्धि के साथ बेहतर आजीविका का नेतृत्त्व किया है।

भूजल प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित जानकारी की कमी:

- स्थानीय स्तर पर मांग और आपूर्ति में समन्वय की कमी, भारत एक बड़े हिस्से की समस्या है।
- बढ़ती आबादी या फिर बड़े पैमाने पर शहरी विकास इसके कारणों के दो उदाहरण हैं, लेकिन उन्हें इतना भी प्रत्यक्ष कारण नहीं माना जा सकता है।
- उदाहरण के लिये किसी आबादी की बेहतर आर्थिक स्थिति जल आपूर्ति और वितरण की अधिक मांग कर सकती है।

• भूजल प्रदूषणः

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा प्राप्त पानी की गुणवत्ता के आँकड़ों से पता चलता है कि 21 राज्यों के 154 जिलों में भूजल में आर्सेनिक संदूषण है।
- मानवजनित गतिविधियों और भूगर्भीय स्रोतों के कारण गुणवत्ता में बहुत कमी आ गई है।
- यह संदूषण के स्तर में वृद्धि करता है क्योंिक पृथ्वी की पर्पटी (Crust) में भारी धातु की सांद्रता सतह की तुलना में अधिक होती है।
- इसके अतिरिक्त, सतही जल प्रदूषण भूजल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है क्योंकि पानी की सतह पर प्रदूषक भूमि की परतों के माध्यम से रिसते हैं, भूजल को दूषित करते हैं तथा तेल रिसाव या सामान्य रिसाव के माध्यम से मिट्टी की संरचना को भी बदल सकते हैं।

जलवायु परिवर्तनः

- उपरोक्त सभी चुनौतियों का समग्र प्रभाव देश पर जलवायु
 परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभावों से भी तेज होता है।
- भारत में भूजल की जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है,
 वे जलवायु संकट को और भी बदतर बना देती हैं, जो भूजल की
 उपलब्धता से जुड़े संकट को गहरा कर देता है।
- हाइड्रोलॉजिकल चक्र में गड़बड़ी के कारण लंबे समय तक बाढ़ एवं सूखे की स्थिति पैदा होती है जिससे भूजल की गुणवत्ता तथा मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - उदाहरण के लिये बाढ़ की घटनाओं ने भूजल में रसायनों
 और जैविक संदूषकों के अपवाह को बढ़ा दिया है।

सरकार द्वारा की गई पहल:

- अटल भूजल योजना (अटल जल): यह सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के सतत् प्रबंधन के लिये विश्व बैंक की सहायता से 6000 करोड़ रुपए की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- जल शक्ति अभियान (JSA): इन क्षेत्रों में भूजल की स्थिति सिहत जल की उपलब्धता में सुधार हेतु देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों में वर्ष 2019 में इसे शुरू किया गया था।
 - इसमें पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण, पारंपिरक जल निकायों के कायाकल्प, गहन वनीकरण आदि पर विशेष जोर दिया गया है।
- जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रमः CGWB द्वारा जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (Aquifer Mapping Programme) शुरू किया गया है।
 - कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ जलभृत/क्षेत्र विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु जलभृत की स्थिति और उनके लक्षण व वर्णन को चित्रित करना है।
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन (AMRUT): मिशन अमृत शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि जल की आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, बेहतर जल निकासी, पर्यावरणीय अनुकूल स्थान और पार्क व गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन आदि।

आगे की राह

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन ढाँचाः

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन ढाँचे पर ध्यान देने की आवश्यकता
 है। यह जल, भूमि और संबंधित संसाधनों के समन्वित विकास
 एवं प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

जल संवेदनशील शहरी ढाँचा अपनानाः

सबसे पहले, जल के प्रित संवेदनशील शहरी ढाँचा और योजना को अपनाने से जल की मांग एवं आपूर्ति के लिये भूजल, सतही जल तथा वर्षा जल का प्रबंधन करके जल चक्र को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

• जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिये प्रावधानः

 अपिशष्ट जल के पुनर्चक्रण के प्रावधान और एक जल चक्र की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये इसके पुन: उपयोग से स्रोत स्थिरता एवं भूजल प्रदूषण शमन में भी मदद मिलेगी।

• अन्य हस्तक्षेप:

वर्षा जल संचयन, झंझावात जल संचयन, वर्षा-उद्यान और जैव-प्रतिधारण तालाब जैसे हस्तक्षेप जो वनस्पित भूमि के साथ वर्षा को रोकते हैं पारंपिरक प्रणालियों के कम रखरखाव विकल्प हैं। ये भूजल पुनर्भरण और शहरी बाढ़ शमन में मदद करते हैं।

भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क को मंज़्री दी है।

 हरित परियोजनाओं के लिये संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी किये जाएंगे।

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क:

- यह फ्रेमवर्क 'पंचामृत' के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के नक्शेकदम पर मंज़ूरी दी गई है, जैसा कि नवंबर, 2021 में ग्लासगो में 'COP26' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पष्ट किया गया था।
- इस मंजूरी से पेरिस समझौते के तहत अपनाए गए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और भी अधिक मजबूत होगी।
- सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करने हेतु लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन करने के लिये हरित वित्त कार्यकारी सिमित (GFWC) का गठन किया गया है।
- व्यापक विचार-विमर्श करने और गंभीरतापूर्वक गौर करने के बाद CICERO ने भारत के ग्रीन बॉण्ड की रूपरेखा को 'गुड' गवर्नेंस स्कोर के साथ 'मीडियम ग्रीन' की रेटिंग दी है।
 - 'मीडियम ग्रीन' रेटिंग उन परियोजनाओं और समाधानों को दी जाती है जो दीर्घकालिक दृष्टि की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदमों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- सभी जीवाश्म ईंधन से संबंधित परियोजनाओं को बायोमास आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ ढाँचे से बाहर रखा गया है जो 'संरक्षित क्षेत्रों' से फीडस्टॉक पर निर्भर हैं।

सॉवरेन ग्रीन बॉण्डः

• परिचयः

- ग्रीन बॉण्ड विभिन्न कंपिनयों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु जारी किये जाते हैं और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं।
- इन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन एवं हरित भवन आदि शामिल हो सकते हैं।
- ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिये प्रयोग किया जाता है। यह अन्य मानक बॉण्डों के विपरीत है, जिसको आय जारीकर्त्ता के विवेक पर विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सकता है।

लंदन स्थित 'क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव' के अनुसार, वर्ष 2020 के अंत तक 24 राष्ट्रीय सरकारों ने कुल मिलाकर 111 बिलियन डॉलर के संप्रभु ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड जारी किये थे।

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड के लाभ:

- सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी करना सरकारों और नियामकों को जलवायु कार्रवाई और सतत् विकास संबंधी मंशा का एक प्रबल संकेत भेजता है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA) ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक (WEO) रिपोर्ट, 2021 में अनुमान लगाया है कि शुद्ध-शून्य की प्राप्ति के लिये अतिरिक्त 4 ट्रिलियन डॉलर के व्यय में से 70% विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये आवश्यक होगा। इस दृष्टिकोण से सॉवरेन बॉण्ड जारी किया जाना पूंजी के इन बड़े प्रवाहों को गित देने में सहायता कर सकता है।
- एक सॉबरेन ग्रीन बेंचमार्क के विकास से अंतत: अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से हरित बॉण्ड जुटाने के एक जीवंत पारितंत्र का निर्माण हो सकता है।

स्थिति:

वैश्विक स्थिति:

- पर्यावरण, सामाजिक औरशासन (Environmental, Social and Governance- ESG) फंड या ईएसजी फंड लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर का है, जिसमें यूरोप लगभग आधी हिस्सेदारी रखता है।
- अनुमान है कि वर्ष 2025 तक प्रबंधन के तहत कुल वैश्विक परिसंपत्ति का लगभग एक-तिहाई भाग ESG परिसंपत्ति का होगा।
- ईएसजी डेट फंड (ESG debt funds) की हिस्सेदारी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें से 80% से अधिक 'पर्यावरणीय' या ग्रीन बॉण्ड हैं और शेष सामाजिक एवं संवहनीयता बॉण्ड (Social and Sustainability Bonds) हैं।

राष्ट्रीय स्थिति:

 जलवायु कार्रवाई के लिये वैश्विक पूंजी जुटाने के क्षेत्र में कार्यरत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव' के अनुसार, भारतीय संस्थानों ने 18 बिलियन डॉलर से अधिक के ग्रीन बॉण्ड जारी किये हैं।

बजट में घोषित जलवायु कार्रवाई पर अन्य उपाय क्या हैं ?

- बजट में जलवायु कार्रवाई पर कई उपाय शामिल थे, जैसे:
 - बैटरी स्वैपिंग नीति।

- उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिये पीएलआई योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन।
- सरकार एक नया विधेयक पेश कर रही है जिसका उद्देश्य भारत में कार्बन बाज़ार के लिये एक नियामक ढाँचा प्रदान करना है ताकि ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।

कार्बन पृथक्करण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र और ओडिशा में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, मृदा कार्बन पृथक्करण जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकता है।

- अध्ययन सतत् विकास लक्ष्य 13 (एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई)
 के अनुरूप है जो जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करने से संबंधित है।
- अध्ययन से पता चला िक कैसे उर्वरक, बायोचर और सिंचाई का सही संयोजन संभावित रूप से मृदा कार्बन को 300% तक बढ़ा सकता है और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकता है।

कार्बन पृथक्करणः

- परिचयः
 - कार्बन पृथक्करण के तहत पौधों, मिट्टी, भूगिर्भिक संरचनाओं
 और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण होता है।
 - कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों
 और कार्बन के भंडारण को संदर्भित करता है।
- प्रकार:
 - स्थलीय कार्बन पृथक्करणः
 - स्थलीय कार्बन पृथक्करण (Terrestrial Carbon Sequestration) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वायुमंडल से CO2 को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़-पौधों से अवशोषित कर मिट्टी और बायोमास (पेड़ की शाखाओं, पर्ण और जड़ों) में कार्बन के रूप में संग्रहीत किया जाता है।
 - भूगर्भीय कार्बन पृथक्करणः
 - इसमें CO2 का भंडारण किया जा सकता है, जिसमें तेल भंडार, गैस के कुओं, बिना खनन किये गए कोल भंडार, नमक निर्माण और उच्च कार्बनिक सामग्री के साथ मिश्रित संरचनाएँ शामिल होती हैं।

महासागरीय कार्बन पृथक्करणः

- महासागरीय कार्बन पृथक्करण द्वारा वातावरण से CO2 को बड़ी मात्रा में अवशोषित, मुक्त और संग्रहीत किया जाता है। इसके दो प्रकार हैं- पहला, लौह उर्वरीकरण (Iron Fertilization) के माध्यम से महासागरीय जैविक प्रणालियों की उत्पादकता बढ़ाना तथा दूसरा, गहरे समुद्र में CO2 को इंजेक्ट करना।
- लोहे की डंपिंग फाइटोप्लांकटन (Phytoplankton)
 की उत्पादन दर को तीव्र करती है, परिणामस्वरूप
 फाइटोप्लांकटन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तीव्र कर देते हैं जो CO2 को अवशोषित करने में सहायक हैं।
- एक प्रस्तावित विधि महासागरीय पृथक्करण है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र में गहराई से अंत:क्षिप्त किया जाता है, जिससे CO2 की झीलें बनती हैं। सिद्धांत रूप में, आसपास के पानी के दबाव और तापमान के कारण CO2 गहराई से नीचे रहेगा, धीरे-धीरे समय के साथ उस पानी में घुल जाएगा।
- एक अन्य उदाहरण भूवैज्ञानिक अनुक्रम है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को पुराने तेल भंडारों, जलभृत और कोयला संस्तरों जैसे भूमिगत कक्षों में पंप किया जाता है जिनका खनन नहीं किया जा सकता है।

कार्बन अनुक्रमण के विभिन्न तरीके:

- प्राकृतिक कार्बन अनुक्रमणः
 - यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति ने हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन प्राप्त किया है जो जीवन को बनाए रखने के लिये उपयुक्त है। जानवर कार्बन डाइऑक्साइड को वेसे ही बाहर निकालते हैं, जैसा कि रात के दौरान पौधे करते हैं।
 - प्रकृति ने पेड़ों, महासागरों, पृथ्वी और जानवरों को कार्बन सिंक, या स्पंज के रूप में प्रदान किया है। इस ग्रह पर सभी जैविक जीवन कार्बन आधारित हैं और जब पौधे एवं जानवर मर जाते हैं, तो अधिकांश कार्बन जमीन पर वापस चला जाता है जहाँ ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने में इसका बहुत कम प्रभाव हैं।

• कृत्रिम कार्बन अनुक्रमण:

- कृत्रिम कार्बन अनुक्रमण की कई प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिससे कार्बन उत्सर्जन के उत्पादन बिंदु पर कब्जा कर लिया जाता है और फिर इसे दबाया जाता है। (उदाहरण के लिये चिमनी फैक्ट्री)
- यह एक प्रस्तावित विधि महासागरीय अनुक्रम है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र में गहराई से इंजेक्ट किया जाता है,

जिससे CO2 की झीलें बनती हैं। CO2 आसपास के पानी के दबाव और तापमान के कारण गहराई में रहता है, धीरे-धीरे समय के साथ पानी में घुल जाता है।

 एक अन्य उदाहरण भूवैज्ञानिक अनुक्रमण है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को भूमिगत कक्षों जैसे पुराने तेल जलाशयों, जलभृतों और कोयले की तह में पंप किया जाता है जो खनन करने में असमर्थ हैं।

कृषि के लिये एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में कार्बन अनुक्रमणः

- जलवायु के अनुकूलः कार्बन फार्मिंग (कार्बन सीक्वेस्ट्रैट में ऐसे अभ्यास शामिल हैं जो उस दर में सुधार करने के लिये जानी जाती हैं जिस दर पर वातावरण से CO2 को हटाकर पौधों की सामग्री और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ऐसे नए कृषि व्यवसाय मॉडल की संभावनाओं को साकार करने का प्रयास करता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करता है, रोजगार सृजित करता है, सामान्य रूप से खेतों को अनुपयोगी होने से बचाता है।
 - संक्षेप में, यह जलवायु समाधान, आय सृजन के अवसरों में वृद्धि
 और आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- कार्बन कैप्चर का अनुकूलनः यह उन प्रथाओं को लागू करके सिक्रिय पिरदृश्य पर कार्बन कैप्चर को अनुकूलित करने के लिये एक संपूर्ण कृषि दृष्टिकोण है जो उस दर में सुधार करने के लिये जाने जाते हैं जिस पर वातावरण से CO2 को रिमूव करके पौधों/या मृदा कार्बनिक पदार्थों में संग्रहीत किया जाता है।
 - यह हमारे किसानों को उनकी कृषि प्रक्रियाओं में पुनर्योजी कार्यप्रणालियों को शुरू करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे उन्हें अपना ध्यान पैदावार में सुधार से लेकर कामकाजी पारिस्थितिक तंत्र और कार्बन पृथक्करण या कार्बन बाजारों में व्यापार करने के लिये स्थानांतरित करने में मदद मिलती है।
- कृषक वर्ग के अनुकूल: यह न केवल मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि हाशिये के किसानों को कार्बन क्रेडिट से प्राप्त बढ़ी हुई आय के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता, जैविक और रासायनिक मुक्त भोजन (फार्म टू फोर्क मॉडल) भी प्रदान कर सकता है।

आर्द्रभूमि संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

इस एंथ्रोपोसीन युग में मानव हस्तक्षेप को पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के हर घटक में देखा जा सकता है। इस तरह के मानव की वजह से होने वाले परिवर्तनों के कारण झीलों, तालाबों जैसे उथले आर्द्रभूमि का नुकसान प्रमुख चिंता का विषय बन रहा है। एंथ्रोपोसीन युग भूगर्भिक समय की एक अनौपचारिक इकाई है, जिसका उपयोग पृथ्वी के इतिहास में सबसे हालिया अविध का वर्णन करने के लिये किया जाता है जब मानव गतिविधियों का ग्रह की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने लगा था।

उथले पानी की आईभूमि:

• परिचय

- ये कम प्रवाह के साथ स्थायी या अर्द्ध-स्थायी जल क्षेत्र की आर्द्रभूमियाँ हैं। इनमें वर्नल पोंड (तालाब) व स्प्रिंग पूल, नमक झीलें और ज्वालामुखीय गड्ढा युक्त झीलें शामिल हैं।
- ये पारिस्थितिक महत्त्व और मानव आवश्यकता के रूप में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं (जैसे कि पीने का पानी और अंतर्देशीय मत्स्य पालन)।
- उथली प्रकृति होने के कारण सूरज की किरणें जल निकाय के तल में प्रवेश करती हैं।
- तापमान (नियमित रूप से ऊपर-से-नीचे की ओर परिसंचरण तथा) निरंतर मिश्रण के साथ होने वाला एक समतापी प्रक्रम है, जो विशेष रूप से भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में होता है।

• चिंताएँ:

- समय के साथ ये जल निकाय, पानी के साथ आने वाले तलछट से भर जाते हैं।
- इसिलये पानी की गहराई धीरे-धीरे कम हो जाती है। यह काफी स्पष्ट है कि तापमान और वर्षा प्रतिरूप में छोटे से बदलाव ने इस प्रकार के जल निकाय पर व्यापक प्रभाव डालते है।
- वर्ष 1901-2018 तक भारत के औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीनहाउस गैस को ग्लोबल वार्मिंग के साथ-साथ भूमि-उपयोग और भूमि-क्षेत्र परिवर्तन के लिये प्रेरित कारकों के रूप में भी जिम्मेदार ठहराया गया है।
- तापमान और गर्मी वितरण में इस तरह के क्षेत्रीय पैमाने पर बदलाव का असर वर्षा पैटर्न पर भी पड़ेगा। इसलिये भारत के प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों, मीठे पानी के संसाधनों और कृषि के लिये खतरा बढ़ रहा है, जो अंतत: जैवविविधता, खाद्य, जल सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा समग्र रूप से समाज को प्रभावित करते हैं।
 - सूरजपुर पक्षी अभयारण्य (यमुना नदी बेसिन में शहरी आर्द्रभूमि) का एक उदाहरण जिसमें अक्तूबर 2019 में सूरजपुर आर्द्रभूमि में जल स्तर, उच्च शैवाल उत्पादन के साथ-साथ दुर्गंध संबंधी मुद्दों को कम किया।

आर्द्रभूमि:

• परिचयः

- आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल पर्यावरण और संबंधित वनस्पति एवं जंतु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक उपस्थित होता है। वे वहाँ उपस्थित होते हैं जहाँ जल स्तर भूमि की सतह पर या उसके निकट होता है अथवा जहाँ भूमि जल से आप्लावित होती है।
- वे स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच की संक्रमणकालीन भूमि हैं जहाँ जल स्तर आमतौर पर भूमि सतह पर या उसके निकट होती है अथवा भूमि उथले जल से ढकी होती है।
- इन्हें प्राय: "प्रकृति का गुर्दा" और "प्रकृति का सुपरमार्केट" कहा जाता है, ये भोजन और पानी प्रदान करके लाखों लोगों की सहायता करने के साथ ही बाढ़ व तूफान की लहरों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

• तटीय आर्द्रभूमि:

- तटीय आर्द्रभूमि: यह भूमि और खुले समुद्र के बीच के क्षेत्रों में पाई जाती है जो तटरेखा, समुद्र तट, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों की तरह नदियों से प्रभावित नहीं होते हैं।
 - उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव दलदल इसका एक अच्छा उदाहरण है।

दलदल:

ये जल से संतृप्त क्षेत्र या पानी से भरे क्षेत्र होते हैं और गीली मिट्टी की स्थिति के अनुकूल जड़ी-बूटियों वाली वनस्पतियाँ इनकी विशेषता होती है। दलदल को आगे ज्वारीय दलदल और गैर-ज्वारीय दलदल के रूप में जाना जाता है।

स्वैंप्सः

ये मुख्य रूप से सतही जल द्वारा पोषित होते हैं तथा यहाँ
 पेड़ व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये मीठे पानी या खारे पानी
 के बाढ के मैदानों में पाए जाते हैं।

🔷 बॉग्सः

 बॉग्स दलदल पुराने झील घाटियाँ अथवा भूमि में जलभराव वाले गड्ढे हैं। इनमें लगभग सारा पानी वर्षा के दौरान जमा होता है।

मृहानाः

 जहाँ निदयाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ जैविविविधता का एक अत्यंत समृद्ध मिश्रण देखने को मिलता है। इन आर्द्रभूमियों में डेल्टा, ज्वारीय मडफ्लैट्स और नमक के दलदल शामिल हैं।

आर्द्रभूमियों का महत्त्वः

- अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रः आर्द्रभूमि अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जो वैश्विक रूप से लगभग दो-तिहाई मछली प्रदान करते हैं।
- वाटरशेड की पारिस्थितिकी में अभिन्न भूमिका: उथले पानी और उच्च स्तर के पोषक तत्त्वों का संयोजन जीवों के विकास के लिये आदर्श परिस्थिति होते हैं जो खाद्य जाल का आधार हैं, ये मछली, उभयचर, शंख और कीड़ों की कई प्रजातियों के भोजन प्रबंधन में सहायक होते हैं।
- कार्बन प्रच्छादनः आर्द्रभूमि के सूक्ष्मजीव, पादप एवं वन्यजीव जल, नाइट्रोजन और सल्फर के वैश्विक चक्रों का अंग हैं। आर्द्रभूमि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय अपने पादप समुदायों एवं मृदा के भीतर संग्रहीत करती है।
- बाढ़ की गित और मिट्टी के कटाव को कम करना: आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक अवरोधकों के रूप में कार्य करती हैं जो सतही जल, वर्षा, भूजल तथा बाढ़ के पानी को अवशोषित करती हैं एवं धीरे-धीरे इसे फिर से पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ती है। आर्द्रभूमि वनस्पित बाढ़ के पानी की गित को भी धीमा कर देती है जिससे मिट्टी के कटाव कमी आती हैं।
- मानव और ग्रह जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण: आर्द्रभूमि मानव और पृथ्वी पर जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण है। एक अरब से अधिक लोग जीवन यापन के लिये उन पर निर्भर हैं और दुनिया की 40% प्रजातियाँ आर्द्रभमि में रहती हैं एवं प्रजनन करती हैं।

आर्द्रभूमि को खतराः

- शहरीकरणः शहरी केंद्रों के पास आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक सुविधाओं के विकास के कारण आर्द्रभूमि पर दबाव बढ़ रहा है। सार्वजनिक जल आपूर्ति को संरक्षित करने के लिये शहरी आर्द्रभमि आवश्यक हैं।
 - दिल्ली वेटलैंड अथॉरिटी के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में
 1,000 से अधिक झीलें, आर्द्रभृमि और तालाब हैं।
 - लेकिन इनमें से अधिकांश को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण (नियोजित और अनियोजित दोनों), ठोस अपिशष्ट एवं निर्माण के मलबे के डंपिंग के माध्यम से होने वाले प्रदूषण का खतरा है।
- कृषि: आर्द्रभूमि के विशाल हिस्सों को धान के खेतों में बदल दिया गया है। सिंचाई के लिये बड़ी संख्या में जलाशयों, नहरों और बाँधों के निर्माण ने संबंधित आर्द्रभूमि के जल स्वरूप को बदल दिया है।
- प्रदूषण: आर्द्रभूमि प्राकृतिक जल फिल्टर के रूप में कार्य करती है। हालाँकि वे केवल कृषि अपवाह से उर्वरकों और कीटनाशकों को साफ कर सकते हैं लेकिन औद्योगिक स्रोतों से निकले पारा एवं अन्य प्रकार के प्रदूषण को नहीं।

- पेयजल आपूर्ति और आर्द्रभूमि की जैवविविधता पर औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ रही है।
- जलवायु परिवर्तनः वायु के तापमान में वृद्धि, वर्षा में बदलाव, तूफान, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड संचयन में वृद्धि तथा समुद्र के स्तर में वृद्धि भी आर्द्रभूमि को प्रभावित कर सकती है।
- तलकर्षणः आर्द्रभूमि या नदी तल से सामग्री को हटाना। जलधाराओं
 का तलकर्षण आसपास के जल स्तर को कम करता है तथा
 निकटवर्ती आर्द्रभुमियों को सुखा देता है।
- ड्रेनिंगः धरती पर गङ्ढों को खोदकर, जो पानी इकट्ठा करके आर्द्रभूमि से पानी निकाला जाता है इससे आर्द्रभूमि संकुचित हो जाती है और परिणामस्वरूप जल स्तर गिर जाता है।

आईभूमि संरक्षण की दिशा में किये गए प्रयास:

- वैश्विक स्तर पर पहलः
 - संयुक्त राष्ट्र ने स्थलीय, जलीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के उद्देश्य से 2021-2030 को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर दशक घोषित किया।
 - रामसर कन्वेंशनः
 - मोंट्रेक्स रिकॉर्ड:
 - विश्व आर्द्रभूमि दिवस
- राष्ट्रीय स्तर पर पहलः
 - आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017
 - MoEFCC की कार्ययोजना

आगे की राह

- अनियोजित शहरीकरण और बढ़ती आबादी का मुकाबला करने के लिये आर्द्रभूमि प्रबंधन योजना, निष्पादन एवं निगरानी के संदर्भ में एक एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिये।
- आर्द्रभूमि के समग्र प्रबंधन के लिये पारिस्थितिकीविदों, वाटरशेड प्रबंधन विशेषज्ञों, योजनाकारों और निर्णय निर्माताओं सिहत शिक्षाविदों एवं पेशेवरों के बीच प्रभावी सहयोग।
- वेटलैंड्स के महत्त्व के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर उनके जल की गुणवत्ता के लिये वेटलैंड्स की निरंतर निगरानी करके वेटलैंड्स को होने वाली क्षति बचाने के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।

विश्व वन लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर नहीं

चर्चा में क्यों ?

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और पूर्व स्थिति को प्राप्त करने संबंधी वन लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर नहीं है। पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वनों की कटाई को रोकना आवश्यक है।

प्रमुख बिंदुः

- उत्सर्जन में कटौती के लिये आवश्यक प्रतिबद्धताओं का केवल
 24% ही अब तक पूरा किया गया है।
- वन आधारित कार्य पेरिस समझौते की महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने में एक आवश्यक योगदान दे सकते हैं। यह जलवायु आपदा को रोकने में मदद करने के लिये लगभग 27% समाधान प्रदान कर सकता है।
- वन आधारित समाधान वर्ष 2030 तक लगभग 4 गीगाटन की एक महत्त्वपूर्ण वार्षिक शमन क्षमता प्रदान करते हैं
- स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय इन परिणामों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- हाई फारेस्ट लो डिफॉरेस्टशन (HFLD) देश दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय वन कार्बन का 18% संग्रहीत करते हैं और पर्याप्त जलवायु वित्त तक उनकी पहुँच में तेजी से सुधार किया जाना चाहिये।
- लेकिन वर्तमान वन जलवायु वित्त तंत्र उनके ऐतिहासिक संरक्षण को पुरस्कृत करने और वनों की कटाई के बढ़ते दबावों का विरोध करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

रिपोर्ट में दिये गए सुझाव:

- मौजूदा प्रतिबद्धताओं को वास्तिवकता में पिरविर्तित किया जाना चाहिये और वनों के वित्तपोषण के लिये तत्काल नई प्रतिबद्धताएँ की जानी चाहिये।
- इनमें से केवल आधी प्रतिबद्धताओं को 'उत्सर्जन में कमी खरीद समझौतों' के माध्यम से प्राप्त किया गया है। इन प्रतिबद्धताओं के लिये धन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- महत्त्वाकांक्षी वन-आधारित जलवायु समाधानों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिये देशों को अपने कार्यों को बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
- वनों की रक्षा, स्थायी प्रबंधन और पुनर्स्थापना के लिये प्रभावी कार्य लागत जलवायु परिवर्तन शमन प्रदान कर सकते हैं। ये क्रियाएँ जैवविविधता में गिरावट को भी कम कर सकती हैं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ा सकती हैं।
- वर्ष 2030 के लक्ष्यों को पहुँच के भीतर बनाए रखने के लिये वर्ष 2025 के बाद से प्रत्येक वर्ष उत्सर्जन में कमी की जानी चाहिये।

पेरिस समझौताः

• परिचयः

- पेरिस समझौते (जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज-21 या COP-21 के रूप में भी जाना जाता है) को वर्ष 2015 में अपनाया गया था।
 - इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये पूर्व में किया गया समझौता था।
- पेरिस समझौता एक वैश्विक संधि है जिसमें लगभग 200 देश, ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिये सहयोग करने पर सहमत हए हैं।
 - यह पूर्व-उद्योग स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2
 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानत: 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करता है।

• कार्यः

- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के अलावा पेरिस समझौते में हर पाँच वर्ष में उत्सर्जन में कटौती के लिये प्रत्येक देश के योगदान की समीक्षा करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है ताकि वे संभावित चुनौती के लिये तैयार हो सकें। वर्ष 2020 तक, देशों ने NDCs के रूप में ज्ञात जलवायु कार्रवाई के लिये अपनी योजनाएँ प्रस्तुत की थीं।
- दीर्घकालिक रणनीतियाँ: पेरिस समझौते के तहत दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में उचित प्रयास करने के लिये देशों को वर्ष 2020 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु दीर्घकालिक विकास रणनीति (LT-LEDS) तैयार करने एवं प्रस्तुत करने को कहा गया है।
- दीर्घकाल में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु विकास रणनीतियाँ (LT-LEDS) NDC के लिये दीर्घकालिक क्षितिज प्रदान करती हैं परंतु NDC की तरह वे अनिवार्य नहीं हैं।

प्रगति रिपोर्टः

- पेरिस समझौते के सहयोग से देशों ने उन्नत पारदर्शी ढाँचा (ETF) स्थापित किया है। वर्ष 2024 से शुरू होने वाले ETF के तहत देश जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन उपायों और प्रदत्त या प्राप्त समर्थन से की गई कार्रवाइयों एवं प्रगति की पारदर्शी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
 - इसमें प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का भी प्रावधान है।
 - ETF के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी वैश्विक स्टॉकटेक में उपलब्ध होगी जो दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करेगी।

आगे की राह

- इस दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये देशों को सदी के मध्य तक जलवायु-तटस्थ विश्व निर्माण के लिये जल्द-से-जल्द ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु वैश्विक लक्ष्य रखना चाहिये।
- मध्यम अवधि के डीकार्बोनाइज्ञेशन के लिये स्पष्ट मार्ग के साथ विश्वसनीय अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता है, जो वायु प्रदूषण जैसी कई चुनौतियों को ध्यान में रखता हो, साथ ही विकास के लिये अधिक रक्षात्मक विकल्प हो सकता है।

जलवायु के लिये मैंग्रोव गठबंधन

चर्चा में क्यों?

मिस्र के शर्म अल शेख में COP-27 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने "जलवायु के लिये मैंग्रोव गठबंधन (Mangrove Alliance for Climate-MAC)" की घोषणा की।

जलवाय के लिये मैंग्रोव गठबंधन (MAC):

- इसमें यूएई, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के बारे में दुनिया भर को बताना तथा जागरूकता का प्रसार करना है।
- हालाँकि अंतर-सरकारी गठबंधन स्वैच्छिक आधार पर काम करता है जिसका अर्थ है कि सदस्यों को जवाबदेह ठहराने के लिये कोई वास्तविक 'चेक एंड बैलेंस' नहीं है।
- इसके बजाय, पार्टियाँ मैंग्रोव लगाने और बहाल करने के बारे में अपनी प्रतिबद्धताओं एवं समय-सीमा को तय करेंगी।
- सदस्य तटीय क्षेत्रों के अनुसंधान, प्रबंधन और संरक्षण में विशेषज्ञता साझा करेंगे और एक-दूसरे का समर्थन करेंगे।

मैंग्रोव:

• परिचय:

- मैंग्रोव को लवणीय पौधों और झाड़ियों के रूप में पिरभाषित किया जाता है जो उष्णकिटबंधीय और उपोष्णकिटबंधीय समुद्र तटों के अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में उगते हैं।
- वे उन जगहों पर बड़े पैमाने पर उगते हैं जहाँ स्वच्छ जल समुद्री जल के साथ मिलता है और जहाँ तलछट मिट्टी जमा होती है।

विशेषताएँ:

 लवणीय वातावरणः वे अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण, जैसे अधिक खारेपनऔर कम ऑक्सीजन की स्थिति, में भी जीवित रह सकते हैं।

- कम ऑक्सीजन: किसी भी पौधे के भूमिगत ऊतक को श्वसन के लिये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है लेकिन मैंग्रोव वातावरण में मिट्टी में ऑक्सीजन सीमित या शून्य होती है।
 - इसिलये मैंग्रोव जड़ प्रणाली वातावरण से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है।
 - इस उद्देश्य के लिये मैंग्रोव की जड़ें आम पौधों से अलग होती हैं जिन्हें ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है।
 - इन जड़ों में कई छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ऑक्सीजन भूमिगत ऊतकों में प्रवेश करती है।
- चरम स्थितियों में उत्तरजीविता: जड़ें पानी में डूबे रहने के कारण मैंग्रोव के पेड़ गर्म, कीचड़युक्त, खारे परिस्थितियों में पनपते हैं, जिसमें दूसरे पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं।
- मोमयुक्त पत्ते: मैंग्रोव, रेगिस्तानी पौधों की तरह मोटे पत्तों में ताजा पानी जमा करते हैं।
 - पत्तियों पर एक मोम का लेप जल को अपने अंदर अवशोषित रखता है और वाष्पीकरण को कम करता है।
- विवियोपोरस: उनके बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हुए अंकुरित होते हैं। एक बार अंकुरित होने के बाद अंकुर बढ़ने लगते है।
 - परिपक्व अंकुर पानी में गिर जाता है और किसी अलग स्थान पर पहुँच कर ठोस जमीन में जड़ें जमा लेता है।

• महत्त्वः

- मैंग्रोव तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न कार्बिनक पदार्थों, रासायनिक तत्त्वों और महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों को रोकते हैं।
- वे समुद्री जीवों के लिये बुनियादी खाद्य शृंखला संसाधन प्रदान करते हैं।
- वे विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों के लिये भौतिक आवास और नर्सरी प्रदान करते हैं, जिनमें से कई का महत्त्वपूर्ण मनोरंजक या व्यावसायिक मूल्य है।
- मैंग्रोव उथले तटरेखा क्षेत्रों में हवा और लहर की गतिविधियों को कम करके बफर के रूप में भी काम करते हैं।

• शामिल क्षेत्रः

- वैश्विक मैंग्रोव कवरः
- 🔷 दुनिया में कुल मैंग्रोव कवर 1,50,000 वर्ग किमी. है।
- 🔷 एशिया में दुनिया भर में मैंग्रोव की सबसे बड़ी संख्या है।
 - दिक्षण एशिया में दुनिया के मैंग्रोव कवर का 6.8% हिस्सा शामिल है।

भारत में मैंग्रोव :

 दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर में भारत का योगदान 45.8% है।

- भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में मैंग्रोव कवर 4992 वर्ग किमी. है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है।
- सबसे बड़ा मैंग्रोव वन: पश्चिम बंगाल में सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है।
- इसके बाद गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
 हैं।

मैंग्रोव द्वारा सामना किये जाने वाले खतरे:

• तटीय क्षेत्रों का व्यावसायीकरण:

 जलीय कृषि, तटीय विकास, चावल और ताड़ के तेल की खेती तथा औद्योगिक गतिविधियाँ तेजी से इन मैंग्रोव व उनके पारिस्थितिक तंत्र की जगह ले रही हैं।

• झींगा फार्मः

- मैंग्रोव वनों के कुल नुकसान का कम-से-कम 35% झींगा फार्मों के उद्भव से हुआ है।
- झींगा की कृषि का उदय हाल के दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन में झींगा के प्रति बढ़ते झुकाव की प्रतिक्रिया है।

तापमान संबंधित मुद्देः

कम समय में दस डिग्री का उतार-चढ़ाव पौधे को नुकसान पहुँचाने के लिये पर्याप्त होता है और कुछ घंटों के लिये भी बेहद कम तापमान कुछ मैंग्रोव प्रजातियों के लिये अत्यधिक खतरनाक या जानलेवा हो सकता है।

मृदा से संबंधित मुद्देः

 जिस मिट्टी में मैंग्रोव की जड़ें होती हैं, वह पौधों के लिये एक चुनौती बन जाती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की भारी कमी होती है।

अत्यधिक मानव हस्तक्षेपः

- पिछले कुछ समय से समुद्र के स्तर में पिरवर्तनों के दौरान मैंग्रोव जमीन की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन कई जगहों पर मानव विकास अब एक बाधा है जो मैंग्रोव के विस्तार को सीमित करता है।
- मैंग्रोव अक्सर तेल रिसाव के कारण भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।

संबंधित पहलें:

यूनेस्को नामित साइटें: बायोस्फीयर रिजर्व, विश्व धरोहर स्थलों और यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क में मैंग्रोव का समावेशन दुनिया भर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन एवं संरक्षण में सुधार करने में योगदान देता है।

- इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम (ISME):
 ISME एक गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1990 में
 मैंग्रोव के अध्ययन, उनके संरक्षण, तर्कसंगत प्रबंधन और टिकाऊ
 उपयोग को बढाने के उद्देश्य से की गई थी।
- ब्लू कार्बन इनिशिएटिवः अंतर्राष्ट्रीय ब्लू कार्बन पहल तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण एवं पुनरुत्थान के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने पर केंद्रित है।
 - यह कंजर्वेशन इंटरनेशनल (CI), IUCN, और इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन-यूनेस्को (IOC-यूनेस्को) द्वारा समन्वित है।
- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस: यूनेस्को 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैंग्रोव दिवस मनाता है।

आगे की राह

- मैंग्रोव के संरक्षण को सिक्रय सामुदायिक भागीदारी, पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से किसी भी जोखिम को कम करने के साथ व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ने की आवश्यकता है।
 - ऐसे उपायों को अग्निम अनुकूलन उपायों के मद्देनजर अधिक समग्र रूप से अपनाए जाने की आवश्यकता है जो सफल और प्रभावी प्रबंधन के लिये आवश्यक हैं।
- वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मैंग्रोव का एकीकरण समय की मांग है।
- मैंग्रोव वनीकरण से एक नया कार्बन सिंक बनाना और मैंग्रोव वनों की कटाई से उत्सर्जन को कम करना देशों के लिये अपने NDC लक्ष्यों को पूरा करने तथा कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के दो संभावित तरीके हैं।

मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने और सरकारों एवं निगमों को प्रतिक्रिया देने हेतु सतर्क करने के लिये एक उपग्रह-आधारित निगरानी प्रणाली "MARS: मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम" स्थापित करने का निर्णय लिया है।

 MARS पहल का उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को सुदृढ़ करना है।

मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम (MARS):

- परिचयः
 - MARS को मिस्र के शर्म अल-शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन (COP27) में लॉन्च किया गया था।

- डेटा-टू-एक्शन प्लेटफ़ॉर्म को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला (IMEO) रणनीति के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था ताकि नीति-प्रासंगिक डेटा को उत्सर्जन शमन के लिये आवश्यक कदम उठाये जा सके।
- यह प्रणाली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पहली वैश्विक प्रणाली होगी जो मीथेन के डेटा को अधिसूचना प्रक्रियाओं से पारदर्शी रूप से जोडेगी।

• उद्देश्य:

- MARS बड़ी मात्रा में मौजूदा और भिवष्य के उपग्रहों से डेटा को एकीकृत करेगा, जो दुनिया में कहीं भी मीथेन उत्सर्जन की घटनाओं का पता लगाने की क्षमता रखता है, और संबंधित हितधारकों को इस पर कार्रवाई करने के लिये सुचनाएँ भेजता है।
- MARS मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन उद्योग में बड़े उत्सर्जन स्रोतों का पता लगाएगा, लेकिन रियल टाइम कोयला, अपशिष्ट, पशुधन और चावल के खेतों से भी उत्सर्जन का पता लगाने में सक्षम होगा।

मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने की आवश्यकता क्यों?

- मीथेन के विषय में:
 - मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो प्रकृति में बहुतायत
 में और कुछ मानवीय गितिविधयों के उत्पाद के रूप में होती है।
 - मीथेन हाइड्रोकार्बन की पैराफिन शृंखला का सबसे सरल सदस्य है और प्रबल ग्रीनहाउस गैसों में में से एक है।

मीथेन से संबंधित चिंताएँ

- छह मुख्य ग्रीनहाउस गैसों में दूसरी सबसे अधिक प्रचलित गैस होने के बावजूद, मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रह को गर्म करने की बहत अधिक क्षमता है।
- वर्तमान वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 17% के लिये जिम्मेदार, मीथेन को पूर्व-औद्योगिक समय से कम से कम 25% - 30% तापमान वृद्धि के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है।
- यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मानव-प्रेरित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इसके निष्कासन के बाद 20 वर्षों में वायुमंडल में तापमान बढ़ाने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक होती है।
- कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मानव-प्रेरित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन उत्सर्जन के बाद 20 वर्षों में वायुमंडलीय गर्मी को उत्सर्जित करने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक कुशल माना जाता है।

मीथेन उत्पर्जन में कटौती के लिये पहल:

• वैश्विकः

वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञाः

- वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन (UNFCCC COP 26) में, लगभग 100 देश एक स्वैच्छिक प्रतिज्ञा में एक साथ आए थे, जिसे ग्लोबल मीथेन के रूप में जाना जाता है, वर्ष 2020 के स्तर से 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती करने के लिये आयोजित किया गया। तब से इस पहल में अधिक देश शामिल हुए हैं, जिससे कुल संख्या लगभग 130 हो गई है।
- वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कमी के परिणामस्वरूप वर्ष 2050 तक तापमान में 0.2 डिग्री की वृद्धि से बचने की उम्मीद है, और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से नीचे रखने के वैश्विक प्रयासों में बिल्कुल आवश्यक माना जाता है।

♦ ग्लोबल मीथेन पहल (GMI):

- यह एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजिनक-निजी भागीदारी है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मीथेन की वसूली और उपयोग के लिए बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है।
- GMI दुनिया भर में मीथेन-टू-एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करता है जो भागीदार देशों को मीथेन रिकवरी शुरू करने और परियोजनाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
- भारत इसमें एक भागीदार देश है।

राष्ट्रीय:

♦ 'हरित धारा' (HD):

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने एंटी-मिथेनोजज़ेनिक फीड सप्लीमेंट 'हरित धारा' विकसित किया है, जो मवेशी मीथेन उत्सर्जन को 17-20% तक कम कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप उच्च दूध उत्पादन भी हो सकता है।।

भारत ग्रीनहाउस गैस कार्यक्रमः

- विश्व संसाधन संस्थान (WRI) भारत (गैर-लाभकारी संगठन), भारतीय उद्योग पिरसंघ (CII) और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) के नेतृत्व में भारत GHG कार्यक्रम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिये उद्योग के नेतृत्व वाला स्वैच्छिक ढाँचा है।
- कार्यक्रम उत्सर्जन को कम करने और भारत में अधिक लाभदायक, प्रतिस्पर्द्धी और टिकाऊ व्यवसायों एवं संगठनों को चलाने के लिये व्यापक माप तथा प्रबंधन रणनीतियों का निर्माण करता है।

♦ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC):

NAPCC को वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इसका मुकाबला करने के लिये जागरूकता पैदा करना है।

भूगोल

काला सागर




प्रमुख बिंदु

- भौगौलिक विस्तार:
 - सीमावर्ती देश: यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्किये, बुल्गारिया और रोमानिया।
 - इसे यूक्सिन सागर के नाम से भी जाना जाता है।
 - यह दक्षिण, पूर्व और उत्तर में क्रमश: पोंटिक, काकेशस और क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है।
 - तुर्की जलडमरूमध्य प्रणाली- डार्डानेल्स, बोस्पोरस और मरमरा सागर- भूमध्यसागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांज़ीशन ज़ोन के रूप में कार्य करती है।
 - आज्ञोव सागर काला सागर का एक उत्तरी विस्तार बनाता है जो कर्च जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है।
 - एनोक्सिक जल: काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है।
- रूस-यूक्रेन संघर्षः
 - युक्रेन में रूसी सैन्य नियंत्रण का क्षेत्र:
 - वर्ष 2022 में डोनबास पर नियंत्रण स्थापित किया गया जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र भी शामिल हैं।
 - **कीमिया:** रूस ने वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़ा किया था ।
 - मारियुपोल और ओडेसा : रूस का फोकस इन क्षेत्रों पर है:
 - मारियुपोल, डोनेट्स्क में अज़ोव बंदरगाह का सागर है।
 - क्रीमिया के पश्चिम में ओड़ेसा है।
 - 'बोस्पोरस' और 'डार्डानेल्स' जलडमरूमध्यः मोंट्रेक्स कन्वेंशन द्वारा तुर्किये को एजियन, मरमरा और काला सागर को

- जोड़ने वाले डार्डानेल्स एवं बोस्पोरस जलडमरूमध्य से युद्धपोतों के गुजरने पर कुछ नियंत्रण प्राप्त होता है।
- नौसैनिक अभ्यास 'सी ब्रीज : इसमें नाटो राज्य तथा इसके सहयोगी देश शामिल होते हैं।

पर्यावरण संदर्भः

♦ तुर्किये का मरमरा सागर (Sea of Marmara): इसमें 'सी स्नॉट' (Sea Snot) का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया। भारत में पर्वत श्रेणियाँ



ग्रहण के प्रकार

चर्चा में क्यों ?


हाल ही में 8 नवंबर, 2022 को पूर्ण चंद्र ग्रहण (TLE) देखा गया।

इसके पहले भारत में अक्तूबर 2022 में आँशिक सूर्य ग्रहण देखा गया
 था।

प्रमुख बिंदु

सुपरमून:


- यह उस स्थिति को दर्शाता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट और साथ ही पूर्ण आकार में होता है।
 - चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की पिरक्रमा किये जाने के दौरान एक समय दोनों के मध्य सबसे कम दूरी रह जाती है जिसे उपभू (Perigee) कहा जाता है और जब दोनों के मध्य सबसे अधिक दूरी हो जाती है तो इसे अपभू (Apogee) कहा जाता है।
- चूँिक पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी से कम-से-कम दूरी के बिंदु पर दिखाई देता है और इस समय यह न केवल अधिक चमकीला दिखाई देता है, बिल्क सामान्य पूर्णिमा के चंद्रमा से भी बड़ा होता है।
- नासा के अनुसार, सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा दिया गया था। एक सामान्य वर्ष में दो से चार पूर्ण सुपरमून और एक पंक्ति में दो से चार नए सुपरमून हो सकते हैं।



चंद्र ग्रहणः

- परिचयः
 - चंद्र ग्रहण तब होता है,जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है।
 इस दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक-दूसरे की बिल्कुल सीध

- में होते हैं तथा यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है।
- सर्वप्रथम चंद्रमा पेनुम्ब्रा (Penumbra) की तरफ चला जाता है-पृथ्वी की छाया का वह हिस्सा जहाँ सूर्य से आने वाला संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध नहीं होता है। चंद्रमा के भू-भाग का वह हिस्सा सामान्य पूर्णिमा की तुलना में धुँधला दिखाई देगा।
- उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा या प्रतिछाया (Umbra) में चला जाता है, जहाँ सूर्य से आने वाला प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी के कारण अवरुद्ध हो जाता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के वायुमंडल में चंद्रमा की डिस्क द्वारा परावर्तित एकमात्र प्रकाश पहले ही वापस ले लिया गया है या परिवर्तित किया जा चुका है।



🕨 पूर्ण चंद्र ग्रहण:


- पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है और पृथ्वी की छाया चाँद पर पड़ती है।
- इस दौरान चंद्रमा की पूरी डिस्क पृथ्वी की कक्षा या प्रतिछाया
 (Umbra) में होती है, इसिलये चंद्रमा लाल (ब्लड मून)
 दिखाई देता है।
 - रेलिघ प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering) नामक घटना के कारण चंद्रमा लाल रंग का हो जाता है।
- रेलिघ प्रकीर्णन का तात्पर्य तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन के बिना किसी माध्यम में कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से है। यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है।
- ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल हो जाता है क्योंिक इस तक पहुँचने वाला सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है। धूल या बादलों के कारण सूर्य की रोशनी में प्रकीर्णन के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है।
- NASA (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडिमिनिस्ट्रेशन) के अनुसार, पूर्ण चंद्र ग्रहण औसतन हर डेढ़ साल में एक बार होता है।

आंशिक चंद्र ग्रहणः

- जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है एवं वह सूर्य से चंद्रमा पर आने वाले प्रत्यक्ष प्रकाश में बाधा डालती है।
- यह छाया बढ़ती जाती है और फिर चंद्रमा को पूरी तरह से ढके
 बिना कम हो जाती है।

• पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण (Penumbral eclipse):


- इसमें चंद्रमा, पृथ्वी के पेनुम्ब्रा या इसकी छाया के बाहरी भाग से होकर गुजरता है।
- इसमें चंद्रमा इतना धुँधला हो जाता है कि इसे देख पाना मुश्किल हो सकता है।



सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse):

परिचय:

जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अँधेरा छा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं।



• पकार-

- पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse)::
 - पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) तब होता
 है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं,

- इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अँधेरा छा जाता है।
- इस घटना के दौरान चंद्रमा, सूर्य की पूरी सतह को ढक लेता है।
- जब चंद्रमा सूर्य की वलय को पूरी तरह से ढक लेता है तो सूर्य का केवल कोरोना दिखाई देता है।
- इसे पूर्ण ग्रहण इसिलये कहा जाता है क्योंिक ग्रहण के अधिकतम बिंदु (समग्रता के मध्य बिंदु) पर आकाश में अँधेरा छा जाता है और तापमान गिर जाता है।

वलयाकार सूर्य ग्रहण:


- वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा, सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और उसका केवल कुछ हिस्सा दिखाई देता है।
- चूँिक चंद्रमा, पृथ्वी से बहुत दूर है, इसिलये यह सूर्य से छोटा दिखाई देता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है।
- नतीजतन चंद्रमा एक बड़ी, चमकदार वलय के ऊपर एक अँधेरे वलय के रूप में दिखाई देता है, जो चंद्रमा के चारों ओर एक रिंग जैसा दिखता है।

आंशिक सूर्य ग्रहणः

- आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से चंद्रमा गुजरता है लेकिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से एक साथ नहीं होते हैं।
- सूर्य का केवल एक हिस्सा ही ढका हुआ दिखाई देता है, जिससे यह अर्द्धचंद्राकार आकार का दिखाई देगा। पूर्ण या वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की आंतरिक छाया से आच्छादित क्षेत्र के बाहर, लोगों को आंशिक सुर्य ग्रहण दिखाई देता है।

मिश्रित सूर्य ग्रहणः

- ध्वी की सतह की वक्रता के कारण कभी-कभी ग्रहण के चरण वलयाकार और पूर्ण ग्रहण के बीच परिवर्तित हो सकता है कक्योंकि चंद्रमा की छाया दुनिया भर में दिखाई देती है।
- इसे मिश्रित सूर्य ग्रहण कहा जाता है।



हिमालयी क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) ने अचानक आने वाली बाढ़, चट्टानों के स्खलन, स्खलन, ग्लेशियर झील के फटने और हिमस्खलन के खिलाफ हिमालयी राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिये क्षेत्रीय अध्ययन शुरू किया है।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली क्या है?

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली खतरे की निगरानी, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी, आपदा जोखिम मूल्यांकन, संचार और तैयारी गतिविधियों, प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की एक एकीकृत प्रणाली है जो व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों, व्यवसायों तथा अन्य लोगों को खतरनाक घटनाओं से पहले आपदा जोखिमों को कम करने के लिये समय पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है।
- यह तूफान, सुनामी, सूखा और हीटवेव सिहत आसन्न खतरों से पहले लोगों एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद करती है।
- बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कई खतरों को संबोधित करती है जो अकेले या एक साथ हो सकटे हैं।
 - बहु-खतरे वाली पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा जोखिम जानकारी की उपलब्धता बढ़ाना आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित सात वैश्विक लक्ष्यों में से एक है।

आपदा प्रबंधन हेतु भारत के प्रयासः

- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की स्थापनाः
 - भारत ने सभी प्रकार की आपदाओं के न्यूनीकरण के संदर्भ में तेजी से कार्य किया है तथा आपदा प्रतिक्रिया के लिये समर्पित विश्व के सबसे बड़े बल 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल' (NDRF) की स्थापना के साथ सभी प्रकार की आपदाओं की स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया की है।

• NDMA की स्थापनाः

- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), भारत में आपदा प्रबंधन के लिये शीर्ष निकाय है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा NDMA की स्थापना और राज्य एवं जिला स्तरों पर संस्थागत तंत्र हेतु सक्षम वातावरण का निर्माण अनिवार्य है।
- यह आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करता है।

अन्य देशों को आपदा राहत प्रदान करने में भारत की भूमिकाः

- भारत की विदेशी मानवीय सहायता में इसकी सैन्य शक्ति को भी तेजी से शामिल किया गया है जिसके तहत आपदा के समय देशों को राहत प्रदान करने के लिये नौसेना के जहाजों या विमानों को तैनात किया जाता है।
- "नेबरहुड फर्स्ट" की इसकी कूटनीति के अनुरूप, राहत
 प्राप्तकर्त्ता देश दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के हैं।

क्षेत्रीय आपदा तैयारियों में योगदानः

- बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC/बिम्सटेक) के संदर्भ में भारत ने आपदा प्रबंधन अभ्यासों की मेजबानी की है जो NDRF को साझेदार राज्यों के समकक्षों को विभिन्न आपदाओं का सामना करने के लिये विकसित तकनीकों का प्रदर्शन करने की अनुमित देता है।
- NDRF और भारतीय सशस्त्र बलों के अभ्यासों ने भारत को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों के संपर्क में ला दिया है।

जलवायु पिरवर्तन से संबंधित आपदा का प्रबंधनः

भारत ने DRR, सतत् विकास लक्ष्यों (2015-2030) और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया है, जो सभी DRR, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) एवं सतत् विकास के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हैं।

भूकंप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेपाल में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया,जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कई घर नष्ट हो गए थे, भारत में भी इसके शक्तिशाली झटके महसूस किये गए।

इन झटकों का कारण क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, इन झटकों का प्रमुख कारण भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के महाद्वीपीय टकराव है जो हिमालय में भूकंप के लिये प्रमुख कारक है।
- ये प्लेटें प्रतिवर्ष 40-50 मिलीमीटर की सापेक्ष दर से करीब आती जा रही हैं।
- यूरेशिया के नीचे भारत के उत्तर की ओर धकेलने/बढ़ने से कई भूकंप उत्पन्न होते हैं, फलस्वरूप यह इस क्षेत्र को पृथ्वी पर भूकंपीय रूप से सबसे अधिक खतरनाक क्षेत्रों में से एक बनाता है।
 - हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ सबसे खतरनाक भूकंप देखे गए हैं जैसे कि वर्ष 1934 में 8.1 तीव्रता वाला, कांगड़ा में वर्ष 1905 में 7.5 की तीव्रता का और कश्मीर में वर्ष 2005 में 6 तीव्रता का भूकंप।

भुकंप

• परिचयः

- साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं।
- भूकंप से उत्पन्न तरगों को भूकंपीय तरगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गित करती हैं तथा इन्हें 'सिस्मोग्राफ' (Seismographs) से मापा जाता है।
- पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है, हाइपोसेंटर (Hypocenter) कहलाता है और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरगें सबसे पहले पहुँचती है अधिकेंद्र (Epicenter) कहलाता है।
- भूकंप के प्रकारः फाल्ट जोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप।
- भूकंप की घटनाओं को या तो कंपन की तीव्रता या तीव्रता के अनुसार मापा जाता है। परिमाण पैमाने को रिक्टर पैमाने के रूप में जाना जाता है। परिमाण भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा से संबंधित है। परिमाण को निरपेक्ष संख्या, 0-10 में व्यक्त किया जाता है।

तीव्रता के पैमाने का नाम इटली के भूकंपविज्ञानी मर्केली के नाम पर रखा गया है। तीव्रता का पैमाना घटना के कारण होने वाली दृश्य क्षति को ध्यान में रखता है। तीव्रता पैमाने की सीमा 1-12 है।

भूकंप का वितरणः


- पिर-प्रशांत भूकंपीय पेटी: विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी, पिर-प्रशांत भूकंपीय पेटी, प्रशांत महासागर के किनारे पाई जाती है, जहाँ हमारे ग्रह के सबसे बड़े भूकंपों के लगभग 81% आते हैं। इसने "रिंग ऑफ फायर" उपनाम अर्जित किया है।
 - यह पेटी विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं में मौजूद है, जहाँ अधिकतर समुद्री क्रस्ट की प्लेटें दूसरी प्लेट के नीचे जा रही हैं। इसका कारण इन 'सबडक्शन जोन' में भूकंप, प्लेटों के बीच फिसलन और प्लेटों का भीतर से टूटना है।
- मध्य महाद्वीपीय बेल्टः अल्पाइन-हिमालयी बेल्ट (मध्य-महाद्वीपीय बेल्ट) यूरोप से सुमात्रा तक हिमालय, भूमध्यसागरीय और अटलांटिक में फैली हुई है।
 - इस बेल्ट में दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों का लगभग 17%
 भूकंप आते है, जिसमें कुछ सबसे विनाशकारी भी शामिल हैं।
- मध्य अटलांटिक कटकः तीसरा प्रमुख बेल्ट जलमग्न मध्य-अटलांटिक रिज में है। रिज वह क्षेत्र होता है, जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट अलग-अलग विस्तृत होती हैं।
 - मध्य अटलांटिक रिज का अधिकांश भाग गहरे पानी के भीतर है और मानव हस्तक्षेप से बहुत दूर है।



भारत में भूकंप जोखिम मानचित्रणः

- तकनीकी रूप से सिक्रय विलत हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप प्रभावित देशों में से एक है।
- अतीत में आए भूकंप तथा विवर्तनिक झटकों के आधार पर भारत को चार भूकंपीय क्षेत्रों (II, III, IV और V) में विभाजित किया गया है।

- पहले भूकंप क्षेत्रों को भूकंप की गंभीरता के संबंध में पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) ने पहले दो क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर देश को चार भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है।
 - BIS भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड को प्रकाशित करने हेतु एक आधिकारिक एजेंसी है।



भूकंपीय जोन II:

 मामूली क्षित वाला भूकंपीय जोन, जहाँ तीव्रता MM (संशोधित मरकली तीव्रता पैमाना) के पैमाने पर V से VI तक होती है।

भूकंपीय ज़ोन III:

 MM पैमाने की तीव्रता VII के अनुरूप मध्यम क्षित वाला जोन।

• भूकंपीय ज़ोन IV:

 MM पैमाने की तीव्रता VII के अनुरूप अधिक क्षित वाला जोन।

• भूकंपीय ज़ोन V:

- यह क्षेत्र फॉल्ट प्रणालियों की उपस्थिति के कारण भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सिक्रय होता है।
- भूकंपीय जोन V भूकंप के लिये सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र
 है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से देश में भूकंप के कुछ सबसे तीव्र झटके देखे गए हैं।
- इन क्षेत्रों में 7.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप देखे गए हैं और
 यह IX की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं।

The Vision

child

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी दरों को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिये 1 अक्तूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों के लिये पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंज़्री दी।

 सभी गैर-यूरिया आधारित उर्वरकों को NBS योजना के तहत विनियमित किया जाता है।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था:

- NBS व्यवस्था के तहत इन उर्वरकों में निहित पोषक तत्त्वों (N, P, K और S) के आधार पर किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक प्रदान किये जाते हैं।
- साथ ही जिन उर्वरकों को द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों जैसे मोलिब्डेनम (Mo) एवं जस्ता के साथ मजबूत किया जाता है, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है।
- P&K उर्वरकों पर सिब्सिडी की घोषणा सरकार द्वारा प्रित किलो के आधार पर प्रत्येक पोषक तत्त्व के लिये वार्षिक आधार पर की जाती है, जो P&K उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, विनिमय दर, देश में सूची स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।
- NBS नीति का उद्देश्य P&K उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना है तािक NPK उर्वरकों का इष्टतम संतुलन (N:P:K= 4:2:1) हािसल किया जा सके।
 - इससे मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिणामस्वरूप फसलों की उपज में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी।
 - साथ ही जैसा कि सरकार को उर्वरकों के तर्कसंगत उपयोग की उम्मीद है, इससे उर्वरक सब्सिडी का बोझ भी कम होगा।
- इसे उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2010 से क्रियान्वित किया जा रहा है।

NBS से संबंधित मुद्देः

- उर्वरकों की कीमत में असंतुलन:
 - चूँिक यूरिया योजना में शामिल नहीं है, इसकी कीमत अभी भी नियंत्रण में है क्योंिक NBS केवल उर्वरकों पर लागू किया गया है। वर्तमान में यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य औपचारिक

रूप से 5,628 रुपए प्रति टन तय की गई है। तकनीकी रूप से,अन्य उर्वरकों के लिये कोई मूल्य विनियमन नहीं है। अन्य गैर-विनियमित उर्वरकों की बढ़ती लागत के कारण किसान अब पहले की तुलना में अधिक यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। परिणामस्वरूप उर्वरक में असंतुलन की स्थिति और भी बदतर हो गई है।

अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर प्रभाव:

खाद्य सिंब्सिडी के बाद उर्वरक सिंब्सिडी दूसरी सबसे बड़ी सिंब्सिडी है, एनबीएस नीति न केवल अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही है बिल्क देश की मिट्टी के स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक साबित हो रही है।

कालाबाजारीः

- सिब्सिडी वाली यूरिया को थोक खरीदारों/व्यापारियों या यहाँ तक कि गैर-कृषि उपयोगकर्त्ताओं जैसे कि प्लाईवुड और पशु-चारा निर्माताओं को दिया जा रहा है।
 - इसकी तस्करी बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में की जा रही है।

आगे की राह

- उर्वरक उपयोग में असंतुलन को दूर करने के लिये यूरिया को एनबीएस के तहत लाना चाहिये।
 - ऐसा करने का एक व्यावहारिक तरीका यूरिया की कीमतों में वृद्धि करना और साथ ही अन्य उर्वरकों को सस्ता करने के लिये फास्फोरस, पोटाश और सल्फर की एनबीएस दरों को कम करना है।
- यह देखते हुए कि सभी तीन पोषक तत्त्व अर्थात् एन (नाइट्रोजन),
 पी (फास्फोरस) और के (पोटेशियम) फसल की उत्पादकता एवं
 उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, सरकार को
 आवश्यक रूप से सभी उर्वरकों हेतु एक समान नीति बनानी चाहिये।
- दीर्घाविध में एनबीएस की जगह प्रति एकड़ नकद सब्सिडी (एकमुश्त) दी जानी चाहिये जिसका उपयोग किसी भी उर्वरक को खरीदने में किया जा सकता है।
 - इस सिब्सिडी में मूल्यबर्द्धित और अनुकूलित उत्पाद शामिल होने चाहिये जिनमें न केवल अन्य पोषक तत्त्व हों, बिल्क यूरिया की तुलना में नाइट्रोजन को भी अधिक कुशलता से वितरित किया जाए।

अवैध, गैर-सूचित और अविनियमित (IUU) मत्स्यन में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारतीय नौसेना के जहाजों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से परे अवैध, गैर-सुचित और अविनियमित (IUU) मत्स्यन घटनाओं के बावजूद हिंद महासागर में चीन के 200 से अधिक मछली पकडने वाले जहाजों को देखा।

- ऐसी अधिकांश अवैध गतिविधियाँ उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में होती हैं।।
- प्रत्येक वर्ष 5 जून को अवैध, गैर-सूचित और अविनियमित (IUU) मत्स्यन घटनाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

अवैध, गैर-सूचित और अविनियमित (IUU) मत्स्यन घटनाएँ:

- IUU मत्स्यन, मत्स्यन गतिविधियों की विस्तृत विविधता को दर्शाने वाला व्यापक शब्द है।
- IUU, मत्स्यन के सभी प्रकार और आयामों से संबंधित है; इसे गहन समुद्रों और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में देखा जाता
- यह मछली पकड़ने और इसके उपयोग के सभी पहलुओं और चरणों से संबंधित है, और यह कभी-कभी संगठित अपराध से जुड़ा हो सकता है।
- इस प्रकार का मत्स्यन, मछलियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिये किये जाने वाले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों में बाधक है इसके परिणामस्वरूप, दीर्घकालिक स्थिरता और उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति भी शिथिल होती है।

भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र की स्थिति:

भारतीय परिदृश्य:

- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक उत्पादन में 7.56% हिस्सा है और देश के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में लगभग 1.24% और कृषि GVA में 7.28% से अधिक का योगदान है।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है।
- इस क्षेत्र को 14.5 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करने और देश के 28 मिलियन मछुआरा समुदाय के लिये सतत् आजीविका प्रदान करने वाले एक मज़बूत चालक के रूप में माना गया है।
- विगत कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में तीन प्रमुख परिवर्तन हुए
 - अंतर्देशीय जलीय कृषि का विकास, विशेष रूप से फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर।

- मछली पकडने के कार्य का मशीनीकरण।
- लवणीय जल के झींगा जलीय कृषि की सफल शुरुआत।

संबंधित पहलः

मात्स्यिकी बंदरगाहः

आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में पाँच प्रमुख मात्स्यिकी बंदरगाहों (कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, पेट्आघाट) का विकास।

समुद्री शैवाल पार्कः

तमिलनाडु को गुणवत्ता वाले समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों के उत्पादन के लिये बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क को केंद्र बनाया जाएगा जिसे हब और स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाः

- यह 15 लाख मछुआरों, मत्स्यन करने वाले किसानों आदि के लिये प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का प्रयास करता है जिसमे से इस संख्या का लगभग तीन गुना अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के रूप में है।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक मछुआरों, मछली पालन करने वाले किसानों और मछली श्रमिकों की आय को दोगुना करना है।

'पाक बे' योजना (Palk Bay Scheme)

- "पाक जलडमरूमध्य से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं में ट्रॉल मछली पकडने वाली नौकाओं का विविधीकरण" योजना 2017 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी।
- इसे अम्ब्रेला ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

समुद्री मत्स्य पालन विधेयक, 2021:

विधेयक में मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत जहाज़ों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मछली पकडने के लिये केवल लाइसेंस देने का प्रस्ताव है।

अवैध खनन के मुद्दे से निपटने के लिये क्या पहल:-

इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA):

 मई 2022 में, IUU मछली पकडने के प्रभाव को पहचानते हए, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाली मछली के भंडार में कमी आ सकती है, क्वाड (QUAD) के सदस्यों ने इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) के दायरे में एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रयास की घोषणा की।

- इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में "निकट-वास्तिवक समय/नियर रियल टाइम" गतिविधियों की अधिक सटीक समुद्री तस्वीर प्रदान करना है।
- यह (IPMDA) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में IUU को संबोधित करने की दिशा में भारत और अन्य क्वाड भागीदारों के संयुक्त प्रयासों को उत्प्रेरित करने की उम्मीद है।

• IFC-IOR:

- गुरुग्राम में भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) और इसके साथ स्थित सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) उच्च समुद्र में सभी जहाजों की गतिविधियों की निगरानी करता है।
- (IFC-IOR) समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिये दुनिया भर के अन्य क्षेत्रीय निगरानी केंद्रों के साथ सहयोग कर रहा है, जिसमें IUU की निगरानी के प्रयास भी शामिल हैं।।

• UNCLOS:

- सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)
 के अनुसार, तटीय राष्ट्र अपने संबंधित EEZ के भीतर IUU
 मछली पकड़ने के मुद्दों को संबोधित करने के लिये जिम्मेदार हैं।
- UNCLOS के तहत क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन जैसे कि हिंद महासागर टूना आयोग और दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौता उच्च समुद्र पर IUU मत्स्यन की निगरानी करते हैं।

केप टाउन समझौताः

- वर्ष 2012 का केप टाउन समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी समझौता है जो 24 मीटर लंबाई और उससे अधिक या सकल टन में समतुल्य मत्स्यन जहाजों के डिजाइन, निर्माण, उपकरण एवं निरीक्षण पर न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
 - भारत इस समझौते का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है।

एग्रीमेंट ओन पोट्स स्टेट मेज़र्स:

- इस समझौते का उद्देश्य प्रभावी पोर्ट्स स्टेट मेजर्स के कार्यान्वयन के माध्यम से IUU मत्स्यन को रोकना, बचाना और उन्मूलन करना है और इस प्रकार समुद्री संसाधनों और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना है।
 - भारत इस समझौते का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय IUU मत्स्यन रोकथाम अंतर्राष्ट्रीय दिवसः

 संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने नवंबर 2017 में अपने 72वें सत्र में IUU मत्स्यन के खिलाफ लड़ाई के लिये 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया।

शामाजिक हथाय

कुपोषण, भूख और खाद्य असुरक्षा से निपटना

चर्चा में क्यों?

भारत भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को मिटाने हेतु वर्ष 2030 के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर नहीं है।

- वर्ष 2021 की वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार, भारत छह वैश्विक लक्ष्यों स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीिमया, मातृ, नवजात और छोटे बच्चे के पोषण, जन्म के समय कम वज्ञन और बचपन के मोटापे को दूर करने में से पाँच को प्राप्त करने की राह पर नहीं है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2012 में छह वैश्विक पोषण लक्ष्य निर्धारित किये गए थे, जिन्हें 2025 तक हासिल किया जाना है।

खाद्य असुरक्षा और कुपोषण में योगदान देने वाले कारकः

- वर्तमान नीतियाँ:
 - वर्तमान नीतियों ने आधुनिक कृषि-खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित किया है जिससे मुख्य अनाज पर निर्भर आहारों की तुलना में स्वस्थ आहारों की कीमत कई गुना वृद्धि हुई है।
 - इन प्रतिबंधों ने उच्च ऊर्जा घनत्व और कम पौष्टिक मूल्य के कम लागत वाले खाद्य पदार्थों को अधिक लोकप्रिय बना दिया है।
- पारंपरिक फसलों का विलुप्त होनाः
 - भिविष्य की स्मार्ट फसलें जैसे कि ऐमारैंथस, एक प्रकार का अनाज, माइनर बाजरा, फिंगर बाजरा, प्रोसो बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा और दालें पारंपिरक रूप से भारत में उगाई जाती थीं, जिससे वे खाद्य और पोषण सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गए।
 - ये पारंपिक फसलें विभिन्न कारणों से धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही हैं।
 - उनके पोषण मूल्य, उत्पादन के लिये व्यवहार्य स्थानीय बाजारों और नकदी फसलों की बढ़ती मांग के बारे में ज्ञान की कमी उनके विलुप्त होने को बढावा दे रही है।
- असंतुलित आहार:
 - हाल के वर्षों में सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली ने अप्रत्याशित रूप से दुनिया भर में खाने की आदतों और आहार को बदल दिया है।
- विभिन्न कारकः
 - ऐसे कारकों में शामिल हैं संघर्ष, जलवायु चरम सीमा, आर्थिक संकट और बढ़ती असमानता।

- ये कारक अक्सर संयोजन में होते हैं, राजकोषीय स्थितियों को जटिल बनाते हैं और इसे कम करने की दिशा में प्रयास करते हैं।
- पहल:
 - पोषण अभियान: भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) या पोषण अभियान शुरू किया है।
 - एनीमिया मुक्त भारत अभियान: इसे वर्ष 2018 में शुरू िकया
 गया, िमशन का उद्देश्य एनीिमया की वार्षिक दर को एक से तीन
 प्रतिशत अंक तक कम करना है।
 - मध्याह्न भोजन (MDM) योजनाः इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों
 के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है, जिसका स्कूलों में
 नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक
 प्रभाव पड़ता है।
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: इसका उद्देश्य अपनी संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे भोजन तक पहुँच कानूनी अधिकार बन जाए।
 - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिये बेहतर सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु
 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किये जाते हैं।
 - समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना: इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और अन्य सेवाएँ प्रदान करना है।

आगे की राह

- कृषि-खाद्य प्रणालियों में निवेश:
 - भारत जैसे विकासशील देशों को आर्थिक मंदी, घरेलू आय में कमी, अनियमित कर राजस्व और मुद्रास्फीति के दबाव के बावजूद बढ़ी हुई खाद्य आवश्यकता एवं पोषण के लिये कृषि-खाद्य प्रणालियों में भारी निवेश करना होगा।
- सार्वजनिक निधियों के आवंटन पर पुनर्विचार करनाः
 - यह भी पुनर्विचार करना आवश्यक है कि कृषि उत्पादकता, आपूर्ति शृंखला और उपभोक्ता व्यवहार के संदर्भ में खाद्य एवं कृषि नीतियों के संदर्भ में सार्वजनिक धन कैसे आवंटित किया जाना चाहिये।

पोषाहार संरचना में अंतराल को पाटनाः

- भारतीय आहार में फल, फिलयाँ, मेवा, मछली और डेयरी वस्तुओं विशेष रूप से कमी है. ये सभी स्वस्थ विकास और गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के लिये आवश्यक हैं।
- इस प्रकार दैनिक भोजन की पोषण गुणवत्ता में अंतराल को पाटने के रुप में भारत को कुपोषण, पोषण असमानता और खाद्य असुरक्षा के तिहरे बोझ से निपटने के लिये कदम उठाना चाहिये।

• भविष्य की फसलों का उत्पादन:

- स्थानीय, पारिस्थितिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक संदर्भों से जुड़े होने के कारण पारंपरिक खाद्य प्रणालियाँ आम जनता के स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा को बनाए रखने के लिये सबसे अच्छी स्थिति में हैं।
- मुख्य खाद्य फसलों की तुलना में भिवष्य की स्मार्ट फसलें अधिक पौष्टिक होती हैं।

मज़बृत डेटा प्रबंधनः

भारत को वर्ष 2030 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अधिक मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली, खाद्य वितरण प्रणाली में बेहतर जिम्मेदारी, प्रभावी संसाधन प्रबंधन, पर्याप्त पोषण शिक्षा, कर्मचारियों में वृद्धि और कठोर निगरानी की आवश्यकता है।

स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्व-रोजगार महिला संघ (SEWA) की संस्थापक इलाबेन भट्ट का निधन हो गया।



इलाबेन भट्ट:

वह एक प्रसिद्ध गांधीवादी, सशक्त अग्रणी महिला कार्यकर्त्ता थीं।

- इलाबेन को उनके काम के लिये कई सम्मान मिले, उन्हें पद्म भूषण,
 मैग्सेसे पुरस्कार और इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार सिंहत कई
 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- वह संसद सदस्य और भारत सरकार के योजना आयोग की सदस्य थीं।
- उन्होंने इन सभी अवसरों का उपयोग भारतीय महिलाओं की स्थिति
 में संरचनात्मक सुधार लाने के लिये किया।
- वह वर्ष 1955 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन में शामिल हुईं, यह एक ऐसा संघ था जो वर्ष 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कपड़ा हड़ताल के बाद प्रसिद्ध हुआ।
- यूनियन की महिला विंग में उनके काम और कपड़ा क्षेत्र में महिला प्रवासियों के साथ लगातार बातचीत ने उन्हें स्वयं सहायता समूह की अवधारणा के लिये प्रेरित किया।

स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA):

- SEWA का उद्भव वर्ष 1920 में अनसूया साराभाई और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (TLA) से हुआ था, लेकिन वर्ष 1972 तक यह ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत नहीं हो सका क्योंकि इसके सदस्यों के पास कोई "नियोक्ता" नहीं था और ऐसे में उन्हें श्रमिकों के रूप में नहीं देखा जाता था।
 - वर्ष 1981 में आरक्षण विरोधी दंगों के बाद जिसमें चिकित्सा शिक्षा में दिलत वर्ग के लिये आरक्षण का समर्थन करने के लिये भट्ट समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था, TLA और SEWA अलग हो गए।
- वर्ष 1974 की शुरुआत में गरीब महिलाओं को छोटे ऋण प्रदान करने के लिये सेवा बैंक की स्थापना की गई थी।
- यह एक पहल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा माइक्रोफाइनेंस आंदोलन के रूप में मान्यता दी गई थी।
- मात्र 10 रुपए के वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ, कोई भी स्व-नियोजित व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है।
- इसका नेटवर्क भारत के 18 राज्यों, दक्षिण एशिया के अन्य देशों,
 दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है।
- इसने महिलाओं को कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाकर व्यक्तिगत एवं राजनीतिक, सामाजिक संकटों के समय उनका पुनर्वास करने में मदद की है।
- इसने बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार प्रदान किया और वस्त्रों के सहकारी उत्पादन, उपभोग तथा विपणन को बढ़ावा दिया जो भारत के औद्योगीकरण का मूल था।
- इसने भारत में ट्रेड यूनियनवाद और श्रमिक आंदोलन की दिशा को भी निर्णायक रूप से प्रभावित किया।

SEWA की उपलब्धियाँ:

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (2008), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011), और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, (2014) को SEWA के संघर्ष की सफलता के रूप में देखा जाता है।

- पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मिनर्भर निधि (पीएम-स्विनिध) योजना को SEWA के माइक्रोफाइनेंस मॉडल से प्रेरित माना जा रहा है।
- महामारी के दौरान SEWA ने विक्रेताओं को खरीदारों से जोड़ने के लिये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अनुबंध लॉन्च किया, तािक लॉकडाउन के दौरान खान-पान संबंधी समस्या न हो।

स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट का 2022 संस्करण जारी किया गया।

- यह फ्लैगशिप रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है।
- रिपोर्ट में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कैसे हमारी कृषि-खाद्य प्रणालियों में ऑटोमेशन सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है और नीति निर्माताओं को लाभ को अधिकतम करने तथा जोखिमों को कम करने के बारे में सिफारिशें प्रदान करता है।

एग्रीकल्चर ऑटोमेशनः

- एग्रीकल्चर ऑटोमेशन, जिसमें ट्रैक्टर से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक शामिल है, खाद्य उत्पादन को अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यदि छोटे पैमाने के उत्पादकों और अन्य हाशिये के समूहों के लिये ऑटोमेशन तक पहुँच दुर्गम बनी रहती है तो इससे असमानताओं में भी वृद्धि हो सकती है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में विभिन्न तकनीकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया भर के 27 केस स्टडीज़ को शामिल किया गया।
 - 27 सेवा प्रदाताओं में से केवल 10 की स्थिति ही फायदेमंद और आर्थिक रूप से टिकाऊ है।
- प्रति 1,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के लिये उपलब्ध ट्रैक्टरों की संख्या संबंधी आँकड़ों के अनुसार, क्षेत्रों में मशीनीकरण की दिशा में असमान प्रगति हुई है।
- उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया के उच्च आय वाले देश 1960 के दशक तक काफी अधिक यंत्रीकृत थे लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मशीनीकरण का स्तर निम्न था।
- विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में इसकी सीमितता के साथ देशों
 और इनके बीच ऑटोमेशन के प्रसार में व्यापक असमानताएँरही हैं।
 - उदाहरण के लिये वर्ष 2005 में जापान में प्रति 1,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर 400 से अधिक ट्रैक्टर थे, जबिक घाना में यह आँकड़ा केवल 4 था।
 - उप-सहारा अफ्रीका में मानव और पशु शक्ति पर कृषि क्षेत्र की अधिक निर्भरता के कारण उत्पादकता सीमित रही है।

सुझाव:

- एग्रीकल्चर ऑटोमेशन नीति द्वारा कृषि खाद्य प्रणालियों के टिकाऊ और लचीलेपन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- नीति निर्माताओं को श्रम-प्रचुर क्षेत्रों के संदर्भ में ऑटोमेशन पर सिंब्सिडी देने से बचना चाहिये।
 - एग्रीकल्चर ऑटोमेशन की वजह से ऐसे क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ ग्रामीण श्रमिक प्रचुर मात्रा में होने के साथ मजदूरी कम है।
- नीति निर्माताओं को ऑटोमेशन को अपनाने के लिये एक सक्षम वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- संक्रमण की स्थिति के दौरान नौकरी खोने के अधिक जोखिम वाले कम कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

खाद्य और कृषि संगठन :

- परिचय:
 - FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिये वैश्विक पहल को निर्देशित करती है।
 - प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस FAO की स्थापना की वर्षगाँठ की याद में मनाया जाता है।
 - यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है जो रोम (इटली) में स्थित है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) भी इसमें शामिल हैं।

• FAO की पहलें:

- ♦ विश्व स्तरीय महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS)।
- विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नज़र रखना।
- FAO और WHO के खाद्य मानक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मामलों के संबंध में कोडेक्स एलेमेंट्रिस आयोग (CAC) उत्तरदायी निकाय है।
- खाद्य और कृषि के लिये प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को वर्ष 2001 में FAO के 31वें सत्र में अपनाया गया था।

• फ्लैगशिप पब्लिकेशन (Flagship Publications):

- → वैश्विक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की स्थिति (SOFIA)।
- ♦ विश्व के वनों की स्थिति (SOFO)।
- ♦ वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI)।
- ♦ खाद्य और कृषि की स्थिति (SOFA)।
- कृषि कोमोडिटी बाजार की स्थित (SOCO)।

भारतीय इतिहास

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

 वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।



मौलाना अबुल कलाम आज़ाद:

- जन्मः मौलाना अबुल कलाम आजाद जिनका मूल नाम मुहियुद्दीन अहमद था, का जन्म 11 नवंबर, 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था।
 - आजाद एक उत्कृष्ट वक्ता थे, जैसा कि उनके नाम से संकेत मिलता है- 'अबुल कलाम' का शाब्दिक अर्थ है 'संवादों का देवता' (Lord of Dialogues)।
- संक्षिप्त परिचय:
 - 🔷 वे एक पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद् थे।
- योगदान (स्वतंत्रता पूर्व):
 - ये विभाजन के कट्टर विरोधी थे तथा हिंदू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे।
 - वर्ष 1912 में उन्होंने उर्दू में अल-हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जिसने मॉर्ले-मिंटो सुधारों

- (1909) के बाद दो समुदायों के बीच हुए मनमुटाव को समाप्त कर हिंदू-मुस्लिम एकता को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वर्ष 1909 के सुधारों के तहत मुसलमानों के लिये अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान का हिंदुओं द्वारा विरोध किया गया था।
- सरकार ने अल-हिलाल पित्रका को अलगाववादी विचारों का प्रचारक माना और 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया।
- मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर आधारित भारतीय राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के समान मिशन के साथ अल-बालाग नामक एक अन्य साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया।
- वर्ष 1916 में ब्रिटिश सरकार ने इस पत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को कलकत्ता से निष्कासित कर बिहार निर्वासित कर दिया गया, जहाँ से उन्हें वर्ष 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद रिहा कर दिया गया था।
- आजाद ने गांधीजी द्वारा शुरू िकये गए असहयोग आंदोलन (1920-22) का समर्थन िकया और 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्प्रेस में शामिल हुए।
 - वर्ष 1923 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 35 वर्ष की आयु में वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए।
- वर्ष 1930 में मौलाना आजाद को गांधीजी के नमक सत्याग्रह में शामिल होने तथा नमक कानून का उल्लंघन करने के लिये गिरफ्तार किया गया था। उन्हें डेढ़ साल तक मेरठ जेल में रखा गया था।
- वे 1940 में फिर से कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष बने और 1946 तक इस पद पर बने रहे।

• एक शिक्षाविद्:

- शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना आजाद उदारवादी सर्विहितवाद/ सार्वभौमिकता के प्रतिपादक थे, जो वास्तव में उदार मानवीय शिक्षा प्रणाली थी।
- शिक्षा के संदर्भ में आज़ाद की विचारधारा पूर्वी और पश्चिमी अवधारणाओं के सम्मिलन पर केंद्रित थी जिससे पूरी तरह से एकीकृत व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। जहाँ पूर्वी अवधारणा

आध्यात्मिक उत्कृष्टता एवं व्यक्तिगत मोक्ष पर आधारित थी वहीं पश्चिमी अवधारणा ने सांसारिक उपलिब्धियों और सामाजिक प्रगति पर अधिक बल दिया।

- वे जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जिसे मूल रूप से वर्ष 1920 में संयुक्त प्रांत के अलीगढ़ में स्थापित किया गया था।
- उनकी रचनाएँ: बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गुबार-ए-खातिर, दर्श-ए-वफा, इंडिया विन्स फ्रीडम आदि।
- योगदान (स्वतंत्रता के पश्चात्):
 - वर्ष 1947 में वह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और वर्ष 1958 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के उत्थान के लिये उल्लेखनीय कार्य किये।
 - शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान देश में

पहले IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई

- अन्य देशों में भारतीय संस्कृति के पिरचय हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध पिरषद (Indian Council for Cultural Relations-ICCR) का गठन किया।
- उन्होंने निम्नलिखित तीन अकादिमयों का गठन किया:
 - साहित्य के विकास के लिये साहित्य अकादमी।
 - भारतीय संगीत एवं नृत्य के विकास के लिये संगीत नाटक अकादमी।
 - चित्रकला के विकास के लिये लिलत कला अकादमी।
- मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

जवाहरलाल नेहरू

चर्चा में क्यों?

पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत 14 नवंबर, 2022 को बाल दिवस मना रहा है।

विश्व बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है।

जवाहरलाल नेहरू:



भारत के प्रथम प्रधानमंत्री

॰ जन्म 🗞

14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश में

स्वतंत्रता-पूर्व योगदान

- ◆ अखिल भारतीय कॉन्प्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव 1923
- वर्ष 1929-31 के दौरान, 'मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति' संकल्प का मसौदा तैयार किया
- वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया
- भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के लाहौर (1929) और लखनऊ सत्र (1936) की अध्यक्षता की।
- व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही (1940) (प्रथम-विनोबा भावे)
- → अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन (1942) में 'भारत छोड़ो' आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया।
- सात बार कॉन्प्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए (1954 तक)

. स्वतंत्रता के बाद का रोगदान

- → उद्देश्य संकल्प (सिंवधान का मसौदा तैयार करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत) प्रस्तुत किया किया
- प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करके औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया
- + गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)- उनकी सबसे बड़ी भू-राजनीतिक उपलब्धि
- लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया
- सेना पर संसदीय सर्वोच्चता स्थापित की (भारत को एक और जुंटा सैन्यशासित तीसरी दुनिया निरंकुशता से रोका)
- निम्नलिखित की आधारशिला रखी:
 - भारत की अंतरिक्ष विजय के लिये वैज्ञानिक आधार
 - दोहरे टैक वाले परमाणु कार्यक्रम

उसिन्ट भाषण

+ नियति से साक्षात्कार (Tryst with Destiny)

पुस्तकें

- डिस्कवरी ऑफ इंडिया
- ग्लम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री
- एन ऑटोबायोग्राफी
- लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर

🗞 मृत्यु 🗞

27 मई, 1964

• परिचयः

- 🔷 जन्म: 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में।
- पिता का नाम: मोतीलाल नेहरू (एक वकील जो दो बार अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के पद पर रहे)।
- माता का नाम: स्वरूप रानी

• संक्षिप्त परिचय:

 लेखक, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्त्ता और वकील, जो भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे।

• शिक्षाः

- नेहरू ने 16 वर्ष की आयु तक अंग्रेज़ी शिक्षिका और ट्यूटर्स द्वारा घर पर शिक्षा प्राप्त की।
- उन्होंने वर्ष 1905 में एक प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी स्कूल हैरो में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने दो साल पढ़ाई की।
- नेहरू कैम्ब्रिज़ के ट्रिनिटी कॉलेज में तीन साल पढ़ाई की हैं जहाँ उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की है।
- उन्होंने इनर टेम्पल, लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की।

स्वदेश वपसी:

 वर्ष 1912 में जब वे भारत लौटे तो उन्होंने तुरंत राजनीति में भाग लिया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान:

- नेहरू ने वर्ष 1912 में बांकीपुर कॉन्ग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।
- वर्ष 1916 में वे एनी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल हो गए।
 - वे वर्ष 1919 में होम रूल लीग, इलाहाबाद के सचिव बने।
- वर्ष 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बातचीत की और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए।
- वर्ष 1921 में उन्हें सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था।
- नेहरू को सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वर्ष 1927 तक उन्होंने दो बार कॉन्ग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया।
- वर्ष 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू पर लाठीचार्ज किया गया था।
- वर्ष 1929 में नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

- नेहरू ने इस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की।
- वर्ष 1929-31 में उन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति नामक एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जिसमें कॉन्ग्रेस के मुख्य लक्ष्यों और देश के भविष्य को रेखांकित किया गया।
 - वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान कॉन्प्रेस पार्टी द्वारा इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी।
- उन्होंने वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था।
- नेहरू कॉन्ग्रेस के प्रमुख नेता बन गए और महात्मा गांधी के समान लोकप्रिय हुए।
- वर्ष 1936 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की।
- युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी का विरोध करने के लिये
 व्यक्तिगत सत्याग्रह आयोजित करने के कारण नेहरू को गिरफ्तार
 किया गया था।
- उन्होंने वर्ष 1940 में सिवनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया जिसके लिये उन्हें चार साल की जेल की सजा मिली।
- नेहरू ने वर्ष 1942 में बॉम्बे में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक अधिवेशन में 'भारत छोड़ो' आंदोलन की शुरुआत की।
- अन्य नेताओं के साथ नेहरू को 8 अगस्त, 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदनगर किले में ले जाया गया।
- वर्ष 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी (INA) में निष्ठाहीनता के आरोपी अधिकारियों और सैनिकों के लिये कानूनी बचाव की व्यवस्था की।
- उन्हें वर्ष 1946 में चौथी बार भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
- सत्ता के हस्तांतरण की रणनीति की सिफारिश करने के लिये वर्ष
 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था।
 - प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था।
- 15 अगस्त, 1947 को भारत को आजादी तो मिली लेकिन बँटवारे का दुख भी हुआ।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री:

- नेहरू के अनुसार एक रियासत को संविधान सभा में सिम्मिलित होना चाहिये, उन्होंने यह भी पुष्टि की कि स्वतंत्र भारत में कोई रियासत नहीं होगी।
- उन्होंने राज्यों के प्रभावी एकीकरण का कार्य वल्लभबाई पटेल को सौंपा।

- जब नए भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही भारत 26
 जनवरी, 1950 को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।
- राज्यों को भाषाओं के अनुसार वर्गीकृत करने के लिये जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन समिति बनाई।
- लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देने के अलावा उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करके भारत के औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया।
- गुटिनरपेक्ष आंदोलन (NAM) को उनकी सबसे बड़ी भू-राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है।
 - भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरन किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया।

- प्रधानमंत्री के रूप में उनका अंतिम कार्यकाल वर्ष 1962 के चीन-भारत युद्ध के कारण बहुत प्रभावित हुआ।
 - उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने 17 वर्षों के दौरान लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया, भारत के लिये लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
 - उनकी आंतिरक नीतियों की स्थापना लोकतंत्र, समाजवाद, एकीकरण और धर्मिनरपेक्षता के चार सिद्धांतों पर की गई थी। वह इन स्तंभों को नए स्वतंत्र भारत के निर्माण में शामिल करने में सक्षम थे।
- िकताबें: द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, एक आत्मकथा, एक पिता से उसकी बेटी को पत्र।
- मृत्युः २७ मई १९६४ ।



भारतीय विरासत और संस्कृति

गुरु नानक देव जयंती

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर, 2022 को गुरु नानक देव की 553वीं जयंती मनाई गई।



गुरु नानक देव

• जन्मः

- उनका जन्म वर्ष 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई (Talwandi Rai Bhoe) गाँव में हुआ था जिसे बाद में ननकाना साहिब नाम दिया गया।
- वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे।

• योगदानः

- उन्होंने 16वीं शताब्दी में अंतर-धार्मिक संवाद शुरू किया और अपने समय के अधिकांश धार्मिक संप्रदायों के साथ बातचीत की।
- सिखों के पाँचवें गुरु, गुरु अर्जुन (वर्ष 1563-1606) द्वारा संकलित आदि ग्रंथ में शामिल रचनाएँ लिखीं गईं।
 - 10वें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह (वर्ष 1666-1708) द्वारा किये गए परिकर्द्धन के बाद इसे गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाने लगा।
- उन्होंने भक्ति के 'निर्गुण' (निराकार परमात्मा की भक्ति और पूजा) की वकालत की।
- त्याग, अनुष्ठान स्नान, छिव पूजा, तपस्या को अस्वीकार कर दिया।
- सामूहिक जप से जुड़े सामूहिक पूजा (संगत) के लिये नियम निर्धारित किये।

 अपने अनुयायियों को 'एक ओंकार' का मूल मंत्र दिया और जाति, पंथ एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किये बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर जोर दिया।

• मृत्युः

उनकी मृत्यु वर्ष 1539 में करतारपुर, पंजाब में हुई।

आधुनिक भारत में गुरु नानक देव की प्रासंगिकता:

- एक समतावादी समाज का निर्माण: समानता का उनका विचार निम्नलिखित नवीन सामाजिक संस्थानों के रूप में देखा जा सकता है, जो कि उनके द्वारा शुरू किये गए थे।
 - लंगरः सामृहिक खाना बनाना और भोजन को वितरित करना।
 - पंगतः उच्च एवं निम्न जाति के भेद के बिना भोजन करना।
 - संगतः सामृहिक निर्णय लेना।
- सामाजिक सद्भावः
 - उनके अनुसार, पूरी दुनिया ईश्वर की रचना है और सभी एक समान हैं, केवल एक सार्वभौमिक रचनाकार है अर्थात् "एक ओंकार सतनाम" (Ek Onkar Satnam)।
 - इसके अलावा क्षमा, धैर्य, संयम और दया उनके उपदेशों के मूल केंद्र में हैं।

न्यायपूर्ण समाज का निर्माण:

- उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख 'कीरत करो, नाम जपो और वंड छको' (काम, पूजा और दान) का आदर्श रखा।
- उनके धर्म का आधार कर्म के सिद्धांत पर आधारित था और उन्होंने अध्यात्मवाद के विचार को सामाजिक जिम्मेदारी एवं सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में परिणत कर दिया।
- उन्होंने 'दशवंध' (Dasvandh) की अवधारणा या अपनी कमाई का दसवाँ हिस्सा जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करने की वकालत की।

लैंगिक समानताः

- उनके अनुसार, 'महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी ईश्वर की कृपा को साझा करते हैं और अपने कार्यों के लिये समान रूप से जिम्मेदार होते हैं।
- महिलाओं के लिये सम्मान और लैंगिक समानता शायद उनके जीवन से सीखने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण सबक है।

शांति स्थापनाः

- भारतीय दर्शन के अनुसार, गुरु वह है जो रोशनी (अर्थात् ज्ञान)
 प्रदान करता है, संदेह को दूर करता है और सही रास्ता दिखाता है।
- इस संदर्भ में गुरु नानक देव के विचार दुनिया भर में शांति,
 समानता और समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

आंतरिक सुरक्षा

मेक-II परियोजना में शामिल नवीन उत्पाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय सेना ने रक्षा खरीद की मेक- Π पहल के तहत भारतीय उद्योगों द्वारा विकसित महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हेतु पाँच परियोजना स्वीकृति आदेशों (PSOs) को मंजूरी दी है।

मेक-II परियोजनाः

• परिचयः

- मेक-II परियोजनाएँ अनिवार्य रूप से उद्योग द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ हैं जिनमें प्रोटोटाइप के विकास के लिये भारतीय विक्रेताओं द्वारा डिजाइन एवं विकसित किये गए नवीन समाधान शामिल हैं।
- कुल 43 परियोजनाओं में से अब तक 22 प्रोटोटाइप विकास के चरण में हैं जिनकी कुल लागत, परियोजना लागत (₹27,000 करोड़) के सापेक्ष 66% (₹18,000 करोड़) है।

• परियोजना के तहत शामिल नवीन पहलू:

- हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (HFSDR):
 - ये रेडियो सेट इन्वेंट्री में मौजूदा सीमित डेटा हैंडलिंग क्षमता और पुरानी तकनीक वाले हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेटों की जगह लेंगे।
 - अत्याधुनिक, हल्के वजन वाले HFSDR सुरक्षा एवं
 डेटा क्षमता में वृद्धि और बैंड विड्थ के माध्यम से लंबी
 दरी का रेडियो संचार प्रदान करेगा।

ड्रोन किल सिस्टम:

- ड्रोन किल सिस्टम, निम्न रेडियो क्रॉस सेक्शन ड्रोन के खिलाफ एक हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम है।
- इसे दिन और रात में सभी प्रकार के क्षेत्रों में काम करने के लिये विकसित किया जा रहा है।

♦ इन्फैंट्री ट्रेनिंग वेपन सिम्युलेटर (IWTS):

 IWTS, भारतीय सेना के साथ प्रमुख सेवा के रूप में पहली ट्राई-सर्विस मेक-II परियोजना है।

मीडियम रेंज प्रिसिशन किल सिस्टम (MRPKS):

MRPKS एक बार लॉन्च होने के बाद दो घंटे तक हवा
 में उड़ान (Loiter) भर सकता है और 40 किमी. की
 दूरी तक हाई वैल्यू टार्गेट्स को निशाना बना सकता है।

♦ 155mm टर्मिनली गाइडेड मुनिशन (TGM):

पूंजी अधिग्रहण की 'मेक' श्रेणी:

- पूंजी अधिग्रहण की 'मेक' श्रेणी मेक इन इंडिया पहल की आधारशिला है जिसका उद्देश्य सार्वजिनक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना है।
- 'मेक-I' सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को संदर्भित करती है, जबिक 'मेक-II' के तहत उद्योग-वित्तपोषित कार्यक्रमों को कवर किया जाता है।
 - मेक-I को भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ लाइट टैंक और संचार उपकरण जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के विकास में शामिल किया गया है।
 - मेक-II श्रेणी में सैन्य हार्डवेयर उपकरणों का प्रोटोटाइप विकास या आयात प्रतिस्थापन के लिये इसका उन्नयन शामिल है जिसके प्रोटोटाइप विकास उद्देश्यों के लिये कोई सरकारी वित्तपोषण प्रदान नहीं किया जाएगा।
- 'मेक' के तहत एक अन्य उप-श्रेणी 'मेक-III' है जो सैन्य हार्डवेयर उपकरणों को कवर करती है जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आयात प्रतिस्थापन के लिये देश में निर्मित किया जा सकता है तथा भारतीय कंपनियाँ विदेशी भागीदारों के सहयोग से इनका निर्माण कर सकती हैं।

रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु अन्य पहलें:

- रक्षा औद्योगिक गलयारे
- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण
- डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज
- मसौदा रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति 2020
- रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX)
- मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति

छोटे मत्स्यन जहाज़ों की निगरानी परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यह निष्कर्ष देखा गया है कि भारत के तट पर छोटे मत्स्यन जहाजों की निगरानी करने के लिये शुरू की गई परियोजनाएँ प्रभावशाली हैं।

 तटीय सुरक्षा का परीक्षण करने के लिये 15-16 नवंबर को 'पैन-इंडिया' तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल-22 का तीसरा संस्करण भी आयोजित किया जाना है।

छोटे मत्स्यन जहाज़ों की निगरानी परियोजनाएँ:

• स्वचालित पहचान प्रणाली:

- मुंबई में वर्ष 2008 के आतंकवादी हमलों के बाद 20 मीटर से ऊपर के सभी जहाजों के लिये स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) अनिवार्य कर दी गई थी।
- तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को देखने के लिये स्थापित समुद्री
 और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय समिति द्वारा
 निर्णय लिया गया था।
- हालाँकि, 20 मीटर से कम वाले जहाजों के लिये, कई कारणों से इस प्रक्रिया में देरी हुई है।

• व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम:

- व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम (VMS) में अत्याधुनिक विशेषताएँ हैं और यह दो-तरफा संचार को सक्षम बनाती है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिये इस प्रौद्योगिकी को चार कंपनियों को सौंप दिया गया है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सहयोग से पिछले वर्ष गुजरात और तिमलनाडु के तटों पर उनके एक संचार उपग्रह पर परीक्षण किया गया था।

ReALCraft:

 ऑनलाइन ReALCraft (मत्स्य पालन शिल्प का पंजीकरण और लाइसेंसिंग) के निर्माण से भारत में बड़ी संख्या में मछली पकड़ने वाले जहाजों के सत्यापन कार्य और निगरानी करने में काफी आसानी हुई है।

बायोमेट्रिक पहचान पत्रः

समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज चालक दल की पहचान का बायोमेट्रिक सत्यापन करने के लिये अधिकांश मछुआरों को बायोमेट्रिक पहचान पत्र और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को समग्र कार्ड रीडर जारी किये गए हैं।

• इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA):

गहन समुद्रों में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) के समग्र प्रयासों के हिस्से के रूप में, क्वाड समूह ने टोक्यो शिखर सम्मेलन 2022 में "डार्क शिपिंग" को ट्रैक करने और हिंद-प्रशांत में तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों - प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में विभिन्न गतिविधियों की व्यापक और अधिक सटीक समुद्री निगरानी हेतु इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) नामक महत्त्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है।

अभ्यास सी विजिल (Sea Vigil):

परिचयः

इसका पहला संस्करण जनवरी 2019 में आयोजित किया गया
 था।

- इसे भारत का सबसे बडा तटीय रक्षा अभ्यास माना जाता है।
- भारतीय नौसेना द्वारा हर दो वर्ष में किया जाने वाला यह अभ्यास थिएटर लेवल रेडिनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) की ओर एक कदम है।

वर्ष 2022 का संस्करण :

- अभ्यास सी विजिल-22 भारत की मज्जबूती और कमजोरियों का वास्तविक मूल्यांकन प्रदान करने के साथ समुद्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को और मज्जबूत करने में मदद करेगा।
- यह अभ्यास पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र की सिक्रयता पर प्रकाश डालेगा । इसे भारतीय नौसेना द्वारा तटरक्षक बल और समुद्री गतिविधियों से संलग्न अन्य मंत्रालयों के समन्वय से आयोजित किया जा रहा है।
- यह अभ्यास पूरे 7,516 किलोमीटर के समुद्र तट और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के साथ किया जाएगा और इसमें मछली पकड़ने और तटीय समुदायों सिहत अन्य समुद्री हितधारकों के साथ सभी तटीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा।

• महत्त्वः

- सी विजिल और TROPEX एक साथ समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करेंगे, जिसमें शांति से संघर्ष तक संक्रमण शामिल है।
- यह समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा के क्षेत्र में देश की तैयारियों का आकलन करने के लिये शीर्ष स्तर पर अवसर प्रदान करता है।

एशिलश

स्वचालित कारों को अपनाना

चर्चा में क्यों ?

जानलेवा टेस्ला कारों द्वारा दुर्घटनाओं से उत्पन्न मुकदमों की एक शृंखला और एक आपराधिक मामले में, टेस्ला (Tesla) को वर्ष 2015 में ऑटोपायलट लॉन्च करने के बाद से सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।

स्वचालित कारों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाएँ:

- पूर्वनिर्धारित निर्णय शक्तिः
 - स्वचालित कारें मूल रूप से रोबोट हैं जिन्हें एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया है, इसलिये इसकी अधिक संभावना होती है कि वे सभी मामलों में निर्धारित नियमों या पैटर्न का पालन करें।
- डाइवर को नियंत्रण सौंपनाः
 - स्वचालित कारों की सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक यह है कि
 क्या अंतिम क्षण में ड्राइवर को नियंत्रण सौंपना सही होगा।
 - यह न केवल स्वचालित कारों की नैतिकता के बारे में बल्कि
 डाइवर की नैतिकता के बारे में भी सवाल उठाएगा।
- सेल्फ-ड्राइविंग कारों की नैतिकता के सही निर्णयकर्त्ताः
 - कुछ के अनुसार, इस बात पर बहस चल रही है कि सेल्फ-ड्राइविंग कारों की नैतिकता किसे तय करनी चाहिये।
 - यह तर्क दिया जा सकता है कि सेल्फ-ड्राइविंग मामलों की नैतिकता तय करने के लिये कोई भी सही मालिक नहीं है। निर्णय कार के चालक के हाथ में होना चाहिये।
- निष्पक्ष निर्णय लेने के लिये कार को प्रोग्राम करना:
 - कुछ का यह भी तर्क है कि सेल्फ-ड्राइविंग कार का सबसे अच्छा तरीका दुर्घटनाओं के मामले में निष्पक्ष निर्णय लेना है।
 - उन्हें उम्र, लिंग या अन्य मापदंडों के आधार पर मनुष्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिये। उन्हें हमेशा ऐसा निर्णय लेना चाहिये जिससे कम-से-कम प्रभाव पडे।
- हैकिंग की दुविधाः
 - संवेदनशील डेटा तक पहुँच हासिल करने या किसी दुष्कर्म को अंजाम देने के लिये कार के सिस्टम में साइबर-क्रिमिनल हैकिंग का खतरा हमेशा बना रहता है।
 - उदाहरण के लिये क्या होगा यदि स्वायत्त कार को साइबर अपराधी द्वारा हैक किया जाता है और चालक को दोषी ठहराने के लिये दुर्घटना को अंजाम दिया जाता है?

स्वायत्त/स्वचालित कारः

- विषय:
 - एक स्वायत्त कार एक ऐसा वाहन है जो मानव भागीदारी के बिना अपने आसपास को समझने और संचालन करने में सक्षम है।
 - इसमें मानव यात्री को किसी भी समय वाहन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, न ही मानव यात्री को वाहन में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।
 - एक स्वायत्त कार कहीं भी जा सकती है जैसे कि एक पारंपिरक कार जाती है और वह कोई भी कार्य कर सकती है जो एक कुशल मानव चालक कर सकता है।
- लाभः
 - ट्रैफिक जाम में कमी
 - परिवहन लागत में 40% की कटौती
 - 🔷 पैदल चलने में सुधार
 - अन्य उपयोगों के लिये पार्किंग स्थल की उपलब्धता
 - दुनिया भर में शहरी CO2 उत्सर्जन को 80% तक कमी

आगे की राह

 जैसे-जैसे सेल्फ-ड्राइविंग कारों को अपनाने के कारण इस विषय पर बहस तेज हो रही है, यह आशा की जा रही है कि सख्त कानून और विनियम बनाए जाएंगे जो अंतत: सही, न्यायसंगत तरीके से सवालों का जवाब दे सकेंगे।

भारत के लिये नैतिक शासन का आयाम

नैतिक शासनः

- नैतिक शासन से तात्पर्य शासन प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों और व्यवहार के उच्च मानकों को शामिल करना है।
 - उदाहरण के लिये एक नौकरशाह अपने कार्यालय में आने वाले लोगों की सेवा करने के लिये बाध्य तो होता है लेकिन यदि वह बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद आने वाले थके हुए बुजुर्ग के लिये एक गिलास पानी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है, तो इसके लिये उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक सेवा और परोपकारिता की भावना ही उसे ऐसा करने के लिये प्रेरित करेगी।
 - इसी तरह से आधार के साथ बायोमेट्रिक डेटा के बेमेल होने के वावजूद अधिकारी को लाभार्थियों को (विशेष रूप से महिलाओं

और विरष्ठ नागरिकों के लिये) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन के वितरण की अनुमित देनी चाहिये। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसी सेवाओं से मना करने पर किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिये करुणा और मानवीय गरिमा नैतिक शासन का आधार होते हैं।

 नागरिकों और लोक सेवकों के बीच विश्वास एवं आपसी सहयोग स्थापित करने के लिये नैतिक शासन बहुत आवश्यक है।

नैतिक शासन के प्रमुख तत्त्वः

- नैतिक शासन का आशय निश्चित मूल्यों के आधार पर शासन के संचालन से है। उदाहरण के लिये ईमानदारी, अखंडता, करुणा, सहानुभूति, जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय आदि कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनके बिना नैतिक शासन को बनाए नहीं रखा जा सकता है।
 - ईमानदारी से यह सुनिश्चित होगा कि प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य जनिहत है और इसमें भ्रस्ट कार्यों का कोई स्थान नहीं है।
 - उत्तरदायित्व केवल जवाबदेही नहीं है, यह किसी के विवेक पर आधारित निर्णय के रूप में चूक संबंधी प्रत्येक कार्य के लिये आंतरिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अगर ऐसा हो जाता है तो भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता।
- राष्ट्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये भ्रष्टाचार को समाप्त करना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है।
- भ्रष्टाचार को खत्म करने और नौकरशाही के कारण देरी को कम करने के लिये कानून का शासन, नैतिक शासन के सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्वों में से एक होना चाहिये।
- कानून का शासन, प्रशासन में मनमानी को रोकता है, जिससे विवेक के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है।

भारतीय शासन में नैतिक मुद्देः

- प्राधिकरण या पद की स्थिति का उल्लंघनः अधिकारी ऐसे कार्य करते हैं जो उनकी स्थिति, जिम्मेदारियों और अधिकारों से बाहर होते हैं, जो अंततः राज्य या कुछ नागरिकों के हितों को नुकसान पहुँचाते हैं।
- उपेक्षाः सार्वजनिक अधिकारी या तो अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते हैं या उनके साथ एक अपराधी के तरह व्यवहार करते हैं, जिससे राज्य या समुदाय को नुकसान होता है।

- रिश्वतखोरी: भ्रष्टाचार और रिश्वत समाज के स्वीकार्य अंग बन गए हैं, भ्रष्टाचार और लेन-देन के कार्य को बढावा दे रहे हैं।
- शालीनताः अधिकारियों का असाधारण मेहनती, समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ होना आवश्यक है, लेकिन वे आत्मसंतुष्ट होते हैं, जो स्थिति, पद और परिलब्धियों से ग्रस्त एवं विलासिता के आदी होते हैं।
- संरक्षणः विरष्ठ अधिकारियों द्वारा नियामक निकायों और अन्य महत्त्वपूर्ण पदों से सेवानिवृत्ति के बाद बड़े पैमाने पर बिना किसी दिशा-निर्देश और संरक्षण के कार्य किया जाता है।
- प्रशासनिक गोपनीयताः प्रशासनिक गोपनीयता का उद्देश्य निजी हितों को बनाए रखते हुए जनहित की सेवा करना है। इसलिये पारदर्शिता नैतिक शासन के सबसे महत्त्वपूर्ण गुणों में से एक है।

आगे की राह

- प्रभावी कानूनः इसके तहत सिविल सेवकों को अपने आधिकारिक निर्णयों को न्यायोचित साबित करना पड़ेगा।
- प्रबंधन के प्रति नए दृष्टिकोणः भ्रष्टाचार और अनैतिक मामलों के संबंध में सभी सरकारी अधिकारियों एवं सिविल सेवकों को इससे सकारात्मक रूप से निपटने के लिये प्रोत्साहित करना।
- व्हिसलब्लोअर सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करनाः अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले गलत कार्यों को लोकहित में उजागर करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा हेतु व्हिसलब्लोअर सुरक्षा कानून को प्रभावी बनाना।
- एथिक्स ऑडिट: महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं की अखंडता के लिये जोखिमों की पहचान करना।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश: अपनी व्यापक सिफारिशों में इसने चुनावों में राज्य द्वारा वित्तपोषण, दलबदल विरोधी कानून को अधिक प्रभावी बनाने और मंत्रियों, विधायिका, न्यायपालिका तथा सिविल सेवकों के लिये नैतिक संहिता की सिफारिश की।
- भ्रष्टाचार की जाँच करनाः द्वितीय प्रशासिनक सुधार आयोग (ARC) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधान को अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिससे भ्रष्ट लोक सेवकों को हर्जाना भरने, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती एवं त्विरत परीक्षण के लिये उत्तरदायी बनाया जा सके।

प्रिलिम्स प्रैक्ट्स

फुटबॉल 4 स्कूल पहल

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत में 'फुटबॉल4स्कूल' पहल के लिये फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के साथ एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

फुटबॉल 4 स्कूल पहल:

• परिचयः

- फुटबॉल4स्कूल कार्यक्रम खेल को जीवन का अभिन्न आयाम बनाने और लोगों को बहुआयामी बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की दिशा में उठाया गया एक कदम है।
- इसका उद्देश्य खेल-एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25
 मिलियन युवा लड़कों और लड़िकयों को सशक्त बनाना है।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 की भावना को प्रोत्साहित करने वाली पहल है।

• उद्देश्य:

- मूल्यवान जीवन कौशल और दक्षताओं के साथ शिक्षार्थियों (लड़कों और लड़िकयों) को सशक्त बनाना।
- लोगों तक खेल और जीवन-कौशल गतिविधियों को पहुँचाने के लिये कोच-शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर सशक्त बनाना।
- फुटबॉल के माध्यम से जीवन कौशल शिक्षण का संचालन करने के लिये हितधारकों (स्कूलों, सदस्य संघों और सार्वजनिक निकायों) की क्षमता में वृद्धि करना।
- साझेदारी, गठबंधन तथा अंतरक्षेत्रीय सहयोग की सुविधा के लिये सरकार और भाग लेने वाले स्कूलों के बीच सहयोग बढ़ाना।

FIFA:

• विषय:

- फीफा या फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन दुनिया
 में फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है।
- यह एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है।
- फीफा एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- फीफा की स्थापना वर्ष 1904 में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्राँस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विटजरलैंड के राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा की निगरानी के लिये की गई थी। फीफा में अब 211 सदस्य देश शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है।

🕨 उद्देश्य:

- फीफा का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का प्रसार करना तथा सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष खेल को बढ़ावा देना है।
- यह वर्ष 1930 में शुरू हुआ पुरुष विश्व कप तथा वर्ष 1991 में शुरू हुए महिला विश्व कप सिंहत अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के संगठन और प्रचार के लिये जिम्मेदार है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सिमिति से संबद्ध है तथा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड का सदस्य भी है, जो फुटबॉल के नियमों को स्थापित करने के लिये जिम्मेदार है।

फीफा से संबद्ध छह क्षेत्रीय संघः

- एशियाई फुटबॉल पिरसंघ (एएफसी) एशिया व ऑस्ट्रेलिया के लिये शासी निकाय है।
- अफ्रीकी फुटबॉल पिरसंघ (सीएएफ) में 56 सदस्य हैं।
- कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल (CONCAF) में 41 सदस्य हैं।
- कन्फेडरेशन ऑफ सुदामेरिकाना डी फ़ुटबोल (CONMEBOL) 10 सदस्यों वाला दक्षिण अमेरिकी महासंघ है।
- ओशिनिया फुटबॉल महासंघ (OFC) में न्यूजीलैंड सिंहत 14 सदस्य हैं।
- यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ (UEFA) 55 सदस्यों
 के साथ यूरोप के लिये शासी निकाय है।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF):

- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) वह संगठन है जो भारत में फुटबॉल के खेल का प्रबंधन करता है।
- यह भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के संचालन का प्रबंधन करता है
 और कई अन्य प्रतियोगिताओं तथा टीमों के अलावा भारत की प्रमुख घरेलू क्लब प्रतियोगिता आई-लीग को भी नियंत्रित करता है।
- AIFF की स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी और वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में फीफा संबद्धता प्राप्त की थी।
- वर्तमान में इसका कार्यालय द्वारका, नई दिल्ली में है। भारत वर्ष 1954 में एशियाई फुटबॉल पिरसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था।

आईएमटी त्रिलाट

हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत-मोजाम्बिक-तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास (IMT TRILAT) के पहले संस्करण में भाग लिया। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास डार एस सलाम (Dar Es Salaam), तंजानिया में शुरू हुआ।



अभ्यास की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत की भागीदारी:
 - भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस (विशेष बल) द्वारा किया जाता है।
- उद्देश्यः
 - प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से सामान्य खतरों को दूर करने के लिये क्षमता विकास करना।
 - 🔷 अंतर्संचालनीयता बढ़ाना।
 - 🔷 समुद्री सहयोग को मज़बूत करना।
- महत्त्वः
 - ये अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाने तथा क्षेत्र में सभी के लिये सागर (SAGAR) सुरक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत तथा भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

मुद्रमलाई टाइगर रिज़र्व

वन विभाग सेना स्पेक्टाबिलिस जैसी आक्रामक प्रजातियों के प्रसार से निपटने के लिये व्यापक रणनीति अपना रहा है, जो नीलगिरी पहाडी जिले में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (MTR) के बफर जोन में तेज़ी से फैल रहा है।

- सेना स्पेक्टाबिलिस और लैंटाना कमारा जैसे आक्रामक खरपतवार नीलिगिरि के विशाल क्षेत्रों पर फैल गए हैं।
- आक्रामक खरपतवार का स्थानीय जैवविविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे स्थानीय प्रजातियों की भीड़ और वन्यजीवों के लिये भोजन की उपलब्धता सीमित हो जाती है।

मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व

- परिचय:
 - तीन राज्यों कर्नाटक, केरल और तिमलनाडु के त्रि-जंक्शन पर
 यह तिमलनाडु के नीलिगिरि जिले में स्थित है।
 - इसके पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल), उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व (कर्नाटक) के साथ एक आम सीमा है, जो बाघ और एशियाई हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों के लिये एक बड़े संरक्षण परिदृश्य का निर्माण करता है।
 - मुदुमलाई बाघ अभयारण्य उन 14 भारतीय बाघ अभयारण्यों में से एक है जिन्हें लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिये संरक्षण आश्वासन/बाघ मानक का दर्जा दिया गया था।
 - मुदुमलाई की जलवायु समशीतोष्ण है। यह दिसंबर के महीने या जनवरी की शुरुआत के दौरान ठंडे मौसम का अनुभव करती है और मार्च एवं अप्रैल के महीनों में गर्म मौसम रहता है।
- महत्त्वपूर्ण वनस्पति और जीवः
 - इसमें लंबी घास उगती है, जिसे आमतौर पर "एलीफेंट ग्रास"
 कहा जाता है, साथ ही विशाल किस्म के बांस, सागवान, शीशम
 आदि मूल्यवान लकड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती है।
 - इसमें स्थानिक वनस्पितयों की कई प्रजातियाँ हैं। इन प्राकृतिक आवासों में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं जिनमें बाघ, हाथी, भारतीय गौर, पैंथर, सांभर, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण, माउस हिरण, लंगूर, मालाबार विशालकाय गिलहरी, जंगली कुत्ता, नेवला, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा शामिल हैं।
 - 🔶 इस रिज़र्व में पक्षियों की 260 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
 - भारत में पाई जाने वाली पिक्षयों की 8% प्रजातियाँ मुदुमलाई में हैं।

तमिलनाडु में अन्य टाइगर रिज़र्वः

- अनामलाई:
 - विषय:
 - अनामलाई पहाड़ियों को काट कर बनाया गया यह टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट के अंतर्गत है, जो अपने आप में 25 वैश्विक जैविविधता हॉटस्पॉट में से एक है।

 इस रिजर्व में उष्णकटिबंधीय वन, शोला जंगलों, बाँस के पेड़ों और विशाल घास के मैदानों सिहत विविध आवास शामिल हैं।

वनस्पति और जीव:

 बाघ के अलावा यहाँ पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जानवरों में गौर, स्लोथ बियर, हाथी, पैंगोलिन, हिरण और पिक्षयों की 350 से अधिक प्रजातियाँ शामिल हैं। यहाँ अमरावती बाँध जलाशय में मगरमच्छों को देखा जा सकता है।

• कलक्कड़ - मुंडनथुराई:

परिचयः

- इसे लोकप्रिय रूप से KMTR के रूप में जाना जाता है, यह रिजर्व वर्ष 1988 में मौजूदा और निकटवर्ती कालक्कड़ एवं मुंडनथुराई वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर बनाया गया था।
- कलक्कड़ मुंडनथुराई को तिमलनाडु में पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में है और इसमें आर्द्र सदाबहार वन हैं; यह 14 निदयों का जलग्रहण क्षेत्र है।
- यह अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है।
- अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा भारत में पौधों की विविधता और स्थानिकता के पाँच केंद्रों में से एक के रुप में संदर्भित किया गया है।

वनस्पति और जीव:

 बाघों के अलावा यहाँ पर सांभर, चित्तीदार हिरण, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ते के साथ बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियाँ, सरीसृप आदि हैं।

• सत्यमंगलमः

🔷 परिचय:

- वर्ष 2013 से एक बाघ अभयारण्य के रुप में यह नीलिगिरि के माध्यम से पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच एक महत्त्वपूर्ण गिलयारा बनाता है।।
- वर्ष 2019 की जनगणना के अनुसार इसमें 83 बाघों और 111 तेंदुओं को चिह्नित किया गया।

• श्रीविल्लीपुथुर-मेगामलाई:

परिचयः

 राज्य में नवीनतम टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लीपुथुर-मेगामलाई टाइगर रिजर्व (SMTR) का गठन फरवरी 2021 में मेगामलाई और श्रीविल्लीपुथुर वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर किया गया था। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। ■ SMTR भी कलक्कड़ मुंडनथुराई रिज़र्व से सटा हुआ है।

वनस्पति और जीव:

 इस क्षेत्र में उष्णकिटबंधीय सदाबहार और अर्द्ध-सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती एवं नम मिश्रित पर्णपाती वन तथा घास के मैदान पाए जाते है।



छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस

हाल ही में 1 नवंबर से 3 नवंबर, 2022 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया।

 इस कार्यक्रम में भारत और मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड एवं मिस्र सिंहत 10 देशों के 1,500 से अधिक आदिवासी कलाकार प्रतिभाग करेंगे।

छत्तीसगढ़:

परिचय:

- 1 नवंबर, 2000 को मध्य प्रदेश से 16 छत्तीसगढ़ी भाषी जिलों को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था।
- 🔷 यह 135,190 वर्ग किमी के क्षेत्रफल के साथ भारत का 10वाँ सबसे बडा राज्य है।
- यह भारत में इस्पात और विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिये एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है, जो भारत में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 15% उत्पादन करता है।
- छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से अपने कृषि कार्यों हेतु प्रसिद्ध है, जो लगभग 80% कार्यबल के लिये जिम्मेदार है। चावल के उत्पादन के कारण इसे 'धान का कटोरा' के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है 'चावल का कटोरा'।

सीमावर्ती राज्य :

 यह सात राज्यों से घिरा हुआ है: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश।

राजधानी :

🔷 रायपुर

भाषा:

- छत्तीसगढ़ के लोगों की मूल भाषा छत्तीसगढ़ी है।
 - हालाँकि यहाँ हिंदी भी लोकप्रिय है।

जनजातियाँ:

 इस राज्य की कुछ प्रमुख जनजातियों में मिरियम, बैगा, कमर, हलबा, गोंड, भुमजा, कवार आदि हैं।

प्रमुख त्योंहार:

आदिवासी समाजों द्वारा मनाए जाने वाले कुछ उल्लेखनीय त्योहारों में बस्तर दशहरा, बस्तर लोकोत्सव, कोरिया मेला, फागुन वडाई, मडई महोत्सव, गोंचा महोत्सव, पोला महोत्सव और अन्य शामिल हैं।

खनिज संसाधनः

- यह कोयला, लौह अयस्क और डोलोमाइट जैसे खनिजों का प्रमुख उत्पादक है।
 - इसके अलावा इस राज्य में बॉक्साइट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं।
 - इस राज्य में भारत के टिन अयस्क भंडार का 35.4% हिस्सा है। छत्तीसगढ भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ टिन कंसन्ट्रेटस (tin concentrates) का उत्पादन होता है।

महत्वपूर्ण नदियाँ:

- इस राज्य में महानदी, गंगा, गोदावरी और नर्मदा नामक चार मुख्य जलग्रहण क्षेत्र हैं।
 - इसके अंतर्गत महानदी, शिवनाथ, अर्पा, इंद्रावती, सबरी, लीलागर, हसदो, पैरी और सोंदूर प्रमुख नदियाँ शामिल हैं।

राष्ट्रीय उद्यानः

- 🔷 इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान
- गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान
- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान



वन्यजीव अभयारण्यः

- तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य
- पामेड वन्यजीव अभयारण्य
- गोर्मदा वन्यजीव अभयारण्य
- बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य
- भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य
- भैरमगढ वन्यजीव अभयारण्य
- सेरामसोट वन्यजीव अभयारण्य
- बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य
- सीतानदी वन्यजीव अभयारण्य

- नंदन वन वन्यजीव अभयारण्य
- पाइथन फॉरेस्ट वन्यजीव अभयारण्य
- नरिसंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य
- उदंती जंगली भैंस वन्यजीव अभयारण्य

• टाइगर रिज़र्व:

 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया है।

मच्छू नदी

हाल ही में गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर निर्मित सस्पेंशन ब्रिज गिर गया, जिसमें लगभग 135 लोग मारे गए।


- सस्पेंशन ब्रिज या झूलता पुल, वर्ष1877 में मोरबी रियासत के शासक सर वाघजी ठाकोर द्वारा बनाया गया था।
- इसे 'मोरबी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक प्रकृति' को प्रतिबिंबित करने के लिये बनाया गया था। इसका उद्घाटन वर्ष 1879 में तत्कालीन बॉम्बे गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था।

सस्पेंशन ब्रिजः

- सस्पेंशन ब्रिज एक प्रकार का पुल होता है जिसमें डेक (मुख्य पथ)
 को सस्पेंशन तारों के सहारे नीचे लटका दिया जाता है।
- पुल के दोनों छोर पर ठोस एवं कड़े गर्डर, दो या दो से अधिक मुख्य सस्पेंशन तार, टावर और केबल एंकरेज इस पुल के प्राथमिक संरचनात्मक तत्त्व हैं।

FORCES AT PLAY

Suspension bridges depend on the balance of the forces of compression and tension



 मुख्य तार टावरों के बीच सस्पेंडेड (झूलता हुआ) होता है और एंकरेज या पुल से ही जुड़ा होता है। डेक (मुख्य पथ) का वजन एवं उस पर आवगमन करने वाले यात्रियों का भार संभालने का काम वर्टिकल सस्पेंडर्स करता है।

 इस डिजाइन से यह सुनिश्चित होता है कि सस्पेंशन तार पर पड़ने वाला भार, दोनों छोर के टावरों पर स्थानांतरित हो जाता है और फिर एंकरेज केबल्स के माध्यम से यह भार लंबवत संपीड़न द्वारा जमीन पर पडता है।



मच्छू नदी:

- परिचयः मच्छू नदी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में मदला पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में 141.75 किमी. तक बहते हुए समाप्त हो जाती है।
- सहायक निदयाँ: बेटी, असोई, जंबुरी, बेनिया, मछछोरी, महा आदि मच्छू नदी की सहायक निदयाँ हैं।
- बाँधः सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई हेतु इस पर दो बाँध बनाए गए हैं।


मोरबी ज़िले का महत्त्व:

 यह सिरेमिक उद्योग के लिये प्रसिद्ध है। भारत के सिरेमिक का लगभग 70% मोरबी में उत्पादित किया जाता है और यहाँ निर्मित सिरेमिक टाइलें मध्य-पूर्व, पूर्वी एशिया एवं अफ्रीका के देशों को निर्यात की जाती हैं।

कोरोनल होल

हाल ही में नासा ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे वाली एक तस्वीर खींची है जो आँखों और मुस्कान जैसी दिखती है।

 इन धब्बों को 'कोरोनल होल' कहा जाता है, जो पराबैंगनी प्रकाश में देखे जा सकते हैं लेकिन आमतौर पर इन्हें सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता।



कोरोनल होल:

• विषय:

- ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से तेज सौर हवा अंतिरक्ष में फैलती है।
- इन क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र इंटरप्लेटरी स्पेस के लिये खुला होता है, जिससे सौर सामग्री तीव्र धारा और गित के साथ सौर तूफ़ान में परिवर्तित हो जाती है जिसे भू-चुंबकीय तूफान कहा जाता है।
- उनका तापमान कम होता है और वे अपने आसपास की तुलना में काफी गहरे दिखाई देते हैं, क्योंिक उनमें सौर सामग्री कम होती है।
- कोरोनल होल कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकते हैं।
- कोरोनल होल कोई अनोखी घटना नहीं है, यह सूर्य के लगभग
 11 साल के सौर चक्र में दिखाई देती है।
- कोरोनल होल सौर न्यूनतम (सोलर मिनिमम) के दौरान अधिक अविध तक हो सकते हैं, एक ऐसी अविध जब सूर्य पर किसी प्रकार की गतिविधि काफी कम हो जाती है।

महत्त्व:

 कोरोनल होल्स पृथ्वी के चारों ओर अंतिरक्ष के वातावरण को समझने में महत्त्वपूर्ण हैं जिसके माध्यम से हमारी तकनीक और अंतिरक्ष यात्री को सुविधा होती है।

भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic Storm):

- सौर तूफान सूर्य के धब्बों (सूर्य पर 'अंधेरे' क्षेत्र जो आसपास के फोटोस्फीयर सौर वातावरण की सबसे निचली परत की तुलना में ठंडे होते हैं) से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा के निकलने के दौरान उत्पन्न होते हैं और कुछ मिनटों या घंटों तक रह सकते हैं।
- भू-चुंबकीय तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अनियमितता से संबंधित हैं जो तब आते हैं जब सौर पवन से पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण में ऊर्जा का कुशल आदान-प्रदान होता है।
 - मैग्नेटोस्फीयर हमारे ग्रह को हानिकारक सौर एवं ब्रह्मांडीय कण विकिरण से बचाता है, साथ ही यह पृथ्वी को 'सोलर विंड'-सूर्य से प्रवाहित होने वाले आवेशित कणों के निरंतर प्रवाह से भी सुरक्षा प्रदान करता है।
- ये तूफान 'सोलर विंड' में भिन्नता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं,
 जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के प्रवाह, प्लाज्मा और इसके वातावरण में बड़े बदलाव लाते हैं।
 - भू-चुंबकीय तूफान का निर्माण करने वाली सौर पवनें [मुख्य रूप से मैग्नेटोस्फीयर में दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली सौर पवनें (पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के विपरीत)] उच्च गित से काफी लंबी अविध (कई घंटों तक) तक प्रवाहित होती हैं।
 - यह स्थिति 'सोलर विंड' से ऊर्जा को पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में स्थानांतिरत करने हेतु प्रभावी है।
- इन स्थितियों के परिणामस्वरूप आने वाले सबसे बड़े तूफान सौर कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) से जुड़े होते हैं, जिसके तहत सूर्य से एक अरब टन या उससे अधिक प्लाज्मा इसके एम्बेडेड चुंबकीय क्षेत्र के साथ पृथ्वी पर आता है।
 - CMEs का आशय प्लाज्मा एवं मैग्नेटिक फील्ड के व्यापक इजेक्शन से हैं, जो सूर्य के कोरोना (सबसे बाहरी परत) से उत्पन्न होते हैं।

कॉर्डी गोल्ड नैनोपार्टिकल्स

हाल ही में बोडोलैंड विश्वविद्यालय सिहत चार भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों ने कॉर्डी गोल्ड नैनोपार्टिकल्स (Cor-AuNPs) विकसित किये हैं, जो मानव शरीर में दवा वितरण को तेज और सटीक बना सकते हैं।

इन नैनोकणों को जर्मनी से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हुआ है।

कॉर्डी गोल्ड नैनोपार्टिकल्स (Cor-AuNPs):

• परिचयः

 इन्हें कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस और गोल्ड साल्ट के अर्क के संश्लेषण से प्राप्त किया गया है।

- कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस, बोडोलैंड विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर' (TIC) की प्रयोगशाला में विकसित किया गया मूल्यवान परजीवी कवक है।
- जंगली कॉर्डिसेप्स मशरूम, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- गोल्ड साल्ट, आमतौर पर दवा में इस्तेमाल होने वाले सोने के आयनिक रासायनिक यौगिक होते हैं।

• लाभ:

- जब दवा के कण छोटे होते हैं तो कोशिकाओं में प्रवेश अधिक होता है।
 - कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस को सुपर मशरूम कहा जाता है क्योंकि इसके बेहतर औषधीय गुणों के कारण बेहतर प्रवेश के लिये गोल्ड नैनोकणों के संश्लेषण में बायोएक्टिव घटक जुड़ते हैं।
 - जैव संश्लेषित नैनोगोल्ड कण चिकित्सीय दवाओं के विकास में नैनोकणों के नए अनुप्रयोग का संकेत देते हैं जिन्हें मलहम, टैबलेट, कैप्सूल और अन्य रूपों में वितरित किया जा सकता है।

विश्व पहेली चैंपियनशिप

प्रसन्ना शेषाद्रि ने विश्व पहेली चैंपियनशिप (WPC) में 11 साल की कोशिश के बाद भारत के लिये पहला रजत पदक जीता है।

• इस वर्ष WPC का स्वर्ण पदक जापान के केन एंडो ने जीता है।

विश्व पहेली चैंपियनशिप:

- विश्व पहेली चैंपियनशिप, वर्ल्ड पजल फेडरेशन द्वारा संचालित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पहेली प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में सभी पहेलियाँ सरल सिद्धांतों पर आधारित शुद्ध-तर्कपूर्ण समस्याएँ होती हैं, जिन्हें भाषा या संस्कृति की परवाह किये बिना खेलने योग्य बनाया गया है।
 - द वर्ल्ड पजल फेडरेशन पहेलियों में रुचि रखने वाले कानूनी निकायों का एक संघ है। प्रत्येक देश का केवल एक संगठन,
 WPF से संबंधित हो सकता है।

इंडिया केम- 2022

हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन- इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया गया।

 इंडिया केम- 2022 की थीम है- "विज्ञन 2030: रसायन और पेट्रोरसायन के माध्यम से भारत निर्माण"।

भारत में रासायनिक उद्योग की स्थिति:

- भारत का रासायनिक उद्योग अत्यंत विविध है और इसे मोटे तौर पर थोक रसायनों, विशेष रसायनों, कृषि रसायनों, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिमर एवं उर्वरकों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
 - विश्व स्तर पर, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन के बाद कृषि रसायनों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है।
 - भारत विश्व में रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है।
 - भारत रंगों (Dye) का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है, यह वैश्विक उत्पादन का 16% हिस्सा है।
- कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर देश में रसायन उद्योग हेतु
 लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
- भारत वैश्विक स्तर पर रसायनों के निर्यात और आयात में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह निर्यात में 14वें (फार्मास्यूटिकल्स को छोड़कर) और आयात में 8वें स्थान पर है।

संबद्ध भारतीय पहलें:

- केंद्रीय बजट 2022-23 के तहत सरकार ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को 209 करोड़ रुपए आवंटित किये।
- बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिये 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन'
 (PLI) योजनाएँ शुरू की गई हैं।
 - क्लस्टर के विकास के माध्यम से एंड-टू-एंड मैन्युफैक्चिरंग इकोसिस्टम बनाने के लिये सरकार कृषि रसायन क्षेत्र हेतु 10-20% आउटपुट प्रोत्साहन के साथ PLI प्रणाली को लागू करने की योजना बना रही है।
- घरेलू उत्पादन में सुधार, आयात को कम करने और क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के अवसरों का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र हेतु वर्ष 2034 का लक्ष्य स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के तीसरे संस्करण में दुनिया भर के कलाकार भाग लेते हैं।

 भारत और मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगा, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड एवं मिस्र जैसे देशों से लगभग 1,500 नर्तक इस महोत्सव में शामिल हुए।

राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सवः

 राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ के भव्य त्योहारों में से एक है जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के विविध आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है।

- यह छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृति विभाग के तहत आयोजित किया जाता है।
- इस त्योहार का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को एकजुट करना और सभी को उनकी समृद्ध संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करना है।
- पहला राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव वर्ष 2019 में और दूसरा वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था।

भारतीय लोक और जनजातीय नृत्यः

- भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य, आपस में ख़ुशी व्यक्त करने के लिये किये जाने वाले साधारण नृत्य हैं।
- लोक और जनजातीय नृत्य का आयोजन ऋतुओं के आगमन, बच्चे के जन्म, शादी और त्योहारों जैसे हर अवसर पर जश्न मनाने के लिये किया जाता है।
- इनमें कुछ नृत्य विशेष रूप से पुरुष और महिलाओं द्वारा अलग-अलग किये जाते हैं, जबकि कुछ प्रदर्शनों में पुरुष और महिलाएँ एक साथ नृत्य करते हैं।

भारत के प्रमुख लोक और जनजातीय नृत्य


- राज्यः लोक/जनजातीय नृत्य
 - असमः बगुरुम्बा, बिहु, भोरताल, झुमुरी
 - अरुणाचल प्रदेश: बार्डी छमो
 - छत्तीसगढ़ः राउत नाच
 - 🔷 गोवाः फुगदि
 - गुजरातः डांडिया, गरबा, रास
 - हिमाचल प्रदेश: नाटी
 - हरियाणाः रास लीला
 - जम्मू और कश्मीर: दुमहाल
 - केरलः चाक्यार कृथु, डफमुट्टू, मार्गमकली, ओप्पना, पद्यानी, थेयम, थिरयट्टम
 - कर्नाटकः हुलिवेशा, पाटा कुनिथा
 - मध्य प्रदेश: ग्रिडा, माचा, मटकी, फूलपित
 - नगालैंड: चांग लो
 - मिजोरमः चेराव
 - महाराष्ट्रः लावणी, परवी नाच
 - पंजाब: भांगड़ा, गिद्दा, किक्कली,
 - ओडिशा: छऊ, गोटी पुआ, बाग नाच, दालखाई, ढप, गुमरा, कर्मा नाच, कीसाबादी
 - पृदुचेरी: गरदी
 - राजस्थानः घूमर, कालबेलिया, कच्छी घोड़ी

- ◆ तिमलनाडुः पराई अट्टम, कारागट्टम, कोलट्टम, मियल अट्टम, पम्प अट्टम, ओयिलट्टम, पुलियाट्टम, पोइकल कुदिराई अट्टम, थेरु कूथु
- त्रिपुराः होजागिरी
- उत्तर प्रदेश: मयूर नृत्य, चारुकल
- पश्चिम बंगाल: गंभीरा, अलकप, डोमनी
- सिक्किम: सिंघी चाम

रिसैट-2

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के RISAT-2 उपग्रह (रडार इमेजिंग सैटेलाइट) द्वारा जकार्ता के पास हिंद महासागर में अनुमानित प्रभाव बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित पुनः प्रवेश किया गया।

RISAT-2 भारत का पहला "आई इन द स्काई" उपग्रह है जिसके माध्यम से घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी अभियानों के हिस्से के रूप में देश की सीमाओं की निगरानी होती है।



RISAT-2:

- रिसैट-2 का मुख्य सेंसर (जिसे 'जासूसी' उपग्रह माना जाता है) इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज का एक X -बैंड सिंथेटिक-एपर्चर रडार था।
- रिसैट-1 उपग्रह के लिये स्वदेश में विकसित हो रहे सी-बैंड में देरी होने के कारण वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद रिसैट-2 को अधिक तेज़ी से विकसित किया गया था। भारत के पहले समर्पित इस टोही उपग्रह में दिन-रात कार्य करने के साथ-साथ सभी मौसमों में निगरानी करने की क्षमता है।

 इसका उपयोग समुद्र में सैन्य खतरा माने जाने वाले जहाजों को ट्रैक करने के लिये भी किया जाता था।

• प्रक्षेपणः

 लगभग 300 किलोग्राम वजन वाले रिसैट-2 को 20 अप्रैल, 2009 को PSLV-C12 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।

• महत्त्वः

- रिसैट-2 ने 13 वर्षों से अधिक समय तक लाभकारी पेलोड डेटा प्रदान किया।
 - इसके प्रवेश के बाद से विभिन्न अंतिरक्ष अनुप्रयोगों के लिये रिसैट-2 की रडार पेलोड सेवाएँ प्रदान की गईं।
- रिसैट-2 अंतरिक्षयान कक्षीय संचालन को कुशल और इष्टतम तरीके से पूरा करने के लिये इसरो की क्षमता का एक स्पष्ट उदाहरण है।
 - जैसा कि रिसैट-2 ने 13.5 वर्षों के भीतर फिर से प्रवेश किया, इसने अंतरिक्ष मलबे के लिये सभी आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय शमन दिशा-निर्देशों का पालन किया, जो बाहरी अंतरिक्ष की दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति अंतरिक्ष एजेंसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसरो की आगामी परियोजनाएँ:

- गगनयानः भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम।
- आदित्य-L1: सूर्य के वातावरण का अध्ययन करने के लिये।
- नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन: विभिन्न खतरों और वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन का अध्ययन करने के लिये।
- शुक्रयान-1: शुक्र ग्रह के लिये ऑर्बिटर।

वांगला नृत्य

राइजिंग सन वाटर फेस्ट-2022 का उद्घाटन समारोह का आयोजन मेघालय के उमियम झील (मानव निर्मित जलाशय) के प्राचीन एवं मनोरम परिवेश में किया गया।

 गारो आदिवासी समुदाय के सदस्य 'दि राइजिंग सन वाटर फेस्ट-2022' के अवसर पर वांगला नृत्य करते हैं।

वांगला नृत्यः

- वांगला को फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है और इसे ड्रमों पर बजाए जाने वाले लोकगीतों और भैंस के सींगों से बनी आदिम बाँसुरी की धुन पर विभिन्न प्रकार के नृत्यों के साथ मनाया जाता है।
- यह त्योहार सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है और यह फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है।

- यह उत्सव सर्दियों की शुरुआत से पहले गारो जनजाति के लोगों द्वारा मैदानी क्षेत्रो में मेहनत करते हुए व्यतीत की गई लंबी अविध के समापन को भी दर्शाता है।
- मेघालय में गारो जनजाति के लिये यह त्योहार उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने का एक तरीका है और वे इस प्रकार के समारोहों में अपनी परंपरा का प्रदर्शन करते हैं।

गारो समुदाय:

- गारो, जो खुद को आचिक (A•chiks) कहते हैं, मेघालय की दूसरी सबसे बडी जनजाति है।
 - खासी और जयंतिया, मेघालय की अन्य दो प्रमुख जनजातियाँ हैं।
- गारो समुदाय के लोगों का दृढ़ विश्वास है कि उनकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी। इनकी कई बोलियाँ और सांस्कृतिक समूह हैं। इनमें से प्रत्येक मूल रूप से गारो हिल्स के एक विशेष क्षेत्र एवं बाहरी मैदानी भूमि पर बसे हैं।
- हालाँकि आधुनिक गारो समुदाय की संस्कृति ईसाई धर्म से काफी प्रभावित रही है। इसमें सभी बच्चों को माता-पिता द्वारा समान देखभाल, अधिकार और महत्व दिया जाता है।
- समान कबीले से संबंध रखने के आधार पर गारो विवाह दो महत्त्वपूर्ण कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है जैसे-अंतर्जातीय-विवाह (Exogamy) और आकिम (A•Kim)। इनमें एक ही कबीले के बीच विवाह की अनुमित नहीं होती है।
 - आिकम (A•Kim) के कानून के अनुसार यदि किसी पुरुष या मिहला ने एक बार शादी कर ली है तो वह अपने पित या पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरे कबीले के व्यक्ति से दोबारा शादी करने के लिये स्वतंत्र नहीं होगा/होगी।
- गारो दुनिया के कुछ बचे हुए मातृवंशीय समाजों में से एक है।
 - गारो व्यक्ति अपनी माता से कबीले की उपाधि लेते हैं। परंपरागत
 रूप से सबसे छोटी बेटी को माँ से संपत्ति विरासत में मिलती है।
 - बेटे युवावस्था में माता-िपता का घर छोड़ देते हैं और गाँव के बैचलर डोरमेट्री (नोकपंते) में प्रशिक्षित होते हैं। पित शादी के बाद पत्नी के घर रहता है। गारो केवल मातृवंशीय समाज है, मातृसत्तात्मक नहीं।

मौना लोआ ज्वालामुखी

दुनिया के सबसे बड़े सिक्रय ज्वालामुखी मौना लोआ में निकट भविष्य में विस्फोट हो सकता है।



मौना लोआ:

- मौना लोआ उन पाँच ज्वालामुखियों में से एक है जो मिलकर हवाई द्वीप बनाते हैं।
- यह हवाई द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है।
- यह सबसे ऊँचा नहीं है (सबसे ऊँचा मौना की है) लेकिन सबसे बड़ा है और द्वीपीय भूमि का लगभग आधा हिस्से का निर्माण करता है।
- यह किलाऊआ ज्वालामुखी के ठीक उत्तर में स्थित है, वर्तमान में इसके क्रेटर में विस्फोट हो रहा है।
 - िकलाऊआ वर्ष 2018 के विस्फोट के लिये प्रसिद्ध है जिसने 700 घरों को नष्ट कर दिया और इसका लावा खेतों एवं समुद्र में फैल गया था।
- मौना लोआ में आखिरी बार 38 साल पहले विस्फोट हुआ था।

अन्य ज्वालामुखी

- जिनमें हाल ही में विस्फोट हुआ:
 - 🔷 सांगे ज्वालामुखी, इक्वाडोर
 - 🔷 ताल ज्वालामुखी, फिलीपींस
 - माउंट सिनाबुंग, मेरापी ज्वालामुखी, सेमेरू ज्वालामुखी (इंडोनेशिया)
- भारत में ज्वालामुखी:
 - बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप समूह (भारत का एकमात्र सिक्रय ज्वालामुखी)
 - 🔶 नारकोंडम, अंडमान द्वीप समूह
 - 🔷 बारातंग, अंडमान द्वीप समूह
 - डेक्कन ट्रैप्स, महाराष्ट्र

- 🔷 धिनोधर हिल्स, गुजरात
- 🔷 धोसी हिल, हरियाणा

दुनिया भर में फैले ज्वालामुखी:

- ज्वालामुखियों को दुनिया भर में ज्यादातर प्लेट विवर्तनिकी के किनारों के साथ वितरित किया जाता है, हालाँकि कुछ इंट्रा-प्लेट ज्वालामुखी भी हैं जो मेंटल हॉटस्पॉट्स (जैसे, हवाई) से बनते हैं।
- आइसलैंड जैसे कुछ ज्वालामुखीय क्षेत्रों में हॉटस्पॉट और प्लेट सीमा दोनों होती हैं।
- विश्व में ज्वालामुखी का विस्तार:
 - परि-प्रशांत बेल्टः
 - पैसिफिक "रिंग ऑफ फायर" ज्वालामुखियों की एक शृंखला है और यह प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास, पृथ्वी के अधिकांश सबडक्शन क्षेत्रों में उच्च भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में स्थित है।
 - पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कुल 452 ज्वालामुखी हैं।
 - इसके अधिकांश सिक्रय ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप से लेकर जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया में न्यूजीलैंड के द्वीपों तक इसके पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं।

मध्य महाद्वीपीय बेल्टः


- यह ज्वालामुखी बेल्ट यूरोप, उत्तरी अमेरिका की अल्पाइन पर्वत शृंखला के साथ-साथ एशिया माइनर, काकेशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से हिमालय पर्वत शृंखला तक फैली हुई है जिसमें तिब्बत, पामीर, त्यानशान, अल्ताई और चीन म्याँमार तथा पूर्वी साइबेरिया के पहाड़ शामिल हैं।
- इस बेल्ट के अंतर्गत आल्प्स पर्वत, भूमध्य सागर (स्ट्रोमबोली, वेसुवियस, एटना, आदि), एजियन सागर के ज्वालामुखी, माउंट अरारत (तुर्किये), एलबुर्ज, हिंदुकुश और हिमालय के ज्वालामुखी शामिल हैं।

मध्य अटलांटिक रिजः

- मध्य-अटलांटिक रिज उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट को यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेट से अलग करता है।
- मैग्मा समुद्र तल की दरारों से निकलकर ऊपर की ओर उठता हैं तथा उपरी भागों पर बहने लगते हैं। जैसे ही मैग्मा पानी में मिलता है, यह ठंडा होकर जम जाता है तथा जिन प्लेटों से होकर गुजरता है वे प्लेट कड़े होते जाते हैं और ये प्लेट आपस में जुड़ते जाते हैं।
- अपसारी सीमा के साथ इस प्रक्रिया ने दुनिया के महासागरों के नीचे मध्य महासागरीय कटकों के रूप में सबसे लंबी स्थलाकृतिक संरचना निर्मित की है।

इंट्रा-प्लेट ज्वालामुखी:

- विश्व में ज्ञात ज्वालामुखी के 5% (जो प्लेट मार्जिन से निकटता से संबंधित नहीं हैं) इंट्रा-प्लेट, या "हॉट-स्पॉट" ज्वालामुखी के रूप में संदर्भित किये जाते हैं।
- हॉट-स्पॉट एक गहन मेंटल प्लम के ऊर्ध्वाधर गमन से संबंधित होता है जिसका कारण पृथ्वी के मेंटल में अत्यधिक चिपचिपे पदार्थ का धीमी गित से प्रवाहित होना है।
- इसे एकल महासागरीय ज्वालामुखी या हवाई-एम्परर सीमाउंट शृंखला (Hawaiian-Emperor seamount chains) जैसे ज्वालामुखियों की शृंखला द्वारा दर्शाया जा सकता है।



तोखू इमोंग त्योहार

अमूर फाल्कन के अतिरिक्त पिक्षयों की अन्य प्रजातियों को शामिल करने के लिये चार दिवसीय पहला प्रलेखन (Documentation) अभ्यास, तोखू इमोंग बर्ड काउंट (TEBC) नगालैंड में आयोजित किया जा रहा है।

 इस त्योहार के लिये नागालैंड के वोखा जिले में प्रभुत्त्व रखने वाले नागा समुदाय लोथाओं की फसल कटाई के बाद का समय निर्धारित किया गया है।

तोखू इमोंग त्योहारः

- धर्म, संस्कृति और मनोरंजन के लिये आदर्श माने जाने वाले वोखा
 जिले में, 'तोखू इमोंग' धूमधाम से व्यापक स्तर पर मनाया जाता है।
- प्रतिवर्ष 7 नवंबर से मनाया जाने वाला यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है।
- 'तोखू' का अर्थ है घर-घर जाकर प्राकृतिक संसाधनों और भोजन के रूप में टोकन एवं उपहार एकत्र करना तथा 'इमोंग' का अर्थ है उस समय चयनित स्थान पर रुकना।

- इस त्योहार के महत्त्वपूर्ण आकर्षण सामुदायिक गीत, नृत्य, दावत, मस्ती आदि हैं।
- इस त्योहार के माध्यम से यहाँ के लोग दशकों पहले रचित अपने पूर्वजों की कहानियों को फिर से जीते हैं।
- त्योहार के दौरान अनुग्रही चढ़ावा चढ़ाकर आकाश एवं पृथ्वी के देवताओं से आशीर्वाद की कामना की जाती है।

अमूर फाल्कनः



- अमूर फाल्कन दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी
 हैं, ये सर्दियों की शुरुआत के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
- ये शिकारी पक्षी दक्षिण-पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं तथा मंगोलिया एवं साइबेरिया से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुए दिक्षणी अफ्रीका तक लाखों की संख्या में प्रवास करते हैं।
- इसका 22,000 किलोमीटर का प्रवासी मार्ग सभी एवियन प्रजातियों में सबसे लंबा है।
- इसका नाम 'अमूर नदी' के नाम पर पड़ा है जो रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है।
- प्रजनन स्थल से दक्षिण अफ्रीका की ओर वार्षिक प्रवास के दौरान अमूर फाल्कन के लिये नगालैंड की दोयांग झील (Doyang Lake) एक ठहराव केंद्र के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार नगालैंड को "फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड" के रूप में भी जाना जाता है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की रेड लिस्ट के तहत इन पिक्षयों को 'कम चिंताग्रस्त' (Least Concerned) के रूप में वर्गीकृत किया गया है लेकिन यह प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित है।

मधुमक्खी की खोजी गई नई प्रजाति

हाल ही में पश्चिमी घाटों में 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद एपिस कारिंजोडियन नामक स्थानिक मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।

 भारत में अंतिम मधुमक्खी (एपिस इंडिका) की खोज फेब्रिसियस द्वारा वर्ष 1798 में की गई थी। इस नई खोज के साथ विश्व में मधुमिक्खयों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है।



इस प्रजाति की प्रमुख विशेषताः

- परिचयः
 - सामान्य नामः भारतीय काली मधुमिक्खयाँ।
 - एिपस करिंजोडियन का विकास एिपस सेराना मॉर्फोटाइप्ससे हुआ है जो पश्चिमी घाट के गर्म और आर्द्र वातावरण के लिये अनुकूल हो गई है।
 - भारतीय काली मधुमिक्खियों का शहद अधिक गाढ़ा होता है, यह शहद के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हैं।
 - आज तक केवल एक ही प्रजाति (एपिस सेराना) को भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य और दक्षिणी भारत तथा श्रीलंका के मैदानी इलाकों में 'समान रुप से वितरित' के रूप में देखा गया था।
 - इस शोध ने देश में मधुमक्खी पालन को एक नई दिशा दी है, जिसमें तीन प्रकार की कैविटी घोंसले वाली मधुमिक्खियों, एपिस इंडिका, एपिस सेराना और एपिस करिंजोडियन की उपस्थिति को दिखाया गया है।

• वितरणः

 एपिस करिनजोडियन का वितरण मध्य पश्चिमी घाट और नीलगिरी से लेकर दक्षिणी पश्चिमी घाट तक है जिसमें गोवा, कर्नाटक, केरल के साथ तिमलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं।

• संरक्षणः

♦ IUCN रेड लिस्ट: निकट संकटग्रस्त (NT)

भारत में मधुमक्खी पालन की स्थिति:

- विश्व स्तर पर मधुमक्खी पालन बाजार में अनुमान है कि 2020-25 की अविध के दौरान एशिया-प्रशांत द्वारा प्रमुख उत्पादक के रूप में 3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की जाएगी।
- भारतीय मधुमक्खी पालन बाजार वर्ष 2024 तक 33,128 मिलियन रुपए तक पहुँचने की उम्मीद है, जो लगभग 12 प्रतिशत की CAGR से बढ़ रहा है।

- भारत छठा प्रमुख प्राकृतिक शहद निर्यातक देश है।
 - वर्ष 2019-20 के दौरान 633.82 करोड़ रुपए के प्राकृतिक शहद का रिकॉर्ड निर्यात किया गया जो कि 59,536.75 मीट्रिक टन था। प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, कनाडा और कतर थे।

संबंधित पहल:

- 'मीठी क्रांति':
 - यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसे 'मधुमक्खी पालन' '(Beekeeping) के नाम से जाना जाता है।
 - मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2020 में (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन शुरू किया गया।
 - राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का लक्ष्य 5 बड़े क्षेत्रीय एवं 100 छोटे शहद व अन्य मधुमक्खी उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करना है।
 - इनमें में से 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं, जबिक 25 छोटी प्रयोगशालाएँ स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं।
- प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना:
 - भारत प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये मधुमक्खी पालकों को भी सहायता प्रदान कर रहा है।
 - देश में 1.25 लाख मीट्रिक टन से अधिक शहद का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से 60 हजार मीट्रिक टन से अधिक प्राकृतिक शहद का निर्यात किया जाता है।

वैज्ञानिक तकनीकों को अपनानाः

घरेलू शहद की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं वैश्विक बाजार को आकर्षित करने के लिये भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग के माध्यम से मधुमक्खी पालकों के क्षमता निर्माण पर सहयोग एवं ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

ब्लैक सी ग्रेन पहल

हाल ही में रूस ब्लैक सी ग्रेन पहल में फिर से शामिल हुआ।

ब्लैक सी ग्रेन पहल:

परिचयः

 ब्लैक सी ग्रेन पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर 'ब्रेडबास्केट' में रूसी कार्रवाइयों के कारण आपूर्ति शृंखला में होने वाले व्यवधानों से उत्पन्न खाद्य कीमतों में वृद्धि से निपटने का प्रयास करना है। जुलाई 2022 में इस्तांबुल में संयुक्त राष्ट्र (UN) और तुर्की द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

उद्देश्यः

- प्रारंभ में इसे 120 दिनों की अविध के लिये शुरू किया गया था, इसके तहत यूक्रेन के निर्यात (विशेष रूप से खाद्यान्न) के लिये सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान किया गया था।
- इस पहल का प्रमुख विचार अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करके खाद्य मूल्य में मुद्रास्फीति को सीमित करना था।

• संयुक्त समन्वय केंद्र (JCC) की भूमिका:

- इस समझौते ने संयुक्त समन्वय केंद्र (JCC) की स्थापना की,
 जिसमें निरीक्षण और समन्वय के लिये रूस, तुर्किये, यूक्रेन तथा
 संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे।
- उचित निगरानी, निरीक्षण और सुरिक्षत मार्ग सुनिश्चित करने के लिये सभी वाणिज्यिक जहाजों को सीधे JCC के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। इनबाउंड और आउटबाउंड जहाज (निर्दिष्ट कॉरिडोर के लिये) JCC पोस्ट निरीक्षण द्वारा सहमत अनुसूची के अनुसार पारगमन करते हैं।
 - ऐसा इसलिये किया जाता है तािक यह सुिनिश्चत किया जा सके कि जहाज पर कोई अनिधकृत कार्गो या कर्मी नहीं है।
 - इसके बाद उन्हें निर्दिष्ट कॉरिडोर के माध्यम से लोड करने के लिये यूक्रेनी बंदरगाहों के लिये आगे बढ़ने की अनुमित होती है।

ब्लैक सी ग्रेन पहल का महत्त्व:

- यूक्रेन विश्व स्तर पर गेहूँ, मक्का, रेपसीड, सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी के तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।
 - काला सागर में गहरे समुद्र तक पहुँच इसे मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के बंदरगाह के साथ रूस एवं यूरोप से सीधे संपर्क रखने में सक्षम बनाती है।
- इस पहल को वैश्विक स्तर पर संकट के आलोक में जीवन निर्वाह
 में सहायता करने का श्रेय भी दिया गया है।
 - इस पहल के शुरू होने के बाद से लगभग 9.8 मिलियन टन अनाज का निर्यात किया गया है।
 - आपूर्ति की कमी के समय अधिक मुनाफे के लिये अनाज को न बेचने वाले और अनाज की जमाखोरी करने वालों को अब उसी अनाज को बेचने के लिये बाध्य हैं।
- हालाँकि यह पहल अकेले वैश्विक भुखमरी का निदान नहीं कर सकती है, लेकिन यह वैश्विक खाद्य संकट को बढ़ने से रोक सकती है।

ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन

आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीन-संपादित) सुअर के हृदय को मानव में पहली बार प्रत्यारोपण के उपरांत धड़कने में सामान्य से अधिक समय लगा। इस प्रत्यारोपण के बाद प्राप्तकर्त्ता मानव केवल 61 दिनों तक जीवित रहा।

• इस तरह के प्रत्यारोपण के पहले के प्रयास विफल रहे हैं।

Genetically engineering pigs as organ donors

Adding and removing genes with gene-editing technology creates genetically-altered pig cells




These are used to make pig embryos



The genetically-engineered pigs are raised in a controlled, bio-sealed environment



The organ is removed from adult pig and transplanted into patient



Patient must still take
immunosuppressant drugs,
to prevent their body
rejecting the new organ



ज़ेनोट्रांसप्लांटेशनः

• परिचयः

- ज्रेनोट्रांसप्लांटेशन के तहत मानव में किसी अन्य जीव के ऊतकों
 या अंगों का प्रत्यारोपण करना शामिल है।
 - हाल ही में सुअर के हृदय को मानव शरीर में प्रत्यारोपित किया गया, इसमें कोशिकाओं में से शुगर की मात्रा को हटाने (जो शरीर द्वारा किसी बाह्य अंग के अस्वीकरण हेतु उत्तरदायी होता है) के लिये जीन-एडिटिंग को अपनाया गया था।
 - जीन एडिटिंग (जिसे जीनोम एडिटिंग भी कहा जाता है)
 प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीएनए (DNA) को बदलने की क्षमता उपलब्ध कराता है।

प्रत्यारोपण में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अंग अस्वीकृति है
 (यह अस्वीकृति प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होती है जो प्रत्यारोपण को बाह्य के रूप में पहचानती है)।

महत्त्वः

- इस क्षेत्र में किया गया विकास वैश्विक स्तर पर अंगों की कमी की समस्या को हल करने की दिशा में बढ़ाए गए कदमों के साथ हमें करीब ला सकता है।
 - प्रतिवर्ष भारत में यकृत प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले मरजों की संख्या 25,000-30,000 होती है, जबिक प्राप्तकर्त्ता लोगों की संख्या मात्र 1500 है।
- अंग प्रत्यारोपण के संबंध में सुअरों को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी है।
 - अंग खरीद के संबंध में अन्य जानवरों की तुलना में सुअर अधिक फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि छह महीने में ही उनके विकसित अंग एक वयस्क मानव के अंग आकार के सामान हो सकते हैं।
 - सुअर का शारीरिक मापदंड मनुष्यों के समान होता हैं फार्मों
 में सूअर का प्रजनन व्यापक और लागत प्रभावी होता है।

मथुरा-वृंदावन कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य 2041

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2041 तक मथुरा-वृंदावन को "शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन" पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।

 यह भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिये निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा।

इस लक्ष्य से संबंधित प्रमुख घोषणाएँ:

- वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।
- इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किये जाने वाले केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को जाने की अनुमित होगी।
- इस क्षेत्र के कुल 252 जलाशयों और 24 वनों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा।
- इस योजना के तहत पूरे क्षेत्र को चार समूहों में विभाजित किया गया
 है, जिनमें से प्रत्येक के तहत आठ प्रमुख शहरों में से दो को शामिल किया गया है।
 - इसमें 'पिरक्रमा पथ' नामक छोटे सिर्कट बनाना भी प्रस्तावित है जहाँ तीर्थयात्री पैदल या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर जा सकते हैं।
 - यदि तीर्थयात्री एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिये इलेक्ट्रिक मिनी बसों का भी प्रावधान किया गया है।

मथुरा-वृंदावन का सांस्कृतिक महत्त्वः

- यमुना नदी के तट पर स्थित मथुरा, भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। साथ ही हिंदुओं के लिये इसका काफी धार्मिक महत्त्व है।
- यह सबसे प्राचीन तीर्थस्थलों में से एक है।
- इसका उल्लेख महाकाव्य रामायण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मथुरा कुषाण राजा किनष्क (130AD) की राजधानियों में से एक थी।
- यहाँ पर बाँके बिहारी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, रंगजी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और इस्कॉन (ISKCON) जैसे कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं।

शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जनः

- इसे कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा।
- बल्कि, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है।
 - इसके अलावा वनों जैसे अधिक कार्बन सिंक बनाकर उत्सर्जन के अवशोषण को बढाया जा सकता है।
 - जबिक वातावरण से गैसों को हटाने के लिये कार्बन कैप्चर
 और स्टोरेज़ जैसी तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य तक यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है।
- भारत ने COP-26 शिखर सम्मेलन के सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा किया है।

फॉल्कन हैवी रॉकेट

हाल ही में स्पेसएक्स ने फाल्कन हेवी रॉकेट को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से भू-समकालिक पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया।

 यह विशाल रॉकेट प्रणाली का चौथा प्रक्षेपण है और वर्ष 2019 में हुए इसके अंतिम प्रक्षेपण के बाद से लगभग तीन वर्षों में पहला प्रक्षेपण है।

वर्तमान मिशनः

- यह रॉकेट अमेरिकी अंतरिक्ष बल (USSF)-44 नामक मिशन हेतु
 अमेरिकी सेना के उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाएगा।
 - इस मिशन के तहत दो अंतिरक्षयान पेलोड तैनात किये गए,
 जिनमें से पहला TETRA 1 माइक्रो सैटेलाइट है जिसे भू-

समकालिक पृथ्वी की कक्षा में और उसके आसपास विभिन्न प्रोटोटाइप मिशनों के लिये बनाया गया है। दूसरा पेलोड राष्ट्रीय रक्षा उद्देश्यों हेतु है।

 स्पेस सिस्टम्स कमांड के इनोवेशन और प्रोटोटाइपिंग के लिये यह उपग्रहों को स्थापित करेगा।

फॉल्कन हैवी रॉकेट:

- स्पेसएक्स के अनुसार दो कारकों की वजह से फॉल्कन हैवी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली गॅकेट है।
- इस रॉकेट की ऊँचाई 70 मीटर, चौड़ाई 12.2 मीटर और वजन 1,420,788 किलोग्राम है।
- फॉल्कन हैवी में 27 मिलिन इंजन हैं जो एक साथ लिफ्ट-ऑफ पर पाँच मिलियन पाउंड से अधिक की शक्ति उत्पन्न करते हैं। अपनी पूरी क्षमता पर यह लगभग अठारह, 747 विमानों के बराबर है, जो इसे सबसे सक्षम रॉकेट बनाता है।
 - मिलन फॉल्कन 1, फॉल्कन 9 और फॉल्कन हैवी प्रक्षेपण यानों
 में उपयोग होने वाले रॉकेट इंजनों का समूह है, जिसे स्पेसएक्स द्वारा विकसित किया गया है।
 - मिर्लिन इंजन में गैस-जनरेटर शक्ति चक्र में रॉकेट प्रणोदक के रूप में RP-1 और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है।
 - इन इंजनों को पुनर्प्राप्ति और पुन: उपयोग के लिये डिजाइन किया गया था।
- इस रॉकेट से लगभग 64 मीट्रिक टन भार को कक्षा में ले जाया जा सकता है।
- फाल्कन हैवी अतिरिक्त थ्रस्ट और लिफ्ट क्षमता के लिये तीन बूस्टर का उपयोग करता है।
- स्पेसएक्स ने आखिरी बार जून 2019 में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपना फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया था।
 - यह रक्षा विभाग के अंतिरक्ष परीक्षण कार्यक्रम-2 के हिस्से के रूप में 24 उपग्रहों को ले गया।

भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, स्काईरूट एयरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-S को 12 से 16 नवंबर, 2022 के बीच 'प्रारंभ ('Prarambh)' मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचने के लिये तैयार है।

 स्काईरूट एयरोस्पेस, एयरोस्पेस व्यवसाय से संबंधित भारतीय स्टार्टअप है।

NOV 12-16 LAUNCH

- Skyroot Aerospace will launch Vikram-S between Nov 12 & 16 from Sriharikota
- ➤It will carry three sats, including one made by students of Space Kidz India
- Rocket has got technical launch nod from IN-SPACe

विक्रम -S:

- विक्रम- S रॉकेट, एक-चरणीय सब-ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है जो तीन पेलोड ले जाएगा।
 - सब-ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान कक्षीय वेग से धीमी गित से चलते हैं - अर्थात बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिये इसकी गित पर्याप्त होती है लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रहने के लिये पर्याप्त गित नहीं होती है।
- यह अंतिरक्ष प्रक्षेपण वाहनों की विक्रम शृंखला में अधिकांश प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन में मदद करेगा।
 - स्काईरूट तीन अलग-अलग विक्रम रॉकेट संस्करणों पर काम कर रहा है।
 - ◆ विक्रम-I को 480 किलोग्राम पेलोड के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जबिक विक्रम- II को 595 किलोग्राम के साथ लॉन्च किया जा सकता है, एवं विक्रम-III में 815 किलोग्राम के साथ 500 किमी. कम झुकाव वाली कक्षा में लॉन्च कर सकता है।

प्रारंभ मिशन (Prarambh Mission):

- प्रारंभ मिशन का उद्देश्य तीन पेलोड को अंतिरक्ष में ले जाना है, जिसमें 2.5 किलोग्राम का पेलोड भी शामिल है जिसे कई देशों के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है।
- प्रारंभ मिशन और विक्रम-S रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के व्यापक समर्थन से विकसित किया गया था।

एस्चुअरीन केकड़े की नई प्रजाति

हाल ही में शोधकर्ताओं ने तिमलनाडु के कुड्डालोर जिले में वेल्लार नदी के मुहाने (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ नदी समुद्र से मिलती है) के पास परंगीपेट्टई के मैंग्रोव में एस्चुअरीन केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज की है।

 शिक्षा और अनुसंधान में अन्नामलाई विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरा करने के सम्मान में इस प्रजाति का नाम 'स्यूडोहेलिस अन्नामलाई' रखा गया है।



स्यूडोहेलिस अन्नामलाई:

• परिचयः

- सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी (CAS) द्वारा उच्च अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों से प्राप्त किये गए स्यूडोहेलिस प्रजाति का यह पहला रिकॉर्ड है।
 - अब तक इस प्रजाित में केवल दो प्रजाितयों अर्थात्
 "स्यूडोहेलिस सबक्वाड्राटा" और "स्यूडोहेलिस लैट्रेली"
 की पुष्टि की गई है।

भौगोलिक वितरणः

 यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी हिंद महासागर के आसपास पाई जाती है।

• विशेषताः

- स्यूडोहेलिस अन्नामलाई को उसके गहरे बैंगनी और गहरे भूरे रंग से पहचाना जा सकता है, जिसमें अनियमित हल्के भूरे या सफेद धब्बे होते हैं, जो हल्के भूरे रंग के चेलिपेड के साथ पीछे के कैरापेस पर होते हैं।
- यह प्रजाति आकार में छोटी है और इसकी अधिकतम चौड़ाई
 20 मिमी. होती है।
- अन्य अंतर्ज्वारीय केकड़ों की तरह यह प्रजाति तेज़ी से आगे बढ़ सकती है लेकिन आक्रामक नहीं होती है।

• आवास:

- यह प्रजाति मैंग्रोव के कीचड़ भरे किनारों पर रहती है। एविसेनिया मैंग्रोव के न्यूमेटोफोरस के निकट इनके द्वारा आवास के लिये बनाए बिल पाए गए थे।
- प्रवेश के पास बड़े-बड़े छड़ के आकार वाले इन बिलों की गहराई 25-30 से.मी. होती है और उनमे कई शाखाएँ होती है।

• महत्त्वः

- भारत में स्यूडोहेलिस की उपस्थित पश्चिमी हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच इसके वितरण के अंतराल से संबंधित है।
- नई प्रजातियों की खोज इस बात को साबित करती हैं कि पूर्वी हिंद महासागर में कुछ समुद्री जीव भौगोलिक रूप से अलग-थलग हैं।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022

खान मंत्रालय ने मौलिक/अनुप्रयुक्त भूविज्ञान, खनन और संबद्ध क्षेत्रों में योगदान के लिये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022 हेतु नामांकन आमंत्रित किये हैं।

भूविज्ञान एक सर्वव्यापी शब्द है जिसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान को संदर्भित करने के लिये किया जाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के भूवैज्ञानिक होते हैं, जैसे- वायुमंडलीय विज्ञान, भूविज्ञान, जल विज्ञान, खनिज विज्ञान, पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी और समुद्र विज्ञान।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के मुख्य बिंदुः

• परिचयः

- प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार वर्ष 1966 में खान मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह भू-वैज्ञानिकों को उत्कृष्टता हेतु प्रोत्साहित करने की दिशा में एक पहल है।
- भारत का कोई भी नागरिक जिसका NGA विनियमन 2022
 के खंड-2 में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, इन पुरस्कारों के लिये पात्र माना जाएगा।

• प्रमुख विषय:

- 🔶 खनिज खोज और अन्वेषण
- 🔶 खनन, खनिज लाभ और सतत् खनिज विकास
- 🔷 बुनियादी भूविज्ञान
- अनुप्रयुक्त भूविज्ञान

श्रेणियाँ:

लाइफटाइम अचीवमेंट के लिये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारः

 NGA विनियमन, 2022 की धारा-2 में उल्लिखित किसी भी विषय में सतत और महत्वपूर्ण योगदान के लिये असाधारण रूप से लाइफटाइम अचीवमेंट हासिल करने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है।

 पुरस्कार के रूप में 5,00,000 रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारः

- राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार NGA विनियमन, 2022 की धारा-2 में उल्लिखित किसी भी विषय में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति या टीम को प्रदान किया जाता है।
- पुरस्कार के रूप में 3,00,000 रुपए नकद और प्रमाण पत्र
 दिया जाता है। टीम को पुरस्कार दिये जाने की स्थिति में
 पुरस्कार राशि को टीम के सदस्यों में समान रूप से
 विभाजित किया जाएगा।

राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कारः

- 31 दिसंबर, 2021 को 35 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को भूविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य हेतु राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा।
- इस पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए से अधिक नकद,
 पाँच वर्षों में संतोषजनक वार्षिक प्रगति के आधार पर
 5,00,000 रुपए का शोध अनुदान और प्रमाण पत्र दिया जाता है।

भारत का विधि आयोग

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

भारत का विधि आयोग:

• परिचय:

- भारत का विधि आयोग समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है।
 - स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में तीन साल के कार्यकाल के लिये स्थापित किया गया था।
 - पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राज काल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी।

उद्देश्यः

- यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है।
- विधि आयोग का कार्य कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना है ताकि इसमें सुधार किया जा सके एवं केंद्र सरकार या स्व-प्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में नए कानून बनाए जा सकें।

• सदस्य संरचनाः

- एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ-साथ आयोग में एक सदस्य-सचिव सहित और चार पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
- कानून मंत्रालय का कानून और विधायी सचिव इस आयोग का पदेन सदस्य होगा।
- इसमें अंशकालिक सदस्यों की संख्या पाँच से अधिक नहीं होगी।।
- सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा।

आयोग की मुख्य सिफारिशें:

- विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में आतंकवाद से संबंधित अपराधों और राज्य के खिलाफ युद्ध को छोड़कर सभी अपराधों के लिये मृत्युदंड की सज्जा को समाप्त करने की सिफारिश की।
- चुनावी सुधारों पर इसकी रिपोर्ट (वर्ष 1999) में शासन में सुधार एवं स्थिरता के लिये लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया गया था।
- विधि आयोग ने देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की भी सिफारिश की थी।
- कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लाए गए आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 को भी भारत के विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

टीवी चैनलों हेतु नए मानदंड

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी कर नए अपलिंकिंग और डाउनलोडिंग नियम निर्दिष्ट किए हैं।

 इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श जारी किया
 है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि किसी भी तरह का प्रसारण केवल प्रसार भारती के माध्यम से ही किया जाए।

नए प्रावधानः

राष्ट्रीय/सार्वजनिक हित में सामग्री प्रसारित करने की बाध्यताः

- टेलीविजन चैनलों को हर दिन 30 मिनट के लिये राष्ट्रहित या सार्वजनिक सेवा में सामग्री प्रसारित करनी होगी।
 - बहरहाल, ये दायित्व खेल, वन्य जीवन और विदेशी चैनलों के लिये लागू नहीं होंगे।
- राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों में शामिल हैं:
 - शिक्षा और साक्षरता का प्रसार
 - कृषि और ग्रामीण विकास,
 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण,
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी.

- महिलाओं का कल्याण
- समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण
- पर्यावरण एवं सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का संरक्षण।

कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के लिये कोई पूर्व अनुमित नहीं:

- कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिये अनुमित लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है; केवल लाइव टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगाः
- स्टैंडर्ड डेफिनिशन (SD) से हाई डेफिनिशन (HD) या इसके विपरीत भाषा में परिवर्तन या ट्रांसिमशन के मोड में रूपांतरण के लिये पूर्व अनुमित की कोई आवश्यकता नहीं है; केवल पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

• भारतीय टेलीपोर्ट द्वारा विदेशी चैनलों को अपलिंक करनाः

 LLPs/कंपिनयों को भारतीय टेलीपोर्ट से विदेशी चैनलों को अपिलंक करने की अनुमित दी जाएगी जो रोजगार के अवसर पैदा करेगा तथा भारत को अन्य देशों के लिये टेलीपोर्ट-हब बनाएगा।

सरलीकरण और युक्तिकरणः

- दोहराव और सामान्य मापदंडों से बचने के लिये दिशा-निर्देशों की संरचना को व्यवस्थित किया गया है।
- जुर्माने की धाराओं को युक्तिसंगत बनाया गया है और वर्तमान में एकसमान जुर्माने की तुलना में विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिये जुर्माने की अलग प्रकृति का प्रस्ताव किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा

हाल ही में मानवाधिकार परिषद (HRC) का सार्वभौमिक आविधिक समीक्षा (UPR) सत्र जिनेवा में आयोजित किया गया था, जहाँ सार्वभौमिक आविधिक समीक्षा (UPR) कार्य समूह द्वारा भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की जाँच की गई थी।

सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR):

• परिचय:

- UPR एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आवधिक समीक्षा की जाती है।
- चूँिक इसकी पहली बैठक अप्रैल 2008 में हुई थी, सभी 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों की समीक्षा पहले, दूसरे और तीसरे यूपीआर चक्र के दौरान तीन बार की गई है।

- इस तंत्र का अंतिम उद्देश्य सभी देशों में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार करना और जहाँ कहीं भी मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं, उन्हें संबोधित करना है। वर्तमान में,इस तरह का कोई अन्य सार्वभौमिक तंत्र मौजूद नहीं है।
- समीक्षा प्रक्रिया के दौरान राज्यों ने अपनी पिछली समीक्षाओं के दौरान की गई सिफारिशों को लागू करने के लिये उठाए गए विशिष्ट कदमों की रूपरेखा तैयार की और उनके हाल के मानवाधिकारों के विकास पर प्रकाश डाला।

भारत के लिये यूपीआर:

- भारत की समीक्षा के लिये प्रतिवेदक ("ट्रोइका") के रूप में समर्थन देने वाले तीन देश प्रतिनिधि हैं: सूडान, नेपाल और नीदरलैंड।
- यह समीक्षा यूपीआर के चौथे चक्र की शुरुआत को चिह्नित करती है। भारत की पहली, दूसरी और तीसरी यूपीआर समीक्षा क्रमश: अप्रैल 2008, मई 2012 और मई 2017 में हुई थी।

• समीक्षा का आधार:

- राष्ट्रीय रिपोर्ट- समीक्षाधीन राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।
- स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों और समूहों की रिपोर्ट में निहित जानकारी, जिन्हें विशेष प्रक्रियाओं, मानवाधिकार संधि निकायों और अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के रूप में जाना जाता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों, क्षेत्रीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों सिंहत अन्य हितधारकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

समीक्षा के प्रमुख बिंदु:

- ग्रीस, नीदरलैंड और वेटिकन सिटी ने भारत सरकार से धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और मानवाधिकार रक्षकों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया।
 - भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना करता है, बशर्तें इन समूहों और व्यक्तियों की गतिविधियाँ देश के कानून के अनुरूप होनी चाहिये।
- जर्मनी ने भारत में विशेष रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की।
- जर्मनी ने यह भी कहा कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम को भारत में "संघ की स्वतंत्रता" को "अनुचित रूप से प्रतिबंधित" नहीं करना चाहिये।

- जर्मन प्रतिनिधि ने भारत से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि दलितों के खिलाफ भेदभाव समाप्त होना चाहिये।
- नेपाल ने भारत से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और बाल विवाह को समाप्त करने के उपायों को मजबूत करने का आह्वान किया।
- रूस ने भारत से ऐसी नीतियाँ जारी रखने को कहा जिससे गरीबी उन्मूलन हो साथ ही 'जिम्मेदार कॉरपोरेट व्यवहार' का आह्वान किया।
- भारत ने कहा कि कुछ संगठनों के खिलाफ उनकी अवैध क्रियाओं के कारण कार्रवाई की गई, जिसमें धन के दुर्भावनापूर्ण पुन: अनुमार्गण (Re-Routing) और मौजूदा कानूनी प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों और भारत के कर कानून का जान-बूझकर एवं निरंतर उल्लंघन शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदः

• परिचयः

मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने हेतु जिम्मेदार है।

• गठनः

- इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था।
- मानवाधिकार हेतु उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR)
 मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
- OHCHR का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

• सहस्य

- इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा चुने जाते हैं।
- पिरषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है।
 इसकी सीटों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है:
 - अफ्रीकी देश: 13 सीटें
 - एशिया-प्रशांत देश: 13 सीटें
 - लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देश: 8 सीटें
 - पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश: 7 सीटें
 - पूर्वी यूरोपीय देश: 6 सीटें
- परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और लगातार दो कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुन: चुनाव के लिये पात्र नहीं होता है।

प्रक्रिया और तंत्र:

- सलाहकार समिति: यह परिषद के "थिंक टैंक" के रूप में कार्य करता है जो इसे विषयगत मानवाधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञता और सलाह प्रदान करता है।
- शिकायत प्रिक्रियाः यह लोगों और संगठनों को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों को परिषद के ध्यान में लाने की अनुमति देता है।
- संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया: ये विशेष प्रतिवेदक, विशेष प्रतिनिधियों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और कार्य समूहों से बने होते हैं जो विशिष्ट देशों में विषयगत मुद्दों या मानव अधिकारों की स्थितियों की निगरानी, जाँच करने, सलाह देने और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने का कार्य करते हैं।

स्वामित्व योजना रिपोर्ट

हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वामित्व (SVAMITVA) योजना और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की गई।

 रिपोर्ट में उन मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है जिन्हें राज्य समग्र रूप से स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को साकार करने के लिये अपना सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- विशेषज्ञ समिति के संदर्भ में:
 - विशेषज्ञ सिमिति का गठन वर्ष 2022 में किया गया जिसमें भूमि शासन, बैंकिंग, भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), राज्य राजस्व और पंचायती राज विभागों, उद्योग एवं प्रमुख योजनाओं तथा वास्तुकला संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे।

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली प्रणालियों का निर्माण करना।
- बैंक से ऋण प्राप्त करने के 'अधिकारों के रिकॉर्ड' को अपनाने को बढ़ावा देना।
- संपत्ति कर निर्धारण और संग्रह से संबंधित सूचित निर्णय लेने के लिये विभिन्न विभागों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
- नए भू-स्थानिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा स्वामित्व डेटा-सेट को व्यापक रूप से अपनाना।
- RADPFI (ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन) दिशा-निर्देशों एवं सटीक ग्राम स्तर-योजना के लिये स्वामित्व डेटा को अपनाना।
- 🕨 राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर GIS कौशल क्षमता बढ़ाना।

स्वामित्व योजनाः

• परिचयः

- स्वामित्व का मतलब गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण है।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 24 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था।

• नोडल मंत्रालयः

- पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग एक प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी है।

• उद्देश्यः

- ग्रामीण भारत के लिये एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड'
 प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाएगा।

• विशेषताः

- ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन CORS (सतत् संचालन संदर्भ स्टेशन) नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा जो 5 सेमी. तक की मानचित्रण सटीकता प्रदान करता है।
 - यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और घर का स्वामित्त्व रखने वाले घर के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करेगा।
- यह वर्ष 2021-2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर करेगा।

• संपत्ति कार्ड का नामकरण:

संपत्ति कार्ड को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे; हरियाणा में 'टाइटल डीड' (Title Deed), 'कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ओनरिशप रिकॉर्ड्स' (Rural Property Ownership Records-RPOR), मध्य प्रदेश में 'अधिकार अभिलेख' (Adhikar Abhilekh), महाराष्ट्र में 'सनद' (Sannad), उत्तराखंड में 'स्वामित्व अभिलेख' (Svamitva Abhilekh) तथा उत्तर प्रदेश में 'घरौनी' (Gharauni)।

पश्मीना शॉल

हाल ही में कस्टम अधिकारियों ने कई निर्यातित वस्तुओं की खेपों में पश्मीना शॉल में 'शहतूश' गार्ड हेयर की उपस्थिति के विषय में शिकायत की जो विशेषकर लुप्तप्राय तिब्बती मृगों से प्राप्त किया जाता है।

पश्मीनाः

परिचय:

- पश्मीना एक भौगोलिक संकेतक (GI) प्रमाणित ऊन है जिसकी उत्पत्ति भारत के कश्मीर क्षेत्र में हुई।
 - मूल रूप से कश्मीरी लोग सर्दियों के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिये पश्मीना शॉल का इस्तेमाल करते थे।
- 'पश्मीना' शब्द फारसी शब्द "पश्म" से लिया गया है जिसका अर्थ है बुनाई योग्य फाइबर जो मुख्य रूप से ऊन है।
- पश्मीना शॉल ऊन की अच्छी गुणवत्ता और शॉल बनाने में लगने वाली कड़ी मेहनत के कारण बहुत महँगे होते हैं।
 - पश्मीना शॉल बुनने में काफी समय लगता है और यह काम के प्रकार पर निर्भर करता है। एक शॉल को पूरा करने में आमतौर पर लगभग 72 घंटे या उससे अधिक समय लगता है।

• स्त्रोतः

पश्मीना शॉल की बुनाई में उपयोग किया जाने वाला ऊन लद्दाख
 में पाए जाने वाले पालतू चांगथांगी बकरियों (Capra hircus) से प्राप्त किया जाता है।

• फाइबर प्रसंस्करणः

- कच्चे पश्म को लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाने वाली चांगथांगी बकरियों से प्राप्त किया जाता है।
 - चांगपा अर्द्ध-खानाबदोश समुदाय से हैं जो चांगथांग (लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फैले हुए हैं) या लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं।
 - वर्ष 2001 तक भारत सरकार के आरक्षण कार्यक्रम के तहत चांगपा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- कश्मीरी बुनकरों द्वारा कच्चा पश्म को मध्यस्थों के माध्यम से खरीदा जाता है, जो चांगपा जनजाति और कश्मीरियों के बीच एकमात्र संपर्क कड़ी है, इसके बाद कच्चे पश्म फाइबर को ठीक से साफ किया जाता है।
 - बाद में वे इस फाइबर को सुलझाते हैं और उसकी गुणवत्ता के आधार पर इसे अच्छी तरह से अलग करते हैं।
 - फिर इसे हाथ से काता जाता है और ताने (Warps) में स्थापित किया जाता है एवं हथकरघा पर खा जाता है।
 - इसके बाद यार्न को हाथ से बुना जाता है और खूबसूरती से शानदार पश्मीना शॉल का निर्माण किया जाता है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
 - पश्मीना शॉल बुनाई की यह कला कश्मीर में एक परंपरा के रूप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चली आ रही है।

महत्त्व:

- पश्मीना शॉल दुनिया में बेहतरीन और उच्चतम गुणवत्ता वाले ऊन से बने होते हैं।
- पश्मीना शॉल ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और यह पूरी दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले शॉल में से एक बन गई है।
- 🔷 इसकी उच्च मांग ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया।

• चिंताएँ:

- सीमित उपलब्धता और उच्च कीमतों के कारण निर्माताओं द्वारा पश्मीना में भेड़ के ऊन/अल्ट्रा-फाइन मेरिनो ऊन की मिलावट करना आम बात है।
 - वर्ष 2019 में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिये उनकी पहचान, अंकन और लेबलिंग हेतु भारतीय मानक निर्धारित किया।

• पश्मीना हेतु GI प्रमाणन मानदंड:

- शॉल 100% शुद्ध पश्म से बनी होनी चाहिये।
- रेशों की सूक्ष्मता 16 माइक्रोन तक होनी चाहिये।
- शॉल को कश्मीर के स्थानीय कारीगरों द्वारा हाथ से बुना जाना चाहिये।
- धागे को केवल हाथ से काता जाना चाहिये।

शहतूश:

- शहतूश तिब्बती मृग से प्राप्त महीन अस्तर (Undercoat)
 फाइबर है, जिसे स्थानीय रूप से 'चिरू' के रूप में जाना जाता है,
 यह मुख्य रूप से तिब्बत में चांगथांग पठार के उत्तरी भागों में रहने
 वाली प्रजाति है।
 - इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN)
 की रेड लिस्ट में,चिरू को 'निकट संकट (Near Threatened)' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- चूँिक यह शॉल बहुत गर्मी प्रदान करती है और मुलायम होती है, इसिलये शहतूश शॉल अत्यधिक महँगी वस्तु बन गई है।
- दुर्भाग्यवश इस जानवर के वाणिज्यिक शिकार के कारण इनकी आबादी में नाटकीय रूप से गिरावट आई है।
 - तिब्बती मृग वर्ष 1979 में जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज्रवेंशन ऑफ नेचर (CITES) के तहत शामिल था, जिससे शहतूश शॉल और स्कार्फ की बिक्री एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

कुलपतियों का चयन

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि कुलपित के पास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिये और उसके नाम की सिफारिश एक खोज-सह-चयन सिमित द्वारा की जानी चाहिये।

 न्यायालय ने विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 10(3) का उल्लेख किया जिसमें प्रावधान था कि समिति को उनकी पात्रता और योग्यता के आधार परकुलपित के रूप में नियुक्ति के लिये तीन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करनी चाहिये।

कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रियाः

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियम, 2018 के अनुसार, एक विश्वविद्यालय का कुलपित, सामान्य रूप से, विधिवत गठित खोज सह चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन से पाँच नामों के पैनल से विजिटर/ चांसलर द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- िकसी भी विजिटर के पास यह अधिकार होता है कि पैनल द्वारा सुझाए गए नामों से असंतुष्ट होने की स्थिति में वह नामों के एक नए सेट की मांग कर सकता है।
- भारतीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में, भारत का राष्ट्रपित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का पदेन विजिटर होता है और राज्यों के राज्यपाल संबंधित राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपित होते हैं।
- यह प्रणाली सभी विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से एक समान नहीं है। जहाँ तक अलग-अलग राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का संबंध है, उनमे भिन्नताएँ होती हैं।
- यदि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और UGC विनियम, 2018
 के बीच मतभेद होता है जिसमे राज्य का कानून प्रतिकूल है, तो UGC विनियम, 2018 मान्य होगा।
 - अनुच्छेद 254 (1) के अनुसार, यदि किसी राज्य के कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान के विरुद्ध है, जिसे संसद अधिनियमित करने के लिये सक्षम है या समवर्ती सूची में किसी भी मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून के साथ है, तो संसदीय कानून राज्य के कानून पर हावी होगा।

कुलपति की भूमिकाः

- विश्वविद्यालय के संविधान के अनुसार, कुलपित (VC) को 'विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी' माना जाता है।
- विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में, उससे विश्वविद्यालय के कार्यकारी और अकादिमक प्रभाग के बीच 'मध्यस्थ' के रूप में कार्य करने की उम्मीद की जाती है।

- इस अपेक्षित भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिये विश्वविद्यालयों को हमेशा अकादिमक उत्कृष्टता और प्रशासिनक अनुभव के अलावा मूल्यों, व्यक्तित्व विशेषताओं और अखंडता वाले व्यक्तियों की तलाश रहती है।
- राधाकृष्णन आयोग (1948), कोठारी आयोग (1964-66), ज्ञानम सिमिति (1990) और रामलाल पारिख सिमिति (1993) की रिपोर्टी में समय-समय पर होने वाले बहुप्रतीक्षित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को बनाए रखने में कुलपित की भूमिका के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।
- वह न्यायालय, कार्यकारी परिषद, अकादिमक परिषद, वित्त सिमिति और चयन सिमितियों का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपित की अनुपस्थिति में डिग्री प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- यह देखना कुलपित का कर्तव्य होगा कि अधिनियम, विधियों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जाए तथा उसे इस कर्तव्य के निर्वहन के लिये आवश्यक शक्ति प्राप्त होनी चाहिये।

नादप्रभु केम्पेगौड़ा

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नादप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण और बंगलूरू हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया, जिसका नाम 16वीं शताब्दी के प्रमुख व्यक्तित्त्व के नाम पर रखा गया है जिन्हें इस शहर की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है।

इस प्रतिमा को "स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी" कहा जाता है।

'स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी' की मुख्य विशेषताएँ:

- 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' के अनुसार, यह किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊँची कांस्य प्रतिमा है।
- प्रसिद्ध मूर्तिकार और पद्मभूषण से सम्मानित राम वनजी सुतार ने प्रतिमा को डिजाइन किया है।
 - सुतार ने गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' और बेंगलूरू के 'विधान सौध' में महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण कराया था। अनावरण से पहले राज्य भर में 22,000 से अधिक स्थानों से का प्रतिस्था के ज्ञार सकते हैं। जिसे प्रतिस्था के ज्ञार सकते हैं।

'मृतिका' (पवित्र मिट्टी) एकत्र की गई थी, जिसे प्रतिमा के चार टावरों में से एक के नीचे पवित्र मिट्टी को प्रतीकात्मक रूप से मिलाया गया था।


नादप्रभु केम्पेगौड़ाः

- परिचय:
 - उनका जन्म वर्ष 1513 में येलाहंका के पास एक गाँव में हुआ
 था।
 - 🔷 वह 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के तहत सामंत थे।

- वह लिंगायतों के बाद कर्नाटक के दूसरे सबसे प्रभावशाली समुदाय वोक्कालिंगा समुदाय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।
- शिक्षाः
 - उन्होंने कुंडापुरा (वर्तमान हेसरघट्टा) के पास गुरुकुल में नौ वर्ष तक अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने शासन और मार्शल आर्ट कला की शिक्षा प्राप्त की।
- उपलब्धियाँ:
 - उन्हें व्यापक रूप से बंगलूरू कर्नाटक के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया जाता है।
 - ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने मंत्री के साथ शिकार करने के दौरान एक नए शहर के विचार की कल्पना की और बाद में प्रस्तावित शहर के चारों कोनों में मीनारें खड़ी करके इसके क्षेत्र को चिह्नित किया।
 - पेयजल और कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिये शहर में लगभग 1,000 झीलों को विकसित करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है।
 - केम्पेगौड़ा को मोरासु वोक्कालिगा की एक महत्त्वपूर्ण प्रथा 'बांदी देवारू' के नाम से प्रचलित एक रिवाज के दौरान एक अविवाहित महिला के बाएँ हाथ की उंगलियाँ काटने की प्रथा को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है।
- मृत्युः
 - लगभग 56 वर्षों तक शासन करने के पश्चात् वर्ष 1569 में उनकी मृत्यु हो गई।
- मान्यताः
 - राज्य सरकारों ने कई महत्त्वपूर्ण स्थलों का नाम उनके नाम पर रखा है, जैसे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा बस स्टैंड और नादप्रभु केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन।

आचार्य कृपलानी

हाल ही में प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।



आचार्य कुपलानी:

• परिचयः

- 🔷 उनका जन्म 11 नवंबर,1888 को सिंध (हैदराबाद) में हुआ था।
- उनका मूल नाम जीवतराम भगवानदास कृपलानी था, लेकिन उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद् थे।

• शिक्षाविदुः

- वर्ष 1912 से 1927 तक उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने से पूर्व विभिन्न स्थानों पर अध्यापन का कार्य किया।
- वर्ष 1922 के आसपास जब वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन कार्य कर रहे थे, तब उन्हें 'आचार्य' उपनाम प्राप्त हुआ।

पर्यावरणविद्ः

 कृपलानी जी विनोबा भावे के साथ 1970 के दशक में पर्यावरण के संरक्षण एवं बचाव गितिविधियों में शामिल रहे।

• स्वतंत्रता सेनानीः

- वह असहयोग आंदोलन (1920-22) और सिवनय अवज्ञा आंदोलन (1930 में शुरू) तथा भारत छोड़ो आंदोलन (1942) का हिस्सा रहे।
- स्वतंत्रता के समय वे भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की अंतरिम सरकार (1946-1947) और भारत की संविधान सभा में योगदान दिया।

राजनीतिक जीवनः

- आजादी के बाद कॉन्प्रेस छोड़कर वह किसान मजदूर प्रजा पार्टी (KMPP) के संस्थापकों में से एक बन गए।
- वह 1952, 1957, 1963 और 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा के लिये चुने गए।
- उन्होंने भारत-चीन युद्ध (1962) के तुरंत बाद वर्ष 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।
 - वर्ष 1963 में कॉन्प्रेसी नेता सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं, जो देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं, जबिक उनके पित आचार्य कृपलानी कॉन्प्रेस के विरोधी बने रहे।
- वह नेहरू की नीतियों और इंदिरा गांधी के शासन के आलोचक
 थे। उन्हें आपातकाल (1975) के दौरान गिरफ्तार कर लिया
 गया।

• पुस्तकेः

 उनकी आत्मकथा 'माई टाइम्स' (My Times) वर्ष 2004 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई। • कृपलानी, गांधी: हिज लाइफ एंड थॉट (1970) सिहत कई पुस्तकों के लेखक थे।

डेंगू

एक अध्ययन के अनुसार भारत में डेंगू के चल रहे प्रसार के लिये मानसून की देर से वापसी को जिम्मेदार ठहराया गया है।

 डेंगू संचरण तीन प्रमुख कारकों- वर्षा, आर्द्रता और तापमान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो भौगोलिक क्षेत्रों को निर्देशित करते हैं जिसमें डेंगू फैलता है और संचिरत होता है।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत में एडीज एजिप्टी मच्छरों द्वारा डेंगू संचरण की प्रवृत्ति में बढोतरी हो रही है।
 - वर्ष 1951-1960 और वर्ष 2012-2021 के बीच इसमें 1.69% की वृद्धि हुई है।
 - अध्ययन में भिवष्य में जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप थार रेगिस्तान के गर्म शुष्क क्षेत्रों में एडीज एजिप्टी और ठंडे ऊपरी हिमालय में एडीज अल्बोपिक्टस के विस्तार का अनुमान लगाया गया है।
 - डेंगू दो मच्छरों एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस के काटने से फैलता है।
 - वर्तमान में, एडीज एजिप्टी दक्षिणी प्रायद्वीप, पूर्वी समुद्र तट, उत्तर-पूर्वी राज्यों और उत्तरी मैदानों में अधिक प्रचलित है।
 - एडीज अल्बोपिक्टस पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाओं, उत्तर-पूर्वी राज्यों और निम्न हिमालय में सक्रिय है।

डेंगू:

परिचय:

- डेंगू एक मच्छर जिनत उष्णकिटबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस (जीनस फ्लेवीवायरस) के कारण होती है, इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज (Genus Aedes) प्रजातियों मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी (Aedes aegypti) द्वारा होता है।
 - यह मच्छर चिकनगुनिया (Chikungunya), पीत ज्वर (Yellow Fever) और जीका संक्रमण (Zika Infection) का भी वाहक है।
- डेंगू को उत्पन्न करने वाले चार अलग-अलग परंतु आपस में संबंधित सीरोटाइप (सूक्ष्मजीवों की एक प्रजाति के भीतर अलग-अलग समूह जिनमें एक समान विशेषता पाई जाती हैं) DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4 हैं।

• लक्षणः

अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आँखों में दर्द, हड्डी, जोड़
 और माँसपेशियों में तेज दर्द आदि।

• निदान और उपचार:

- डेंग् संक्रमण का निदान रक्त परीक्षण से किया जाता है।
- डेंगू संक्रमण के इलाज हेतु कोई विशिष्ट दवा नहीं है।

• डेंगू की स्थिति:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के अनुसार, हाल के दशकों में वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामलों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है ।
- WHO के अनुसार, प्रतिवर्ष 39 करोड़ लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं, जिनमें से 9.6 करोड़ लोगों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं।
- 'राष्ट्रीय वेक्टर-जिनत रोग नियंत्रण कार्यक्रम' (National Vector-Borne Disease Control Programme- NVBDCP) के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में डेंगू के 1 लाख से अधिक और वर्ष 2019 में 1.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किये गए।
 - NVBDCP भारत में छह वेक्टर जिनत बीमारियों जिसमें मलेरिया, डेंगू, लिम्फैटिक फाइलेरिया, काला-जार, जापानी इंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया शामिल हैं, की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

• बैक्टीरिया का उपयोग करके डेंगू को नियंत्रित करना:

हाल ही में वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम (World Mosquito Program) के शोधकर्त्ताओं ने इंडोनेशिया में डेंगू को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने हेतु वोल्बाचिया बैक्टीरिया (Wolbachia Bacteria) से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया है।

विधि:

- वैज्ञानिकों ने कुछ मच्छरों को वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित कर उन्हें शहर में छोड़ दिया, जहाँ उन्होंने स्थानीय मच्छरों के साथ तब तक प्रजनन किया, जब तक कि क्षेत्र के लगभग सभी मच्छरों के शरीर में वोल्बाचिया बैक्टीरिया प्रविष्ट नहीं हो गया। इसे आवादी प्रतिस्थापन रणनीति (Population Replacement Strategy) कहा जाता है।
- 27 माह के अंत में शोधकर्त्ताओं ने पाया कि जिन क्षेत्रों में वोल्बाचिया-संक्रमित मच्छरों को छोड़ा गया था वहां डेंगू की घटनाएँ उन क्षेत्रों की तुलना में 77% कम थीं जहाँ वोल्बाचिया-संक्रमित मच्छरों को नहीं छोडा गया था।

डेंगू का टीका:

- वर्ष 2019 में यूएस फूड एंड ड्रग एडिमिनिस्ट्रेशन (US Food & Drug Administration) द्वारा डेंगू के टीके CYD-TDV या डेंग्वाक्सिया (CYD-TDV or Dengvaxia) को अनुमोदित किया गया था, जो अमेरिका में नियामक मंज़्री पाने वाला डेंगू का पहला टीका था।
 - डेंगवाक्सिया मूल रूप से एक जीवित, डेंगू वायरस से निर्मित टीका है जिसे 9 से 16 वर्ष की आयु के उन लोगों को लगाया जाता है जिनमें पूर्व में डेंगू संक्रमण की पुष्टि की गई है तथा जो स्थानिक स्तर पर रहते हैं।
- वैक्सीन निर्माता, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL)
 द्वारा भारत की पहली डेंगू वैक्सीन विकसित की जा रही है। इसे
 पहले चरण के परीक्षण की अनुमित मिल गई है।
 - इस वैक्सीन का उत्पादन अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है।

अफज़ल खान का मकबरा

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने अफजल खान के मकबरे के आसपास चलाए गए विध्वंस/तोड़फोड़ अभियान पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

- न्यायालय ने कहा कि इन रिपोर्टों में ढाँचों की प्रकृति या प्रकार और क्या कथित अनिधकृत संरचनाओं को हटाने के लिये उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था, का उल्लेख होना चाहिये।
- महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि विध्वंस अभियान समाप्त हो गया है
 और सरकारी एवं वन भूमि पर बने अवैध ढाँचों को ध्वस्त कर दिया
 गया है।

अफज़ल खान के मकबरे पर विवाद:

- हिंदू समूहों का आरोप है कि हजरत मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसाइटी ने अनिधकृत निर्माण कर मकबरे का विस्तार किया।
- मामले में वर्ष 2004 में एक व्यक्ति द्वारा विध्वंस की मांग करते हुए जनिहत याचिका (PIL) आवेदन दायर किया गया था।
- हिंदू समूहों ने यह भी दावा िकया िक सोसाइटी मारे गए कमांडर के सम्मान में विभिन्न गतिविधियों की मेजबानी करके 'शिवाजी की भूमि' में 'स्वराज के दुश्मन' का महिमामंडन कर रही है।

अफज़ल खानः

 वह 17वीं शताब्दी में बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत में सेनापित था।

- छत्रपित शिवाजी के उदय और इस क्षेत्र पर बढ़ते नियंत्रण के साथ अफजल खान को दक्कन क्षेत्र में इनके क्षेत्राधिकार को सीमित करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया था।
- अफजल खान ने अपने 10,000 घुड़सवारों के साथ बीजापुर से वाई (Vai) तक मार्च किया और रास्ते में शिवाजी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लूटपाट की।
- शिवाजी ने प्रतापगढ़ के किले में एक युद्ध परिषद बुलाई, जहाँ उनके अधिकांश सलाहकारों ने उनसे शांति स्थापित करने का आग्रह किया। हालाँकि शिवाजी पीछे हटना नहीं चाहते थे और उन्होंने अफजल खान के साथ एक बैठक की।
- इस मुलाकात के दौरान अफजल खान द्वारा षडयंत्र पूर्वक शिवाजी पर किये गए हमले की जवाबी कार्रवाई में शिवाजी विजयी हुए। इसके बाद मराठों के हाथों आदिलशाही सेना का पराभव हुआ।
- मराठा सूत्रों के अनुसार, खान के अवशेषों को किले में दफनाया गया
 था और शिवाजी के आदेश पर एक मकबरे का निर्माण किया गया
 था।
- अनुग्रह कार्य में शिवाजी ने अफजल खान के अवशेषों पर एक मकबरा बनवाया और उसके सम्मान में एक टॉवर का निर्माण कराया, जिसे आज भी प्रतापगढ़ में 'अफजुल बुरुज ' के नाम से जाना जाता है।
- अफजल खान की तलवार को शिवाजी और उनके वंशजों के शस्त्रागार में एक मूल्यवान ट्रॉफी के रूप में संरक्षित किया गया था।

महापाषाणकालीन समाधि स्थल


हाल के निष्कर्षों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले में सबसे बड़ा एंथ्रोपोमोर्फिक समाधि स्थल संग्रह है।

 एंथ्रोपोमोर्फिक/मानवाकृतीय स्थल से तात्पर्य महापाषाणकालीन समाधि स्थल के ऊपर मानव कंकाल के साक्ष्य मिलने वाले स्थल से हैं।



महापाषाण

- मेगालिथ या 'महापाषाण' का तात्पर्य बड़े प्रागैतिहासिक पत्थर से हैं जिसका उपयोग या तो एकल या अन्य पत्थरों के साथ मिलाकर संरचना या स्मारक बनाने के लिये किया गया है।
- महापाषाण का उपयोग शवों को समाधि किये जाने वाले स्थलों या स्मारक स्थलों के रूप में किया जाता था।
 - यह वास्तिविक समाधि अवशेषों वाले स्थल जैसे- डोलमेनोइड सिस्ट (बॉक्स के आकार के पत्थर के समाधि कक्ष), केयर्न सर्कल (परिभाषित परिधि वाले पत्थर के घेरे) और कैपस्टोन (मुख्य रूप से केरल में पाए जाने वाले विशिष्ट मशरूम के आकार के समाधि कक्ष) स्थल है।
- नश्वर अवशेषों से युक्त कलश या ताबूत आमतौर पर टेराकोटा से बना होता था तथा मेगालिथ में मेन्हीर जैसे स्मारक स्थल शामिल हैं।
- भारत में पुरातत्त्विवदों ने लौह युग (1500-500 ईसा पूर्व) में अधिकांश महापाषाण का पता लगाया है, हालाँकि कुछ स्थल लौह युग से पहले 2000 ईसा पूर्व तक के हैं।
- महापाषाण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। अधिकांश महापाषाण स्थल प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, जो महाराष्ट्र (मुख्य रूप से विदर्भ में), कर्नाटक, तिमलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में केंद्रित हैं।



मेगालिथिक/महापाषाण संरचना के विभिन्न प्रकार:

- स्टोन सर्कल्स: स्टोन सर्कल्स या पत्थर के घेरे को आमतौर पर "क्रॉमलेक" (वेल्श भाषा का शब्द) कहा जाता है, अंग्रेजी शब्द "क्रॉमलेक" का प्रयोग कभी-कभी इस अर्थ में किया जाता है।
- डोलमेन: डोलमेन एक महापाषाण संरचना है जो दो या दो से अधिक सहायक पत्थरों पर एक बड़े कैपस्टोन को रखकर बनाई जाती है, जो नीचे एक कक्ष बनाती है, कभी-कभी तीन तरफ से बंद होती है। इसे अक्सर मकबरे या समाधि कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता है।
- सिस्ट: सिस्ट एक छोटा पत्थर से निर्मित ताबूत जैसा बॉक्स या अस्थि-पेटी है जिसका उपयोग मृतकों के शवों को रखने के लिये किया जाता है। समाधि संरचना में डोलमेंस के समान महापाषाण संरचना हैं। इस प्रकार के अंत्येष्टि पूरी तरह से भूमिगत थे। ये एकल और बहु-कक्षीय सिस्ट थे।
- मोनोलिथ: प्रागैतिहासिक काल में स्तंभित एकल पत्थर। जिसको कभी-कभी "मेगालिथ" और "मेनिहर" के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त, परवर्ती काल में एकल पत्थरों का वर्णन करने के लिये इस शब्द का इस्तेमाल किया गया।
- कैपस्टोन शैली: एकल मेगालिथ क्षैतिज रूप से, अक्सर समाधि
 स्थलों के ऊपर, पत्थरों के उपयोग के आधार के बिना रखा जाता है।

मानगढ नरसंहार

17 नवंबर, 1913 को मानगढ़ (बाँसवाड़ा, राजस्थान) में एक भयानक त्रासदी हुई जिसमें 1,500 से अधिक भील आदिवासी मारे गए।

 गुजरात-राजस्थान सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी जिलयाँवाला के नाम से भी जाना जाता है।

मानगढ़ नरसंहार का कारण:

- भीलों, जो एक आदिवासी समुदाय है, को रियासतों के शासकों और अंग्रेजो के हाथों बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
- 20वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थान और गुजरात में रहने वाले भील बंधुआ मजदूर बन गए।
- दक्कन और बॉम्बे प्रेसीडेंसी में वर्ष 1899-1900 के भीषण अकाल, जिसमें छह लाख से अधिक लोग मारे गए थे, ने भीलों की स्थिति और खराब बना दी।
- सामाजिक कार्यकर्त्ता गुरु गोविंदिगिरी, जिन्हें गोविंद गुरु के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा लामबंद और प्रशिक्षित भीलों ने वर्ष 1910 तक अंग्रेजो के सामने 33 मांगों का एक चार्टर रखा, जो मुख्य रूप से जबरन श्रम, भीलों पर लगाए गए उच्च कर और अंग्रेजो और रियासतों के शासकों द्वारा गुरु के अनुयायियों के उत्पीड़न से संबंधित थे।


- भीलों ने उन्हें शांत करने के अंग्रेजो के प्रयास को खारिज कर दिया
 और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की घोषणा करने का संकल्प लेते हुए मानगढ़ पहाड़ी छोड़ने से इनकार कर दिया।
- अंग्रेजो ने तब भीलों को 15 नवंबर, 1913 से पहले मानगढ़ पहाड़ी छोड़ने के लिये कहा।
 - लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 17 नवंबर, 1913 को ब्रिटिश भारतीय सेना ने भील प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाईं और कहा जाता है कि इस त्रासदी में महिलाओं एवं बच्चों सहित 1,500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

गोविंद गुरुः

- गुरु भील और गरासिया आदिवासी समुदायों के बीच एक महान नेतृत्त्वकर्ता थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हजारों आदिवासियों को अपने दम पर एकजुट किया। तात्कालिक मानगढ़, वर्तमान राजस्थान के उदयपुर, डूँगरपुर और बाँसवाड़ा, गुजरात के इडर तथा मध्य प्रदेश का मालवा के सीमांत क्षेत्र को कवर करता है।
- गोविंद गुरु भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेता बनने से पहले, उन्होंने भारत के पुनर्जागरण आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 25 वर्ष की उम्र में, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को काफी प्रभावित किया, जो कि उत्तर भारत में उस आंदोलन के एक केंद्रीय व्यक्ति थे।
 - उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काफी योगदान दिया।
 - वर्ष 1903 में, गोविंद गुरु ने शराब न पीने का संकल्प लिया और अपना ध्यान सामाजिक बुराइयों को खत्म करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, बलात् श्रम को समाप्त करने, बालिकाओं को शिक्षित करने और जनजातियों के बीच आपसी विवादों को न्यायालय तक ले जाने के बजाय उसे हल करने पर केंद्रित किया।
- इससे एक सम्प (एकता) सभा का निर्माण हुआ, जिसकी पहली बैठक मानगढ़ में पहाड़ी पर हुई थी।।
 - इस ऐतिहासिक घटना ने भारतीय इतिहास में मानगढ़ के महत्त्व को सुदृढ़ किया और फिर यह क्षेत्र आदिवासी आंदोलन का केंद्र बन गया।
- वर्ष 1908 में गोविंद गुरु द्वारा शुरू िकया गया भगत आंदोलन जिसमे आदिवासी अपनी शपथ की पुष्टि करने के लिये आग के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, इसे अंग्रेजो ने एक खतरे के रूप में चिह्नित िकया।
- मानगढ़ हत्याकांड का परिणाम भयावह था। गोविंद गुरु को मृत्यु दंड
 दिया गया और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
 - लेकिन आदिवासी भीलों का आंदोलन हिंसक हो जाने के डर से अंग्रेजो ने उसकी फाँसी टाल दी और एक निर्जन द्वीप पर उसे 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई।

- जब वह जेल से रिहा हुआ, तो तात्कालिक रियासतें उसके निर्वासन के लिये एकजुट हो गई।
- वह अपने अंतिम वर्ष कंबोई, गुजरात में रहे, जहाँ 30 अक्तूबर,
 1931 को उनकी मृत्यु हो गई।

भील जनजाति



• परिचयः

- भीलों को आमतौर पर राजस्थान के धनुषधारी (Bowmen)
 के रूप में जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है।
- आमतौर पर इन्हें दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है:
 - मध्य या शुद्ध भील
 - पूर्वी या राजपूत भील
- मध्य भारत में भील मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तथा त्रिपुरा के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं।
- उन्हें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति माना जाता है।

• ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः

- भील आर्य-पूर्व जाति के सदस्य हैं।
- 'भील' शब्द विल्लू या बिल्लू शब्द से बना है, जिसे द्रविड़ भाषा
 में धनुष (Bow) के नाम से जाना जाता है।
- भील नाम का उल्लेख महाभारत और रामायण के प्राचीन महाकाव्यों में भी मिलता है।

भारतीय जैविक डेटा केंद्र

हाल ही में सरकार ने क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB), फरीदाबाद में 'भारतीय जैविक डेटा बैंक' की स्थापना की है।

भारतीय जैविक डेटा बैंक को 'भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC)'
 के रूप में जाना जाता है।

भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC):

• परिचयः

- IBDC भारत में लाइफ साइंस डेटा के लिये पहला राष्ट्रीय भंडार है, जहाँ डेटा न केवल पूरे भारत से एकत्रित किया जाएगा बल्कि पूरे भारत के शोधकर्त्ताओं को इस तक पहुँच की सुविधा होगी।
- भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न IBDC में सभी लाइफ साइंस डेटा को संग्रहीत करना अनिवार्य है।
- यह डेटा सेंटर जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा समर्थित है।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भुवनेश्वर के सहयोग से क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB) में स्थापित किया जा रहा है।
- 🔷 इसकी लागत करीब 85 करोड़ रुपए है।

• पुख्य विशेषताएँ:

- डिजीटल डेटा को 'ब्रह्म' नामक चार-पेटाबाइट क्षमता वाले सुपरकंप्यूटर पर संग्रहीत किया जाएगा।
 - एक पेटाबाइट 10,00,000 गीगाबाइट (GB) के बराबर होता है।
- IBDC के भिन्न-भिन्न सेक्शन अलग-अलग तरह के डेटा सेट को प्रबंधित करते हैं।
 - प्रत्येक आईबीडीसी अनुभाग में समर्पित डेटा सबिमशन और एक्सेस स्कीमा होगा।
- IBDC के पास NIC में एक बैकअप डेटा 'आपदा रिकवरी' साइट है।
- इसके अलावा, IBDC लाइफ साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिये अत्यधिक क्यूरेटेड डेटा सेट भी विकसित करेगा।
- यह जैविक डेटा विश्लेषण के लिये बुनियादी ढाँचा और विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा।
 - बायो-बैंक में अब 200 बिलियन बेस पेयर डेटा हैं, जिसमें '1,000 जीनोम प्रोजेक्ट' के तहत अनुक्रमित 200 मानव जीनोम शामिल हैं, जो लोगों में आनुवंशिक विविधताओं को मैप करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है।
 - परियोजना उन वर्गों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी जो कुछ बीमारियों के लिये पूर्विनिर्धारित हैं।
 - यह शोधकर्त्ताओं को जूनोटिक रोगों का अध्ययन करने में भी मदद करेगा।

यद्यपि डेटाबेस वर्तमान में केवल ऐसे जीनोमिक अनुक्रमों को स्वीकार करता है, जिनके बाद में प्रोटीन अनुक्रमों और इमेजिंग डेटा जैसे अल्ट्रासाउंड तथा चुंबकीय अनुनाद/रेसोनेन्स इमेजिंग (MRI) की प्रतियों के भंडारण के लिये विस्तारित होने की संभावना है।

उद्देश्यः

- देश में जैविक डेटा को लगातार संग्रहीत करने के लिये IT मंच प्रदान करंना।
- फेयर/FAIR (खोज योग्य/Findable, सुलभ/Accessible, इंटरऑपरेबल/ Interoperable और पुनः प्रयोज्य/ Reusable) सिद्धांत के अनुसार डेटा को संग्रहीत तथा साझा करने के लिये मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का विकास।
- गुणवत्ता नियंत्रण, डेटा का क्यूरेशन / एनोटेशन, डेटा बैकअप
 और डेटा लाइफ साइकिल का प्रबंधन।
- डेटा साझाकरण/पुनर्प्राप्ति के लिये वेब-आधारित उपकरण/ अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) का विकास।
- 'बिग' डेटा विश्लेषण और डेटा साझाकरण के लाभों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संगठन।
- डेटा तक पहुँच / एक्सेस:
 - IBDC में प्रमुख रूप से दो प्रकार से डेटा पहुँच/एक्सेस होंगे:

- ओपन एक्सेस/टाइम-रिलीज एक्सेस: IBDC में जमा किये गए डेटा अंतर्राष्ट्रीय ओपन-एक्सेस मानकों के अनुसार दुनिया भर में आसानी से उपलब्ध होंगे। हालॉॅंकि, प्रस्तुतकर्त्ता निर्धारित समय के लिये डेटा एक्सेस को प्रतिबंधित करने का विकल्प चुन सकता है।
- प्रतिबंधित एक्सेस: डेटा को स्वतंत्र रूप से सुलभ नहीं बनाया जाएगा। इसे केवल मूल डेटा सबिमटर से IBDC के माध्यम से पूर्व अनुमित के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

• महत्त्वः

- यह अमेरिकी और यूरोपीय डेटा बैंकों पर भारतीय शोधकर्त्ताओं
 की निर्भरता को कम करेगा।
- यह न केवल शोधकर्त्ताओं को अपने डेटा को देश के भीतर सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि विश्लेषण के लिये स्वदेशी अनुक्रमों के एक बड़े डेटाबेस तक पहुँच भी प्रदान करेगा।
 - इस तरह के डेटाबेस ने पारंपिरक रूप से विभिन्न बीमारियों के आनुवंशिक आधार को निर्धारित करने और टीकों एवं उपचारों के लिये लक्ष्य खोजने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

રેવિક પ્રાયર

जल सप्ताह-इंडिया वाटर वीक का उदघाटन:

भारत के राष्ट्रपित आज ग्रेटर नोएडा में जल सप्ताह-इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा एकीकृत जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और उपयोग करने के प्रयास में 1 नवंबर से 5 नवंबर तक भारत जल सप्ताह के सातवें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस मंच का उपयोग वैश्विक स्तर के निर्णयकर्त्ताओं, राजनेताओं, शोधकर्त्ताओं और उद्यमियों के बीच विचार-विमर्श हेतु किया जाएगा। जल सप्ताह का केंद्रीय विषय "सतत् विकास एवं समानता के लिये जल सुरक्षा" है। यह आयोजन दुनिया भर के विशेषज्ञों, योजनाकारों तथा हितधारकों के एकीकरण में मदद करेगा और सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन की स्थिरता से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत करेगा। कार्यक्रम में सम्मेलनों के साथ सेमिनार, पैनल चर्चा, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड इस आयोजन में भाग लेंगे।

हरित आयकर

आयकर विभाग ने 31 अक्तूबर, 2022 को समाप्त होने वाले भारत सरकार के महीने भर चले 'विशेष स्वच्छता अभियान' में बड़े उत्साह से भाग लिया। इसी दिन (31 अक्तूबर) सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई जाती है और इसे 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में भी जाना जाता है। आयकर विभाग ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरित आयकर की श्रूरुआत की है। इस विशेष पहल के तहत आयकर विभाग के भवनों और अन्य सार्वजिनक क्षेत्रों में एवं उनके आसपास पेड़ लगाकर तथा सूक्ष्म वन विस्तार कर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। शब्द एचएआरआईटी-हरित वास्तव में हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाई इनकम टैक्स का संक्षिप्त रूप है।

'मानगढ़ धाम की गौरव गाथा' कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 01 नवंबर, 2022 को राजस्थान के बाँसवाड़ा जिले में 'मानगढ़ धाम की गौरव गाथा' कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने गुजरात के पंचमहल जिले के जम्बूगोड़ा में आठ सौ साठ करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री गोधरा में श्री गोविंद गुरू विश्वविद्यालय के नए परिसर, वाडेक गाँव में संतजोरिया परमेश्वर प्राइमरी स्कूल और स्मारक तथा दांडियापुरा गाँव में राजारूप सिंह नायक प्राइमरी स्कूल व स्मारक का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री गोधरा केंद्रीय विद्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। वे गोधरा मेडिकल कॉलेज के विकास एवं कौशल्य विश्वविद्यालय के विस्तार कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिये विशेष

महत्त्व रखता है। राजस्थान व गुजरात की सीमा पर बाँसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति क्षेत्र की पहाड़ी पर मानगढ़ धाम स्थित हैं। 17 नवंबर, 1913 में गोविन्द गुरु के नेतृत्व में अंग्रेज़ो से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि यह घटनाक्रम जिलयावाला बाग से भी बड़ा था। दिल्ली के अभिलेखागार से मानगढ़ से जुड़े अधिकृत दस्तावेज जुटाने के बाद सरकार इसके विकास पर विशेष ध्यान डे रही है।

इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को बंगलूरू, कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 को उद्धाटन समारोह को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य भावी निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही अगले दशक के लिये विकास एजेंडा निर्धारित करना है। 2 से 4 नवंबर तक बंगलूरू में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 में 80 से अधिक सत्र होंगे। इस सम्मलेन में भाग लेने वालो में मुख्य रूप से उद्योग जगत के शीर्ष कारोबारी होंगे। इस सम्मेलन में कारोबार से जुड़ी प्रदर्शनियाँ और भागीदार देशों के सत्र भी होंगे। भागीदार देशों में फाँस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस सम्मेलन से कर्नाटक को विश्व के समक्ष अपनी संस्कृति प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा।

स्व-स्थाने परियोजना

प्रधानमंत्री 3 नवंबर, 2022 को स्व-स्थाने परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये नवनिर्मित 3024 फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भुमिहीन शिविर में पात्र लाभार्थियों को इन फ्लैटों की चाबियाँ भी सौंपेंगे। सभी को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण 376 झुग्गी-झोपड़ी समूहों का स्व-स्थाने पुनर्वास कर रहा है। पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को उचित सुविधाओं के साथ बेहतर और स्वस्थ निवास स्थान हेतु वातावरण प्रदान करना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कालकाजी विस्तार, जेलोरवाला बाग एवं कठपुतली कॉलोनी में ऐसी तीन परियोजनाएँ शुरू की हैं। कालकाजी विस्तार परियोजना के तहत तीन स्लम क्लस्टर-भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और कालकाजी स्थित जवाहर कैंप का स्व-स्थाने पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण के तहत पास के खाली वाणिज्यिक केंद्र स्थल पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये 3024 फ्लैटों का निर्माण किया गया है। भूमिहीन शिविर में झुग्गी-झोपड़ी स्थल को इस शिविर के पात्र परिवारों को नवनिर्मित फ्लैटों में पुनर्वासित कर खाली किया जाएगा। परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। इन फ्लैटों का निर्माण लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये सभी नागरिक सुविधाओं से युक्त हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला

भारत सरकार का प्रकाशन विभाग संयुक्त अरब अमीरात में 2 नवंबर से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन प्रदर्शित करेगा। मेले का इस वर्ष का विषय- 'स्प्रेड द वर्ड' है। 12 दिन तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का आयोजन शारजाह बुक अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। शारजाह के एक्सपो सेंटर में आयोजित इस मेले में विश्व के जाने-माने पुरस्कार विजेता लेखक, बुद्धिजीवी और अन्य साहित्यकार भाग ले रहे हैं। इस मेले में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत, प्रकाशन विभाग पुस्तकों में रुचि रखने वाले उत्साही लोगों के लिये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। इसमें विभिन्न विषयों पर कई भारतीय भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकें, पित्रकाएँ भी उपलब्ध रहेंगी।

ब्लैक सी ग्रेन पहल के स्थगन पर चिंता

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाली ब्लैक सी ग्रेन पहल के स्थगन को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि इस कदम से दुनिया, विशेष रूप से दक्षिणी देशों के सामने खाद्य सुरक्षा, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति की चुनौतियाँ बढ़ने की संभावना है। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग डिबेट में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार ने कहा कि काला सागर अनाज सौदे ने यूक्रेन में शांति की आशा की किरण प्रदान की थी और गेहूँ तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों को कम करने में मदद की थी। भारतीय राजनियक ने कहा कि इस पहल के परिणामस्वरूप यूक्रेन से 90 लाख टन से अधिक अनाज और अन्य खाद्य उत्पादों का निर्यात हुआ, जिसने गेहूँ एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों को कम करने में योगदान दिया जो खाद्य कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सुचकांक में गिरावट से स्पष्ट है।

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ फेज- II बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) इंटरसेप्टर एडी-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया । एडी-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ-साथ विमानों के लो एक्सो-एटमॉस्फेरिक और एंडो-एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिये डिजाइन किया गया है। यह दो चरणों वाली ठोस मोटर से संचालित होने के साथ देश में ही विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन एवं गाइडेंस एल्गोरिदम से लैस है।

अमर्त्य सेन

अमर्त्य सेन का जन्म 03 नवंबर, 1933 में कोलकाता में हुआ था। उनकी शिक्षा कोलकाता के शांति निकेतन, 'प्रेसीडेंसी कॉलेज' तथा कैंब्रिज के ट्रिनीटी कॉलेज से हुई।इसके अतिरिक्त उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया है। वे एक महान अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक हैं। गौरतलब है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अमर्त्य सेन का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। अमर्त्य सेन ने महालनोविस के द्वि-विभागीय किमयों को दूर करने के लिये चार विभागों वाला एक वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे 'राज-सेन मॉडल' के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल को उन्होंने प्रोफेसर के.एन. राज के साथ मिलकर तैयार किया था। उन्होंने जहाँ एक ओर संवृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया, वहीं बेरोजगारी उन्मूलन को प्राथमिकता देने की बात कही। सेन के अनुसार, भारत जैसे देश में गरीबी उन्मूलन के लिये ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को समुचित संस्थानिक प्रोत्साहन तथा उत्पादन के कारकों को बढावा दिया जाना चाहिये। सेन ने अकाल की बदलती प्रवृत्ति एवं कारणों पर भी समुचित प्रकाश डाला। वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

मानव कंप्यूटरः शकुंतला देवी

शकंतला देवी का जन्म 4 नवंबर, 1929 को बंगलुरु,कर्नाटक में हुआ था। उन्हें "मानव कंप्यूटर" के रूप में जाना जाता है। बचपन से ही वह अद्भुत प्रतिभा की धनी थीं और बड़ी से बड़ी संखाओं की गणना पल भर में ही कर लेती थीं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए वर्ष 1982 में उनका नाम 'गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज कर लिया गया। 6 वर्ष की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें अपनी गणना क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। वर्ष 1977 में शकुंतला ने 201 अंकों की संख्या का 23वाँ वर्गमूल बिना किसी कागज़ व कलम की सहायता लिये ही निकाल दिया था तथा उनका उत्तर UNIVAC 1101 कंप्यूटर में देखने के लिये US ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को विशेष प्रोग्राम तैयार करना पडा था। बौद्धिक रूप से धनी शकुंतला देवी लेखिका भी थी और उनके द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक "दी वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल (1977)" है। वर्ष 1969 में फिलीपींस विश्वविद्यालय ने उन्हें "वमेन ऑफ़ दी ईयर" का दर्जा देते हुए सम्मानित किया था। उन्हें रामानुजन गणित ज्ञाता पुरस्कार भी दिया गया। हृदय संबंधी समस्या के कारण 21 अप्रैल. 2013 को उनका देहांत हो गया।

15वाँ शहरी सचलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी

15वाँ शहरी सचलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन 02 नवंबर, 2022 को कोच्चि, केरल में आवास और शहरी कार्य मंत्री तथा केरल के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से किया। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्धारक, मेट्रो रेल

कंपनियों के प्रबंध निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ तथा अन्य लोग भाग ले रहे हैं। "वार्षिक आयोजन का उद्देश्य शहर एवं राज्य स्तर पर क्षमताओं का निर्माण व शहरी परिवहन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। सम्मेलन का विषय है-"आजादी@75 - सतत् आत्मिनर्भर शहरी गितशीलता"। सम्मलेन में समाज के सभी वर्गों हेतु समान और टिकाऊ शहरी परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिये दिशा-निर्देश भी निर्धारित किये जाएंगे।

देशबंधु चित्तरंजन दास

चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर, 1870 को कोलकाता में हुआ था। चित्तरंजन दास को प्यार से 'देशबंधु' कहा जाता था। वे महान राष्ट्रवादी तथा प्रसिद्ध विधि-शास्त्री थे। चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़कर गांधीजी के असहयोग आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और पूर्णतया राजनीति में आ गए। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के सिद्धांतों का प्रचार करते हुए उन्होंने पुरे देश का भ्रमण किया। चित्तरंजन दास वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किये गए लेकिन उन्होंने भारतीय शासन विधान के अंतर्गत संवर्द्धित धारासभाओं से अलग रहना ही उचित समझा। संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले चित्तरंजन दास ने अपनी समस्त संपत्ति राष्ट्रीय हित में समर्पित कर दी। कलकत्ता के नागरिकों के हित के लिये उन्हें नौकरियों में अधिक जगह देकर हिन्दू-मुस्लिम मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। भारतीय समाज के लिये समर्पित, अधिक परिश्रमी तथा जेल जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए चित्तरंजन दास बीमार पड़ गए और 16 जून, 1925 को उनका निधन हो गया।

विश्व सुनामी जागरुकता दिवस

विश्व सुनामी जागरुकता दिवस प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। बार-बार सुनामी के कड़वे अनुभवों के कारण जापान को इस दिवस को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इसने सुनामी की पूर्व चेतावनी, सार्वजनिक कार्रवाई के साथ ही भविष्य के प्रभावों को कम करने के लिये आपदा के बाद बेहतर निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रमुख रूप से विशेषज्ञता हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को सुनामी के बारे में जागरुकता बढाने के लिये नामित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब सुनामी की चेतावनी लोगों तक पहुँचे तो समुदाय बिना किसी भय के निर्णायक रूप से कार्य करें। 22 दिसंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 70/23 के माध्यम से 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरुकता दिवस के रूप में नामित किया। वर्ष 2021 में विश्व सुनामी जागरुकता दिवस "सेंडाई सेवन अभियान" लक्ष्य को बढावा देता है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वर्तमान ढाँचे के कार्यान्वयन के लिये अपने राष्ट्रीय कार्यों के पूरक हेतु पर्याप्त और स्थायी समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। विश्व सुनामी जागरुकता दिवस 2022 का उद्देश्य शुरुआती चेतावनी प्रणालियों तक पहुँच बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर सुनामी के खतरे को कम करना है।

राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस

देश में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (National Cancer Awareness Day) मनाया जाता है तािक जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिये शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। मैरी क्यूरी की जयंती के अवसर पर 7 नवंबर का दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रुप में चुना गया था। कैंसर की स्थिति में शरीर की कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। कैंसर भारत सिहत दुनिया भर में जीर्ण एवं गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases-NCD) की वजह से होने वाली मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। भारत में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority- NPPA) ने कैंसर की दवाओं को अधिक किफायती बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

शिशु सुरक्षा दिवस

शिशु सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में शिशुओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। भारत में शिशु मृत्यु दर कई देशों की तुलना में अधिक है, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की कमी के कारण यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। विश्व भर में नवजात शिशुओं की उचित सुरक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। विभिन्न देशों की सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिये अनेक योजनाएँ लागू की हैं। भारत में इसी संदर्भ में शिशु के साथ-साथ माँ के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई है। साथ ही इससे संबंधित अन्य योजनाएँ भी कार्यान्वित की जा रही हैं, जैसे- सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि। इन सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य शिशु-मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना, शिशुओं के लिये नियमित टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना आदि हैं।

वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी

भारत 07 नवंबर, 2022 से लंदन में शुरू हो रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी में भाग लेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बडी प्रदर्शनियों में से एक है। इस वर्ष प्रदर्शनी की थीम है- यात्रा का भविष्य अब शुरू होता है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, प्रदर्शनी में भारत स्वयं को पर्यटन के लिये पसंदीदा देश के रूप में प्रस्तुत करेगा। तीन दिवसीय इस प्रदर्शनी में भारतीय मंडप में विभिन्न राज्य सरकारें, कई केंद्रीय मंत्रालय, टूर ऑपरेटर सिहत कुल 16 हितधारक भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सा यात्रा, सभी सुविधाओं से सुसिज्जित रेलगाड़ियों सिहत पर्यटन से जुड़ी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करना है। वर्ष 2019 के दौरान भारत

के सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान 5.19 प्रतिशत रहा। भारतीय पर्यटन क्षेत्र लगभग आठ करोड लोगों को रोज्ञगार के अवसर देता है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के निरंतर प्रयास से पर्यटन उद्योग को कोविड महामारी के असर से उबरने में मदद मिली है और यह धीरे-धीरे कोविड पूर्व स्थिति में लौट रहा है।

ब्रॉडकास्ट एयर-टाइम शेड्यूलर (बैट्स)

प्रसार भारती के वाणिज्यिक परिचालनों एवं कामकाज को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने के लिये 7 नवंबर, 2022 को प्रसार भारती सचिवालय में यातायात एवं बिलिंग ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर 'ब्रॉडकास्ट एयर-टाइम शेड्यूलर- बैट्स (BATS)' लॉन्च किया गया। मोटे तौर पर BATS का उद्देश्य समस्त परिचालनों में पारदर्शिता लाना और वाणिज्यिक परिचालनों को अत्यंत कुशल बनाना है। विभिन्न चरणों में बुकिंग, बिलिंग एवं भुगतान प्राप्तियों आदि की निगरानी के साथ-साथ यह प्रणाली विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करेगी जो प्रबंधन निर्णय लेने के लिये अत्यंत आवश्यक हैं। यह एप मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यह सॉफ्टवेयर दरअसल मेन्यू आधारित है जिसे आकाशवाणी की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकृलित किया गया है जिससे यह अधिक सुविधाजनक एवं उपयोगी हो गया है। बैट्स को मेसर्स मीडिया न्युक्लियस द्वारा विकसित किया गया है तथा इसकी विशेषताओं में शामिल हैं- एक केंद्रीय डेटाबेस के माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर समस्त विज्ञापन ऑर्डर की शेडयलिंग और बिलिंग का प्रबंधन करना, रिलीज़ ऑर्डर प्रविष्टि से लेकर एकल या बह-इनवॉयस बिलिंग तक अनुबंधों को निर्बाध रूप से संचालित करना, खाता पदानुक्रम, विभिन्न पैकेज एवं उत्पादों, मूल्य निर्धारण योजनाओं, कंटेंट अधिकार प्रबंधन, स्वचालित विज्ञापन बुकिंग के साथ-साथ थोक सौदों, शल्कों तथा बिलिंग चक्र इनवॉयसिंग पर दी जाने वाली छट का प्रभावकारी प्रबंधन करके सटीक बिलिंग सुनिश्चित करना आदि।

G20 संगठन के विषय, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत द्वारा की जाने वाली G20 की अध्यक्षता से संबंधित लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। इसका उद्देश्य विश्व को भारत के संदेश एवं प्राथमिकताओं से अवगत कराना है। भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के ज्वलंत मुद्दों पर वैश्विक कार्यसूची में योगदान करने का अवसर मिलेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिये प्रमुख मंच है। इसके सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में करीब 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार में 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की आबादी में करीब दो-तिहाई योगदान करते हैं। अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन, भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा।

उत्तराखंड स्थापना दिवस

प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर, 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। देशवासियों की आस्था की प्रतीक पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों, मंदिरों और नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण प्रकृति की गोद मे बसा वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। यह प्रांत वर्ष 1902 में अस्तित्त्व में आया और वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल से मिलती हैं। इसके उत्तर-पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। देहरादून यहाँ की राजधानी है। यहाँ मुख्य तौर पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबिक गढ़वाली और कुमाऊँनी यहाँ की स्थानीय बोलियाँ हैं।

53वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

53वाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिये स्पर्धा में होंगी जिनमें 12 अंतर्राष्ट्रीय और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। ज्यरी में इज़रायल के लेखक और फिल्म निर्देशक नदव लापिड, अमेरिका के फिल्म निर्माता जिन्को गोटोह, फ्राँसीसी फिल्म संपादक पास्कल चावांस, फ्राँसीसी वृत्तचित्र फिल्म निर्माता, फिल्म समीक्षक एवं पत्रकार जेवियर अंगुलो बार्टरेन तथा भारत के निर्देशक सुदीप्तो सेन शामिल हैं। इस साल प्रतियोगिता वर्ग में जो फिल्में शामिल हैं, उनमें पोलैंड के फिल्म निर्माता क्रिज्सटॉफ जानुसी की परफेक्ट नंबर, मैक्सिको के फिल्म निर्माता कार्लोस आइचेलमैन कैसर की फिल्म रेड शुज, ईरानी डामा नो एंड तथा हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी. पहली बार इस महोत्सव का आयोजन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में भारत सरकार के फिल्म डिवीज़न द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 1975 से इस महोत्सव का आयोजन वार्षिक तौर पर किया जाता है और अब तक इसके कुल 52 संस्करण आयोजित किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day-NLSD) मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (NLSD) की शुरुआत वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को सहायता व समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी के लिये न्याय सुनिश्चित करने हेतु लोगों को कानून के बारे में जागरूक करना, साथ ही समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त

कानूनी सहायता व सलाह प्रदान करना है। भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को भारतीय संसद द्वारा 9 नवंबर, 1995 को लागू किया गया था। इसलिये 9 नवंबर को 'राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस' के रूप में चिह्नित किया गया है। 'NALSA' का गठन समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के उद्देश्य से किया गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश 'NALSA' का मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।

परिवहन दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस यातायात नियमों और दुर्घटनाओं, निजी वाहनों के उपयोग के परिणामों, सार्वजनिक परिवहन का सख्ती के साथ उपयोग किये जाने की आवश्यकता, परिवहन क्षेत्र के विकास एवं इस संबंध में जागरूक करने के लिये मनाया जाता है। भारत के कई राज्यों में प्रदूषण के घटने-बढ़ने की समस्या भी इस दिवस का केंद्रीय बिंदु है। एक समय ऐसा भी था जब यातायात के इतने साधन नहीं थे, वाहंनों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन आज समय और परिस्थित दोनों में बदलाव आया है। आवागमन के साधन व सुविधाओं में वृद्धि से देश में जहाँ एक ओर विकास के नए युग का सूत्रपात हुआ है, वही इनकी वजह से पर्यावरण को भारी क्षति भी पहुंची है। विज्ञान एवं विकास में समन्वय स्थापित कर सुगम, सुरक्षित व प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चत की जा सकती है।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने 09 नवंबर, 2022 को दूसरे अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) के तहत महिला केंद्रित चुनौती की शुरुआत की। ये चुनौतियाँ जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के समक्ष मौजूद प्रमुख मुद्दों से संबंधित हैं। महिला केंद्रित चुनौतियाँ जीवन के सभी क्षेत्रों से महिलाओं के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों का समाधान करती हैं। इनमें नवाचार के ज़रिये महिला स्वच्छता, महिला सुरक्षा में सुधार के लिये नवाचार, महिलाओं हेतु प्रोफेशनल नेटवर्किंग अवसर, माताओं के जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचार और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाना शामिल है। नीति आयोग और अटल नवाचार मिशन महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित हैं। ANIC का उद्देश्य प्रोद्योगिकी आधारित ऐसे नवाचारों की खोज, चयन, समर्थन एवं उन्हें प्रोत्साहन देना है जो राष्ट्रीय महत्त्व और सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान कर सकें। एक करोड़ रुपए तक की अनुदान आधारित व्यवस्था के माध्यम से इस तरह के प्रयासों का समर्थन किया जाता है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। ANIC प्रोटोटाइप चरण में नवाचारों की मांग के साथ 12-18 महीनों के दौरान चयनित स्टार्टअप को व्यावसायीकरण चरण में सहयोग करता है। साथ ही भारत के निरंतर विकास और वृद्धि हेतू शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा, गतिशीलता, अंतरिक्ष आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचारों को प्रोत्साहित करना है।

डिजिलॉकर

भारत सरकार के प्रामाणिक दस्तावेज विनिमय प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर को अब स्वास्थ्य लॉकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत टीकाकरण रिकॉर्ड, डॉक्टर की पर्ची, लैब रिपोर्ट और अस्पताल से छुट्टी मिलने का विवरण सिहत स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजो को सुरक्षित रखने की सुविधा होगी। डिजिलॉकर द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के साथ दूसरे स्तर का एकीकरण पूरा होने के बाद यह संभव हो पाया है। इससे पूर्व डिजिलॉकर ने ABDM के साथ पहले स्तर का एकीकरण पूरा किया था जिसके तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट को इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया था। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकांउट (ABHA) से लगभग 13 करोड़ उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। डिजिलॉकर की इस नई प्रणाली से उपभोक्ता इसे अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड एप के रूप में उपयोग कर पाएँगे। इसके अलावा ABHA धारक अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। उपभोक्ता इस एप के माध्यम से अपने पुराने स्वास्थ्य रिकॉर्ड स्कैन और अपलोड भी कर सकते हैं। साथ ही वे कुछ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को ABDM पंजीकृत स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ साझा कर सकते हैं।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद विद्वान, शिक्षाविद् और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मौलाना आजाद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की स्थापना में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR), साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एवं वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की स्थापना में भी भूमिका निभाई। पहले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 नवंबर, 2008 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया था, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

विश्व विज्ञान दिवस

समाज में विज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका और वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में आम जनता को संलग्न करने के साथ दैनिक जीवन में विज्ञान की प्रासंगिकता को रेखांकित करने तथा शांति व विकास हेतु प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिये इस दिवस की थीम "सतत विकास के लिये बुनियादी विज्ञान" रखी गई है। सर्वप्रथम 10 नवंबर, 2002 को यूनेस्को (UNESCO) के तत्त्वावधान में दुनिया भर में मनाया गया यह दिवस वर्ष 1999 में बुडापेस्ट में विज्ञान विषय पर आयोजित विश्व सम्मेलन का परिणाम है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को विज्ञान के विकास से अवगत कराने और पृथ्वी को लेकर हमारी समझ को व्यापक बनाने में विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालना है।

राष्ट्रीय पक्षी दिवस

राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष '12 नवंबर' को मनाया जाता है। 12 नवंबर डॉ. सलीम अली का जन्म दिवस है, वे विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ एवं प्रकृतिवादी थे। वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पिक्षयों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी-विज्ञान के विकास में काफी मदद की। भारत में इन्हें "पक्षी मानव" के नाम से भी जाना जाता था। पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली के जन्म दिवस को 'भारत सरकार' द्वारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस घोषित किया गया है। सलीम अली ने पिक्षयों से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी थीं, 'बर्झ ऑफ़ इंडिया' इनमें सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। डाक विभाग ने इनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया है। वर्ष 1958 में सलीम अली को 'पद्मभूषण' तथा वर्ष 1976 में 'पद्मविभूषण' से सम्मानित किया गया था।

एशियाई मुक्केबाज़ी चैंपियनशिप

एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की मुक्केबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चार स्वर्ण पदक जीते। परवीन, लवलीना बोरगोहाई, स्वीटी बोरा और आल्फिया पठान ने शानदान प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। जॉर्डन में 11 नवंबर, 2022 को फाइनल में परवीन ने जापान की कितो माइ को जबिक लवलीना ने उज्बेकिस्तान की रूजमेटोवा सोखिबा को हराया। स्वीटी ने कजाखस्तान की गुलसाया यरजे़हान को पराजित किया। आल्फिया पठान को इस्लाम हुसेली के डिस्क्वालिफाइड होने से स्वर्ण पदक मिला। इससे पहले मीनाक्षी ने रजत पदक हासिल किया। इस प्रकार भारतीय महिला मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य सिहत कुल सात पदक जीते।एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप एशिया में मुक्केबाजी के शौकीनों के लिये सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। पहला टूर्नामेंट वर्ष 1963 में बैंकाक, थाईलैंड द्वारा आयोजित किया गया था।

विश्व मधुमेह दिवस

विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह एक गैर-संचारी रोग है जिसका कारण अग्न्याशय द्वारा पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करना अथवा शरीर द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाना है। इसके दो प्रकार हैं: टाइप-1 मधुमेह और टाइप-2 मधुमेह ।टाइप-2 मधुमेह का मुख्य कारण मोटापा और व्यायाम की कमी है। भारत में मधुमेह एक बढ़ती हुई चुनौती है, जिसकी अनुमानित 8.7% आबादी 20 और 70 वर्ष के आयु वर्ग की है। मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों के प्रमुख कारकों में बढ़ता शहरीकरण, असंतुलित जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर आहार आदि हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो विश्व में लगभग 6% आबादी अर्थात् 420 मिलियन से अधिक लोग टाइप-1 या टाइप-2 मधुमेह से पीड़ित हैं। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा स्नावित एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सेलुलर ग्लूकोज बढाने, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने तथा कोशिका विभाजन एवं विकास को बढ़ावा देकर सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। वर्ष 2010 में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिये शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर मधुमेह के निदान तथा लागत प्रभावी उपचार में सहायता करना है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

41वाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किया। व्यापार मेले की इस वर्ष की थीम है- वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल यानी स्थानीय उत्पाद को समर्थन और वैश्विक स्तर तक विस्तार। 14 दिन के इस बडे आयोजन का महत्त्व आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ और बढ जाता है। इस मेले में 29 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। बिहार, झारखण्ड एवं महाराष्ट्र साझेदार राज्य हैं, जबिक उत्तर प्रदेश तथा केरल विशेष आकर्षण वाले राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, उत्पाद बोर्ड व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेले में अपनी उपलब्धियाँ प्रदर्शित करेंगे। भारत-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अफगानिस्तान, बंगलादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वैश्विक स्वास्थ्य के लिये आयुष विषय के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य पहलों एवं उपलब्धियों का प्रदर्शन करेगा। आयुष मंत्रालय के मंडप में स्वस्थ आयुष जीवन-शैली के बारे में जानकारी देने हेतू विचार विमर्श की गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इस दौरान विभिन्न आयुष संस्थान व आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिक्पा तथा होम्योपैथी से जुड़े अनुसंधान निकाय अपने मंडप लगाएंगे। मेले में आए हुए लोगों को आयुष मंत्रालय के मंडप में नि:शुल्क बाह्य रोगी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें उन्हें आयुष चिकित्सा पद्धति से संबंधित सभी स्वास्थ्य परामर्श दिये जाएंगे।

श्लोक मुखर्जी

हाल ही में गूगल ने Google For Doodle 2022 प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा की। इस वर्ष कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को उनके प्रेरक डूडल के लिये 'इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज' शीर्षक से भारत के लिये विजेता घोषित किया गया है। अपने डूडल को साझा करते हुए श्लोक ने लिखा, "अगले 25 वर्षों में मानवता की बेहतरी के लिये भारत के वैज्ञानिक, स्वदेशी इको-फ्रेंडली रोबोट विकसित करेंगे। भारत पृथ्वी से अंतरिक्ष तक की नियमित रूप से यात्रा करेगा। भारत योग एवं आयुर्वेद में अधिक विकास के साथ आने वाले वर्षों में और मज़बूत होगा। इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत के लगभग 100 से अधिक शहरों से कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों की 115,000 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिसका विषय था- "अगले 25 वर्षों में मेरा भारत होगा..."। निर्णायक पैनल के अंतर्गत अभिनेता, फिल्म निर्माता नीना गुप्ता, टिंकल कॉमिक्स की प्रधान संपादक, कुरियाकोस वैसियन, यूट्यूब क्रिएटर्स स्लेयपाइंट और कलाकार एवं उद्यमी अलीका भट के साथ-साथ गुगल इडल टीम शामिल थी।

झारखंड राज्य गठन दिवस

15 नंवबर, 2000 को भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण हुआ। झारखंड राज्य आदिवासियों की गृहभूमि है। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएँ हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 'झारखंड मुक्ति मोर्चा' ने नियमित रूप से आंदोलन किया, जिस कारण सरकार ने वर्ष 1995 में 'झारखंड क्षेत्र परिषद' की स्थापना की और इसके पश्चात् यह राज्य पूर्णतः अस्तित्त्व में आया। बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने वर्ष 2006 में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर 'झारखंड विकास मोर्चा' की स्थापना की थी। झारखंड भारत का एक प्रमुख राज्य है जो गंगा के मैदानी भाग के दक्षिण में है। झारखंड राज्य में बहुत बड़ी संख्या में घने वन हैं जहाँ अनेकों वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यही कारण है कि राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में यह प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है तथा वन्यजीवों के संरक्षण के लिये मशहूर है। 'झारखंड' का शाब्दिक अर्थ है- "वन का क्षेत्र"। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में ओडिशा है। औद्योगिक नगरी राँची इसकी राजधानी है। इस प्रदेश के अन्य बडे शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल हैं तथा वर्तमान समय में झारखंड राज्य के कुल जिलों की संख्या 24 है।

नवजात शिश् दिवस (सप्ताह)

नवजात शिशु देखभाल सप्ताह देश में प्रतिवर्ष 15 से 21 नवंबर मनाया जाता है। इस सप्ताह को मानने का उद्देश्य बच्चे की उत्तरजीविता

और विकास के लिये नवजात शिशु की देखभाल के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढाना है। बच्चे की उत्तरजीविता के लिये नवजात काल की अवधि (जीवन के पहले अठाईस दिन) महत्त्वपूर्ण होते है, क्योंकि इस अवधि में बाल्यवस्था के दौरान किसी अन्य अवधि की तुलना में मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। आजीवन स्वास्थ्य और विकास के लिये जीवन का पहला महीना आधारभूत अवधि है। स्वस्थ शिश् स्वस्थ वयस्कों में विकसित होते है, जो कि अपने समुदायों और समाजों की उन्नित एवं विकास में योगदान करते हैं। प्रतिवर्ष 26 लाख बच्चे जीवन के पहले सप्ताह में मृत्य को प्राप्त हो जाते है तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 2.6 मिलियन बच्चे मृत जन्म लेते हैं। भारत में वर्ष 2013 में 0.75 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई, हालाँकि नवजात शिशु मृत्यु दर (NMR) वर्ष 2000 में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 44 से घटकर वर्ष 2013 में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 28 की गिरावट आई है। यदि हम वर्ष 2035 तक पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की मृत्यु दर 1000 जन्में बच्चों में 20 या उससे कम करना चाहते है, तो विशिष्ट प्रयास करने होगें। नवजात मृत्यु के मुख्य कारण हैं: अपरिपक्वता, जन्म के दौरान जटिलताएँ, गंभीर संक्रमण। सभी नवजात शिशुओं में बीमारी के जोखिम को कम और उनकी वृद्धि बढ़ाने एवं विकास के लिये आवश्यक नवजात शिशु देखभाल की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। राष्ट्रपति 30 नवंबर, 2022 को विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिये चुना गया है। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिये जाएंगे। खेलों में लाईफ टाइम अचीवमेंट के लिये मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार चार खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इनमें अश्विनी अक्कुंजी सी, धर्मवीर सिंह, बी.सी. सुरेश नीर बहादुर गुरुंग शामिल हैं। इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, यह भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसे वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया था। यह विगत चार वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार एवं सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है।